सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट 2005-06

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2005–2006

ए–2/14, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली–110029
फोन : 91-11-26163107, 26161669 फैक्स : 91-11-26103294
ई–मेल : trai@del2.vsnl.net.in Website : http:/www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए भेजते हुए मुझे प्रसन्नता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2005–06 की है। इस रिपोर्ट में वह सूचना सम्मिलित है, जो टीआरएआई (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित टीआरएआई अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को भेजनी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में दूरसंचार क्षेत्र पर समग्र दृष्टि सहित, उन विनियामक मुद्दों पर मुख्य कार्यकलापों का सारांश दिया गया है जो अधिनियम के अंतर्गत, टीआरएआई के विधिक कृत्यों से विशिष्ट संदर्भ रखते हैं। प्राधिकरण के लेखाओं का परीक्षित वार्षिक विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

(नृपेन्द्र मिश्र)
अध्यक्ष

28 सितम्बर, 2006

तालिका सूची

तालिका नं.	विषय	पृष्ठ सं0
क.	प्राधिकरण की संरचना	1
ख.	मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य	10
ग.	विहंगावलोकन	12
घ.	भविष्य के लिए कार्यसूची	26
भाग–I	नीतियां तथा कार्यक्रम	29
1.1	दूरसंचार सेक्टर में व्याप्त परिवेश की समीक्षा	31
1.2	नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा	64
भाग–II	दूरसंचार सेक्टर में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और परिचालन की समीक्षा	83
भाग–III	अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकलाप	117
भाग–IV	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन	167
4.1	संगठनात्मक मामले	169
4.2	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का 2005–2006 का परीक्षाकृत लेखा	181
4.3	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्यनिधि – 2005–2006 का परीक्षाकृत लेखा	225

तालिका सूची

तालिका नं.	विषय	पृष्ठ सं0
भाग–I चार्ट–1 व 2	लंबी दूरी की सेवाओं के लिए 1/5/1999 से पूर्व से 31/3/2006 की अवधि के दौरान टैरिफों में कटौती	33
1.1	सेवा क्षेत्रों के लिए जारी लाइसेंसों की कुल संख्या तथा उन लाइसेंसों की संख्या जिन पर 31 मार्च, 2006 तक सेवाएं शुरू हो गई	34
1.2	31 मार्च, 2006 को बेसिक सेवाओं का उपभोक्ता आधार	36
1.3	31 मार्च, 2006 को बेसिक सेवा प्रदाताओं के संदर्भ में सज्जित स्विचिंग क्षमता, निवल क्षमता वृद्धि आदि का ब्यौरा	39
1.4	सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) और प्रतीक्षा सूची से संबंधित बीएसएनएल तथा एमटीएनएल (संयुक्त रूप से) के 1989–90 से 2005–06 तक के आंकड़े	41
1.5	31 मार्च, 2006 को बेसिक सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (DEL) तथा कुल प्रतीक्षा सूची	42
1.6	मार्च 2005 की तुलना में 31 मार्च, 2006 को पीसीओ (PCO) का प्रचालकवार और सर्किलवार ब्यौरा।	43
1.7	31 मार्च, 2006 को स्थिति के अनुसार वीपीटी (VPT) की प्रचालकवार तथा सर्किलवार स्थिति	45
1.8	मार्च, 2002 से मार्च, 2006 तक मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) सेवा का उपभोक्ता आधार (मिलियन) में	47
1.9	मार्च, 2006 में विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर बाजार में उनका हिस्सा	48
1.10	ऐसे सेल्युलर सेवा प्रदाताओं (जीएसएम तथा सीडीएमए) की सूची, जो 31 मार्च, 2006 को परिचालन में थे	48

तालिका सूची

तालिका नं.	विषय	पृष्ठ सं0
1.11	मार्च, 2006 को मोबाइल सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए) की सेवा क्षेत्रवार सूची	49
1.12	मार्च, 2000 से मार्च, 2006 तक भारत में बेसिक सेवा के ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) के सब्सक्राइबर	53
1.13	31 मार्च, 2006 को सब्सक्राइबर आधार के हिसाब से विभिन्न जीएसएम ऑपरेटरों का मार्केट शेयर।	54
1.14	31 मार्च, 2006 को सब्सक्राइबर आधार के हिसाब से विभिन्न सीडीएमए ऑपरेटरों का मार्केट शेयर	55
1.15	31 मार्च, 2006 को सेल्युलर मोबाइल (जीएसएम) सेवाओं के लाइसेंसधारियों तथा उनके उपभोक्ताओं की संख्या	55
1.16	मार्च, 2002 से मार्च, 2006 के दौरान मेट्रो तथा सर्किलों में मोबाइल (जीएसएम) सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्याः	55
1.17	वर्ष, 2003–04,2004–05 तथा 2005–06 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए अतिरिक्त जीएसएम मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या तथा वार्षिक वृद्धि दर।	56
चित्र 1.1	पी एस यू आपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार (1998–2006)	57
चित्र 1.2	प्राइवेट ऑपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार (1998–2006)	58
1.18	मार्च 1999 से मार्च 2006 के दौरान रेडियो पेजिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या	59
1.19	31 मार्च, 2006 को वीसैट कनेक्शनों की संख्या	60
1.20	31 मार्च, 2006 को पीएमआरटीएस के ग्राहकों की संख्या	60
1.21	31 मार्च, 2006 को इंटरनेट उपभोक्ताओं	62

तालिका सूची

तालिका नं.	विषय	पृष्ठ सं0
	की संख्या	
1.22	31 मार्च, 2006 को सब्सक्राइबर आधार की दृष्टि से उच्चतम पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का बाजार का हिस्सा।	62
1.23	31 मार्च, 2006 को इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं की सूची	63
अनुलग्नक तालिका 1	इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) जिन्होंने इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है और 31 मार्च 2006 को उनकी उपभोक्ता संख्या	77
भाग–II		
चित्र 2.1	2.1 ग्रामीण और शहरी टेलीघनत्व के बीच अन्तर बढ़ाना (मार्च, 1996 से मार्च, 2006)	94
चित्र 2.2	मार्च, 1998 से मार्च, 2006 तक सेल्युलर टैरिफ में कमी तथा सेल्युलर सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि	100
भाग–III		
3.1	दूरसंचार टैरिफ आदेश (संशोधन)	120
3.2	2005–06 के दौरान ट्राई द्वारा जारी विनियम	126
3.3	2005–06 के दौरान सरकार को की गई सिफारिशों की सूची	135
भाग–IV		
4.1	वर्ष 2005–06 के दौरान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किए गए अधिकारियों का विवरण	175
4.2	प्राधिकरण एवं 'ट्राई' के अधिकारियों ने जिन सेमिनारों/कार्यशालाओं/बैठकों आदि में भाग लिया उनका विवरण	177

क. प्राधिकरण की संरचना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में यह विनिर्दिष्ट है कि प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होंगे।

31 मार्च, 2006 को प्राधिकरण में निम्नलिखित थेः

श्री नृपेन्द्र मिश्र, अध्यक्ष

श्री पी. के. सरमा, सदस्य

डॉ. अरविन्द विरमानी, अंशकालिक सदस्य

प्रो. (डॉ.) संजय गोविन्द ढांडे, अंशकालिक सदस्य

श्री प्रदीप बैजल ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के तीसरे अध्यक्ष के रूप में 22 मार्च, 2003 को कार्यभार ग्रहण किया और 21 मार्च, 2006 को वे सेवानिवृत्त हुए। दूसरे पूर्णकालिक सदस्य डॉ. पी. एस. सेठ ने कार्यकाल पूरा होने पर 09 मार्च, 2006 को अपना कार्यभार त्याग दिया।

अध्यक्ष

नृपेन्द्र मिश्र
(22.03.2006 से आगे)

श्री नृपेन्द्र मिश्र ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 22.03.2006 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व ये मार्च, 2005 तक सचिव, दूरसंचार विभाग एवं अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग, भारत सरकार के पद पर थे। सचिव, दूरसंचार विभाग एवं अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग, भारत सरकार के रूप में ये देश में दूरसंचार सेक्टर से संबंधित सभी मामलों, जिसमें लाइसेंस प्रणाली, दूरंसचार सेवाओं के विकास में सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी, दूरसंचार नेटवर्क संबंधी नीतियां, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, ग्रामीण टेलीफोनी आदि शामिल है, के लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने लगभग 38 वर्ष के अपने सेवाकाल के दौरान उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार के कई वरिष्ठ कार्यपालक तथा नीति निर्धारक पदों पर काम किया। इन्होंने विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार (1978–1980) तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग में निदेशक (विश्व बैंक–आईएमएफ डिवीजन) (1981–1984) के रूप में और उसी विभाग में संयुक्त सचिव, फंड बैंक डिवीजन (1984–1985) के रूप में काम किया। अगस्त, 1985 से जुलाई, 1988 तक इन्होंने भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी में मिनिस्टर (आर्थिक) के रूप में सेवा की और भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरीका के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के सभी पहलुओं की जिम्मेवारी इनकी थी, जिसमें बहुपक्षीय (विश्व बैंक, आईएफसी एवं आईएमएफ) तथा द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों पर निगरानी रखना तथा संयुक्त राज्य अमेरीका के निजी क्षेत्र द्वारा भारत में निवेश को बढ़ावा देने के मामले भी शामिल थे।

ये संस्थागत वित्त, कराधान तथा उत्पाद शुल्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव (1988–89) के पद पर रहे और जनवरी, 1990 से अक्तूबर, 1992 तक ये उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, के पद पर रहे। मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव के रूप में इन्होंने राज्य में नई औद्योगिक, व्यापार तथा आर्थिक नीतियों तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी नीतियों के निरूपण तथा कार्यान्वयन में

प्रमुख भूमिका निभाई। अक्तूबर, 1992 से जनवरी, 1994 तक वे ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे और इस नए औद्योगिक नगर के एकीकृत विकास की जिम्मेवारी इनकी थी। जनवरी, 1994 से जुलाई, 1995 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व बोर्ड के सदस्य थे और आगे 1995–96 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव, गृह–II के पद पर रहे।

नवम्बर, 1996 से जनवरी, 2002 तक उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव (नवम्बर, 1996 से अगस्त, 2000)/विशेष सचिव (अगस्त, 2000 से जनवरी, 2002) के रूप में काम किया। इनकी जिम्मेवारी मुख्यतः डब्ल्यूटीओ, आयात निर्यात नीति, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार करार तथा यूरोपिएन यूनियन तथा सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से संबंधित सभी मामलों की थी।

भारत सरकार के उर्वरक विभाग के सचिव के रूप में (जनवरी, 2002 से जनवरी, 2004) इन्होंने देश में उर्वरक के उत्पादन, कृषि संबंधी साधन सामग्री की मांग–आपूर्ति तथा कीमत निर्धारण से संबंधित नीतियां बनाई जिसमें गरीब कृषकों की सहायता के लिए बनाई जाने वाली नीतियां तथा वार्षिक आधार पर उत्पादन के कुशल मानदण्डों का निर्धारण करना भी शामिल है। इनमें जोर ईंधन तथा ऊर्जा सूचकांकों पर दिया गया।

श्री मिश्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, कृभको तथा इफको के निदेशक मंडल के तथा शहरी सहकारी बैंक के संबंध में आरबीआई समिति तथा नेशनल बैंक आफ एग्री कल्चर रि–फाइनेंस एण्ड डिवलेपमेंट की आन्तरिक समीक्षा समिति के सदस्य भी रहे।

इन्होंने 1981 में हारवर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में इनके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं।

अध्यक्ष

प्रदीप बैजल
(21.03.2006 तक)

आई. आई. टी., रूड़की से यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक श्री प्रदीप बैजल, भारत सरकार, विनिवेश मंत्रालय के सचिव के पद से फरवरी, 2003 में सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने राज्य तथा केन्द्र सरकार में लगभग 35 वर्ष तक कई महत्त्वपूर्ण नीति निर्धारक पदों पर कार्य किया। इन्होंने रजिस्ट्रार, को. ऑपरेटिव सोसायटीज (1978–1982) के रूप में और 1988–1993 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग, वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग में सचिव के रूप में सेवा की। इन्होंने उद्योग विभाग के सचिव के रूप में साफ्टवेयर कंपनी एनआईटीईएल के निजीकरण में राज्य सरकार की सहायता की और ये उस दौरान देश के एकमात्र आप्टिकल फाइबर कंपनी ओपीटीईएल के अध्यक्ष थे।

अगस्त, 1994 से दिसम्बर, 1999 के दौरान इन्होंने पावर मंत्रालय, भारत सरकार, में संयुक्त सचिव, अपर सचिव तथा विशेष सचिव के रूप में काम किया। इस अवधि के दौरान इन्होंने पावर सेक्टर में सुधार अर्थात् बिजली विनियामक आयोग अधिनियम, 1999 के प्रतिपादन, पावर सेक्टर को जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा वितरण कंपनियों में विभक्त करने, केन्द्र तथा राज्य बिजली विनियामक आयोगों के गठन और उड़ीसा तथा दिल्ली के राज्यों में वितरण का निजीकरण करने में केन्द्र सरकार की सहायता की। पावर तथा सीमेंट उपकरण निर्माता कंपनी एबीएल लि0 के 1995 में निजीकरण में भी इन्होंने सरकार की सहायता की।

इन्होंने भारत सरकार के विनिवेश मंत्रालय में सचिव (दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2003 तक) के रूप में निजीकरण, निजीकरण प्रक्रिया का मानकीकरण, शेयर क्रय करार, शेयर होल्डिंग करार, पब्लिक आफरिंग के नियम आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों का पूरा खाका निर्धारित किया। कई कंपनियों का निजीकरण किया और मारूति, आईओसी, सीएमसी आदि के लिए आईपीओ की शुरूआत करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में श्री बैजल के कार्यकाल में भारतीय दूरसंचार

विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार सेक्टर तथा ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं के संबंध में सरकार को कई सिफारिशें की हैं, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। श्री बैजल ने भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण में 22 मार्च, 2003 को अपना कार्य भार ग्रहण किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी विभिन्न नीतियों का प्रतिपादन किया जिनसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, टैरिफ में काफी कमी आई, सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के उपभोक्ता आधार में भारी वृद्धि हुई, टैरिफ का गैर–विनियमन हुआ, अंतरसंयोजन के मुद्दों का समाधान हुआ और केबल सेवाओं के टैरिफ के संबंध में अंतरिम उपाय आदि किए गए। इनके कार्यकाल में मोबाइल उपभोक्ता आधार में असाधारण वृद्धि (31.3.2003 के लगभग 13 मिलियन से बढ़कर 31.03.2006 को 90.14 मिलियन) हुई।

श्री बैजल 1987–88 के दौरान एक वर्ष के लिए आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फैलो भी रहे। प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में इनके कई लेख भी प्रकाशित हुए हैं।

सदस्य

डॉ. डी.पी.एस. सेठ

डॉ0 डी0 पी0 एस0 सेठ, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज, बंगलोर से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक हैं। इन्होंने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में वाटरलू विश्वविद्यालय, कनाडा से पीएचडी की है। ये भारतीय दूरसंचार सेवा के 1965 के बैच के अधिकारी हैं। डॉ. सेठ ने अपने सेवा काल के प्रारंभिक वर्षों में 18 वर्ष तक अनुसंधान तथा विकास का कार्य किया और तत्पश्चात् ये विभिन्न मुख्यालयों तथा फील्ड तैनातियों में अपनी सेवाओं के दौरान योजना, प्रचालन तथा अनुरक्षण के कार्यों से जुड़े रहे। ये दूरसंचार विभाग के लिए नीतिगत प्रलेखों तथा एमटीएनएल के लिए विजन प्रलेख के प्रतिपादन से निकट से जुड़े रहे । ये एमटीएनएल के विशेषज्ञ ग्रुप के प्रभारी महाप्रबंधक रहे और बाद में एमटीएलएल में प्रधान महाप्रबंधक बने तथा इन्हें पंजाब में भी तैनात किया गया। इन्होंने उत्तर पूर्व तथा हरियाणा सर्किलों में भी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया। मुख्यालय में अपनी तैनातियों के दौरान ये दीर्घकालिक योजना, लम्बी दूरी की योजना तथा ग्राहक सेवाओं से

सम्बद्ध रहे। एनटीपी, 99 की घोषणा के बाद ये तीव्रगति से उदारीकरण की प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए दूरसंचार विभाग में कई दलों के अध्यक्ष रहे। विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए और ट्राई की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद इन्हें लाइसेंसों में समाविष्ट किया गया। ये सुप्रसिद्ध न्यायविद् श्री फली एस. नरीमन की अध्यक्षता में कम्यूनिकेशन कन्वर्जेंस विधेयक, 2000 की ड्राटिंग के कार्य से भी सम्बद्ध रहे। ये भारत संचार निगम लि0 (बीएसएनएल) के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक बने और इनके कार्यकाल के दौरान "कम टैरिफ ज्यादा ट्रैफिक" का मॉडल शुरू किया गया था, जो बीएसएनएल में दर्ज ट्रैफिक की द्रुत गति से हुई वृद्धि से सही सिद्ध हुआ। ये भारत के दूरसंचार आयोग, जो नीति बनाने वाली शीर्षस्थ निकाय है, के सदस्य (सेवाएं) एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के पद पर भी रहे। इन्होंने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 10 मार्च, 2003 को पदभार ग्रहण किया।

सदस्य

पी.के. सरमा

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सज (सीबीडीटी) के अध्यक्ष के पद, जो भारत में प्रत्यक्ष कर प्रषासन का षीर्षस्थ पद है, से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के बाद भारतीय राजस्व सेवा के 1965 के बैच के अधिकारी श्री पी. के. सरमा ने 10 अप्रैल, 2003 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया। दिसम्बर, 2001 में सीबीडीटी के अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व इन्होंने आयकर विभाग में मुख्य आयुक्त, आयकर, कोलकाता, महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण) तथा सीबीडीटी के सदस्य के पद सहित कई चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया। श्री पी.के सरमा इलाहाबाद, विश्वविद्यालय से कला स्नातक हैं। इन्होंने हारवर्ड विश्वविद्यालय में पब्लिक फाइनेंस का भी अध्ययन किया। इन्होंने कई ऐसी वार्ताओं में भी भाग लिया, जिनमें कई द्वि–पक्षीय कर समझौते किए गए और इन्होंने कर प्रशासन तथा कर सुधारों पर कई अन्तरराष्ट्रीय सेमिनारों में भी भाग लिया। इन्हें केन्द्रीय सेवाओं के प्रशिक्षण अकादमियों में व्याख्यान देने के लिए भी प्रायः आमंत्रित किया जाता है।

सदस्य
(अंशकालिक)

डॉ. अरविंद विरमानी

डॉ. अरविंद विरमानी, योजना आयोग में प्रधान सलाहकार हैं। ये एसबीआई म्यूच्युअल फंड ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

इंडियन काउंसिल फार रिसर्च ऑन इन्टरनेशनल इकॉनामिक रिलेशन्स के निदेशक एवं चीफ एक्जीक्यूटिव रहे। ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार भी रहे। ये 1991–92 तथा 1992–93 के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री के सलाहकार (नीति योजना) रहे। सरकारी सेवा में आने से पूर्व ये विश्व बैंक के अनुसंधान विभाग में वरिष्ठ अर्थशास्त्री थे और इस कार्यकाल में कुछ समय पब्लिक इकॉनोमिक्स डिवीजन के कार्यवाहक प्रमुख भी रहे।

ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा गठित ग्लोबल स्ट्राटेजिक डिवलेपमेंट्स इम्प्लीकेशन एंड सजस्टेड रिस्पांस से संबंधित टास्क फोर्स के सदस्य और मुद्रा (money), विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक के तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) के सदस्य भी रहे। ये पब्लिक ऋण प्रबंधन (मिडिल आफिस) तथा सीमा शुल्क सुधार से संबंधित इन्टर–मिनीस्ट्रीयल ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे। डॉ विरमानी भारत–चीन और भारत–कोरिया व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित संयुक्त अध्ययन दल के सदस्य भी रहे। ये विदेशी निवेश से संबंधित संचालन दल के सदस्य सचिव भी रहे। इन्होंने सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) तथा डिपॉजिटरीज एक्ट के अपीलीय अधिकरण के सदस्य के रूप में भी काम किया है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के निदेशक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के ट्रस्टी के रूप में भी सेवा की है। ये मुद्रा (money), तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित आरबीआई के तकनीकी सलाहकार ग्रुप, अन्तरराष्ट्रीय वित्त मानक तथा कोड और यूएस 64 योजना के सुधार तथा स्थायित्व से संबंधित यूटीआई समिति के सदस्य भी रहे हैं।

इन्होंने मैक्रो–इकॉनोमिक्स एवं ग्रोथ, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा टैरिफ और क्रेडिट बाजार के क्षेत्र में भी अनुसंधान किया है। इन्होंने आर्थिक सुधारों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से सलाह दी है और लिखा है जिसमें ''एक्सीलेरेटिंग ग्रोथ एण्ड पावर्टी रिडक्शन – ए पालिसी फ्रेमवर्क फार इण्डियाज डिवलेपमेंट और प्रोपेलिंग इंडिया फ्राम सोसियलिस्ट स्टैगनेशन टु ग्लोबल पावर'', वाल I एवं II नामक पुस्तकें भी शामिल हैं।

सदस्य
(अंशकालिक)

प्रो. (डॉ.) एस.जी. ढांडे

प्रो. (डॉ.) संजय गोविन्द ढांडे ने सदस्य (अंशकालिक) के रूप में 15 जुलाई, 2003 को पदभार ग्रहण किया। इस समय अक्तूबर, 2001 से ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के निदेशक हैं। ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा ये विभिन्न संस्थानों तथा अनुसंधान संगठनों के विभिन्न शासी निकायों के सदस्य भी हैं। आईआईटी, कानपुर के निदेशक के रूप में, इन्होंने उद्योग के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिसमें संयुक्त अकेडेमिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, संस्थान में औद्योगिक पदों (Chairs) की स्थापना, कैम्पस तथा टेक्नॉलोजी बिजनेस इन्क्यूबेशन यूनिट में संयुक्त अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने, बदलती जरूरतों तथा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अनुसंधान सुविधाओं, जैसे कि नए विभाग की इमारतों तथा हॉस्टल की इमारतों के निर्माण, सौंदर्यवर्द्धन तथा उन्नत लैब इक्यूपमेंट (SQUID, Computing facilities etc.) की प्राप्ति तथा अंतरिक्ष विकास के कार्यों, की दृष्टि से भी अत्यन्त प्रगति की है। अक्तूबर, 2001 से पूर्व ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के 22 वर्ष तक फैकल्टी रहे और एक शिक्षाशास्त्री के रूप में इन्होंने अध्यापन, अनुसंधान तथा औद्योगिक परामर्श के कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अनुसंधान और विकास के डीन, न्यूक्लीयर इंजीनियरिंग तथा टेक्नॉलोजी प्रोग्राम के अध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष, कंप्यूटर केन्द्र के सह–अध्यक्ष, कम्प्यूटर एडेड डिजायन प्रोजेक्ट के को–आर्डिनेटर, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर के पदों पर काम

किया। ये फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग तथा रेन्स्सेलर पॉलीटेक्नीक इंस्टीट्यूट, न्यूयार्क, यूएसए में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च एसोसिएट भी रहे। इन्होंने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विजिटिंग सहायक प्रोफेसर तथा डेनेब रोबोटिक्स डेटरोइट, यूएसए (DENEB ROBOTICS DETROIT, USA) के विजिटिंग वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया। प्रो. ढांडे नवम्बर, 1991 से भारत सरकार तथा यूएनडीपी (UNDP) द्वारा प्रायोजित नेशनल सेन्टर फॉर एमई एंड सीई सीएडी (National Centre for ME & CE CAD) परियोजना में भी कार्य कर रहे हैं।

प्रो. ढांडे ने कम्प्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्रॉफिक्स एंड डिजाइन पर एक पुस्तक लिखी है और ये दो अन्य पुस्तकों के सह–लेखक भी हैं। अलग–अलग राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके 90 से ज्यादा लेख प्रकाशित हुए हैं। 50 से ज्यादा परामर्श प्रोजेक्टों (Consultancy Projects) पर भी इन्होंने कार्य किया है। इन्हें कई राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा सम्मान भी प्राप्त हुए हैं।

ख. मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य

ख.1. उद्देशिका

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का सदैव प्रयास रहता है कि दूरसंचार सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़े तथा वहनीय कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता प्राप्त हो ताकि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। सरकार की 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 (के) के अनुसार ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं को भी "दूरसंचार सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है। 2005–06 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र, जिसमें ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं भी शामिल हैं, की तस्वीर बदलने तथा इन सेवाओं की व्याप्ति, उपलब्धता और पहुंच में विस्तार के लिए अनेक पहल कदम उठाए गए।

ख.2. 'ट्राई' का मिशन

2. 'ट्राई' का मिशन हैः देश में दूरसंचार, जिसमें ब्राडकास्टिंग और केबल सेवाएं भी शामिल हैं, के विकास के लिए उपयुक्त तरीके से, और उपयुक्त गति से, ऐसी परिस्थितियों की स्थापना और पोषण करना जिनसे, उभरते विश्व सूचना समाज में, भारत अग्रणी भूमिका निभा सके।

ख.3. 'ट्राई' के लक्ष्य और उद्देश्य

3. 'ट्राई' के लक्ष्य और उद्देश्यों की दिशा और केन्द्रबिंदु, नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों की प्राप्ति को आसान बनाने वाली विनियामक व्यवस्था का निर्माण करना है। जैसा इस रिपोर्ट में आगे उल्लिखित विभिन्न पहल कदमों में स्पष्ट किया गया है, ट्राई के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैंः–

– देश में टेलीडेनसिटी बढ़ाना और वहन किए जा सकने वाले मूल्यों पर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना,

– विस्तार, मूल्य एवं गुणवत्ता की दृष्टि से, विश्व की श्रेष्ठतम दूरसंचार सेवाओं के समान सेवाएं उपलब्ध कराना,

– न्यायोचित और पारदर्शी नीति का वातावरण बनाना जिससे समानता का सिद्धांत प्रोत्साहित हो, और इसी सिद्धांत पर उचित प्रतिस्पर्धा मुहैया हो,

– उचित, पारदर्शी, त्वरित तथा साम्यतापूर्ण अंतरसंयोजन वाली अंतरसंयोजन व्यवस्था की स्थापना करना।

– टैरिफों का पुनः संतुलन करना ताकि, उपभोक्ताओं की वहनशीलता और साथ ही प्रचालक की अर्थक्षमता के उद्देश्यों की निरन्तर आधार पर पूर्ति हो।

– उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सेवा की उपलब्धता, मूल्य एवं गुणवत्ता और अन्य मामलों से जुड़ी ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना,

– विभिन्न प्रचालकों द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की मानिटरिंग करना।

– दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सेवाएं पहुँचे और दूरसंचार प्रचालक, सार्वभौमिक सेवा दायित्त्व को निभाएं, इसके लिए क्षेत्रवार/सार्वजनिक टेलीफोनों की निवल लागत के निधीयन हेतु अपेक्षित व्यवस्था करना,

– सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के युग में, निर्बाध प्रवेश का आधार तैयार करना,

– वाणिज्यिक तथा गैर–वाणिज्यिक चैनलों के जरिए भारत में रेडियो कवरेज को बढ़ाना,

– टीवी चैनलों के संबंध में उपभोक्ताओं के विकल्प बढ़ाना और टेलीविजन तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं कौन सा ऑपरेटर प्रदान करेगा इसका चुनाव करने का विकल्प प्रदान करना,

ग. विहंगावलोकन

4. ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर में और सुधार करने और भारत में इन सेवाओं के क्षेत्र, उपलब्धता तथा इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए 2005–06 के दौरान अनेक नीतिगत पहलकदमों की रूपरेखा बनाई गई, जिनका ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(क) टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के संबंध में सिफारिशें

5. निर्देशिका सेवाएं आम जनता के उपयोग की सेवाएं हैं, इसलिए सरकार ने विभिन्न लाइसेंसों में प्रावधान किया है कि टेलीफोन निर्देशिका मुद्रित की जाए तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाएं प्रारंभ की जाएं। तथापि, आज प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली फिक्सड सेवाओं के मामले में तथा सरकारी और प्राइवेट दोनों सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के मामले में निर्देशिका पूछताछ सेवा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान मल्टी ऑपरेटर, मल्टी सेवा परिदृश्य में एक ऑपरेटर आधारित निर्देशिका पूछताछ सेवा का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। अतः विभिन्न नेटवर्क तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों की निर्देशिका पूछताछ सेवा की आवश्यकता महसूस की गई थी। अतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस बारे में अपनी सिफारिशें 5 मई, 2005 को सरकार को प्रस्तुत की। इन सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- सभी लाइसेंस करारों में टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के लिए समान प्रावधान करना।

- एलडीसीए (लॉग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया) स्तर पर फिक्सड लाइन के ग्राहकों के लिए एकीकृत टेलीफोन निर्देशिका, जिसमें सभी बेसिक सेवा प्रदाताओं/एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाताओं के फिक्सड लाइन के ग्राहकों को शामिल किया जाए। इन्कमबेंट ऑपरेटर अर्थात् बीएसएनएल तथा एमटीएनएल, फिक्सड लाइन के ग्राहकों की मुद्रित एकीकृत

टेलीकॉम निर्देशिका प्रकाशित करेंगे तथा दूसरे ऑपरेटर उन्हें प्रकाशन की लागत पर आने वाले खर्च की क्षतिपूर्ति करेंगे।

- प्रत्येक सेल्युलर ऑपरेटर एकीकृत मोबाइल निर्देशिका के प्रकाशन, जो एक आदर्श स्थिति है, के लिए एकल एकीकृत डाटा आधार की व्यवस्था करने के लिए उस समय तक जब तक कि निर्देशिका पूछताछ सेवा पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाती है, अलग–अलग मुद्रित टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित करेंगे।

- सेल्युलर मोबाइल निर्देशिका में केवल उन्हीं ग्राहकों की प्रविष्टियां दी जानी चाहिए जिन्होंने स्पष्टतः अपनी सहमति प्रदान की हो। प्री–पेड ग्राहकों को मुद्रित निर्देशिका में शामिल नहीं किया जाएगा।

- मुद्रित निर्देशिका प्रकाशित करने की समयावधि वार्षिक होगी। मुख्य निर्देशिका पहले वर्ष प्रकाशित की जाएगी जिसके बाद दो पूरक निर्देशिकाएं प्रकाशित की जाएंगी।

(ख) स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

6. दूरसंचार विभाग ने अपने 17 नवम्बर, 2003 के पत्र के माध्यम से ट्राई से स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग, स्पेक्ट्रम की कीमत और स्पेक्ट्रम आबंटन की प्रक्रिया के बारे में सिफारिशें मांगी थी। वायरलेस सेवाओं के विकास के लिए, स्पेक्ट्रम सबसे महत्वपूर्ण तथा विरल साधन है और इसकी अपर्याप्तता से न केवल इसका विकास प्रभावित होगा बल्कि इससे सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। मोबाइल ऑपरेटरों को आबंटित स्पेक्ट्रम का मौजूदा स्तर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विकास के उददेश्य, बाजार का वर्तमान तथा संभावित रूझान, अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार, तकनीकी संबंधी विकासात्मक कार्य आदि को ध्यान में रखकर, 13 मई, 2005 को सरकार को स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। स्पेक्ट्रम नीति संबंधी सिफारिशें,

सरकार के उद्देश्यों अर्थात् दिसम्बर, 2007 तक 200 मिलियन मोबाइल टेलीफोनों का लक्ष्य प्राप्त कर सकें, ऑपरेटरों को पर्याप्त स्पेक्ट्रम प्रदान करना, जिससे वे दीर्धवधि की स्पेक्टरली कुशल योजना बना सकें, टेलीकॉम सेवाओं की साधन सामग्री की लागत कम हो सके ताकि छोटे शहरी क्षेत्रों (semi urban) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज बढ़े तथा 3 जी सेवाओं का रोल आउट बढ़े, पर आधारित है।

(ग) अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) में कमी करना जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी हुई और सब्सक्राइबर आधार में भारी वृद्धि हुई

7. प्राधिकरण ने 6 जनवरी, 2005 के अपने आईयूसी विनियम में उल्लेख किया था कि यह परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कई मुद्दों का समाधान करेगा। तदनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2005 को एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें व्यापक मुद्दों का उल्लेख किया गया था, जिसमें शामिल हैं; (क) फिक्सड वायरलेस लाइनों के लिए एडीसी का औचित्य तथा गैर–बीएसएनएल फिक्सड लाइन के ऑपरेटरों के लिए एडीसी की स्वीकार्यता, (ख) राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी और मिक्सड मॉडल, एनएलडी तथा आईएलडी कॉलों पर उच्चतर एडीसी आदि (ग) अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (कैरिएज तथा टर्मिनेशन मुद्दे) जिनमें इनकमिंग कॉलों के प्रभार और यह कि क्या कैरिएज तथा टर्मिनेशन के लिए अलग–अलग दरें होनी चाहिए, भी शामिल हैं और (घ) सार्वभौम सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) का संवितरण बढ़ाने का देय एडीसी मात्रा पर प्रभाव। ओपन हाउस सत्रों के दौरान प्राप्त टिप्पणियों तथा स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों के साथ–साथ अपने विश्लेषण के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार और अभिगम घाटा प्रभार का निर्धारण करते हुए 23 फरवरी, 2006 को नया आईयूसी विनियम जारी किया। 23 फरवरी, 2006 के इस आईयूसी विनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने घरेलू कीमतों को घटाने तथा सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत में लम्बी दूरी की कॉलों के लिए चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो प्रति मिनट कैरिएज प्रभारों की अधिकतम सीमा 0.65 रु. प्रतिमिनट निर्धारित की। इस विनियम से पूर्व कैरिएज प्रभार दूरी पर आधारित

थे (अर्थात् यह 50 कि.मी. तक की दूरी के लिए 0.20 रु., 200 कि.मी. तक के लिए 0.45 रु., 500 कि.मी. तक के लिए 0.50 रु. और 500 कि. मी. से ज्यादा के लिए 1.20 रु. था)।

8. लागत आधारित आईयूसी प्रणाली, एडीसी और टैरिफ में कमी जैसे विभिन्न उपायों की वजह से टेलीघनत्व में भारी वृद्धि हुई जो 31.03.2005 के 9.08% से बढ़कर 31.03.2006 को 14.0% हो गया। वर्तमान विनियामक नीतियों तथा लागत आधारित अन्तरसंयोजन पर निरंतर जोर दिए जाने के कारण 2010 तक के 15 के टेलीघनत्व का लक्ष्य इस वर्ष ही अर्थात् निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

(घ) आईएसपी लाइसेंसधारियों द्वारा वर्च्यूअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सेवाएं चलाने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।

9. दूरसंचार विभाग ने देश में आईएसपी लाइसेंसधारियों द्वारा वीपीएन सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 16 अगस्त, 2005 को सरकार को अपनी सिफारिशें दीं। मुख्य सिफारिशें में शामिल हैं: (क) लेयर–3 वीपीएन सेवा प्रदान करने वाले आईएसपी के लिए प्रवेश शुल्क 'कुछ नहीं' लगाना, (ख) लेयर–2 वीपीएन सेवा प्रदान करने वाले आईएसपीएस से 30 लाख रु. का एक बारगी प्रवेश शुल्क लगाना, (ग) लेयर–2 तथा लेयर–3 के वीपीएन सेवाओं के लिए आईएसपीएस पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क (राजस्व शेयर) 'कुछ नहीं' लगाना।

(ङ) ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में सिफारिशें।

10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 27 अक्तूबर, 2004 को "ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 3 अक्तूबर, 2005 को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफारिशों में देश में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के उच्चतर मात्रात्मक तथा गुणात्तात्मक

विकास करने का प्रावधान किया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किए बिना टेलीकॉम सेक्टर का ज्यादा विकास संभव नहीं होगा। चूंकि टेलीघनत्व, विकास के स्तर से सम्बद्ध है इसलिए ग्रामीण तथा शहरी टेलीघनत्व के बीच ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि मौजूदा नीति में अलग–अलग कनैक्शनों (डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन {डीईएल}, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन {वीपीटीएस} आदि) के आधार पर सब्सिडी देना छोड़कर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि प्रस्तावित योजना को जल्दी कार्यान्वित किया जाता है तो हम आज के लगभग 2% के (फिक्सड लाइन) ग्रामीण टेलीघनत्व की तुलना में दिसंबर, 2007 तक 15% के ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त कर सकेंगे। लगभग 43% के संभावित शहरी टेलीघनत्व से साथ मिलकर इससे समग्र टेलीघनत्व 22. 98% होगा और ऐसा होने से सरकार द्वारा निर्धारित 250 मिलियन सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। सिफारिश की मुख्य बातें इस प्रकार हैंः (क) यूएसओ से अवलम्ब प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर करना, (ख) यूएसओ निधि के माध्यम से आधार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, (ग) ग्रामीण कवरेज से सम्बद्ध; वार्षिक लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार में रियायत प्रदान करना (घ) ग्रामीण वीसैट लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार घटाना तथा ट्रांसपोन्डर्स सस्ते कीमतों पर उपलब्ध कराना (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क के लिए कोई मार्गाधिकार प्रभार न लगाना, (च) ताक ऑपरेटरों को यूएसओ निधि से सहायता प्रदान करना तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों से उन्हें रियायत प्रदान करना (छ) ग्रामीण क्षेत्र में कोरडेक्ट तथा इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा 450 MHz आदि के उपयोग के लिए कोई स्पेक्ट्रम प्रभार न लगाना।

(च) घरेलू लीज सर्किटों (डीएलसी) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करना।

11. घरेलू लीज सर्किट (डीएलसी) देश के भीतर डाटा तथा वॉयस सेवाओं के संवहन का माध्यम है। यह सेवा बेसिक सेवा ऑपरेटरों/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों, राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटरों और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाना श्रेणी –II द्वारा

मुहैया की जाती है। भारत में इस सेवा के महत्वपूर्ण उपयोगकर्त्ता इन्टरनेट सेवा प्रदाता, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उपक्रम जैसे कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिट, दूरसंचार सेवा प्रदाता, कारपोरेट उपक्रम आदि हैं।

12. प्राधिकरण ने पाया कि बाजार में प्लयेरों की संख्या बढ़ने के बावजूद डीएलसीएस के प्रावधान के मामले में प्रतिस्पर्धा पूरी तरह प्रभावी नहीं हुई है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी उन्नति से लांग हॉल बैंडविथ की यूनिट लागत भी तेजी से घटी है परन्तु सेवाएं मुहैया कराने की लागत में कमी, लीज लाइन के टैरिफ में हुई कमी के अनुरूप नहीं हुई। लीज सर्किटों के टैरिफ में कमी, ज्यादातर चुनिंदा मार्गों और चुनिंदा क्षमताओं पर हुई। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि देश में ब्राडबैंड का फैलाव उच्चतर दर से प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डीएलसी सेवा एक मूलभूत आवश्यकता है, जिससे सामाजिक आर्थिक अवसरों के अन्तरण का मूलभूत आधार मुहैया होता है, खासतौर पर ग्रामीण भारत में। तदनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मौजूदा घरेलू बैंडविथ टैरिफ कीमत की अधिकतम सीमा 3% से 70% तक घटाते हुए 21 अप्रैल, 2005 को दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) में संशोधन किया। टैरिफ की संशोधित अधिकतम सीमा, आमतौर पर ज्यादा उपयोग होने वाली क्षमताओं/स्पीड अर्थात् 64 केबीपीएस, 128 केबीपीएस, 256 केबीपीएस, ई–1 (प्रति सेकण्ड 2 मेगा बिट्स की रफ्तार), डीएस–3 (प्रति सेकण्ड 45 मेगा बिट्स रफ्तार) तथा एसटीएम–1 (प्रति सेकण्ड 155 मेगा बिट्स रफ्तार) पर लागू की गई है।

(छ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपाय

13. टैरिफ के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने तथा ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्राधिकरण ने 2 मई, 2005 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश जारी करते हुए टैरिफों का विज्ञापन निर्धारित फार्मेट में देना अनिवार्य किया। सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के

'पोस्ट पेड' सब्सक्राइबरों के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए भी 27.06.2005 को निर्देश जारी किए गए। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ–साथ सब्सक्राइबरों को क्रेडिट सीमा की अग्रिम में सूचना देने, कनेक्शन काटने से पहले नोटिस देने, अंशतः भुगतान करने की सुविधा देने के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 8.7.2005 को एक मार्गनिर्देश जारी किया जिसमें सेवा काटने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई। प्राधिकरण ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में 10% की दर पर ब्याज भी निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त 12.09.2005 को जारी एक अलग निर्देश के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह अनिवार्य किया कि कोई भी टैरिफ योजना इस प्रकार प्रस्तुत नहीं की जाएगी, उसका विपणन नहीं किया जाएगा या उसका विज्ञापन नहीं दिया गया जिससे सब्सक्राइबर भ्रमित हों। सब्सक्राइबर आसानी से समझ सकें और तुलना कर सकें इसके लिए सभी मासिक फिक्सड आवर्ती प्रभार, जो किसी योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबरों के लिए अनिवार्य हों, को एक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

(ज) सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

14. अमिता मित्रा समिति ने प्राइवेट सेक्टर एफएम ब्राडकास्टिंग के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सरकार को सैटैलाइट रेडियो नीति निर्धारित करनी चाहिए। परामर्श करने के अपने दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29 दिसंबर, 2004 को सैटेलाइट रेडियो सेवाओं के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र पर और ओपन हाउस विचार–विमर्शों के दौरान विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 27 जून, 2005 को सरकार को सैटेलाइट रेडियो के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं: (क) कैरिएज के लिए केवल एक लाइसेंस अपेक्षित हो और कंटेन्ट विनियमन के लिए लाइसेंसधारी, लाइसेंसदाता के प्रति उत्तरदायी हो। (ख) सैटैलाइट रेडियो के लिए भी आकाशवाणी के कार्यक्रम का कोड तथा विज्ञापन का कोड लागू किया जाना चाहिए, (ग) सुरक्षा सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर टेलीविजन तथा

रेडियो दोनों के लिए अपलिंकिंग तथा डाउन लिंकिग की नीति बनाई जाए और इसी नीति से सैटेलाइट रेडियो के अपलिंकिंग की नीति भी निर्धारित की जाए, (घ) अभी एक लाइसेंस फ्रेमवर्क मुहैया कराया जाए ताकि भविष्य में कोई अनिश्चितता न हो, आदि।

(झ) प्राइवेट टेरेस्ट्रीयल टेलीविजन ब्राडकास्ट सेवा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

15. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29 अगस्त, 2005 को प्राइवेट टेरेस्ट्रीयल टेलीविजन ब्राडकास्ट के संबंध में सरकार को प्रस्तुत अपनी सिफारिशों में प्राइवेट सेक्टर को टेरेस्ट्रीयल टीवी ब्राडकास्टिंग में प्रवेश देने की बात कही। वाणिज्यिक टेलीविजन ब्राडकास्टिंग के संबंध में यह सिफारिश की गई है कि इस समय इसकी एनालॉग तथा डिजिटल दोनों मोड़ों में अनुमति दी जानी चाहिए। बड़े निर्णय लेने के बाद, एनालॉग तथा डिजिटल सेवाओं के लिए फ्रिक्वेंसी के आबंटन के ब्यौरे को बाद में अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्राइवेट एफएम रेडियो के लिए हाल में निश्चित की गई कुछ अपात्रता की शर्तों के समान अपात्रता की शर्तों का प्रस्ताव करने के अलावा पात्रता की कोई विस्तृत शर्त नहीं रखी गई हैं। इसी प्रकार लाइसेंस प्रणाली भी एफएम रेडियो के समानान्तर हो। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में प्राइवेट टीवी चैनलों की राष्ट्रीय कवरेज है, नेटवर्किंग की सिफारिश की गई है।

(ञ) केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबंध में सिफारिशें

16. केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबंध में 14 सितम्बर, 2005 को प्रस्तुत अपनी सिफारिशों में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटलीकरण के लिए एक राष्ट्रीय योजना की सिफारिश की, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होगा तथा वर्ष 2010 में राष्ट्रमण्डल खेलों तक पूरा होगा। सिफारिशों में ऑपरेटरों तथा उपभोक्ताओं दोनों की ओर से डिजिटलीकरण के लिए स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया कि 2006–2010 के पहले चरण के दौरान डिजिटलीकरण सेवाएं उन सभी नगरों/शहरी क्षेत्रों में

उपलब्ध की जानी चाहिए जिनकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा हो। प्राधिकरण ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों को सिफारिश करनी चाहिए कि इन चार वर्षों (2006–2010) के दौरान मनोरंजन कर से प्राप्त आय का इस्तेमाल, उपभोक्ताओं के लिए गहन शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने में किया जाना चाहिए। इससे राज्य सरकारों को उनके कर आधार बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। सिफारिशों में लाइसेंस के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराने की व्यवस्था करने का उल्लेख भी है। देश में डिजिटलीकरण के विस्तार के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की तस्वीरें उपलब्ध होंगी और साथ ही उन्हें अधिक चैनल उपलब्ध होंगे। इससे शहरों, मे जहां अलग–अलग वर्गों की आबादी रहती है, की विभिन्न चैनलों की मांग पूरी हो सकेगी।

(ट) अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (आईपीएलसी) के लिए अधिकतम टैरिफ निर्धारित करना।

17. आईपीएलसी, देश में कई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में आईपीएलसी के मुख्य उपयोगकर्त्ता इन्टरनेट सेवा प्रदाता, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उपक्रम जैसे कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउट सोर्सिंग यूनिट तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटर आदि हैं। बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण भारत में आईपीएलसी लीज किराए अर्थात अन्तरराष्ट्रीय लीज सर्किटों की सेवाओं के इस्तेमाल के प्रभार, बहुत से देशों की तुलना में ज्यादा हैं। प्राधिकरण ने पाया कि इस महत्वपूर्ण साधन को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक है क्योंकि बाजार कि शक्तियाँ प्रभावी नहीं हैं। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि प्रतिस्पर्धी कीमतों की आईपीएलसी सेवा, देश में तेजी से ब्राडबैंड की पैठ बढ़ाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है और यह सामाजिक आर्थिक अवसरों के स्वरूप में मूलभूत तरीके से परिवर्तन करने का आधार भी मुहैया कराता है, खासतौर पर ग्रामीण भारत में। इन कारकों को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण ने पहली बार आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ निर्धारित किए। ई–1, डीएस–3 तथा एसटीएम–1

क्षमताओं के मामले में आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष क्रमशः 13 लाख रुपए, 104 लाख रुपए और 299 लाख रुपए निर्धारित की है। इससे टैरिफ में 35% से 71% की भारी कमी हुई। ये टैरिफ 29.11.2005 से प्रभावी हुए। टैरिफ की यह निर्धारित अधिकतम सीमा सभी गंतव्यों, क्षमताओं और वॉयस अथवा डाटा के संवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केबल प्रसारणों की किस्मों के लिए लागू है।

(ठ) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी

18. चूंकि 5 जुलाई, 2000 के ट्राई के विनियम में सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क को प्राप्त करने का दीर्घ कालिक अवधि (सेल्युलर मोबाइल सेवा के मामले में 36 महीने तथा बेसिक सेवाओं के लिए 48 महीने) पहले ही पूरी हो चुकी थी और प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न विकासात्मक कार्यों की वजह से सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों में बदलाव करना आवश्यक हो गया था इसलिए ट्राई ने सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्कों की समीक्षा की और बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में संशोधित विनियम 1 जुलाई, 2005 को जारी किये। इस विनियम में नेटवर्क से संबंधित पैरामीटर तथा सेवा के संबंध में ग्राहकों की अवधारणाा जिसे, ग्राहकों की संतुष्टि के संदर्भ में किए जाने वाले सर्वेक्षण से आकलित किया जाता है, से संबंधित पैरामीटर शामिल हैं। इस विनियम में कुछ नए पैरामीटर भी जोड़े गए हैं। प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 22 फरवरी, 2005 को एक परामर्श पत्र जारी किया तथा 6 मई, 2005 को ओपन हाउस सत्र आयोजित किया। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझाओं और अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने निर्णय किया कि वॉयरलेस का इस्तेमाल करने वाली बेसिक सेवा के लिए पैरामीटर, सेल्युलर मोबाइल सेवा के समान ही होने चाहिए और संशोधित सेवा की गुणवत्ता से संबंधित विनियम में इसे शामिल किया गया।

19. ट्राई, सेवा प्रदाताओं से तिमाही कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्टों को प्राप्त करके, बेसिक तथा मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन पर भी निगरानी रखता है। जहां–कहीं ऑपरेटरों का कार्यनिष्पादन, संशोधित सेवा की गुणवत्ता से संबंधित विनियम में निर्धारित बेंचमार्क से कम पाया जाता है वहां यह मुद्दा संबंधित सेवा

प्रदाताओं के साथ उठाया जाता है ताकि वे इनका समाधान कर सकें। तिमाही रिपोर्टों के अलावा, ट्राई ने बेसिक तथा सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की गई सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने तथा बेसिक तथा सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की गई सेवा की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की धारणा का विषयगत सर्वेक्षण कराने के लिए जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी अर्थात् मैसर्स टीयूवी साउथ एशिया प्रा. लि. की सेवाएं भी लीं। जनता की सूचना के लिए इस सर्वेक्षण के परिणाम तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। ट्राई ने 10 दिसम्बर 2001 को डायल अप तथा लीज लाइन इन्टरनेट एक्सेस सेवा के संबंध में सेवा की गुणवत्ता विनियम भी जारी किया जिसमें इन्टरनेट डायल अप एक्सेस, के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। आईएसपीएस को इस विनियम के अनुसार बेंचमार्कों का पालन करना आवश्यक है।

(ङ) टैरिफ विनियम का विकास

20. ट्राई को देश के दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है। यह कार्य समय–समय पर जारी दूरसंचार टैरिफ आदेशों के माध्यम से किया जाता है। आज, भारत में दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ दुनिया के सबसे कम टैरिफों में एक है। भारतीय ग्राहक को कम टैरिफ का अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है और यह, इस सेक्टर के अत्यधिक विकास का एक प्रमुख कारक भी है। इस सेक्टर में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा टैरिफ में निरंतर गिरावट को देखते हुए ट्राई एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें टैरिफ कड़ाई से विनियमित किए जाते थे, से एक ऐसी व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है जिसमें टैरिफ कुल मिलाकर बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने लगे हैं। इस समय ट्राई ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां प्रतिस्पर्धा अपर्याप्त समझी जाती है अन्य क्षेत्रों में टैरिफ के निर्धारण के संबंध में हस्तक्षेप न करने का दृष्टिकोण अपना रहा है। इस प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ग्रामीण टेलीफोनी, रोमिंग सेवाओं तथा लीज लाइन के टैरिफ, विनियमित प्रणाली के अन्तर्गत जारी रहेंगे जबकि सभी अन्य टैरिफों में प्रविरिति रखी गई है।

21. टैरिफ के मामले में एक बड़ा कार्य जो वर्ष 2005–06 में हुआ वह घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लीज सर्किटों के टैरिफों की समीक्षा तथा उनका निर्धारण करना है। वर्ष 2005–06 में नूतन टैरिफ योजनाओं की शुरूआत हुई जिसमें महत्वपूर्ण है लाइफ टाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाएं। इन योजनाओं से सब्सक्राइबरों को बिना आवर्ती फिक्सड प्रभार के इनकमिंग कॉल के माध्यम से कनेक्टिविटी का लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा, बीएसएनएल की 'वन इंडिया' के समान टैरिफ योजना, अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने भी शुरू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत इनरॉल हुए सब्सक्राइबर एक निर्धारित मासिक किराये का भुगतान करके 1.00 रु0 प्रतिमिनट की दर पर भारत में कहीं भी बात करने का लाभ उठा सकते हैं।

(ढ) आईपीएलसी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के संबंध में सिफारिशें

22. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 26.12.2005 को आईपीएलसी सेगमेंटों में प्रतिस्पर्धा के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इन सिफारिशों की मुख्य बाते हैं (क) फरवरी, 2007 से आईपीएलसी की पुनर्बिक्री की अनुमति देना, (ख) आसानी से केबल लैंडिंग स्टेशन पर अल्प उपलब्ध सुविधाओं की समान रूप से अभिगम्यता, (ग) अन्तरराष्ट्रीय केबल वाहकों को मौजूदा केबल लैंडिंग स्टेशनों पर केबल सुविधाओं को टर्मिनेट करने की अनुमति प्रदान करना और आईएलडी ऑपरेटरों को आईपीएलसी मुहैया कराना। ऐसे ग्राहकों को बिना प्रवेश शुल्क तथा राजस्व की भागीदारी के अन्तरराष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के रूप में लाइसेंस प्रदान करना।

(ण) भारत में आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण (Transition) के संबंध में सिफारिशें

23. 09.01.2006 को, ट्राई ने आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की इन सिफारिशों की मुख्य बाते हैं:

- आईएसपी लाइसेंस में उल्लिखित आईपी एड्रेस की परिभाषा में संशोधन करने की जरूरत है ताकि इस समय के 32 बिट्स के स्थान पर आईपीवी 6 आधारित एड्रेसिंग के लिए आवश्यक 128 बिट्स का इस्तेमाल किया जा सके।

- ई–गवर्नेंस से संबंधित प्लेटफार्मों/अनुप्रयोगों में आईपीवी 6 के उपयोग का अधिदेश देना।

- आईपीवी 6 के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा सेवा प्रदाताओं के लिए इसके लाभ के संबंध में कार्यशालाएं तथा सेमीनार आयोजित करना।

- देश में राष्ट्रीय इन्टरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर) की स्थापना करना।

(त) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

24. 08.03.2006 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सरकार द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार करने पर, मोबाइल सब्सक्राइबर अपने सेवा प्रदाता को बदलने पर भी अपने नम्बर रख सकेंगे। इन सिफारिशों का उद्देश्य सेल्युलर मोबाईल सेवा प्रदाताओं के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा लाने और परिणामतः सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

(थ) अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) (Next Generation Network) के संबंध में सिफारिशें

25. 20.03.2006 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अगली पीढ़ी के नेटवर्क के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण नेटवर्कों तथा सेवाओं के एकीकरण का रूख रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एनजीएन का उद्भव हुआ है, जो प्रमुखतः आईपी आधारित है। एनजीएन से सेवा प्रदाता व्यापक सेवाओं (वॉयस, डाटा और वीडियो) को एक ही प्लेटफार्म पर मुहैया करा पाता है। इसके अतिरिक्त, एनजीएन से फिक्सड मोबाइल कन्वर्जेंस भी होता है जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल सेवा की स्पेक्ट्रम से संबंधित मांग भी कम होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों में मुख्य जोर एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की तत्काल आवश्यकता और एनजीएन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर दिया गया है जिससे एनजीएन नेटवर्क की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके।

(द) मीटर तथा बिल प्रणाली की यर्थाथता की पद्धति संहिता के संबंध में विनियम

26. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को बिल संबंधी मामलों पर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल ऑपरेटरों की बिल प्रणाली का नमूना ऑडिट किया। मोबाइल ऑपरेटरों की बिल प्रणलियों के ऑडिट करने से पता चला कि यद्यपि विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में लायी जा रही बिल प्रणाली, प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय प्लयेरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों के समान है परन्तु मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं/पद्धतियों से ग्राहक असंतुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण ने विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के मानकीकरण तथा उनमें पारदर्शिता लाने के लिए 21.03.2006 को मीटर तथा बिल प्रणाली की यर्थाथता की पद्धति संहित के बारे में एक विनियम जारी किया। इस विनियम की मुख्य बातें हैं:

- किसी ग्राहक को किसी दूरसंचार सेवा के सबसक्राइबर के रूप में इनरॉल करने से पूर्व उसे उस सेवा के इस्तेमाल के लिए टैरिफ के संबंध में विस्तृत सूचना अग्रिम में दी जाएगी। इसके अलावा, सेवा प्रदाता, सेवा एक्टिवेट होने के एक सप्ताह के भीतर ग्राहक को अपनी टैरिफ योजना के पूरे ब्यौरे के बारे में लिखित में सूचित करेगा।

- जहां मूल्य वर्धित सेवाएं (उदाहरण के लिए कन्टेंट जैसे फिल्म की क्लिप या रिंग टोन को डाउन लोड करना) अथवा किसी इन्टरएक्टिव सेवा (जैसे कि खेलकूद) में प्रवेश का चयन सेवा के इस्तेमाल करने वाले की पसंद (जैसे कि किसी विशिष्ट नम्बर को डायल करके) पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में सेवा के लिए प्रभार, ग्राहक द्वारा सेवा का इस्तेमाल करने से पूर्व उसे बताया जाना चाहिए।

- ग्राहक को मुहैया की गई सेवाएं तथा बाद में उनमें किए जाने वाले परिवर्तन के बारे में ऐसी सेवा प्रदान करने या इसके प्रावधानों में परिवर्तन करने के बारे में उसके साथ पहले लिखित में सहमति होनी चाहिए।

- सेवा को प्रतिबंधित करने या उसे समाप्त किए जाने से बचने के लिए ग्राहक को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

- प्राधिकरण बिल प्रणाली के ऑडिट करने तथा सेवा प्रदाताओं को मीटर तथा बिल प्रणाली को प्रमाणित करने में समर्थ एजेंसियों का एक पैनल अधिसूचित करेगा। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ऑडिटरों में से किसी एक से सेवा प्रदाता, इस विनियम के अनुपालन में अपनी मीटर तथा बिल प्रणाली की वार्षिक आधार पर ऑडिट कराने का प्रबंध करेंगे तथा ऑडिट प्रमाण पत्र, प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

घ भविष्य के लिए कार्यसूची

27. प्राधिकरण अगले वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है:

(i) 3 जी से संबंधित स्पेक्ट्रम के मुद्दे।

(ii) नई प्रौद्योगिकियां–आईएमटी 2000 तथा WIMAX/SDR से आगे के लिए स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंस से संबंधित मुद्दे।

(iii) मोबाइल वर्च्यूअल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमवीएनओ) के मुद्दे।

(iv) फिक्सड–मोबाइल कन्वर्जेंस से संबंधित लाइसेंस प्रणाली, अन्तरसंयोजन तथा दूसरे विनियामक मुद्दों का अध्ययन।

(v) मल्टी ऑपरेटर, मल्टी सर्विस परिदृश्य में इन्टेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवाओं के संबंध में अंतिम विनियम के मुद्दे।

(vi) अन्तर संयोजन उपयोग प्रभार/एक्सेस डेफिसिट प्रभार की समीक्षा।

(vii) मल्टी ऑपरेटर, मल्टी सेवा परिदृश्य के लिए इन्टरकनेक्ट एक्सचेंज–एवं–इंटर कैरियर बिलिंग हाउस के बारे में विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट।

(viii) रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन/रेडिएशन फ्रीक्वेंसी हैजार्ड।

(ix) अप्रतिबंधित इन्टरनेट टेलीफोनी खोलने से संबंधित मुद्दों का अध्ययन।

(x) मोबाइल सेवाओं में रोमिंग टैरिफ की समीक्षा की आवश्यकता का अध्ययन।

(xi) घरेलू लीज सर्किट और अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट सेवाओं के मामले में बाजार विश्लेषण

(xii) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश की समीक्षा करना।

(xiii) ब्राडकास्टिंग तथा केबल टेलीविजन सेवाओं के वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मुद्दे।

(xiv) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित अन्तरसंयोजन के मुद्दे।

(xv) ब्राडबैंड के लिए सेवा की गुणवत्ता–बेंचमार्क निर्धारित करना।

(xvi) डीटीएच से संबंधित लाइसेंस प्रणाली के मुद्दे।

(xvii) शार्ट मैसेज सर्विस के लिए अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार।

(xviii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम तथा केबल अधिनियम में संशोधन के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(xix) केबल टीवी के सेट टॉप बॉक्स के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित करने के लिए समिति की रिपोर्ट।

(xx) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के लिए अन्तरसंयोजन करारों की ई–फाइलिंग।

(xxi) सेवा प्रदाताओं के मीटर तथा बिल प्रणालियों को प्रमाणित करने के लिए ऑडिटरों का एक पैनल अधिसूचित करना।

(xxii) अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र।

(xxiii) 3 जी मोबाइल सेवाओं के संबंध में सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र।

उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण द्वारा अगले वित्त वर्ष के दौरान किसी अन्य मामले पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

भाग –I

नीतियां तथा कार्यक्रम

1.1 दूरसंचार क्षेत्र में व्याप्त परिवेश की समीक्षा

1.2 नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

1.1 दूरसंचार क्षेत्र में व्याप्त परिवेश की समीक्षाः

1. पिछले तीन वर्षों की भांति वर्ष 2005–06 में भी मोबाइल सेवाओं के उपभोक्ता आधार में असाधारण वृद्धि हुई। साथ ही इंटरनेट सेवाओं तथा डब्ल्यूएलएल (एफ) सेवाओं सहित फिक्सड सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार, वृद्धि का सिलसिला जो 1990 के दशक के मध्य में प्रारंभ हुआ था इस वर्ष भी जारी रहा। मोबाइल उद्योग, वित्त वर्ष में अंत में 90.14 मिलियन उपभोक्ता आधार का आंकड़ा पार कर गया है जबकि मार्च, 2005 के अंत में उपभोक्ता आधार 52.22 मिलियन था। लगभग 72.62% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए इसमें वित्त वर्ष 2005–06 में 37.92 मिलियन उपभोक्ता और जुड़े। डब्ल्यूएलएल (एफ) सेवाओं सहित फिक्स लाइन की सेवाओं का उपभोक्ता आधार भी मार्च, 2005 के अंत के 46.19 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2006 में 50.17 मिलियन हो गया। इसमें लगभग 8.62% की वृद्धि हुई। देश में इन्टरनेट उपभोक्ता आधार पिछले वर्ष के 5.55 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च, 2006 में 6.93 मिलियन तक पहुंच गया और इसमें लगभग 25% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। टेलीघनत्व 4.92% की वृद्धि के साथ मार्च, 2006 के अंत में 14% तक पहुंच गया जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 9.08% था। टेलीघनत्व में यह वृद्धि अपूर्व है और इसका प्रमुख कारण मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि होना तथा मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न योजानाएं शुरू करना है। यह देखते हुए कि 1948 से 1998 की 50 वर्ष की अवधि में टेलीघनत्व में समग्र वृद्धि केवल 1.92% ही हुई थी, टेलीघनत्व में यह वार्षिक वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

2. वर्ष के दौरान, विनियामक पहलकदमों से सृजित प्रतिस्पर्धा तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति से कीमतों में निरन्तर गिरावट आनी जारी रही। यह प्रवृत्ति मोबाइल तथा लम्बी दूरी की सेवाओं में ज्यादा दिखाई दी। प्रतिस्पर्धा के दबाव की वजह से सेवा प्रदाताओं को अपने टैरिफ प्रस्तावों में अधिक नूतन दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष के अंत में शुरू की गई "2 वर्ष की वैधता वाले प्रीपेड कूपन" और "लाइफ टाइम वैधता" योजनाओं से दूरसंचार सेवाएं अधिक वहनीय हुई हैं और परिणामस्वरूप

सब्सक्राइबरों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई। 1 मार्च, 2006 से लागू नई एडीसी/आईयूसी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) के टैरिफ और कम हुए हैं। एनएलडी सेगमेंट में एक बड़ा काम बीएसएनएल द्वारा "वन इंडिया" टैरिफ योजना तथा दूसरे ऑपरेटरों द्वारा इसी प्रकार की योजनाओं की शुरूआत करना है। इस योजना में सब्सक्राइबर, 299 रु. के निर्धारित मासिक किराए पर प्रतिमिनट 1 रु. की दर पर देश में कहीं भी लम्बी दूरी की कॉल कर सकते हैं। एडीसी में कमी के साथ ही अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के टैरिफ भी कम हुए हैं। प्रतिमिनट 7.20 रु. की (यूएस, यूके तथा कनाडा के लिए) तथा प्रतिमिनट 9.60 रु. की (दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप के शेष देशों के लिए) आईएलडी टैरिफ, जो प्रारंभ में प्रोत्साहन टैरिफ के रूप में पेश किए गए थे, अब वे मानक आईएलडी दरें बन गई हैं।

3. ई–1 क्षमता (2 एमबीपीएस) के अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (आईपीएलसी), की 20.2 लाख रुपए के वर्तमान सूचीबद्ध कीमत की तुलना में अधिकतम टैरिफ प्रतिवर्ष 13 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जो लगभग 35% की गिरावट दर्शाता है। आईपीएलसी के लिए डीएस 3 तथा एसटीएम–1 जैसी उच्चतर क्षमताओं का अधिकतम टैरिफ प्रतिवर्ष क्रमशः 104 लाख रुपए तथा 299 लाख निर्धारित किया गया है, जबकि तब इनकी सूचीबद्ध कीमत क्रमशः 361 लाख रुपए तथा 1,000 लाख रुपए थी जो उनके टैरिफों में 71% और 70% की गिरावट दर्शाता है।

4. विभिन्न क्षमताओं के लिए घरेलू लीज सर्किट (डीएलसी) के अधिकतम टैरिफ में भी वर्ष के दौरान संशोधन किया गया, जिनमें वर्तमान बाजार दर की तुलना में 3 से 70% तक की कमी की गई। भारत में सेवाओं के महत्वपूर्ण उपयोगकर्त्ता इन्टरनेट सेवा प्रदाता, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी से सम्बद्ध सेवा उपक्रम जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिट, दूरसंचार सेवा प्रदाता, कारपोरेट उपक्रम आदि हैं। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डीएलसी सेवा, जो देश में ब्राडबैंड की पैठ को तेजी से बढ़ाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, का देश में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक अवसरों के स्वरूप में परिवर्तन के सिलसिले में बहुत बड़ा योगदान होगा।

5. लंबी दूरी की सेवाओं के टैरिफों में कटौती को नीचे चार्ट 1 तथा 2 में देखा जा सकता है:

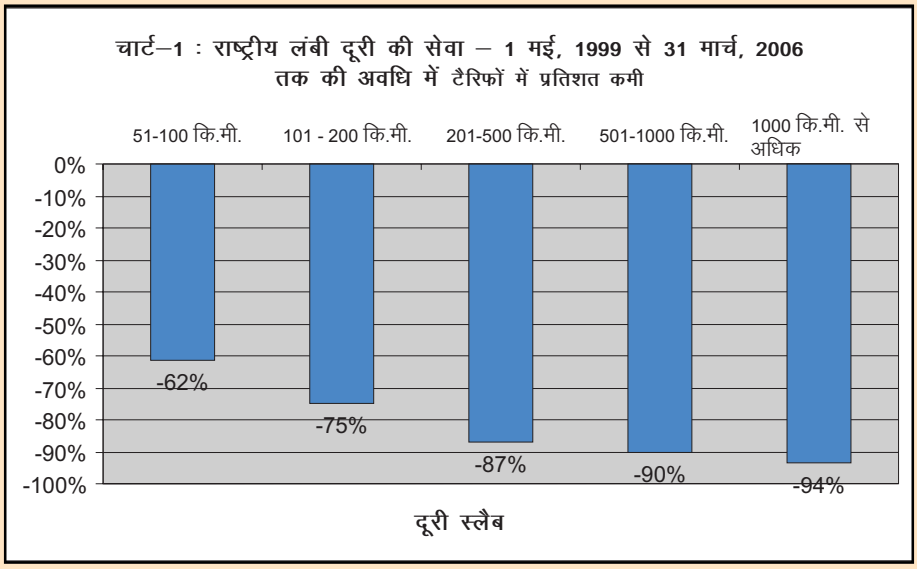

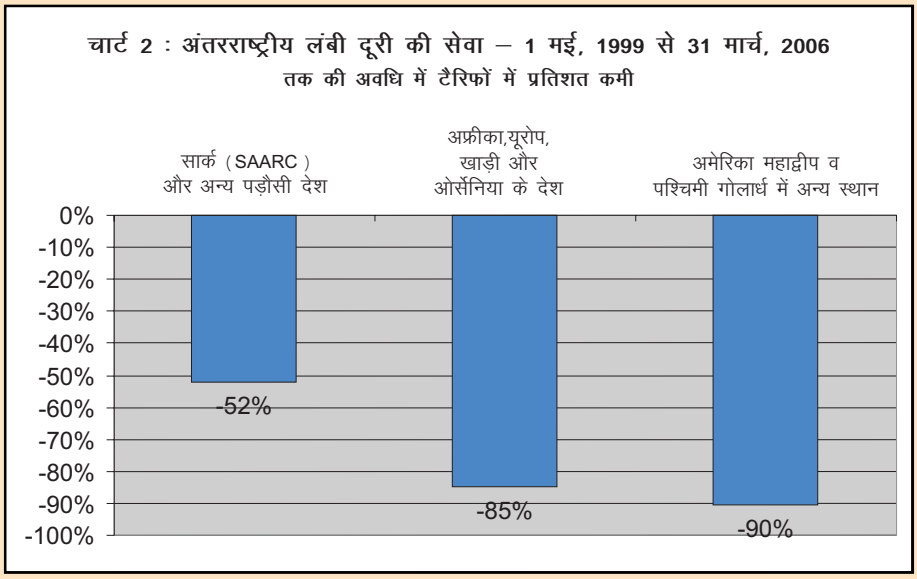

6. आज, भारत में दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ दुनिया के सबसे कम टैरिफों में एक है। भारतीय ग्राहक को कम टैरिफ का अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है और यह इस सेक्टर के अत्यधिक विकास का एक प्रमुख कारक भी है। इस सेक्टर में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा टैरिफ में निरंतर गिरावट को देखते हुए, ट्राई धीरे–धीरे टैरिफों के गैर–विनियमन की ओर अग्रसर हो रहा है। इस समय ट्राई

ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां प्रतिस्पर्धा अपर्याप्त है, अन्य क्षेत्रों में टैरिफ के निर्धारण के संबंध में हस्तक्षेप न करने का दृष्टिकोण अपना रहा है। मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, सेल्युलर सेवाओं (रोमिंग सेवाओं को छोड़कर), बेसिक सेवाओं (ग्रामीण टेलीफोनी को छोड़कर) और एनएलडी/आईएलडी के टैरिफों में प्रविरिति रखी गई है। ग्रामीण टेलीफोनी, रोमिंग सेवाओं तथा लीज लाइनों के टैरिफ विनियामक प्रणाली के अंतर्गत बने रहेंगे। टैरिफ से संबंधित मामलों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में जहां कहीं आवश्यक हुआ संशोधन करके कई पहलकदम उठाए हैं।

7. विभिन्न सर्किलों में भिन्न–भिन्न सेवाओं के लिए जारी लाइसेंसों की कुल संख्या और 31 मार्च, 2006 तक वस्तुतः जहां सेवाएं (बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को छोड़कर) शुरू की गई उनकी संख्या, नीचे तालिका 1.1 में दी गई हैं।

तालिका 1.1 : सेवा क्षेत्रों के लिए जारी लाइसेंसों की कुल संख्या तथा 31 मार्च, 2006 तक जिन लाइसेंसों के लिए सेवा शुरू की गई, (बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को छोड़कर) उनकी संख्या

क्रम संख्या	सेवा का नाम	निजी क्षेत्र के लाइसेंसधारी	सेवा शुरू की गई
1.	यूएएसएल	75	73
2.	एनएलडी सेवा	4	4
3.	आईएलडी सेवा	5	4
4.	सेल्युलर	38	38
5.	वीसैट सेवा	9	9
6.	पीएमआरटीएस	12	12
7.	रेडियो पेजिंग	05*	04
8.	जीएमपीसीएस	-	-

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।

* *एक रेडियो पेजिंग लाइसेंसधारी इस समय सेवाएं मुहैया नहीं करा रहा है क्योंकि इसका मामला आर्विट्रेशन में है।*

1.1.1 बेसिक सेवाएं

8. 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, बेसिक सेवा क्षेत्र में दिल्ली और मुंबई में सेवा प्रदान करने वाली कंपनी एमटीएनएल तथा देश के सभी हिस्सों में सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बीएसएनएल के अलावा, 5 लाइसेंसशुदा निजी प्रचालक निम्नलिखित दूरसंचार सर्किलों में सेवाएं प्रदान कर रहे थे :

रिलायंस इन्फोकॉम लि0 – 20 सर्किल (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, गोवा सहित महाराष्ट्र, मुम्बई, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोलकाता, केरल, अंडमान और निकोबार सहित पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित बिहार और उड़ीसा)

टाटा टेलीसर्विसेज लि0 – 20 सर्किल (गोवा सहित महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल और कोलकाता)

भारती टेलीनेट लि0 – 16 सर्किल (आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, केरल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तरप्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल और कोलकाता

श्याम टेलीलिंक लि0 – राजस्थान सर्किल

एच एफ सी एल इन्फोटेल लि0 – पंजाब सर्किल

सभी उपर्युक्त 5 निजी प्रचालकों ने 2003–04 के दौरान एकीकृत अभिगम सेवा प्रणाली अपना ली है।

9. बेसिक सेवाओं (फिक्सड और डब्ल्यूएलएल(एफ)) के सब्सक्राइबर आधार में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005–06 में 8.62% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता आधार का प्रचालकवार तथा सेवाक्षेत्रवार ब्यौरा नीचे तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2 : 31 मार्च, 2006 को बेसिक सेवाओं का उपभोक्ता आधार:

सेवा क्षेत्र/ राज्य का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2005			31 मार्च, 2006			वार्षिक वृद्धि दर %
		फिक्सड	डब्ल्यूएल एल(एफ)	जोड़	फिक्सड	डब्ल्यूएल एल(एफ)	जोड	
अंडमान– निकोबार	बीएसएनएल	37960	520	38480	38322	586	38908	1.11
आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	3177508	34267	3211775	3034240	95265	3129505	–2.56
	टीटीएल	114182	278698	392880	108982	403718	512700	30.50
	रिलायंस	4268	56648	60916	14525	187490	202015	231.63
	भारती	0	0	0	16634	0	16634	–
असम	बीएसएनएल	511290	22152	533442	519806	37790	557596	4.53
बिहार	बीएसएनएल	950957	90868	1041825	1036353	123980	1160333	11.38
	रिलायंस	35	17210	17245	226	35972	36198	109.90
	टीटीएल	0	16294	16294	60	49437	49497	203.77
गुजरात	बीएसएनएल	2654207	45882	2700089	2544226	98192	2642418	–2.14
	रिलायंस	13972	104412	118384	40142	195097	235239	98.71
	भारती	102	0	102	4533	0	4533	–
	टीटीएल	26397	259605	286002	25584	363906	389490	36.18
हरियाणा	बीएसएनएल	1091297	55957	1147254	1098074	67572	1165646	1.60
	भारती	114383	0	114383	20600	0	20600	–81.99
	रिलायंस	197	32599	32796	377	70715	71092	116.77
	टीटीएल	0	12677	12677	0	30829	30829	143.19
हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	480610	11829	492439	478746	38706	517452	5.08
	रिलायंस	0	1054	1054	1	3850	3851	265.37
	टीटीएल	0	2304	2304	0	3739	3739	62.28
जम्मू–कश्मीर	बीएसएनएल	300154	7412	307566	302520	35534	338054	9.91
झारखंड	बीएसएनएल	455377	40085	495462	470241	46157	516398	4.23
कर्नाटक	बीएसएनएल	2700754	65508	2766262	2634402	126201	2760603	–0.20
	भारती	139842	0	139842	222759	0	222759	59.29
	टीटीएल	6822	245767	252589	31353	347623	378976	50.04
	रिलायंस	9491	47657	57148	29644	159439	189083	230.87
केरल	बीएसएनएल	3424897	88691	3513588	3568697	221443	3790140	7.87
	रिलायंस	2461	124472	126933	7313	300412	307725	142.43
	टीटीएल	0	51422	51422	0	130662	130662	154.10
	भारती	0	0	0	9369	0	9369	–

सेवा क्षेत्र/ राज्य का नाम	सेवा प्रदाता	31 मार्च, 2005			31 मार्च, 2006			वार्षिक वृद्धि दर %
		फिक्सड	डब्ल्यूएल एल(एफ)	जोड़	फिक्सड	डब्ल्यूएल एल(एफ)	जोड	
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	1603184	87098	1690282	1605786	132930	1738716	2.87
	भारती	231923	25794	257717	272402	22511	294913	14.43
	रिलायंस	1407	30276	31683	5797	77334	83131	162.38
	टीटीएल	0	20463	20463	0	83512	83512	308.11
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	बीएसएनएल	3921039	127034	4048073	3933947	186419	4120366	1.79
मुंबई	एमटीएनएल	2310302	45342	2355644	2211418	44684	2256102	−4.23
महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	टीटीएल	222390	526179	748569	228791	814156	1042947	39.33
	भारती	215	0	215	19075	0	19075	8772.09
	रिलायंस	14185	235675	249860	47029	502756	549785	120.04
उत्तर पूर्व–I	बीएसएनएल	204908	11359	216267	207958	14165	222123	2.71
उत्तर पूर्व–II	बीएसएनएल	154095	13168	167263	153302	14014	167316	0.03
उड़ीसा	बीएसएनएल	767953	63910	831863	784797	89097	873894	5.05
	रिलायंस	115	18305	18420	549	45402	45951	149.46
	टीटीएल	0	2538	2538	0	19614	19614	672.81
पंजाब	बीएसएनएल	1944413	72572	2016985	1812682	86453	1899135	−5.84
	एचएफसीएल	139687	54540	194227	176294	79984	256278	31.95
	रिलायंस	4368	88635	93003	9586	146601	156187	67.94
	भारती	121	0	121	3819	0	3819	–
	टीटीएल	0	40123	40123	0	101757	101757	153.61
राजस्थान	बीएसएनएल	1774429	57077	1831506	1745491	171854	1917345	4.69
	एसटीएल	130058	27015	157073	143502	30391	173893	10.71
	रिलायंस	832	46788	47620	737	118225	118962	149.82
	टीटीएल	0	19975	19975	0	52194	52194	161.30
तमिलनाडु	बीएसएनएल	2879569	52543	2932112	2757317	141199	2898516	−1.15
	टीटीएल	97	128770	128867	534	202851203385.0744		57.83
	रिलायंस	1718	42832	44550	8599	128624	137223	208.02
	भारती	59878	0	59878	27259	0	27259	−54.48
उत्तरांचल	बीएसएनएल	365287	21441	386728	366325	34927	401252	3.76
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	1647292	89930	1737222	1585744	144058	1729802	−0.43
	रिलायंस	2364	51677	54041	7787	137599	145386	169.03
	टीटीएल	0	12519	12519	0	44860	44860	258.34
	भारती	0	0	0	186825	0	186825	–
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बीएसएनएल	1234241	43032	1277273	1133208	61309	1194517	−6.48
	रिलायस	137	58597	58734	332	156755	157087	167.45
	भारती	9242	0	9242	8071	0	8071	−12.67
	टीटीएल	0	14003	14003	0	48911	48911	249.29
पश्चिम बंगाल	बीएसएनएल	1235317	60378	1295695	1243856	88227	1332083	2.81
	रिलायंस	45	14844	14889	59	36826	36885	147.73
	टीटीएल	0	1067	1067	0	33317	33317	–
कोलकाता	बीएसएनएल	1357265	5852	1363117	1357594	6905	1364499	0.10
	रिलायंस	6900	78897	85797	21187	127065	148252	72.79
	भारती	10	0	10	5131	0	5131	–
	टीटीएल	0	37910	37910	120	191940	192060	406.62
चेन्नई	बीएसएनएल	985479	7478	992957	1009258	22040	1031298	3.86
	टीटीएल	843	168463	169306	6403	163470169872.9256		0.33
	रिलायंस	3511	24803	28314	12731	56275	69006	143.72
	भारती	126329	0	126329	107818	0	107818	−14.65
दिल्ली	भारती	149169	0	149169	423120	0	423120	183.65
	एमटीएनएल	1704871	6404	1711275	1609834	4448	1614282	−5.67
	टीटीएल	8680	358286	366966	14654	520955	535609	45.96
	रिलायंस	7881	161531	169412	27899	273224	301123	77.75
जोड़		**41428912**	**4769113**	**46198025**	**41542356**	**8634153**	**50176509**	**8.62**

स्रोत– बीएसएनएल/एमटीएनएल/निजी सेवा प्रदाता।

10. उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान निजी बेसिक सेवा प्रचालक (बीएसओ) के उपभोक्ता आधार में 92.07% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में बीएसएनएल ने मामूली सी वृद्धि दर्ज की और एमटीएनएल के उपभोक्ता आधार में गिरावट आई। तथापि, 31 मार्च, 2006 को इन्कमबेंट बीएसएनएल और एमटीएनएल का उपभोक्ता आधार के हिसाब से बाजार में क्रमशः 74% और 8% हिस्सा था, जबकि सभी पांच निजी बेसिक सेवा प्रचालकों का कुल मिलाकर हिस्सा मात्र 18% था। पिछले वर्ष के दौरान मार्च, 2005 के अंत में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का बाजार हिस्सा क्रमशः 80% तथा 9% था, जबकि सभी पांचों निजी बेसिक सेवा प्रचालकों का कुल मिलाकर शेयर 11% था। इस प्रकार, इन्कमबेंट बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के उपभोक्ता आधार के हिसाब से बाजार शेयर घटा है जबकि निजी बेसिक सेवा प्रचालकों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ा है।

11. 2005–2006 में सभी प्रचालकों द्वारा जोड़ी गई 39.78 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों में से बीएसएनएल ने 4.72 लाख डीईएल (11.87%) प्रदान कीं तथा निजी बेसिक सेवा प्रदाताओं का हिस्सा 37.03 लाख डीईएल (93.07%) था जबकि 2005–06 के दौरान एमटीएनएल ने 1,97 लाख डीईएल (–4.93%) की कमी दर्ज की। इस प्रकार वर्ष के दौरान निजी प्रचालकों ने अधिकतर डीईएल का योगदान किया जबकि मार्च, 2003 तक अधिकांश नए डीईएल, बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए जाते थे।

12. 31 मार्च, 2005 को कुल सज्जित स्विचिंग क्षमता 14.40 करोड़ थी जिसमें फिक्सड, डब्ल्यूएलएल (एफ) तथा डब्ल्यूएलएल (एम) शामिल था। वर्ष 2005–06 के दौरान 1.46 करोड़ की सज्जित स्विचिंग क्षमता जोड़ी गई, जिससे 31 मार्च, 2006 को कुल सज्जित क्षमता 15.86 करोड़ हो गई। तालिका 1.3 में बेसिक सेवा प्रदाताओं के संदर्भ में सज्जित स्विचिंग क्षमता, शुद्ध क्षमता वृद्धि, आदि का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.3 :31 मार्च, 2006 को बेसिक सेवा प्रदाताओं के संदर्भ में सज्जित स्विचिंग क्षमता, शुद्ध क्षमता वृद्धि आदि का ब्यौरा।

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	सज्जित क्षमता		वर्ष में जोड़ी गयी क्षमता
		31, मार्च 2005 को	31, मार्च 2006 को	
अंडमान– निकोबार	बीएसएनएल	55672	57274	1602
आन्ध्रप्रदेश	बीएसएनएल	4128443	3986629	–141814
	टीटीएल	1500000	1392000	–108000
	रिलायंस	6833184	6840352	7168
	भारती	0	26000	26000
असम	बीएसएनएल	676801	702372	25571
बिहार	बीएसएनएल	1299698	1330708	31010
	रिलायंस	1765088	3869696	2104608
गुजरात	बीएसएनएल	3718144	3701831	–16313
	रिलायंस	5981104	5980080	–1024
	भारती	0	6480	6480
	टीटीएल	788293	1292720	504427
हरियाणा	बीएसएनएल	1538690	1559976	21286
	भारती	124854	25642	–99212
	रिलायंस	907632	1782560	874928
	टीटीएल	0	650000	650000
हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	639462	644066	4604
	रिलायंस	237544	238056	512
	टीटीएल	0	90000	90000
जम्मू–कश्मीर	बीएसएनएल	400128	413244	13116
झारखंड	बीएसएनएल	627152	652496	25344
कर्नाटक	बीएसएनएल	3460272	3457013	–3259
	भारती	186000	228800	42800
	टीटीएल	831500	96800	–734700
	रिलायंस	5068096	5359888	291792
केरल	बीएसएनएल	4086958	4167630	80672
	रिलायंस	4783472	4785776	2304
	भारती	0	20000	20000
	टीटीएल	0	25500	25500
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	2110405	2124119	13714
	भारती	343742	397214	53472
	रिलायंस	3883008	3884544	1536
	टीटीएल	0	250000	250000
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	बीएसएनएल	5116426	5199172	82746
	भारती	0	8897	8897
मुंबई	एमटीएनएल	3657770	4217143	559373
	भारती	0	35000	35000
महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	टीटीएल	1768000	2252000	484000
	रिलायंस	12522208	13980144	1457936
उत्तर पूर्व–I	बीएसएनएल	272652	280736	8084

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	सज्जित क्षमता		वर्ष में जोड़ी गयी क्षमता
		31, मार्च 2005 को	31, मार्च 2006 को	
उत्तर पूर्व–II	बीएसएनएल	203584	207604	4020
उड़ीसा	बीएसएनएल	948996	967224	18228
	रिलायंस	889712	892272	2560
	टीटीएल	0	64000	64000
पंजाब	बीएसएनएल	2763009	2769341	6332
	एचएफसीएल	317660	507666	190006
	रिलायंस	4763760	3895552	–868208
	भारती	496	61728	61232
	टीटीएल	0	1540000	1540000
राजस्थान	बीएसएनएल	2293536	2279764	–13772
	एसटीएल	290000	350000	60000
	रिलायंस	1770464	4451744	2681280
	टीटीएल	0	391880	391880
तमिलनाडु	बीएसएनएल	3598336	3478812	–119524
	टीटीएल	270720	370096	99376
	भारती	155114	164038	8924
	रिलायंस	5914352	4474848	–1439504
उत्तरांचल	बीएसएनएल	494304	500476	6172
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	2310156	2324647	14491
	रिलायंस	4747632	6488912	1741280
	भारती	0	6448	6448
	टीटीएल	0	233000	233000
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बीएसएनएल	1751380	1747342	–4038
	रिलायंस	3883008	4754544	871536
	भारती	1138	9360	8222
	टीटीएल	0	233000	233000
पश्चिम बंगाल	बीएसएनएल	1635101	1681655	46554
	रिलायंस	870000	1450000	580000
	टीटीएल	0	143000	143000
कोलकाता	बीएसएनएल	1654573	1745585	91012
	रिलायंस	4185552	3904768	–280784
	भारती	0	60000	60000
	टीटीएल	0	33391	33391
चेन्नई	बीएसएनएल	1347079	1437937	90858
	रिलायंस	4796016	3342944	–1453072
	भारती	0	275932	275932
	टीटीएल	443368	443368	0
दिल्ली	भारती	259549	499834	240285
	एमटीएनएल	3737809	4419689	681880
	टीटीएल	704976	1472513	767537
	रिलायंस	7704976	8577280	872304
जोड़		**144018754**	**158664752**	**14645998**

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल/निजी सेवा प्रदाता

13. मार्च, 2006 के अंत में डब्ल्यूएलएल (एफ) सहित बेसिक सेवाओं के लिए टेलीघनत्व लगभग 5% था जबकि मार्च, 2005 के अंत में यह 4.61% था। पिछले वर्ष के अंत तक बीएसएनएल तथा एमटीएनएल में कुल मिलाकर 1.59 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची थी। यह उल्लेखनीय है कि, बेसिक सेवाओं में निजी आपरेटरों के आ जाने के बावजूद, बीएसएनएल और एमटीएनएल की प्रतीक्षा सूची थोड़ी सी ही कम हुई यह मार्च, 2005 के अंत के 1.59 मिलियन से घटकर मार्च, 2006 के अंत में 1.22 मिलियन हो गई। 1989–90 से 2005–06 तक की अवधि के दौरान, बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की सीधी एक्सचेंज लाइनों (DEL) और प्रतीक्षा–सूची के संयुक्त आंकड़े नीचे तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

तालिका 1.4 :सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) और प्रतीक्षा सूची से संबंधित बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के 1989–90 से 2005–06 तक के आंकड़े, (संयुक्त रूप से)

वर्ष (अप्रैल–मार्च)	सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) (000)	वर्ष में जोड़ी गई डीईएल (000)	टेलीफोन प्रतीक्षा सूची (000)
1989–1990	4,589.5	423.0	1,713.40
1990–1991	5,074.7	485.2	1,961.00
1991–1992	5,809.9	735.2	2,287.00
1992–1993	6,796.7	986.8	2,845.90
1993–1994	8,025.6	1,228.9	2,496.80
1994–1995	9,795.3	1,769.7	2,152.90
1995–1996	11,978.4	2,183.1	2,277.20
1996–1997	14,542.6	2,564.2	2,887.20
1997–1998	17,801.7	3,259.1	2,705.70
1998–1999	21,593.7	3,792.0	1,983.03
1999–2000	26,511.3	4,917.6	3,680.70
2000–2001	32,436.1	5,924.8	2,947.06
2001–2002	37,848.2	5,412.0	1,685.87
2002–2003	40,060.5	2,212.3	1,810.07
2003–2004	40,566.5	506.0	1,798.96
2004–2005	41,102.4	535.9	1,588.89
2005–2006	41,378.3	275.9	1,218.93

स्रोतः दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की रिपोर्टें

14. निजी प्रचालकों में मार्च, 2006 के अंत में केवल मैसर्स भारती टेलीवेंचर लि0 के पास ही 6532 टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची थी। किसी सर्किल में अधिकतम प्रतीक्षा सूची की दृष्टि से, मै0 भारती (कर्नाटक) की प्रतीक्षा

सूची में सर्वाधिक 1,319 आवेदन दर्ज थे। 31 मार्च 2006 तक कुल संस्थापित 'डीईएल' का प्रचालकवार ब्यौरा और प्रतीक्षा सूची, नीचे तालिका 1.5 में दी गई है:

तालिका 1.5 – 31 मार्च, 2006 को बेसिक सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (DEL) तथा कुल प्रतीक्षा सूची

लाइसेंसधारी का नाम	सर्किल	संस्थापित डीईएल	टेलीफोन प्रतीक्षासूची
बीएसएनएल	अखिल भारत (मुंबई तथा दिल्ली के अलावा)	3,75,07,915	12,14,045
एमटीएनएल	मुंबई	22,56,102	2,869
एमटीएनएल	दिल्ली	16,14,282	2,016
एचएफसीएल	पंजाब	2,56,278	0
भारती टेलीवेंचर्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, तमिलनाडु, चेन्नई, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	13,49,926	6,532
श्याम टेलीलिंक	राजस्थान	1,73,893	0
रिलायंस	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता	29,94,181	0
टाटा–टेलीसर्विसेज	महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, बिहार, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल	40,23,932	0
	जोड़	**5,01,76,509**	**12,25,462**

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल/निजी सेवा प्रदाता

15. देश में 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक कॉल घरों (पीसीओ) की संख्या 4.19 मिलियन थी। वर्ष के दौरान 14.28 लाख पीसीओ और जोड़े गए, जिससे 51.53% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। प्रचालकवार और सर्किलवार ब्यौरा तालिका 1.6 में दिया गया है:

तालिका 1.6 – मार्च 2005 की तुलना में 31 मार्च, 2006 को पीसीओ का प्रचालकवार और सर्किलवार ब्यौरा।

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	पी सी ओ की स्थिति		वर्ष में जोड़े गए पीसीओ	वर्ष में प्रतिशत वृद्धि
		31, मार्च 2005 को	31, मार्च 2006 को		
अंडमान– निकोबार	बीएसएनएल	1010	1154	144	14.26
	रिलायंस	0	0	0	–
आन्ध्रप्रदेश	बीएसएनएल	229713	266790	37077	16.14
	टीटीएल	17000	107682	90682	533.42
	भारती	0	3536	3536	–
	रिलायंस	30954	123154	92200	297.86
असम	बीएसएनएल	21624	24373	2749	12.71
बिहार	बीएसएनएल	54670	62209	7539	13.79
	टीटीएल	0	11886	11886	–
	रिलायंस	95	6938	6843	7203.16
गुजरात	बीएसएनएल	144170	147526	3356	2.33
	रिलायंस	22326	61781	39455	176.72
	भारती	0	262	262	–
	टीटीएल	19533	71703	52170	267.09
हरियाणा	बीएसएनएल	35221	35135	–86	–0.24
	भारती	10351	2728	–7623	–73.65
	रिलायंस	9277	22438	13161	141.87
	टीटीएल	0	0	0	–
हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	9937	11254	1317	13.25
	रिलायंस	560	1899	1339	239.11
	टीटीएल	0	0	0	–
जम्मू–कश्मीर	बीएसएनएल	15791	16368	577	3.65
झारखंड	बीएसएनएल	16044	22888	6844	42.66
कर्नाटक	बीएसएनएल	229739	258696	28957	12.60
	भारती	17619	36108	18489	104.94
	टीटीएल	9186	63252	54066	588.57
	रिलायंस	13227	69939	56712	428.76
केरल	बीएसएनएल	93453	114353	20900	22.36
	रिलायंस	21833	72038	50205	229.95
	भारती	0	2333	2333	–
	टीटीएल	0	0	0	–
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	बीएसएनएल	60980	62849	1869	3.06
	भारती	44904	54222	9318	20.75
	रिलायंस	6120	22631	16511	269.79
	टीटीएल	0	15692	15692	–
महाराष्ट्र मुंबई छोड़कर	बीएसएनएल	279230	297624	18394	6.59
	भारती	0	184	184	–
मुंबई	एमटीएनएल	177946	181913	3967	2.23
	भारती	0	291	291	–
महाराष्ट्र मुंबई सहित	टीटीएल	75000	216337	141337	188.45
	रिलायंस	51654	186391	134737	260.85
उत्तर पूर्व–I	बीएसएनएल	5024	5917	893	17.77

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	पी सी ओ की स्थिति		वर्ष में जोड़े गए पीसीओ	वर्ष में प्रतिशत वृद्धि
		31, मार्च 2005 को	31, मार्च 2006 को		
उत्तर पूर्व–II	बीएसएनएल	4971	6785	1814	36.49
उड़ीसा	बीएसएनएल	31733	30739	–994	–3.13
	रिलायंस	6537	17883	11346	173.57
	टीटीएल	0	4672	4672	–
पंजाब	बीएसएनएल	43973	42066	–1907	–4.34
	एचएफसीएल	31202	42873	11671	37.40
	रिलायंस	21132	35845	14713	69.62
	भारती	0	1946	1946	–
	टीटीएल	0	0	0	–
राजस्थान	बीएसएनएल	66535	68731	2196	3.30
	एसटीएल	26064	26827	763	2.93
	रिलायंस	11538	37564	26026	225.57
	टीटीएल	0	0	0	–
तमिलनाडु	बीएसएनएल	171036	205909	34873	20.39
	टीटीएल	7644	45929	38285	500.85
	भारती	37369	37024	.345	–0.92
	रिलायंस	18639	67137	48498	260.20
उत्तरांचल	बीएसएनएल	13133	14512	1379	10.50
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	95174	101957	6783	7.13
	रिलायंस	15862	47910	32048	202.04
	भारती	0	1201	1201	–
	टीटीएल	0	6191	6191	–
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बीएसएनएल	59949	58061	–1888	–3.15
	रिलायंस	11199	45418	34219	305.55
	भारती	626	740	114	18.21
	टीटीएल	0	5078	5078	–
पश्चिम बंगाल	बीएसएनएल	42225	57137	14912	35.32
	रिलायंस	7968	19048	11080	139.06
	टीटीएल	0	9389	9389	–
कोलकाता	बीएसएनएल	66659	65219	–1440	–2.16
	रिलायंस	14462	22138	7676	53.08
	भारती	0	426	426	–
	टीटीएल	0	0	0	–
चेन्नई	बीएसएनएल	79274	85922	6648	8.39
	रिलायंस	6332	19272	12940	204.36
	भारती	0	28887	28887	–
	टीटीएल	3515	19979	16464	468.39
दिल्ली	भारती	12479	36033	23554	188.75
	एमटीएनएल	101830	97128	–4702	–4.62
	टीटीएल	4938	57672	52734	1067.92
	रिलायंस	32943	65435	32492	98.63
	जोड़	**2771132**	**4199157**	**1428025**	**51.53**

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल/निजी सेवा प्रदाता।

16. देश में, 6,07,491 गांवों में से केवल 5,48,843 गांवों में, 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी/VPT) थे। शेष 58,648 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध करानी थी। प्रतिशत के हिसाब से

90.3% गांवों में वीपीटी है और 9.7% गांवों में अभी इसकी व्यवस्था की जानी है। नीचे तालिका 1.7 में 31, मार्च, 2006 को वीपीटी की प्रचालकवार और सर्किलवार स्थिति दर्शाई गई है:

तालिका 1.7: 31 मार्च, 2006 को स्थिति के अनुसार वीपीटी (VPT) की प्रचालकवार तथा सर्किलवार स्थिति:

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	वीपीटी वाले गांवों की स्थिति		वर्ष में उपलब्धि
		31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2006	
अंडमान– निकोबार	बीएसएनएल	198	198	0
	रिलायंस	0	0	0
आन्ध्रप्रदेश	बीएसएनएल	23,599	23,826	227
	टीटीएल	1,343	1,358	15
	भारती	0	0	0
	रिलायंस	0	0	0
असम	बीएसएनएल	21,335	23,094	1,759
बिहार	बीएसएनएल	38,475	38,475	0
	रिलायंस	0	0	0
गुजरात	बीएसएनएल	12,344	13,343	999
	रिलायंस	4,115	4,115	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
हरियाणा	बीएसएनएल	6,811	6,811	0
	भारती	0	0	0
	रिलायंस	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	16,587	16,814	227
	रिलायंस	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
जम्मू–कश्मीर	बीएसएनएल	4,987	5,095	108
झारखंड	बीएसएनएल	26,968	26,980	12
कर्नाटक	बीएसएनएल	27,066	27,066	0
	भारती	0	0	0
	रिलायंस	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
केरल	बीएसएनएल	1,468	1,468	0
	रिलायंस	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ सहित)	बीएसएनएल	54,982	61,454	6,472
	भारती	0	243	243
	रिलायंस	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर	बीएसएनएल	32,978	34,371	1,393
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	2,254	2,422	168

सर्किल/सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता	वीपीटी वाले गांवों की स्थिति		वर्ष में उपलब्धि
		31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2006	
मुंबई	एमटीएनएल	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	399	226	−173
उत्तर पूर्व–I	बीएसएनएल	4,356	4,365	9
उत्तर पूर्व–II	बीएसएनएल	3,520	3,559	39
उड़ीसा	बीएसएनएल	40,753	40,753	0
	रिलायंस	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
पंजाब	बीएसएनएल	12,687	12,687	0
	एचएफसीएल	694	615	−79
	रिलायंस	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
राजस्थान	बीएसएनएल	24,931	29,771	4,840
	एसटीएल	3,010	3,010	0
	रिलायंस	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
तमिलनाडु	बीएसएनएल	17,899	17,899	0
	टीटीएल	0	0	0
	भारती	0	0	0
	रिलायंस	0	0	0
उत्तरांचल	बीएसएनएल	11,840	12,088	248
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	बीएसएनएल	76,006	76,006	0
	रिलायंस	0	0	0
	भारती		0	0
	टीटीएल	0	0	0
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	बीएसएनएल	21,268	21,268	0
	रिलायंस	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
पश्चिम बंगाल	बीएसएनएल	37,306	37,306	0
	रिलायंस	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
कोलकाता	बीएसएनएल	437	427	−10
	रिलायंस	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
चेन्नई	बीएसएनएल	0	1730	1730
	रिलायंस	0	0	0
	भारती	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
दिल्ली	भारती	0	0	0
	एमटीएनएल	0	0	0
	टीटीएल	0	0	0
	रिलायंस	0	0	0
	जोड़	**5,30,616**	**5,48,843**	**18,227**

स्रोतः बीएसएनएल/एमटीएनएल/निजी सेवा प्रदाता

17. उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2005–06 के दौरान 18,227 वीपीटी जोड़े गए। इनमें से लगभग सभी वृद्धि बीएसएनएल द्वारा आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरपूर्व–I, उत्तरपूर्व–II, राजस्थान, उत्तरांचल और चेन्नई के सर्किलों में की गई थी। वीपीटी स्थापित करने में निजी बीएसओएस का योगदान नाममात्र का था।

1.1.2 मोबाइल (जीएसएम और सीडीएमए) सेवाएं

18. मोबाइल उद्योग के उपभोक्ताओं की संख्या वित्त वर्ष के अंत में 90.14 मिलियन (जीएसएम 69.19 मिलियन तथा सीडीएमए 20.95 मिलियन) को पार कर गई। वित्त वर्ष 2005–06 में इसमें 37.92 मिलियन उपभोक्ता और जुड़ गए। यह करीब 72.62% की उल्लेखनीय वृद्धि का सूचक है। मार्च, 2002 से मार्च, 2006 तक मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) सेवा का उपभोक्ता आधार नीचे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : मार्च, 2002 से मार्च, 2006 तक मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) सेवा का उपभोक्ता आधार (मिलियन) में

सेवा प्रदाता	वित्त वर्ष, 2002	वित्त वर्ष, 2003	वित्त वर्ष, 2004	वित्त वर्ष, 2005	वित्त वर्ष, 2006	वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वृद्धि%,
भारती	1.35	3.07	6.50	10.98	19.58	78.32%
रिलायंस	0.38	0.54	7.26	10.45	17.31	65.65%
बीएसएनएल	0.04	2.29	5.53	9.90	17.65	78.28%
हच	1.27	2.16	5.15	7.80	15.36	96.92%
आइडिया	0.81	1.28	2.73	5.07	7.37	45.36%
एस्कोटेल	0.50	0.59	0.99			
बीपीएल ग्रुप	0.90	1.13	1.88	2.58	1.34	.48.06%*
एयरसेल	0.54	0.73	1.29	1.76	2.61	48.30%
स्पाइस	0.47	0.64	1.21	1.44	1.93	34.03%
टाटा/ह्यूजेज	0.05	0.16	0.63	1.09	4.85	344.95%
एमटीएनएल	0.22	0.35	0.46	1.08	2.05	89.81%
एचएफसीएल	0.01	0.03	0.03	.05	0.06	20.00%
श्याम	0.004	0.03	0.03	.03	0.03	0%
जोड़	6.54	13.00	33.69	52.22	90.14	72.62%

*बीपीएल ग्रुप के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सेवा क्षेत्रों को मैसर्स हच ने अपने हाथ में ले लिया है।

स्रोतः सेवा प्रदाता

19. मार्च 2006 में विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनका बाजार में हिस्सा नीचे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9 : मार्च, 2006 में विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर बाजार में उनका हिस्सा

क्र.सं.	मोबाइल ग्रुप	उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	मार्च, 2006 में मार्केट शेयर
1	भारती	19.58	21.72%
2	बीएसएनएल	17.65	19.58%
3	रिलायंस	17.31	19.21%
4	हच	15.36	17.04%
5	आइडिया	7.37	8.18%
6	बीपीएल ग्रुप	1.34	1.49%
7	एयरसेल	2.61	2.90%
8	स्पाइस	1.93	2.14%
9	टाटा टेलीसर्विसेज	4.85	5.38%
10	एमटीएनएल	2.05	2.27%
11	एचएफसीएल	0.06	0.07%
12	श्याम	0.03	0.03%
	जोड़	**90.14**	

स्रोतः सेवा प्रदाता

20. मार्च, 2006 के अंत में निम्नलिखित ऑपरेटर नीचे तालिका 1.10 में उल्लिखित सेवा क्षेत्रों में मोबाइल सेवा (जीएसएम तथा सीडीएमए) प्रदान कर रहे थे।

तालिका 1.10 ऐसे सेल्युलर सेवा प्रदाताओं (जीएसएम तथा सीडीएमए) की सूची, जो 31 मार्च, 2006 को परिचालन में थे।

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	सेवा शुरू की गई थी	सर्किलों की संख्या
1	बीएसएनएल	चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु , केरल, पंजाब, हरियाणा, उ.प्र.–प., उ.प्र.–पू., राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर पूर्व, जम्मू–कश्मीर	21
2	भारती	संपूर्ण भारत	23
3	रिलायंस	संपूर्ण भारत	23

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	सेवा शुरू की गई थी	सर्किलों की संख्या
4	टाटा टेलीसर्विसेज	दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु , केरल, पंजाब, हरियाणा, उ.प्र.–प., उ.प्र.–पू., राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा	20
5	हच	दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु , केरल, पंजाब, हरियाणा, उ.प्र.–प., उ.प्र.–पू., राजस्थान, पश्चिम बंगाल	16
6	आइडिया	दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, केरल, हरियाणा, उ.प्र.–प., मध्य प्रदेश	8
7	बीपीएल	मुंबई	1
8	एयरसेल'	चेन्नई, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर पूर्व, जम्मू–कश्मीर	7
9	एमटीएनएल	दिल्ली, मुंबई	2
10	स्पाइस कम्यूनिकेशन	कर्नाटक, पंजाब	2
11	एचएफसीएल	पंजाब	1
12	श्याम टेलीलिंक	राजस्थान	1
13	एसकोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशंस	उ.प्र.–पू., राजस्थान, हिमाचल प्रदेश	3

स्रोतः सेवा प्रदाता

* 'मैसर्स एयरसेल ने 9 सेवा क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लाइसेंस प्राप्त किए हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश तथा बिहार में अभी सेवाएं शुरू की जानी हैं।

21. नीचे तालिका 1.11 में मोबाइल सेवा प्रदाताओं की सेवा–क्षेत्रवार सूची दी गई है।

तालिका 1.11 मार्च, 2006 को मोबाइल सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए) की सेवा–क्षेत्रवार सूची

		सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
महानगर	1	दिल्ली	भारती
			हच
			एमटीएनएल
			आइडिया
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज

		सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
	2	मुंबई	बीपीएल
			हच
			एमटीएनएल
			भारती
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
	3	चेन्नई	एयरसेल सेल्युलर
			भारती
			बीएसएनएल
			हचिसन
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
	4	कोलकाता	भारती
			हचिसन ईस्ट
			बीएसएनएल
			रिलायंस इंटरनेट सर्विसेज लि0
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
क सर्किल	5	महाराष्ट्र	बीपीएल (हच)
			आइडिया
			बीएसएनएल
			भारती
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
	6	गुजरात	फास्केल
			आइडिया
			बीएसएनएल
			भारती
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
	7	आंध्र प्रदेश	आइडिया
			भारती
			बीएसएनएल
			हचिसन
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज

		सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
	8	कर्नाटक	भारती
			स्पाइस
			बीएसएनएल
			हच
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
	9	तमिलनाडु	बीपीएल (हच)
			एयरसेल
			बीएसएनएल
			भारती
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
ख सर्किल	10	केरल	आइडिया कम्यूनिकेशंस लि0
			बीपीएल (हच)
			बीएसएनएल
			भारती
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
	11	पंजाब	स्पाइस
			भारती
			बीएसएनएल
			हचिसन
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
			एचएफसीएल इन्फोकॉम
	12	हरियाणा	आइडिया कम्यूनिकेशंस लि0
			हच (एडीआईएल)
			बीएसएनएल
			भारती
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
	13	उत्तरप्रदेश–पश्चिम	आइडिया कम्यूनिकेशंस लि0
			बीएसएनएल
			भारती
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
			हचिसन साउथ

		सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
	14	उत्तर प्रदेश–पूर्व	हच (एडीआईएल)
			बीएसएनएल
			एस्कॉटर्स टेलीकम्यूनिकेशंस
			भारती
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
	15	राजस्थान	हच (एडीआईएल)
			भारती हेक्साकॉम लि0
			बीएसएनएल
			एस्कॉटर्स टेलीकम्यूनिकेशंस
			रिलायंस इन्फोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
			श्याम टेलीलिंक
	16	मध्य प्रदेश	आइडिया
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
			भारती सेल्युलर
	17	पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती सेल्युलर
			टाटा टेलीसर्विसेज
			हचिसन साउथ
			डिशनेट वायरलेस लि0
			रिलायंस इन्फोकॉम
ग सर्किल	18	हिमाचल प्रदेश	भारती
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			एस्कॉटर्स टेलीकम्यूनिकेशंस
			टाटा टेलीसर्विसेज
			रिलायंस इन्फोकॉम
			डिशनेट वायरलेस लि0*
	19	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम
			रिलायंस इन्फोकॉम
			बीएसएनएल
			टाटा टेलीसर्विसेज
			डिशनेट वायरलेस लि0*
			भारती सेल्युलर लि0

		सर्किल	एक्सेस सेवा प्रदाता
	20	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम
			रिलायंस इन्फोकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			टाटा टेलीसर्विस
			डिशनेट वायरलेस लि0*
	21	असम	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			डिशनेट वायरलेस लि0*
			भारती
	22	उत्तर पूर्व	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती हेक्साकॉम लि0
			डिशनेट वायरलेस लि0*
	23	जम्मू तथा कश्मीर	बीएसएनएल
			भारती
			रिलायंस इन्फोकॉम*
			डिशनेट वायरलेस लि0*

स्रोतः सेवा प्रदाता

* सेवा शुरू नहीं हुई है।

22. बेसिक सेवा के उपभोक्ताओं के अनुपात में मोबाइल के उपभोक्ताओं (जीएसएम तथा सीडीएमए) की संख्या बढ़ना जारी रहा, जो विश्वभर के रूझान को प्रलक्षित करता है। भारत में वर्ष के अंत में बेसिक उपभोक्ताओं के अनुपात में मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) के उपभोक्ताओं की संख्या का अनुपात लगभग 179% था। बेसिक सेवा के सब्सक्राइबरों की तुलना में कुल मोबाइल (जीएमएम तथा सीडीएमए) के सब्सक्राइबरों में वृद्धि नीचे तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.12 : मार्च, 2000 से मार्च, 2006 तक भारत में बेसिक सेवा के ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में मोबाइल (जीएसएम तथा सीडीएमए) के सब्सक्राइबर

मार्च, 2000	मार्च, 2001	मार्च, 2002	मार्च, 2003	मार्च, 2004	मार्च, 2005	मार्च, 2006
7.07%	10.94%	16.73%	30.36%	78.64%	113.05%	179.28%

स्रोतः सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट

1.1.3 सेल्युलर मोबाइल सेवाएं (जीएसएम सेवाएं)

23. यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस प्रणाली के बाद मोबाइल में जीएसएम तथा सीडीएमए मोबिलिटी शामिल किए गए हैं। पहले की रिपोर्टों, जहां सेल्युलर मोबाइल केवल जीएसएम मोबिलिटी वाले ही थे, के संबंध में प्रतिस्पर्धी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा खण्ड दिया गया है जो केवल जीएसएम सेवा से संबंधित है।

24. पिछले वर्ष के 41.07 मिलियन की तुलना में वित्त वर्ष 2005–06 के अंत में सेल्युलर जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या 69.19 मिलियन हो गई। वर्ष के दौरान लगभग 28.12 मिलियन उपभोक्ता और बढ़े और इसमें लगभग 68.47% की उल्लेखनीय वृद्धि रही। मैसर्स रिलायंस तथा मैसर्स भारती ने मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 23 सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं। मैसर्स भारती तथा मैसर्स रिलायंस ही ऐसे प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जो सभी 23 सेवा क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

25. सेल्युलर जीएसएम सेवाओं के मामले में उपभोक्ता आधार तथा बाजार में हिस्से की दृष्टि 19.58 मिलियन सब्सक्राइबर आधार के साथ से मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम ऑपरेटर है तथा उसके बाद मैसर्स बीएसएनएल, मैसर्स हच तथा मैसर्स आइडिया का स्थान है, जिनका सब्सक्राइबर आधार क्रमशः 17.16 मिलियन, 15.36 मिलियन तथा 7.37 मिलियन है। पंजाब में मैसर्स बीएसएनएल के सिवाय सभी जीएसएम ऑपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार बड़ा है। नीचे तालिका 1.13 तथा 1.14 में क्रमशः विभिन्न जीएसएम तथा सीडीएमए ऑपरेटरों का मार्केट शेयर दिया गया है।

तालिका 1.13: 31 मार्च, 2006 को सब्सक्राइबर आधार के हिसाब से विभिन्न जीएसएम ऑपरेटरों का मार्केट शेयर।

सेल्युलर ग्रुप	सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)	बाजार में हिस्सा (% में)
भारती	19.58	28.30%
बीएसएनएल	17.16	24.80%
हचसन	15.36	22.20%
आइडिया	7.37	10.65%
एयरसेल	2.61	3.77%
एमटीएनएल	1.94	2.80%
स्पाइस	1.93	2.79%
रिलायंस	1.9	2.75%
बीपीएल ग्रुप	1.34	1.94%
जोड़	**69.19**	

स्रोतः सेवा प्रदाता

तालिका 1.14: 31 मार्च, 2006 को सब्सक्राइबर आधार के हिसाब से विभिन्न सीडीएमए ऑपरेटरों का मार्केट शेयर

सीडीएमए ग्रुप	सब्सक्राइबरों की संख्या मिलियन में	मार्केट शेयर (% में)
रिलायंस इन्फोकॉम	15.41'	73.56
टाटा टेलीसर्विसेज	4.85'	23.15
बीएसएनएल	0.49	2.34
एमटीएनएल	0.11	0.53
एचएफसीएल	0.06	0.29
श्याम टेलीलिंक	0.03	0.14
जोड़	**20.95**	

स्रोत: सेवा प्रदाता

* इन आंकड़ों में डब्ल्यूएलएल (एफ) के सब्सक्राइबरों के आंकड़े शामिल नहीं है।

26. नीचे तालिका 1.15 में जीएसएम सेवाओं के लाइसेंसधारियों (सेल्युलर तथा यूनिफाइड) तथा उनके उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है।

तालिका 1.15: 31 मार्च, 2006 को सेल्युलर मोबाइल (जीएसएम) सेवाओं के लाइसेंसधारियों तथा उनके उपभोक्ताओं की संख्या

सेवा क्षेत्रों की संख्या	23
निजी लाइसेंसधारियों की संख्या	70
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	69.19 मिलियन
– मेट्रो (एमटीएनएल सहित)	15.86 मिलियन
– सर्किल	53.33 मिलियन

27. नीचे तालिका 1.16 में मार्च, 2002 से मार्च, 2006 के दौरान मेट्रो तथा सर्किलों में सेल्युलर मोबाइल (जीएसएम) सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी जानकारी दी गई है:

तालिका 1.16: – मार्च, 2002 से मार्च, 2006 के दौरान मेट्रो तथा सर्किलों में मोबाइल (जीएसएम) सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या:

श्रेणी	मार्च, 2002	मार्च, 2003	मार्च, 2004	मार्च, 2005	मार्च, 2006
मेट्रो	2,567,757	4,439,524	7,941,766	11,018,998	15,860,318
'ए' सर्किल	2,134,333	4,364,943	9,708,299	14,897,024	24,332,549
'बी' सर्किल	1,501,151	3,374,538	7,402,067	12,660,861	22,727,117
'सी' सर्किल	222,573	508,632	1,112,273	24,892,32	6,279,729
जोड़	**6,430,814**	**12,687,637**	**26,154,405**	**41,066,272**	**69,199,713**

स्रोत: सेवा प्रदाताओं की रिपोर्ट

28. तालिका 1.17 में वर्ष, 2003–04, 2004–05 तथा 2005–06 में विभिन्न सर्किलों की विभिन्न श्रेणियों में और जोड़े गए जीएसएम मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या तथा वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.17 : वर्ष, 2003–04,2004–05 तथा 2005–06 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए अतिरिक्त जीएसएम मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या तथा वार्षिक वृद्धि दर।

सर्किल	अप्रैल, 03 से मार्च,04 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या	वर्ष 2003–04 के दौरान प्रतिशत वृद्धि	अप्रैल, 04 से मार्च,05 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या	वर्ष 2004–05 के दौरान प्रतिशत वृद्धि	अप्रैल,05 से मार्च 06 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या	वर्ष 2005–06 के दौरान प्रतिशत वृद्धि
मेट्रो	35.02 लाख	79%	32.78 लाख	39%	48.41 लाख	43.94%
सर्किल 'ए'	53.33 लाख	122%	51.89 लाख	53%	94.35 लाख	63.34%
सर्किल 'बी'	41.27 लाख	119%	52.59 लाख	71%	100.66 लाख	79.51%
सर्किल 'सी'	6.04 लाख	119%	13.77 लाख	124%	37.90 लाख	152.28%
अखिल भारतीय	**135.66 लाख**	**106%**	**149.08 लाख**	**57%**	**281.33 लाख**	**68.47%**

स्रोतः सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट।

29. उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जीएसएम सेल्युलर मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या में 68.47% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2005–06 में अधिकतम वृद्धि 152.28% 'सी' सर्किलों में हुई।

1.1.4 फिक्सड तथा मोबाइल सेवाओं के विकास में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का योगदान

30. सुधार से पूर्व की अवधि में, दूरसंचार क्षेत्र के विकास प्रमुखतः सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार के तहत ही होता था और उस दौरान इसमें बहुत ही कम विकास दर्ज हुआ। 1948 से 1998 के 50 वर्षों के बीच वर्धमान टेलीघनत्व केवल 1.92% ही था। एनटीपी, 94 के साथ शुरू हुई सुधार प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में दूरसंचार क्षेत्र में विकास की गति धीमी रही परन्तु बाद में एनटीपी '99, जिसमें निश्चित लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व की भागीदारी की प्रणाली अपनाने का प्रावधान था, के अन्तर्गत इसकी गति बढ़ी। ट्राई द्वारा 1999 में लागतोन्मुखी दूरसंचार टैरिफ भी लागू किए गए। 2003 के बाद सरकार तथा विनियामक द्वारा 'कॉल करने वाली पार्टी भुगतान करे' प्रणाली, एकीकृत अभिगम लाइसेंस प्रणाली अपनाने तथा एडीसी में राजस्व की भागीदारी की प्रणाली शुरू करने के साथ–साथ अभिगम घाटा प्रभार

कम करने जैसे कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेने के परिणामस्वरूप इस वृद्धि की गति को और बढ़ावा मिला।

31. सरकार तथा विनियामक द्वारा अपनाई गई नीति तथा स्थापित विनियामक प्रणाली से सार्वजनिक सेक्टर के इन्कमबेंट उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों का विकास तेजी से हुआ है। 1998–2006 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऑपरेटरों का कुल विकास 43.28 मिलियन हुआ जिसमें फिक्सड सब्सक्राइबर 23.58 मिलियन तथा मोबाइल सब्सक्राइबर 19.70 मिलियन हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने प्रतिस्पर्धा के वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है जबकि सुधार से पूर्व की गैर–प्रतिस्पर्धी वातावरण में उनका कार्यनिष्पादन धीमा था। नीचे चित्र 1.1 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के ऑपरेटरों की सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि दर्शाई गई है।

चित्र 1.1 : पीएसयू ऑपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार (1998–2006)

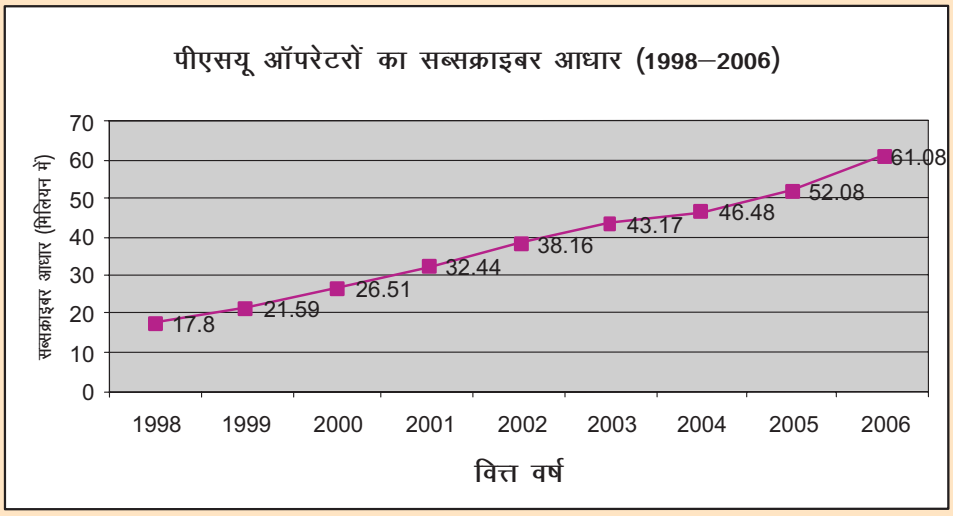

32. अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में निजी ऑपरेटरों ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। निजी ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर आधार में 1998–2006 के दौरान समग्र वृद्धि 78.36 मिलियन हुई जिसमें फिक्सड सब्सक्राइबर 7.92 मिलियन तथा मोबाइल सब्सक्राइबर 70.44 मिलियन हैं। लागत तथा जल्दी लगने के लाभ के कारण खासतौर पर मोबाइल सेवाओं के मामले में निजी ऑपरेटरों का 1998 के बाद काफी योगदान रहा। चित्र 1.2 में निजी ऑपरेटरों के सब्सक्राइबरों आधार में वृद्धि दर्शाई गई है।

चित्र 1.2 : निजी ऑपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार (1998–2006)

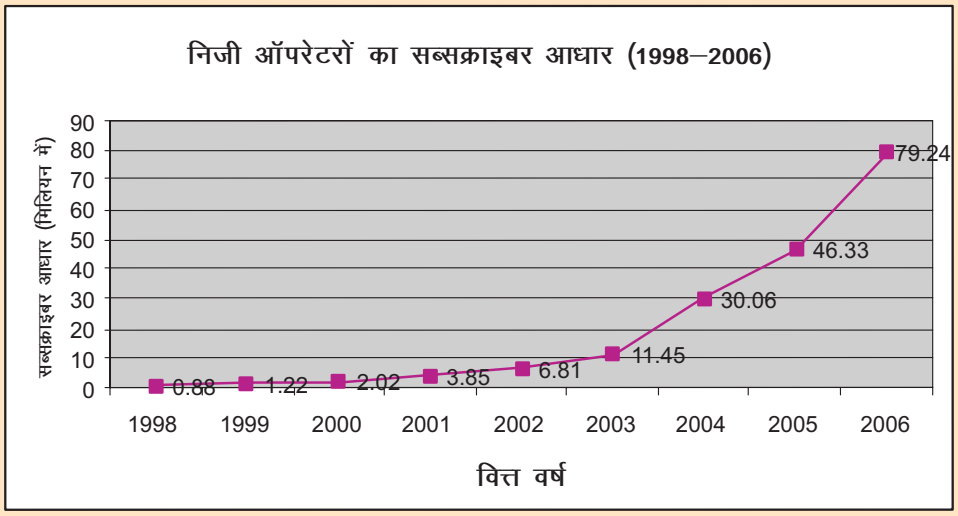

1.1.5 रेडियो पेजिंग सेवाएं:

33. भारत में रेडियो पेजिंग सेवा की शुरूआत 1992 में हुई थी और 1995 में इसे व्यवसायिक रूप से शुरू किया गया। लाइसेंस सर्किल तथा शहर के आधार पर प्रदान किए गए। शुरू के वर्षों में इसकी वृद्धि बहुत उत्साहजनक थी पर बाद में इस सेवा को सेल्युलर क्षेत्र से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप इसका कार्यनिष्पादन बहुत हताशाजनक होने लगा। मार्च 1999 के बाद से शहरों और सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या लगातार घटती रही है। शुरू में, शहरों के ऑपरेटरों को 106 और सर्किलों के आपरेटरों को 31 लाइसेंस दिए गए थे। 18.12.2000 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार को रेडियो पेजिंग सेवाओं के लिए नए लाइसेंसों की सिफारिश की जिसमें सर्किल रेडियो पेजिंग लाइसेंस के मौजूदा लाइसेंसधारियों को एनटीपी, 99 प्रणाली अपनाने की अनुमति दी गई थी। दूरसंचार विभाग के 27.12.2005 के पत्र सं. 843–175/2003–बीएस–III के अनुसार ऐसे रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता, जिनके लाइसेंस अभी मौजूद हैं, वे हैं :

(क) शहरों के लाइसेंसधारी

1. मैसर्स पेज प्वाइंट सर्विसेज इंडिया लि. (मुम्बई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद)।

2. मैसर्स माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि. (मुम्बई, कोलकाता, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, दिल्ली)।

3. मैसर्स बेल्ट्रॉन टेली कम्यूनिकेशन्स लि. (लुधियाना, अमृतसर, पटना, सूरत, नागपुर, वाराणसी)।

(ख) सर्किल लाइसेंसधारी

1. मैसर्स इंडिया पेजिंग (जिसे पहले बीपीएल वायरलेस टेलीकम्यूनिकेशंस सर्विस लि. के नाम से जाना जाता था)

2. मैसर्स नीदरलैंड इंडिया कम्यूनिकेशंस इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. (इस समय आरबिट्रेशन में)

34. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि केवल 4 रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस ही अब तक विद्यमान हैं। शेष रेडियो पेजिंग ऑपरेटरों ने या तो अपनी सेवाएं बन्द कर दी हैं या उनके लाइसेंस समाप्त हो गए हैं। दिसम्बर, 2004 के बाद ऑपरेटरों से रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं की कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। 1999–2006 के दौरान रेडियो पेजिंग उद्योग में उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा नीचे तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: मार्च 1999 से मार्च 2006 के दौरान रेडियो पेजिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या

शहरी रेडियो पेजिंग प्रचालक								
	मार्च, 99	मार्च, 00	मार्च,01	मार्च, 02	मार्च, 03	मार्च, 04	मार्च, 05	मार्च, 06
उपभोक्ता आधार	6,80,880	6,60,510	5,83,815	4,55,230	2,89,265	1,02,569	*28,028	सूचित नहीं किया है
प्रतिशत में वृद्धि	7.1	–3.0	–11.6	–22.02	–36.46	–56.94	–72.67	–

स्रोतः सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट

** 'सेवा प्रदाताओं ने मार्च, 2005 के आंकड़े सूचित नहीं किए हैं इसलिए दिसम्बर, 2004 के आंकड़े दिए जा रहे हैं।*

1.1.6 वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीसैट/VSAT)

35. वी–सैट (VSAT) सेवाएं, 9 वी–सैट सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही हैं। 2005–06 के दौरान, वी–सैट उद्योग ने 11,771 वी–सैट कनेक्शन जोड़े। वी–सैट कनेक्शनों की कुल संख्या मार्च 2005 के 38,303 से बढ़कर मार्च 2006 में 50,074 हो गई। 2004–05 में हुई लगभग 38.77% की वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले यह वृद्धि दर 30.73% की रही। 31, मार्च 2006 को वीसैट कनेक्शनों की संख्या नीचे तालिका 1.19 में दी गई हैं:–

तालिका 1.19: 31 मार्च, 2006 को वीसैट कनेक्शनों की संख्या

क्रम सं.	सेवा प्रदाता	31.3.2005 की स्थिति	31.3.2006 की स्थिति
1	एस्सेल श्याम	1,652	2,649
2	जीएनएफसी	26	23
3	भारती ब्राडबैंड (पहले कॉमसैट मैक्स)	4,453	4,740
4	भारती इन्फोटेल (पहले भारती बीटी)	5,581	7,265
5	आईटीआई	51	49
6	हयूजेज	12,012	15,669
7	टेलस्ट्रा विशेष	127	सूचित नहीं किया है
8	एचसीएल कॉमनेट	13,452	17,110
9	टाटा सर्विसेज	949	2,569
	जोड़	**38,303**	**50,074**

स्रोतः सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट।

1.1.7 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस)

36. पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विस (पीएमआरटीएस) निजी क्षेत्र के लिए 1995 में खोली गई थी। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 12 प्रचालक ये सेवाएं प्रदान कर रहे थे। पीएमआरटीएस सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में पिछले वर्ष से 2005–06 के दौरान 13.75% की वृद्धि हुई। पीएमआरटी सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2005 में 26,330 से बढ़कर मार्च, 2006 के अंत में 29,950 हो गई। 31 मार्च 2006 को, पीएमआरटीएस के ग्राहकों की संख्या नीचे तालिका 1.20 में दिखाई गई है:

तालिका 1.20 : 31 मार्च, 2006 को पीएमआरटीएस के ग्राहकों की संख्या

क्र.सं0	सेवा प्रदाता	मार्च, 2005	मार्च, 2006
1.	आर्यदूत ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0	1,030	1,271
2.	जैट–एआईयू स्काईलाइन ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0	372	391
3.	आर्य ऑफश्योर सर्विसेज प्रा0 लि0	1,495	1,455
4.	हेपाग लॉयड जर्मन एक्सप्रेस शिपिंग एजेन्सी (इंडिया) प्रा0 लि0	835	1,123
5.	यूनाइटेड लाइनर एजेन्सीज ऑफ इंडिया (प्रा0) लि0	1,820	1,997
6.	प्रोकॉल लि0	8,121	8,525

क्र.सं0	सेवा प्रदाता	मार्च, 2005	मार्च, 2006
7.	स्मार्टटॉक प्रा0 लि0	1,408	1,562
8.	कंटेनर मूवमेंट ट्रांसपोर्ट प्रा0 लि0	5	5
9.	क्वीककॉल्स	3,654	4,509
10	भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	735	1,064
11.	दि अरविंद मिल्स लि0	6,520	7,797
12.	इंडिया सेटकॉम लि0	252	251
13.	मोबिकॉम इंडिया लि0	83	सेवा में नहीं है
	जोड़	**26,330**	**29,950**
	%में वृद्धि		**13.75%**

स्रोतः सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्ट।

1.1.8 इंटरनेट सेवाएं

37. ट्राई देश में इंटरनेट सेवा के विकास पर लगातार निगरानी रख रहा है। ऐसा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इस वित्त वर्ष के दौरान अनुकूल माहौल तैयार करने और सेवा के विकास को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने विभिन्न आईएसपी द्वारा उठाई गई समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है। ट्राई की "एक्सलरेटिंग ग्रोथ ऑफ इन्टरनेट एण्ड ब्राडबैंड" पर सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 14 अप्रैल, 2004 को ब्राडबैंड नीति, 2004 की घोषणा की। तथापि, देश में ब्राडबैंड की पैठ अभी भी बहुत धीमी है। देश में ब्राडबैंड की धीमी पैठ को देखते हुए, 2 नवम्बर, 2005 को ट्राई ने सरकार से ब्राडबैंड नीति, 2004 की समीक्षा करने तथा लोकललूप अनबंडलिंग तथा ब्राडबैंड के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के संबंध में अपनी पहले की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।

38. 31 मार्च, 2006 को इंटरनेट सेवा के लिए 395 (श्रेणी ए–62, श्रेणी बी–129 तथा श्रेणी सी–204) लाइसेंसधारी थे। 31, मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में 69.35 लाख इंटरनेट के उपभोक्ता हैं जबकि मार्च, 2005 के अंत में यह संख्या 55.50 लाख थी। इस वित्त वर्ष में इंटरनेट की उपभोक्ता संख्या की वार्षिक वृद्धि, पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा रही। इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाले आईएसपी और 31 मार्च, 2006 को उनके उपभोक्ताओं की संख्या **अनुलग्नक तालिका–1** में दी गई है।

39. 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार सरकारी तथा निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं की संख्या नीचे तालिका 1.21 में दी गई है :

तालिका 1.21: – 31 मार्च, 2006 को इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या

सरकारी इंटरनेट सेवा प्रदाता	39.13 लाख
गैर–सरकारी इंटरनेट सेवा प्रदाता	30.22 लाख
कुल	**69.35 लाख**

स्रोतः सेवा प्रदाता

40. 31 मार्च, 2006 को उच्चतम पांच इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं का बाजार का हिस्सा नीचे तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22 : 31 मार्च, 2006 को सब्सक्राइबर आधार की दृष्टि से उच्चतम पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बाजार का हिस्सा।

क्र.सं.	आईएसपी	बाजार का हिस्सा
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	42.24%
2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	14.19%
3.	सिफी लिमिटेड	12.96%
4.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	8.02%
5.	भारती टेलीवेंचर्स लि. (भारती इन्फोटेल)	5.66%

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता

41. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित इन्टरनेट सेवा प्रदाता, मैसर्स बीएसएनएल तथा मैसर्स एमटीएनएल ने 31 मार्च, 2006 को क्रमशः 29.29 लाख तथा 9.84 लाख उपभोक्ता होने की सूचना दी है, जबकि मैसर्स सिफी लि0, मैसर्स वीएसएनएल तथा मैसर्स भारती टेलीवेंचर्स के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 8.98 लाख, 5.56 लाख तथा 3.92 लाख है।

1.1.9 इंटरनेट टेलीफोनी

42. ट्राई की सिफारिशों पर, सरकार ने 1, अप्रैल, 2002 से इंटरनेट टेलीफोनी शुरु करने के वास्ते मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। 31 मार्च 2006 तक, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं प्रदान करने के लिए 134

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को अनुमति दे दी है (श्रेणी ए–39, श्रेणी बी–60 तथा श्रेणी सी–35) और 32 'आईसीपी' (ISP) ने इस सेवा की शुरुआत कर देने की सूचना भी दे दी है। नीचे तालिका 1.23 में इन 'आईसीपी' की सूची दी गई है।

तालिका 1.23 : 31 मार्च, 2006 को इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं की सूची

क्रम सं.	आई एस पी का नाम
1	एचसीएल इंफाइनेट लि0
2	आइसनेट . नेट लि0
3	ब्राडबैंड पेसनेट (इंडिया) प्रा0 लि0
4	सीजे ऑनलाइन प्रा0 लि0
5	साउदर्न ऑनलाइन बायोटेक्नोलॉजिस लि0
6	महानगर टेलीफोन निगम लि0
7	नेटमैजिक सोल्युशन्स (प्रा0) लि0
8	वैल्यू हेल्थकेयर लि0
9	गेटवे सिस्टम्स (इंडिया) लि0
10	आईएन2केबल . कॉम(इंडिया) लि0
11	अपना टेलीलिंक लि0
12	डेलडीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0
13	भारती टेलीवेंचर्स लि0 (भारती इन्फोटेल)
14	हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्रा0 लि0
15	भारत संचार निगम लि0
16	सिफी लि0
17	पीबीसी वेन्चर्स लि0
18	नेटलिंक्स लि0
19	विदेश संचार निगम लि0
20	इक्वारा टेलीकॉम इंडिया प्रा0 लि0 (बीजी ब्राडबैंड)
21	ट्रैक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा0 लि0
22	डाटा इन्फोसिस लि0
23	प्राइमस टेलीकम्यूनिकेशन्स इंडिया लि0
24	मनीपाल ईकॉमर्स लि0
25	एस्टेल कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0
26	नर्मदा साइबरजोन प्रा0 लि0
27	त्रिकोण इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0
28	एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशंस लि0
29	पाइनियर ऑनलाइन प्रा0 लि0
30	सिटी ऑनलाइन सर्विसेज लि0
31	वेबटेल औबकॉनिक इंटरनेट प्रा0 लि0
32	माइलाइ करपगाम्बल इन्फारमेशन सिस्टम्स (प्रा0) लि0

स्रोतः सेवा प्रदाता

43. इसके अलावा, कुछ आईएसपी को, (इन्कमबेंट वीएसएनएल के अतिरिक्त) दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल गेटवे हेतु सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की भी अनुमति दी गई है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, जिन आईएसपी ने सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवेदन किया है तथा जिन्हें अनुमति दी गई है, वे हैं:

क मैसर्स डिशनेट डीएसएल लि0, चेन्नई

ख मैसर्स भारती एक्वानेट लि0, चेन्नई

ग मैसर्स रिलायंस कम्यू0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, मुम्बई

1.1.10 केबल टीवी सेवाएं

44. नवीनतम अनुमानों के अनुसार इस समय भारत में कुल मिलाकर 108 मिलियन ऐसे परिवार हैं जिनके पास टेलीविजन सेट हैं, इनमें से 61 मिलियन परिवार केबल टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ता हैं। इस समय 160 से ज्यादा केबल तथा सेटेलाइट चैनल राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण कर रहे हैं।

45. ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के "कैरिएज" को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा ब्राडकार्स्टिग तथा केबल सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 (के) के अनुसार "दूरसंचार सेवाओं" की परिधि में लाया गया है। सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 (डी) के अंतर्गत एक आदेश भी जारी किया जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसी शर्तों के संबंध में सिफारिश करे जिनके अनुसार ग्राहकों को 'एड्रेसेबल सिस्टम' प्रदान किया जाएगा और पे चैनल तथा दूसरे चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के पैरामीटर तय किए जाएंगे। यह आदेश प्राधिकरण को पे चैनलों के लिए मानक मानदण्डों तथा अंतरिम उपायों के विनिर्धारण सहित उनकी दरों में संशोधन की अवधि में संशोधन करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

1.2 नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

46. नई दूरसंचार नीति 1999, दूरसंचार सेक्टर के लिए मुख्य मार्गदर्शक है, इस नीति के उद्देश्य हैं:

– देश के सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूरसंचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरसंचार नीति का केन्द्र बिन्दु वहनीय तथा प्रभावी दूरसंचार की व्यवस्था करना है।

– ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी दूरसंचार विहीन क्षेत्रों को सार्वभौमिक रूप से इस सेवा की व्यवस्था करने और, देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप, उच्चस्तरीय सेवाओं की व्यवस्था करने के बीच अपेक्षित संतुलन का प्रयास करना।

– भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 'महाशक्ति' बन सके इसके लिए आधुनिक और सक्षम दूरसंचार आधारिक संरचना बनाया जाए जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यमों, दूरसंचार और कंज्यूमर इलेक्ट्रानिकी का पारस्परिक सामंजस्य एवं समन्वयन को ध्यान में रखा जाए।

– देश के दूरस्थ, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास करना।

– पीसीओ को जहां भी समीचीन हो बहुमाध्यम क्षमताओं वाले सार्वजनिक टेली–इन्फो केंद्रों में रूपांतरित करना जिनमें आईएसडीएन सेवा, दूरस्थ डाटाबेस एक्सेस हो और जो सामुदायिक सूचना प्रणाली में सहायक हो।

– दूरसंचार क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अधिक उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा वाले परिवेश में परिवर्तित करना, जहां सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर और एक जैसी कार्य – सुविधाएं उपलब्ध हों।

– देश में अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना और विश्वस्तरीय निर्माण – क्षमता मुहैया करना।

– स्पेक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता तथा पारदर्शिता प्राप्त करना।

– देश की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के हितों का बचाव करना।

– भारत की दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक अर्थों में विश्वस्तरीय बनाना।

47. नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) – 1999 में निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्य रखे गये हैं:

– वर्ष 2002 तक टेलीफोन, मांग पर उपलब्ध हो जाए इसका प्रयास करना। उसके बाद इस स्थिति को बनाए रखना ताकि इसके परिणामस्वरूप, दूरसंचार का घनत्व 2005 तक 7 तक और 2010 तक 15 तक पहुंच जाए।

– ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना जिसके लिए उसके टैरिफ ढांचे को उपयुक्त तरीके से संशोधित करना ताकि आम जनता उसका वहन कर सके और सभी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार को अनिवार्य बनाना।

– वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीडेनसिटी, वर्तमान 0.4 से बढ़कर 4 करना और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार माध्यम (ट्रांसमिशन) उपलब्ध करना।

– वर्ष 2002 तक देश के सभी गांवों तक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराना और सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचार माध्यमों की व्यवस्था करना।

– वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना।

– जिन नगरों की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है उनमें, वर्ष 2002 तक, आईएसडीएन सहित अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च गति वाले आंकड़ा तंत्र (डाटा) तथा बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) क्षमता की व्यवस्था करना।

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

48. एनटीपी 1999 में ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क के, उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

– सभी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार अनिवार्य करके और टैरिफ के ढांचे के जरिये दूरसंचार को वहनीय बनाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना।

– वर्ष 2010 तक गांवों में दूरसंचार का घनत्व 4% तक ले आना।

– वर्ष 2002 तक सभी गांवों तक दूरसंचार को ले आना और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार माध्यम उपलब्ध कराना।

49. देश के कुल 6,07,491 गांवों में से 31 मार्च, 2006 तक 5,48,843 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध हैं तथा शेष 58,648 गांवों में अभी वीपीटी (VPT) उपलब्ध कराया जाना है। अधिकांश वीपीटी, बीएसएनएल द्वारा लगाए गए हैं। प्राइवेट ऑपरेटरों की हिस्सेदारी वीपीटी स्थापित करने में थोड़ी बढ़ी है। वर्ष के दौरान स्थापित 18,227 वीपीटी में बीएसएनएल द्वारा 18,053 तथा मैसर्स भारती टेलीवेंचर्स ने 243 वीपीटी जोड़े जबकि मैसर्स एचएफसीएल ने अपने वीपीटी कम किए हैं।

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

50. ग्रामीण नेटवर्क के अलावा, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के बारे में एनटीपी 1999 के प्रमुख उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

– वर्ष 2002 तक टेलीफोन मांग पर उपलब्ध कराना और वर्ष 2005 तक 7 प्रतिशत और वर्ष 2010 तक 15 प्रतिशत का टेलीघनत्व प्राप्त करना।

– वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों तक इंटरनेट पहुंचाना।

– वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में, आईएसडीएन (ISDN) जैसी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से हाई स्पीड डाटा तथा मल्टीमीडिया क्षमता उपलब्ध कराना।

– औचित्य होने पर पीसीओ को आईएसडीएन सेवाएं, रिमोट डाटाबेस एक्सेस तथा सूचना प्रणालियों आदि जैसी मल्टीमीडिया क्षमताओं वाले पब्लिक टेली–इन्फोर्मेशन केंद्रों में बदलना।

51. वर्ष 2005–06 के दौरान, डब्ल्यूएलएल (एफ) सेवाओं सहित बेसिक सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि दर लगभग 8.62% रही। 72.62% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, वर्ष के दौरान मोबाइल उद्योग में भारी बढ़त देखने में आई। संख्या के हिसाब से,

मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या में 2004–05 के दौरान हुई 18.53 मिलियन की वृद्धि की तुलना में 2005–06 में यह वृद्धि 37.92 मिलियन की हुई। मार्च, 2006 के अंत तक, मैसर्स भारती तथा मैसर्स रिलायंस, दोनों पूरे भारत में अर्थात् सभी 23 सर्किलों में सेवाओं का परिचालन कर रहे थे। एक अन्य दूरसंचार सेक्टर, जिसमें अच्छी वृद्धि हुई है, वह है इन्टरनेट तथा ब्राडबैंड सेवाएं जिसके सब्सक्राइबरों की संख्या मार्च, 2005 में 55.50 लाख से बढ़कर मार्च, 2006 के अंत में 69.35 हो गई। इसमें लगभग 25% की वृद्धि दर्ज हुई। ब्राडबैंड के उपभोक्ताओं की संख्या भी मार्च, 2005 के अंत में 1.8 लाख से बढ़कर मार्च, 2006 के अंत में 13.48 लाख हो गई।

1.2.3 बेसिक तथा मूल्यवर्धित दोनों तरह की सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

(क) बेसिक सेवा

52. सितंबर, 1994 में एनटीपी – 94 की घोषणा के बाद, दूरसंचार विभाग ने बेसिक दूरसंचार सेवा में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। 1995 के शुरूआत में बेसिक सेवा के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं तथा अगस्त, 1995 में बोलियां प्राप्त हुई। मार्च, 1996 तक सफल बोलीदाताओं को बेसिक सेवा के लिए छांटा गया और 1997 में छः सर्किलों के लिए प्राइवेट निजी बेसिक सेवा ऑपरेटरों के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए। तथापि, अन्य सेवाओं से विपरीत, लाइसेंस दिए जाने के बाद भी बेसिक सेवा जल्द शुरू नहीं हो पाई।

53. नई दूरसंचार नीति, 1999 की घोषणा के बाद, जिन छः सर्किलों में लाइसेंस जारी किए जा चुके थे, वहां अतिरिक्त लाइसेंस देने तथा 15 खाली दूरसंचार सर्किलों में बेसिक सेवा के लिए नए लाइसेंस देने के लिए ट्राई से सिफारिशें मांगी गई थीं। ट्राई ने 31, अगस्त, 2000 को सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी थीं।

54. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 25 जनवरी, 2001 को बेसिक सेवा के लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में, प्रचालकों की संख्या पर कोई सीमा लगाए बिना, बेसिक टेलीफोन सेवा को खोलने की व्यवस्था है।

55. मार्च 2005 के अंत तक, 5 निजी बेसिक सेवा प्रचालकों (बीएसओ) को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इनके नाम हैं– मैसर्स रिलायंस इन्फोकाम लि0 (20 सर्किल), मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि0 (20 सर्किल), मैसर्स भारती टेलीवेंचर्स लि0 (16 सर्किल), मैसर्स श्याम टेलीलिंक लि0 (राजस्थान सर्किल) और मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लि0 (पंजाब सर्किल)। इन सभी पांचों निजी प्रचालकों ने 2003–04 के दौरान एकीकृत अभिगम सेवा प्रणाली अपना ली है।

(ख.) मूल्यवर्धित सेवाएं – वॉइस मेल/ऑडियोटैक्स सेवाः

56. दूरसंचार विभाग ने 1996 से गैर–विशिष्ट (नान–एक्सक्लूसिव) और पहले आओ–पहले पाओ, आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए वॉइस मेल/ऑडियोटैक्स सेवा के लिए लाइसेंस देना प्रारंभ किया। इसकी अवधि एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान भी था। इस बीच, सरकार ने नई दूरसंचार नीति – 1999 को 1 अप्रैल, 1999 से अपना लिया। इस नीति में वॉइस मेल/ऑडियोटैक्स के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। एनटीपी '99 की घोषणा के बाद सरकार ने सेल्युलर, बेसिक और अन्य मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारियों को एनटीपी–99 व्यवस्था अपनाने की अनुमति देने का फैसला किया। मौजूदा वॉइस–मेल सेवा ऑपरेटरों के माइग्रेशन के लिए लाइसेंस शुल्क व्यवस्था, तथा वॉइस–मेल सेवा हेतु नए लाइसेंस जारी करने की शर्तों को अंतिम रूप देने के संबंध में, अगस्त, 2000 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें मांगी गईं। ट्राई ने सरकार को अपनी सिफारिशें 29, दिसम्बर, 2000 को दी और सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, सरकार ने 17, फरवरी 2001 को वॉइसमेल/ऑडियोटैक्स सेवा के लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। मई, 2001 में सरकार ने सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं और बेसिक सेवा प्रचालकों को, उनके सेवा क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं को बिना किसी अलग/अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के तथा बिना किसी भेदभाव के, वॉइसमेल/ऑडियोटैक्स सेवा प्रदान करने की अनुमति दे दी।

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अन्तरसंयोजन तथा तकनीकी सुसंगता

57. एक बहु–प्रचालक परिवेश में अन्तर–प्रचालक समाधान को ज्यादा निश्चितता प्रदान करने और अन्तर–संयोजन समझौतों को सुसाध्य बनाने के लिए एक अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार प्रणाली विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है। ट्राई

ने 24 जनवरी, 2003 को अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियमन अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बहु–प्रचालक परिवेश में कॉल के ओरिजिनेशन, कैरिएज तथा टर्मिनेशन के लिए प्रभार तथा लागत से कम पर एक्सेस के प्रभार के कारण बीएसओ के एक्सेस डेफिसिट को कवर करने के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार लगाना शामिल है। इस विनियम के अनुसार विभिन्न अलग–अलग नेटवर्क (Unbundled Network) तत्वों के मिनट–उपयोग के लिए तथा इन तत्वों की लागत के आधार पर आईयूसी का निर्धारण किया जाना है। ओरिजिनेशन, ट्रांजिट तथा टर्मिनेशन के लिए आईयूसी, तत्व आधारित प्रभार के सिद्धांत पर प्रभारित किया जाता है अर्थात इसमें एक प्रचालक द्वारा दूसरे प्रचालक से उसके कॉल के वहन के लिए उपयोग के मिनट के हिसाब से लगे संसाधन के लिए प्रभार लिया जाता है।

58. तत्पश्चात्, आईयूसी व्यवस्था तथा नई व्यवस्था में टैरिफ के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा स्टेकहोल्डरों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आधार पर ट्राई ने आईयूसी प्रणाली की व्यापक समीक्षा की और 29 अक्तूबर, 2003 को दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम जारी किया गया। यह आईयूसी प्रणाली 1 फरवरी, 2004 से लागू की गयी। इस आईयूसी प्रणाली की मुख्य बातें थीं: अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) की कुल राशि कम होना, टर्मिनेटिंग नेटवर्क चाहे कोई भी हो, सब के लिए प्रति मिनट 0.30रु0 का समान टर्मिनेशन प्रभार, एनएलडी तथा आईएलडी कॉलों पर एडीसी कम करना, जिनके समग्र परिणाम से वॉइस टेलीफोनी पर कम टैरिफ का वातावरण बना।

59. 29 अक्तूबर, 2003 के अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम में यह उल्लेख किया गया था कि आगामी वर्षों में प्राधिकरण, एडीसी के भुगतान की मात्रा तथा एडीसी से लाभ प्राप्त करने वालों के संबंध में समीक्षा करेगा। तदनुसार ट्राई ने 23, जून, 2004 को एडीसी की समीक्षा के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। ओपन हाउस सत्रों के दौरान स्टेकहोल्डरों से प्राप्त जानकारी, सेवा प्रदाताओं के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान प्राप्त जानकारी तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने 6.1.2005 को "दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम जारी किया जो 1 फरवरी, 2005 से लागू किया गया। इस विनियम के अंतर्गत एडीसी की दरें, इन्टर–सर्किल कॉलों तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की कॉलों की दरों के लिए काफी

कम की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएलडी तथा आईएलडी कॉलों के टैरिफ में काफी कमी हुई।

60. प्राधिकरण ने व्यापक मुद्दों के समाधान के लिए 17 मार्च, 2005 को आईयूसी/एडीसी के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें शामिल थे (क) फिक्सड वायरलेस लाइनों पर एडीसी का औचित्य तथा गैर–बीएसएनएल फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के लिए एडीसी की स्वीकार्यता, (ख) राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी और इसके विभिन्न वेरिएंटस जिसमें मिक्सड मॉडल, एनएलडी तथा आईएलडी कॉलों के लिए उच्चस्तरीय एडीसी आदि (ग) अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (कैरिएज तथा टर्मिनेशन के मुद्दे) जिसमें इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉल भी शामिल हैं और क्या कैरिएज तथा टर्मिनेशन के लिए अलग–अलग दरें हों, और (घ) देय एडीसी की मात्रा पर यूएसओ फंड के बढ़ते संवितरण का प्रभाव। ओपन हाउस सत्रों में प्राप्त टिप्पणियों, स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने 23.02.2006 को नया आईयूसी विनियम जारी किया जिसमें बेसिक सेवा प्रदाताओं को देय आईयूसी/एडीसी प्रभार निर्धारित किए गए। इस आईयूसी विनियम के माध्यम से ट्राई ने एडीसी की राशि कम की है और एडीसी प्रणाली में भी परिवर्तन कर इसे राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) कॉलों के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मामले में मिनट आधारित से एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के राजस्व की भागीदारी वाली प्रणाली बनाया गया है। इसके अलावा, टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ट्राई ने यह भी विनिश्चय किया है कि ग्रामीण सब्सक्राइबरों से जुटाए जाने वाले राजस्व को एडीसी की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्राई ने भारत में लम्बी दूरी के कॉलों के लिए प्रतिमिनट कैरिएज प्रभार 0.65 रु. प्रतिमिनट निर्धारित किया है, चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो, ताकि घरेलू कीमतें कम हो सकें तथा सब्सक्राइबरों की संख्या ज्यादा बढ़े। इस विनियम से पूर्व कैरिएज प्रभार दूरी पर आधारित थे (अर्थात् 50 कि.मी. तक की दूरी के लिए 0.20 रु., 200 कि.मी. के लिए 0.45 रु., 500 कि.मी. के लिए 0.50 रु. तथा 500 कि. मी. से ज्यादा के लिए 0.120 रु0)।

61. 8 जून, 2005 को ट्राई ने बीएसएनएल के सेलवन के लिए ट्रांजिट प्रभारों के संबंध में टर्मिनेशन ट्रैफिक विनियम, 2005 जारी किया जो याचिका सं. 20/2004 (सीओएआई और अन्य बनाम बीएसएनएल तथा अन्य) में माननीय टीडीसैट के 3 मई, 2005 के आदेश के अनुपालन में 3 मई, 2005 से लागू हुआ। इस विनियम के अंतर्गत, बीएसएनएल द्वारा सेल्युलर

ऑपरेटरों से बीएसएनएल के सेलवन सब्सक्राइबरों को एक्सेस करने के लिए उस स्थिति में जहां कहीं बीएसएनएल के सेलवन तथा प्राइवेट सीएमएसपीएस दोनों के मोबाइल स्विचिंग सेंटर (एमएससी), बीएसएनएल के समान स्विच पर कनेक्ट हों, कोई ट्रांजिट प्रभार नहीं लगाया जाएगा। यह विनियम इसलिए जारी किया गया क्योंकि बीएसएनएल, सेल्युलर तथा अन्य प्राइवेट सीएमएसपीएस के बीच कोई सीधा संयोजन नहीं है और बीएसएनएल के सेलवन नेटवर्क पर टर्मिनेट होने वाला ट्रैफिक, बीएसएनएल के पीएसटीएन स्विच से रूट किया जा रहा था और इसके लिए प्रतिमिनट 19 पैसे की दर पर प्रभार लिया जा रहा था।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

62. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपनी नीतियों में प्रौद्योगिकी–तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है।

(क) बेसिक सेवा

63. बेसिक टेलीफोनी में प्रतिस्पर्धा ने, बेसिक सेवा प्रचालकों को सक्षम एवं नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए मजबूर किया है ताकि, उपभोक्ताओं को नई–नई विशिष्टताएं और मूल्यवर्द्धित/अनुपूरक सेवाओं की पेशकश की जा सके। बिलिंग एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है, जहां एक तरफ तो नई–नई विशिष्टताओं और मूल्यवर्धित/पूरक सेवाओं को लाने का प्रयास हो रहा है तो दूसरी तरफ नए बहु प्रचालक (मल्टी ऑपरेटर) माहौल में अंतर प्रचालक प्रभारण के लिए नई तकनीकी पहल हो रही है। बहु–प्रचालक परिदृश्य ने प्रचालकों को अंतर प्रचालक समाधानों के लिए नई बिलिंग प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है।

(ख.) सेल्युलर मोबाइल सेवाएं:

64. देश में सेल्युलर मोबाइल सेवाएं इस समय शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), मोबाइल इन्टरनेट सेवा, ई–मेल सेवाएं, चैटिंग सेवांए, कॉन्फरेंसिंग, आदि जैसी विभिन्न नई–नई मूल्यवर्द्धित सेवाएं तथा अनुपूरक सेवाओं के साथ मुख्यतः वॉयस सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अधिकांश ऑपरेटरों ने अपने ग्राहकों को जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) देना प्रारंभ कर दिया है। ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए विभिन्न नूतन सेवाएं शुरू की गई हैं। क्लोज्ड यूजर ग्रुप, वीडियो कान्फ्रेसिंग आदि जैसी सेवाएं भी मोबाइल ग्राहकों को उपलब्ध हैं।

(ग) ब्राडबैंड

65. ब्राडबैंड का नया उच्च गति का संयोजन माध्यम है जो इंटरनेट, टेलीफोनी तथा वीडियो में काम करता है और इसमें इन्हें एक नए रूप में एकीकृत करने की क्षमता है। ब्राडबैंड नीति, 2004 के अनुसार इसे ऐसा "सर्वदा सक्रिय" डाटा संयोजन भी कहा जाता सकता है– जो इंटरनेट एक्सेस सहित इन्टरएक्टिव सेवाओं को सहायता प्रदान करता है और जिसमें ऐसी ब्राडबैंड सेवा, मुहैया कराने के इच्छुक सेवा प्रदाता के उपस्थिति बिन्दु से अलग–अलग सब्सक्राइबर तक 256 केबीपीएस डाउन लोड करने की न्यूनतम स्पीड क्षमता होती है और जिसमें सब्सक्राइबर इस उपस्थिति बिन्दु के माध्यम से इन्टरनेट सहित इन इन्टरएक्टिव सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। इन्टरनेट टेलीफोनी वाले आईएसपी लाइसेंस के अंतर्गत इस समय अनुमेय सीमा को छोड़कर इन्टरएक्टिव सेवाओं में ऐसी कोई सेवा शामिल नहीं है जिसके लिए अलग लाइसेंस अपेक्षित है जैसे कि रियल टाइम वॉयस ट्रांसमिशन। ब्राडबैंड सेवाओं के लिए आप्टिक फाइबर प्रौद्योगिकियों, कॉपर लूप पर डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन्स (डीएसएल), केबल टीवी नेटवर्क, सैटेलाइट मीडिया, टेरेस्ट्रियल वायरलेस ऐसी विभिन्न प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्प है। देश में ब्राडबैंड का सब्सक्राइबर आधार मार्च, 2006 तक 13 लाख तक पहुंच गया है।

(घ) आईपीवी 6– अगली पीढ़ी का इन्टरनेट प्रोटोकॉल

66. नब्बे के दशक के मध्य में आईईटीएफ द्वारा विकसित आईपीवी 6, अगली पीढ़ी (संस्करण) का इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) है। 32 की बजाय आईपी 6 एड्रेस में 128 बिट्स आवंटित करके, आईपीवी 4 की एड्रेसिंग क्षमता में सुधार होता है जिससे आईपी पूल का लगभग अनन्त पूल बनेगा। इसके अलावा, ऐसा माना जाता है कि आईपीवी 6 में सुरक्षा, रूटिंग, मोबिलिटी और सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में विभिन्न कार्य भी होंगे। चूंकि उपर्युक्त क्षमताओं के करण आईपीवी 6 देश में इन्टरनेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इसलिए ट्राई ने आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण से संबंधित मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी और आईपीवी 6 में अन्तरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक कार्यदल भी गठित कर दिया है।

(ङ) भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI)

67. देश में इंटरनेट सेवाओं के विकास से संबंधित प्राधिकरण का कार्य, जो अगस्त 2002 में पूरा हुआ, के लिए एक घरेलू इन्टरनेट एक्सचेंज का प्रस्ताव किया गया था, ताकि इन्टरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके तथा लागत घटाई जा सके। इस एक्सचेंज का प्रयोजन यह था कि ऐसे इन्टरनेट ट्रैफिक जिसका उद्गम भारत में हो और जिसका गंतव्य भी भारत में हो, वह अपने पूरे मार्ग में भारत में ही रहे। प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DIT) ने भारत के राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेंज (NIXI) स्थापित करने के लिए वित्त पोषण किया। दिल्ली (नोएडा), मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में भारत के राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेंज के चार नोड पहले ही कार्य कर रहे हैं। 27 इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा एनआईएक्सआई के विभिन्न नोडों से 52 कनेक्शन जोड़े गए हैं।

1.2.6 नई दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

68. नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी '1999) का उद्देश्य है– दूरसंचार उद्योग के तीव्र विकास के लिए दूरसंचार क्षेत्रों को मुक्त परिवेश के लिए खोलना है। इसमें यह भी परिकल्पना है कि ऐसे वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे दूरसंचार उद्योग नई और सक्षम प्रौद्योगिकियों को अपना सके, तथा वहनीय दरों पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा सके, कनवर्ज्ड वातावरण में अन्तरण मुमकिन हो, फ्रिक्वेंसी स्पैक्ट्रम का कुशल तथा दक्ष आबंटन हो और अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को बल मिले। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एनटीपी (NTP) 99 में यह अपेक्षा की गई है कि सरकार, 'ट्राई' के विचार जाने और उससे सिफारिश मांगे। दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अनेक मामलों पर, ट्राई को सरकार से ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए। नई दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन के लिए ट्राई के निर्णयों का ब्यौरा इस रिपोर्ट के भाग–II तथा III में दिया गया है।

1.2.7 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ / USO)

69. यूएसओ के संबंध में ट्राई के दिनांक 03.10.2001 की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि प्रशासक की नियुक्ति की है। यह प्रशासक, यूएसओ निधि को मॉनीटर करता है और इसका

संवितरण उन सेवा प्रदाताओं को करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। ट्राई ने "ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास" के संबंध में 3 अक्तूबर, 2005 की अपनी सिफारिशों में यूएसओ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीति संबंधी फ्रेमवर्क का सुझाव दिया है :–

- यूएसओ से सहायता प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर करना।
- यूएसओ निधि के माध्यम से आधार इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायता प्रदान करना।
- यूएसओएफ से ताक ऑपरेटरों को सहायता प्रदान करना तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों से छूट प्रदान करना।
- सार्वभौम अभिगम शुल्क के रूप में वसूल किए गए निधि को यूएसओएफ को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

70. चूंकि यूएसओएफ के संवितरण से ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास तेजी से होगा इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गयी कि यूएसओएफ से सहायता प्राप्त करने वाले कार्यकलापों, जैसे कि विलेज पब्लिक टेलीफोन (वीपीटीएस), ग्रामीण सामुदायिक फोन, पब्लिक टेलीकॉम और इन्फारमेशन सेंटर/हाई स्पीड पब्लिक टेलीकॉम और इन्फारमेंशन सेंटर, ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइन आदि, के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत यूएसओ से संबंधित डाटा/ सूचना विश्वसनीय तथा पारदर्शी है, ट्राई ने अपने 28.10.2005 के निर्देशों में सभी यूएएसपीएस तथा बीएसएनएल को अधिदेश दिया कि वे यूएसओ से संबंधित कार्यकलापों की सूचना मासिक आधार पर यूएसओएफ प्रशासक को मुहैया कराएं और इस डाटा/सूचना को अपने वेबसाइट में भी डालें।

1.2.8 सेवा की गुणवत्ता

71. ट्राई अधिनियम की धारा सं. 11 (बी) (ट) के अनुसार, ट्राई को सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक स्थापित करके, सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होती है तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना होता है ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। दूरसंचार सेवाओं में सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों पर अमल को सुनिश्चित करने के लिए, ट्राई ने 5 जुलाई 2000 को बेसिक और सेल्युलर सेवाओं के लिए सेवा

गुणवत्ता विनियम जारी किया। इस विनियम में, 12 महीने की अल्प अवधि, 24 महीने की मध्यम अवधि और 48 महीने की दीर्घ अवधि में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बेसिक और सेल्युलर सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता के पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। चूंकि ट्राई के 5 जुलाई, 2000 के विनियम में सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क प्राप्त करने की दीर्घकालिक अवधि (अर्थात् सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के मामले में 36 महीने तथा बेसिक सेवाओं के लिए 48 महीने) पहले ही पूरी हो चुकी थीं और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी संबंधी विकासात्मक कार्यों की वजह से सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए ट्राई ने सर्वाजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करके सेवा की गुणवत्ता के विनियम की समीक्षा की और 1 जुलाई, 2005 को संशोधित सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर जारी किए। इस विनियम में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं से प्रत्येक तिमाही के अंत में तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। जब भी इन पैरामीटरों की प्राप्ति में कमी होती है तो सेवा प्रदाताओं के साथ मामले को अनुपालन हेतु उठाया जाता है। ट्राई ने एक परामर्शदात्री एजेन्सी– मैसर्स टीयूवी साउथ एशिया प्रा. लि. की सेवाएं, बेसिक और सेल्युलर सेवाओं के संदर्भ में 2006 की चार तिमाहियों के लिए सेवा–गुणवत्ता के मूल्यांकन और ग्राहक संतुष्टि के सर्वेक्षण के लिए लीं हैं। ट्राई ने इन्टरनेट डायल अप एक्सेस के बेंचमार्क निर्धारित करते हुए दिसम्बर, 2001 में डायल अप और लीज लाइन इन्टरनेट एक्सेस सेवा की गुणवत्ता के संबंध में भी एक विनियम अधिसूचित किया है। इस विनियम के अनुसार आईएसपी को इन बेंचमार्कों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अनुलग्नक : इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) जिन्होंने इंटरनेट सेवा शुरू कर तालिका 1 दी है और (31 मार्च 2006 को) उनकी उपभोक्ता संख्या

क्रसं.	सेवा प्रदाता का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	मार्च, 06 को कुल सब्सक्राइबर आधार
	श्रेणी 'क'			
1	भारत संचार निगम लि.	क	संपूर्ण भारत	2929299
2	सिफी लि0	क	संपूर्ण भारत	898708
3	विदेश संचार निगम लिमिटेड	क	संपूर्ण भारत	556227
4	भारती टेलीवेंचर्स लि0 (भारती इन्फोटेल)	क	संपूर्ण भारत	392470
5	रिलायंस कम्यूनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	क	संपूर्ण भारत	359784
6	डाटा इन्फोसेस	क	संपूर्ण भारत	245908
7	इक्वारा टेलीकॉम इंडिया प्रा0 लि0 (बीजी ब्राडबैंड)	क	संपूर्ण भारत	116851
8	हैथवे केबल एंड डाटा प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	61986
9	एचसीएल इंफिनेट लि0	क	संपूर्ण भारत	42272
10	श्याम इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	24507
11	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि0 (ह्यूजेज टेलीकॉम)	क	संपूर्ण भारत	24466
12	ह्युजेज एस्काटर्स कम्यूनिकेशन्स लि0	क	संपूर्ण भारत	13404
13	प्राइमस टेलीकम्यूनिकेशन्स इंडिया लि0	क	संपूर्ण भारत	10012
14	स्पेक्ट्रा नेट लि0	क	संपूर्ण भारत	9305
15	आरपीजी इंफोटेक लि0 (स्प्रिंट आरपीजी इंडिया)	क	संपूर्ण भारत	5430
16	ट्रैक ऑनलाइन नेट इंडिया	क	संपूर्ण भारत	5375
17	इन2केबलडॉटकॉम(इंडिया), प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	5349
18	सिटी केबल नेटवर्क (जी इन्टरएक्टिव मल्टी मीडिया लि0)	क	संपूर्ण भारत	2336
19	स्विटमेल कम्यूनिकेशन्स लि0	क	संपूर्ण भारत	1375
20	अरनेट इंडिया लि0	क	संपूर्ण भारत	1149
21	डिशनेट वायलेस लि0	क	संपूर्ण भारत	1115
22	कॉमसेट मैक्स लि0	क	संपूर्ण भारत	873
23	पेसेफिक इंटरनेट इंडिया	क	संपूर्ण भारत	858
24	प्राइमनेट ग्लोबल लि0	क	संपूर्ण भारत	530
25	टाटा इन्टरनेट सर्विसेज लि0	क	संपूर्ण भारत	368
26	गुज इन्फो पेट्रो लि0 (जी आई पी एल)	क	संपूर्ण भारत	262
27	आई2आई इंटरप्राइस लि0	क	संपूर्ण भारत	214
28	गेटवे सिस्टम्स (आई) लि0	क	संपूर्ण भारत	181
29	वर्ल्डकॉम कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	110
30	ऐस्टेल कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	107
31	रीच नेटवर्क्स इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	105

क्रसं.	सेवा प्रदाता का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	मार्च, 06 को कुल सब्सक्राइबर आधार
	श्रेणी 'क'			
32	एन–लॉज कम्यूनिकेशंस (प्रा0) लि0	क	संपूर्ण भारत	59
33	एल एंड टी फाइनेंस लि.(एल एंड टी नेटकॉम लि0)	क	संपूर्ण भारत	56
34	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	क	संपूर्ण भारत	27
35	गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर कं0 लि0 (जीएनएफसी)	क	संपूर्ण भारत	19
36	एस्सेल श्याम कम्यू0 लि0	क	संपूर्ण भारत	18
37	वर्ल्डफोन इंटरनेट सर्विसेज प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	17
38	एस्ट्रोनेटवर्क इंडिया प्रा0 लि0	क	संपूर्ण भारत	16
39	जीटीएल लि0	क	संपूर्ण भारत	9
40	साइक्वाटर टेक्नालॉजीज लि0	क	संपूर्ण भारत	8
41	साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया	क	संपूर्ण भारत	8
42	एचसीएल कॉमनेट	क	संपूर्ण भारत	0
43	नेलको लि0	क	संपूर्ण भारत	0
	श्रेणी 'ख'			
44	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	ख	मुंबई – दिल्ली	984020
45	आइसनेट . नेट लि0	ख	गुजरात	31209
46	एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशंस लि0	ख	केरल	28605
47	एचएफसीएल इन्फोटेल लि0	ख	पंजाब	23589
48	फास्कल लि0	ख	गुजरात	18001
49	डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कम्यूनिकेशंस लि0	ख	दिल्ली	15515
50	ब्राडबैंड पेसनेट (आई) प्रा0 लि0	ख	मुंबई	11478
51	सेवन स्टार डॉट कॉम प्रा0 लि0	ख	खार (प.), जोगेश्वरी (प.)	9013
52	वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर0 लि0	ख	कोलकाता	8030
53	एसएस नेट कॉम प्रा0 लि0	ख	उत्तर पूर्व	7833
54	तुलीप आईटी सर्विसेज लि0	ख	केरल	6000
55	स्पेस ऑनलाइन (प्रा0) लि0	ख	गुजरात	4788
56	रोल्टा इंडिया लि0	ख	मुंबई	4512
57	त्रिकोण इलेक्ट्रानिक्स	ख	मुंबई	4315
58	साउदर्न ऑनलाइन बायो टेक्नो. लि0	ख	आंध्रप्रदेश	3342
59	ब्लेजनेट प्रा0 लि0	ख	गुजरात	3249
60	नर्मदा साइबरजोन प्रा0 लि0	ख	गुजरात	3073
61	सिक्थ सैन्स इन्फारमेटिक्स प्रा0 लि0	ख	मुंबई	2600
62	सिटी ऑनलाइन सर्विसेज प्रा0 लि0	ख	आंध्रप्रदेश – कर्नाटक	2263
63	जियोसिटी नेटवर्क साल्यूसंस प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	2151
64	वैल्यु हेथकेयर लि0	ख	मुंबई	1777
65	सब इन्डस्ट्रीज लि0 (सब इन्फोटेक)	ख	पंजाब, करनाल और धर्मशाला	1770

क्रसं.	सेवा प्रदाता का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	मार्च, 06 को कुल सब्सक्राइबर आधार
	श्रेणी 'ख'			
66	हैथवे भवानी केबल एंड डेटाकॉम	ख	मुंबई	1553
67	जैन इन्फोनेट लि0	ख	राजस्थान	1431
68	अंखनेट इन्फारमेंशंस प्रा0 लि0	ख	मुंबई	1379
69	जिंदल ऑनलाइन . कॉम लि0	ख	गुजरात	1025
70	माइलाइ करपागम्बल इन्फारमेंशन सिस्टम्स (प्रा0) लि0	ख	चेन्नई	964
71	ब्राडलाइन इन्फोसर्विसेज प्रा0 लि0	ख	मुंबई	900
72	पॉयोनियर ऑनलाइन प्रा0 लि0	ख	आंध्रप्रदेश	861
73	आइस नेटवर्क प्रा0 लि0	ख	बंगलोर	785
74	माइगुरू ऑनलाइन	ख	आंध्रप्रदेश	495
75	ग्रोथ कम्प्यूसॉट एक्सपोर्ट लि0	ख	गुजरात	444
76	सिलिकॉन माउंटेन (आई) लि0	ख	महाराष्ट्र	425
77	स्पेसकॉम ब्राडबैंड नेटवर्क लि0	ख	दिल्ली	366
78	राजस्थान टेलीमैटिक लि0	ख	राजस्थान	350
79	करतूरी नेटवर्क्स लि0	ख	कर्नाटक	331
80	अतरिया कन्वर्जेन्स टेक0 प्रा0 लि0	ख	कर्नाटक	298
81	एलायंस ब्राडबैंड सर्विसेज प्र0 लि0	ख	कोलकाता	290
82	नेटमैजिक सोल्यूशंस (प्रा0) लि0	ख	मुंबई	280
83	वेनवी इंडस्ट्रीज लि0 (एमएसी इन्फो प्रा0 लि0)	ख	हैदराबाद	230
84	ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशंस लि0	ख	आंध्रप्रदेश	200
85	विराज टेलीकॉम लि0	ख	कर्नाटक	105
86	ई कम्यू0 ऑपरचुनेटीज प्रा0 लि0	ख	गुजरात	84
87	मनीपाल ईकॉमर्स लि0 (मनीपाल कन्ट्रोल डाटा इलैक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स लि0)	ख	कर्नाटक	61
88	वेबटेल औबकॉनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रा0 लि0	ख	आंध्रप्रदेश	55
89	डायरेक्ट इंटरनेट प्रा0 लि0	ख	दिल्ली	46
90	स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा0 लि0	ख	गुजरात	38
91	नेटलिंक्स लि0	ख	आंध्रप्रदेश	36
92	इंडियन कोटेशन सिस्टम्स प्रा0 लि0	ख	मुंबई	32
93	चन्द्रा नेट प्रा0 लि0	ख	गुजरात	25
94	पीबीसी वेन्चर्स लि0 (पहले केमिकल एंड मेटालर्जिकल डिजाइन कंपनी लि0)	ख	दिल्ली	23
95	एक्सेस ऑनलाइन प्रा0 लि0	ख	मुंबई	22
96	आईओएल ब्राडबैंड लि0 (इंडिया ऑनलाइन नेटवर्क लि0)	ख	मुंबई	22
97	उत्तर प्रदेश नेटवर्क्स प्रा0 लि0	ख	उत्तर प्रदेश (पं. एवं पू.)	10
98	एस्ट्रा इन्फोनेट्स प्रा0 लि0	ख	हैदराबाद	6
99	गोदरेज इन्फोटेक लि0	ख	मुंबई	5
100	सुराना टेलीकॉम लि0	ख	आंध्रप्रदेश	3

क्रसं.	सेवा प्रदाता का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	मार्च, 06 को कुल सब्सक्राइबर आधार
	श्रेणी 'ख'			
101	भसीनसॉफट इंडिया लि0	ख	कर्नाटक	0
102	वीएसएनएल ब्राडबैंड लि0 (टाटा पावर ब्राडबैंड कंपनी)	ख	मुंबई	0
103	डेसकॉन लि0	ख एवं ग	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1781
104	सीजेएम कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा0 लि0	ख एवं ग	दिल्ली, गाज़ियाबाद	641
105	डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0	ख एवं ग	दिल्ली,गाज़ियाबाद, गुड़गांव	183
	श्रेणी 'ग'			
106	ओरटेल कम्यूनिकेशंस लि0	ग	कटक, भुवनेश्वर, राउकेला	5461
107	डिजीटल 2 वर्चुअल आईएसपी प्रा0 लि0	ग	वड़ोदरा	5156
108	फोरम इन्फोटेक (प्रा0) लि0	ग	श्रीनगर एसएसए	5050
109	वासनेट कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	मंगलोर एसएसए	2502
110	आईपाथ इंडिया प्रा0 लि0	ग	एरनाकुलम	951
111	स्पेक्ट्रम सॉटेक सोल्युशंस	ग	एरनाकुलम एसएसए	923
112	ब्राडलेन नेटवर्क्स प्रा0 लि0	ग	कल्याण एसएसए	898
113	वेबसर्फ प्रा0 लि0	ग	कल्याण एसएसए	791
114	कप्पा इंफोटेक प्रा0 लि0	ग	कोटा एसएसए	593
115	संचार टेलीनेटवर्क प्रा0 लि0	ग	भावनगर एसएसए	575
116	बोहरा प्रतिष्ठान प्रा0 लि0	ग	उदयपुर एसएसए	533
117	स्पीड ऑनलाइन.नेट प्रा0 लि0	ग	राजकोट	525
118	यूक्लिक्स कंप्यूटर्स प्रा0 लि0	ग	जोधपुर	525
119	क्वेस्ट कंसलटेंसी प्रा0 लि0	ग	वलसाड	503
120	भास्कर मल्टीनेट प्रा0 लि0	ग	जयपुर एसएसए	454
121	मिकी ऑनलाइन प्रा0 लि0	ग	मुरादाबाद, नैनीताल	450
122	डिलाइला इंडस्ट्री प्रा0 लि0	ग	श्रीनगर एसएसए	440
123	सी–टेल सोल्यूशंस प्रा0 लि0	ग	गुड़गांव एसएसए	422
124	भूपति होटल्स प्रा0 लि0	ग	विशाखापट्टनम	413
125	आईएसपी सोल्युशंस इंडिया प्रा0 लि0	ग	कोयंबटूर एसएसए	355
126	रीदा कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	अलीगढ़	330
127	एमटिसी इंजीनियरिंग लि0	ग	खेरा एसएसए	305
128	ली एंड नी सॉफटवेयर्स (एक्सपोर्टस) लि0	ग	भुवनेश्वर	303
129	स्टारनेट ऑनलाइन सर्विसेज लि0	ग	विशाखापट्टनम एसएसए	216
130	ट्रांस वर्चुअल प्रा0 लि0	ग	गुवहाटी	196
131	डिजीटल नागपुर ऑनलाइन प्रा0 लि0	ग	नागपुर	186

क्रसं.	सेवा प्रदाता का नाम	श्रेणी	कार्यक्षेत्र	मार्च, 06 को कुल सब्सक्राइबर आधार
	श्रेणी 'ग'			
132	सीजे ऑनलाइन प्रा0 लि0	ग	गाज़ियाबाद एसएसए	168
133	क्यू टेल कमटेक लि0	ग	गुड़गांव	154
134	प्लानेट इंटरनेट सेटेलाइट प्रा0 लि0	ग	नदीयाद एसएसए	144
135	नार्थ ईस्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्रा0 लि0	ग	गुवाहाटी	142
136	तवाई ई. कॉम	ग	जम्मूतवी	119
137	केबल कंबाइन कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	सिलीगुड़ी	116
138	जार्स ओल्युरिसिन प्रा0 लि0	ग	गुलबर्ग	93
139	अक्श ब्राडबैंड लि0	ग	जयपुर एसएसए	85
140	संयोग नेटवर्कस प्रा0 लि0	ग	त्रिपुरा	80
141	माइनेट सर्विसेज इंडिया प्रा0 लि0	ग	सलेम	74
142	इंसटेंट केबल नेटवर्क प्रा0 लि0	ग	गुड़गांव एसएसए	72
143	सर्वाना केबल्स प्रा0 लि0	ग	त्रिचिरापल्ली एसएसए	68
144	ओपटो नेटवर्क प्रा0 लि0	ग	गाजियाबाद, मेरठ एसएसए	34
145	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग, सी–डैक (इलैक्ट्रानिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया (ईआर एंड डीसी)	ग	गाजियाबाद	20
146	कॉनज्वाइनएक्स टेक्नोलॉजिज प्रा0 लि0	ग	जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़	17
147	नाचिकेत (आई) मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा0) लि0 (दीक्षा साइबर सिटी)	ग	श्री गंगानगर	13
148	सामख्या नेटवर्क्स (प्रा0) लि0	ग	गुड़गांव	9
149	ए–टीम इंफारमेंशन टेक्नालॉजी लि0	ग	ईरोड़	8
150	आकांशा इन्फोटेनमेंट टेक्नालॉजी लि0	ग	कामरूप एसएसए	6
151	अरूण गिरिजा कम्यूनिकेशंस प्रा0 लि0	ग	पटना एसएसए	4
152	कम्प्यूकॉम (आई) प्रा0 लि0	ग	जयपुर एसएसए	2
153	अपना टेलीलिंक प्रा0 लि0	ग	जालंधर एसएसए	0
	जोड़	**ग**		**6934575**

भाग – II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और परिचालन की समीक्षा

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और परिचालन की समीक्षा

1. रिपोर्ट के भाग–I में, ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर में विद्यमान व्यापक परिवेश का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया है और 2005–2006 के दौरान सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि वह नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करे, जिसमें दक्षतापूर्ण कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा तथा विकास संभव हो और साथ ही बेहतर गुणवत्ता की सेवा वहनीय कीमतों पर उपलब्ध हो। ट्राई अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, ट्राई ने दूरसंचार, ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के विकास में अभिप्रेरक योगदान किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह सतत् प्रयास रहा है कि एक ऐसा माहौल सुनिश्चित किया जाए जो स्पष्ट तथा पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और समान परिस्थितियां मिलें, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो तथा सभी को प्रौद्योगिकीय लाभ प्राप्त हो।

2. भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोशन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 (के) के अनुसार दूरसंचार सेवाओं की परिधि में लाया गया है। इस अधिसूचना से ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं का 'कैरिएज' भाग भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के क्षेत्राधिकार में आ गया है।

3. ट्राई का यथासंशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत, अन्य बातों के साथ–साथ लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने, टैरिफ संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करने, नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश संबंधी शर्तो और साथ ही सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस की शर्तों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। ट्राई के कार्यक्षेत्र में, टैरिफ नीति की मॉनीटरिंग, अंतरसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलू, कॉल रूटिंग और काल हेंडओवर के सिद्धांत, अलग–अलग सेवाओं तक

जनता के लिए खुला विकल्प और अभिगम की समान सुविधा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध प्रकार के नेटवर्क ढांचों और बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की जरूरत, सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच की स्थापना करने से जुड़े मामलों पर विचार करना और इस बारे में निर्णय देना भी शामिल है। सरकार ने ट्राई अधिनियम की धारा 11 (डी) के अंतगर्त 9 जनवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया जिसमें ट्राई को उन शर्तों के बारे में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया जिनके अनुसार ग्राहकों के लिए "एड्रेसेबल सिस्टम" मुहैया कराया जाएगा और पे चैनल तथा अन्य चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के लिए पैरामीटर तय किए जाएंगे। यह आदेश, ट्राई को अंतरिम उपायों सहित पे चैनलों की दरों में संशोधन की अवधि तथा उसके मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

4. 'ट्राई' अपनी नीतियों और सिफारिशों को प्रतिपादित करने के लिए सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता हिमायत ग्रुप/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ आपस में तालमेल बिठाता है। प्राधिकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिसमें ट्राई द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली नीति में सभी स्टेकहोल्डरों तथा आम जनता को भाग लेने का अवसर दिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब उनसे उनकी राय मांगी जाए तो वे अपनी राय दे सकें। इस प्रक्रिया में नीतिगत मुद्दों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, देश के विभिन्न भागों में ओपन हाऊस बैठकें करना, ई–मेल पर तथा पत्रों के जरिए लिखित में टिप्पणियां आमंत्रित करना और स्टेकहोल्डरों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श हेतु कार्यसत्र आयोजित करना शामिल है। ट्राई द्वारा जारी विनियमों/राजपत्र आदेशों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया जाता है जिसमें वे कारण स्पष्ट किये जाते हैं जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। 'ट्राई' द्वारा अपनाई गई सहभागितापूर्ण और व्याख्यात्मक प्रक्रिया की व्यापक सराहना हुई है।

5. दूरसंचार तथा ब्राडकास्टिंग सेक्टर के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के विचार जानने के लिए उनके साथ भी 'ट्राई' पारस्परिक विचार विनिमय करता है। दूरसंचार सेक्टर के कार्यो से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अन्तरालों पर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श करने की प्रणाली भी प्राधिकरण अपनाता है।

'ट्राई' ने सारे देश से 24 उपभोक्ता संगठनों का अपने पास पंजीकरण किया है, और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि इनको सुदृढ़ और सक्रिय बनाने के प्रयास किए जाते रहें। ट्राई विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और स्टेकहोल्डरों, उपभोक्ता संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

6. वर्ष 2005–06 के दौरान ट्राई ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी कीः

(क) दूरसंचार टैरिफ आदेश (36वां संशोधन) जिसमें घरेलू लीज सर्किटों के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा को संशोधित किया गया।

(ख) दूरसंचार टैरिफ आदेश (37वां संशोधन) जिसमें एक माह की अवधि के लिए अन्तरिम उपाय के रूप में घरेलू लीज सर्किटों में 64 केबीपीएस मनेज्ड लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई।

(ग) दूरसंचार टैरिफ आदेश (38वां संशोधन) जिसमें घरेलू लीज सर्किटों में 64 केबीपीएस मनेज्ड लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) के अधिकतम टैरिफ लागत के आधार पर निर्धारित की गई।

(घ) दूरसंचार टैरिफ आदेश (39वां संशोधन) जिसमें विभिन्न क्षमताओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (हॉफ सर्किट) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई।

(ङ) माननीय टीडीसैट के 14.09.2005 के आदेश को अनुसरण में टीटीओ, 99 में किए गए संशोधन को आस्थगित रखने के लिए दूरसंचार टैरिफ आदेश (40वां संशोधन) जारी किया गया।

(च) दूरसंचार टैरिफ आदेश (41वां संशोधन) जिसके द्वारा माननीय टीडीसैट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद टीटीओ, 99 में 39वें संशोधन द्वारा अधिसूचित अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (हॉफ सर्किट) के टैरिफ आदेश 29.11.2005 से लागू किए गए।

(छ) दूरसंचार टैरिफ आदेश (42वां संशोधन) जिसमें थोक ग्राहकों के मामले में टीटीओ, 99 के प्रावधानों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता में छूट दी गई।

(ज) दूरसंचार टैरिफ आदेश (43वां संशोधन) जिसमें लाइफ टाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाओं के मामले में विनियामक नीतियां तैयार की गई।

(झ) 29 नवम्बर, 2005 का दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2006 जिसके द्वारा 01.01.2006 से मुद्रास्फीति के लिए 4% की वृद्धि की अनुमति दी गई है (इस टैरिफ आदेश पर अब माननीय टीडीसैट ने स्थगन आदेश दिया है)।

(ञ) 7 मार्च, 2006 का दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2006 जिसमें अन्तरिम उपाय के रूप में होटल आदि के लिए टैरिफ निर्धारित किए गए हैं।

(ट) 24 मार्च, 2006 का दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पांचवां संशोधन) आदेश, 2006 जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 7 मार्च, 2006 का टैरिफ आदेश केवल उन्हीं होटलों/रेस्त्रां पर लागू होगा जो ब्राडकास्टर और प्राधिकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटर से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

7. 2005–06 के दौरान ट्राई ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें दीं :

(i) टेलीफोन निर्देशिका और निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के प्रकाशन के संबंध में सिफारिशें (5 मई, 2005)।

(ii) स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर सिफारशें (13 मई, 2005)।

(iii) सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें (27 जून, 2005)।

(iv) वर्च्युवल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें (16 अगस्त, 2005)।

(v) प्राइवेट टेरेस्ट्रियल टीवी ब्राडकास्ट सेवा से संबंधित मुद्दों पर सिफरिशें (29 अगस्त, 2005)।

(vi) केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबंध में सिफारिशें (14 सितम्बर, 2005)।

(vii) ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में सिफारिशें (3 अक्तूबर, 2005)।

(viii) लोकल लूप अनबंडलिंग तथा ब्राडबैंड के लिए आर्थिक प्रोत्साहन से संबंधित सिफारिशों को दोहराना (3 नवम्बर, 2005)।

(ix) अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (आईपीएलसी) सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के संबंध में सिफारिशें (16 दिसंबर, 2005)।

(x) भारत में आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण के संबंध में सिफारिशें (9 जनवरी, 2006)।

(xi) वायरलेस नेटवर्क में हाई स्पीड डाटा सेवाओं के लिए #, $, £, आदि वाले स्ट्रिंग्स के उपयोग की अनुमति देने के संबंध में सिफारिशें (8 मार्च, 2006)।

(xii) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के संबंध में सिफारिशें (8 मार्च, 2006)।

(xiii) अगली पीढ़ी के नेटवर्क के संबंध में सिफारिशें (20 मार्च, 2006)।

(xiv) ब्राडकास्टिंग तथा दूरसंचार के क्षेत्र में कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।

8. ट्राई ने वर्ष के दौरान अपने आदेशों के अनुपालन के लिए सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए :

(i) सभी एक्सेस प्रदाताओं, सीओएआई एवं एयूएसपीआई को उपभोक्ताओं की सूचना के लिए संशोधित फार्मेट में टैरिफ प्रकाशित करने के संबंध में 2 मई, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(ii) मूल्य वर्धित सेवाओं के संबंध में सभी सीएमएसपीएस तथा यूएएसपीएस को 3 मई, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(iii) प्रीमीयम दर सेवाओं के संबंध में सभी सीएमएसपीएस तथा यूएएसपीएस को 3 मई, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(iv) अन्तरसंयोजन के प्रावधान के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं को 7 जून, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(v) लाइसेंस के सेवा क्षेत्र से बाहर वायरलेस सेवाओं के प्रावधान के बारे में सभी यूएएसपीएस/बीएसओएस/सीएमएसपीएस को 9 जून, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(vi) सभी दूरसंचार एक्सेस प्रदाताओं को 27 जून, 2005 को निर्देश जारी करके पोस्ट पेड सब्सक्राइबरों के लिए क्रेडिट के परिचालन के संबंध में सभी ऑपरेटरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(vii) सेवा एक्टिव हो जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर टैरिफ योजना के पूरे ब्यौरे ग्राहकों को लिखित में सूचित करने के बारे में सभी सीएमएसपीएस और यूएएसपीएस को 29 जुलाई, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(viii) 4 जुलाई, 2005 को मैसर्स सिफी लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि वह उन मामलों में जहां योजना के फीचर के मामले में उपयोग पर प्रतिबंध हो, टैरिफ योजना को "अनलिमिटेड" के रूप में प्रस्तुत न करे।

(ix) सभी सेवा प्रदाताओं को 8 जुलाई, 2005 को निर्देश जारी किया गया जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने की समय सीमा निर्धारित की गई।

(x) अन्तरसंयोजन के प्रावधान के संबंध में 7 जून, 2005 के निर्देशों के शुद्धिपत्र के रूप में सेवा प्रदाताओं को 28 जुलाई, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(xi) मैसर्स वसई केबल प्राइवेट लि. को 22 अगस्त, 2005 को निर्देश दिया गया कि वह मैसर्स स्टार इंडिया प्रा. लि. के सिगनल मैसर्स रॉयल केबल नेटवर्क, थाणे को मुहैया कराए।

(xii) सभी इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को 12 सितम्बर, 2005 को निर्देश जारी कर यह अनिवार्य किया गया कि किसी भी प्रकार की प्रभार वाली सेवा मुहैया कराने से पूर्व सब्सक्राइबर की स्पष्ट सहमति ली जानी चाहिए।

(xiii) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 16 दिसम्बर, 2005 को निर्देश जारी करके उन्हें भ्रामक शीर्षक के साथ टैरिफ योजना की घोषणा करने की मनाही की गई।

(xiv) सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने वैबसाइट में यूएसओ से संबंधित कार्यकलापों की सूचना देने के बारे में सभी यूएएसपीएस तथा बीएसएनएल को 28 अक्तूबर, 2005 को निर्देश जारी किया गया।

(xv) माननीय टीडीसैट के 11 नवम्बर, 2005 के आदेशों के अनुसार बिलिंग की पारस्पारिकता के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल, एमटीएनएल और कुछ अन्य प्राइवेट सेल्युलर ऑपरेटरों को 16 नवम्बर, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(xvi) ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क पूरे न किए जाने के संबंध में सभी सीएमएसपीएस को 29 नवम्बर, 2005 को मार्गनिर्देश जारी किए गए।

(xvii) अन्तरसंयोजन करार के ब्यौरे दायर करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुपालन के बारे में सभी ब्राडकास्टरों को 21 दिसम्बर, 2005 को निर्देश जारी किए गए।

(xviii) अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के टैरिफ मिनट सूचित करने के बारे में सभी एक्सेस प्रदाताओं, एनएलडीओ और आईएलडीओ को 19 जनवरी, 2006 को निर्देश जारी किए गए।

(xix) मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम लि. को 15 फरवरी, 2006 को निर्देश जारी किया गया कि वह उन ग्राहकों जिन्होंने लाइफ टाइम की वैधता योजना अपना रखी है, के उपयोग न किए गए 'टॉक टाइम' जिसे उसने जब्त कर लिया है, को रिफंड करे।

(xx) मैसर्स आईसीई नेटवर्क को 23 फरवरी, 2006 को निर्देश जारी किया गया कि वह श्री महादेस्वर केबल नेटवर्क, बंगलोर को टीवी सिगनल मुहैया करे।

(xxi) मैसर्स राज टेलीविजन नेटवर्क लि. को 23 फरवरी, 2006 को निर्देश दिया गया कि वह मैसर्स तमिल थाई केबल विजन कोयम्बटूर को टीवी सिगनल मुहैया करे।

(xxii) दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 20 मई, 2005 के पत्र सं. 842–503/2004–वीएएस द्वारा अधिसूचित लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करने के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पं. बंगाल और उत्तर प्रदेश के मोबाइल सेवा प्रदाताओं को 27 फरवरी, 2006 को निर्देश दिया गया।

9. 2005–06 के दौरान ट्राई द्वारा निम्नलिखित विनियम जारी किए :

(i) दिनांक 11 अप्रैल, 2005 को दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (पांचवां संशोधन), विनियम (2005 का 7)।

(ii) 17 मई, 2005 को कार्य व्यवहार के लिए ट्राई की बैठकों से संबंधित (पहला संशोधन), विनियम 2005 (2005 का 9)।

(iii) 8 जून, 2005 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (बीएसएनएल के सेलवन के टर्मिनेशन ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005 (2005 का 10)।

(iv) 1 जुलाई, 2005 को बेसिक और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2005 (2005 का 11)।

(v) 2 दिसम्बर, 2005 को अन्तरसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं) का रजिस्टर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 12)।

(vi) 23 फरवरी, 2006 को दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 1)।

(vii) 10 मार्च, 2006 को दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (सातवां संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 2)।

(viii) 10 मार्च, 2006 को अन्तरसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं) का रजिस्टर (तीसरा संशोधन), विनियम 2006 (2006 का 3)।

(ix) 21 मार्च, 2006 को सेवा की गुणवत्ता (मीटर तथा बिल प्रणाली की यर्थाथता के लिए पद्धति संहिता) विनियम 2006।

(x) 27 मार्च, 2006 को लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 4)।

10. वर्ष के दौरान ट्राई द्वारा रिलीज किए गए परामर्श पत्रः

(i) बिल संबधी मुद्दों पर परामर्श पत्र।

(ii) भारत में आईपीएलसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में परामर्श पत्र।

(iii) वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) वाले आईएसपी लाइसेंसधारियों के लिए प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क।

(iv) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के बारे में परामर्श पत्र।

(v) भारत में आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण से संबंधित मुददे पर परामर्श पत्र।

(vi) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के संबंध में 1.10.2004 के टैरिफ आदेश में संशोधन के प्रस्ताव के बारे में परामर्श पत्र।

(vii) ब्राडकास्टिंग तथा दूरसंचार के कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र।

(viii) अगली पीढ़ी के नेटवर्क से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र।

(ix) ऑन नेटवर्क कॉल के लिए अन्तरीय टैरिफ के संबंध में परामर्श पत्र।

(x) लाइफ टाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाओं के बारे में परामर्श पत्र।

(xi) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं सें संबंधित कुछ मुद्दों पर परामर्श नोट।

11. वर्ष के दौरान अपनी सिफारिशों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में, प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में कुल 21 ओपन हाऊस बैठकें कीं, जिनमें सेवा प्रदाताओं, उनकी एसोसिएशनों, दूरसंचार सेक्टर में काम कर रहे एनजीओएस/उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा उपभोक्ताओं ने भाग लिया। प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवाओं के प्रावधानों से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर पंजीकृत कन्ज्यूमर एडवोकेसी ग्रुपों के साथ भी दो बैठकें कीं।

2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

12. ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए अभी तक सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत पहलकदमों, जिसमें सार्वभौम सेवा दायित्व निधि की स्थापना करना भी शामिल है, के परिणाम प्रत्याशा के अनुरूप नहीं रहे हैं और इसलिए प्राधिकरण ने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा का विकास करने के लिए इस दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, ट्राई ने 3 अक्तूबर, 2005 को ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

13. सिफारिशों में ट्राई ने सुझाव दिया कि वर्तमान यूएसओ नीति में अलग–अलग डीईएल, वीपीटी, ग्रामीण कम्यूनिटी फोन आदि की सब्सिडी के बजाय जोर नेटवर्क के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर दिया जाना चाहिए। इसमें सेवा प्रदाताओं को भागीदारी वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर के आंशिक लागत एवं लाइसेंस

शुल्क के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करने और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर स्पेक्ट्रम प्रभारों में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे सेवा प्रदाता, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर सकें।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित सिफारिशों की मुख्य बातों में शामिल हैं: (क) यूएसओ से सहायता प्राप्त करने के लिए आधार इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के कवरेज से सम्बद्ध वार्षिक लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार में रियायत देना (ग) कोरडेक्ट तथा इसी प्रकार की अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए किसी प्रकार के स्पेक्ट्रम शुल्क की आवश्यकता न होना, (घ) 40 मीटर तक की ऊंचाई के मामले में एसएएफसीए (फ्रीक्वेंसी के आवंटन के लिए स्थाई सलाहकार समिति) की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की पैठ बढ़ाने के लिए यूएसओ निधि से सहायता प्राप्त करना।

15. यह देखा गया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान कई उपाय किए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की बेसिक संरचना आशा के अनुरूप तैयार नहीं हुई है। नई वायरलैस प्रौद्योगिकी के उद्भव से देश में टेलीघनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, परन्तु शहरी तथा ग्रामीण टेलीघनत्व के बीच अन्तर बढ़ रहा है। इसे नीचे चित्र–2.1 में स्पष्ट किया गया है।

चित्र –2.1 ग्रामीण और शहरी टेलीघनत्व के बीच अन्तर बढ़ाना (मार्च, 1996 से मार्च, 2006)

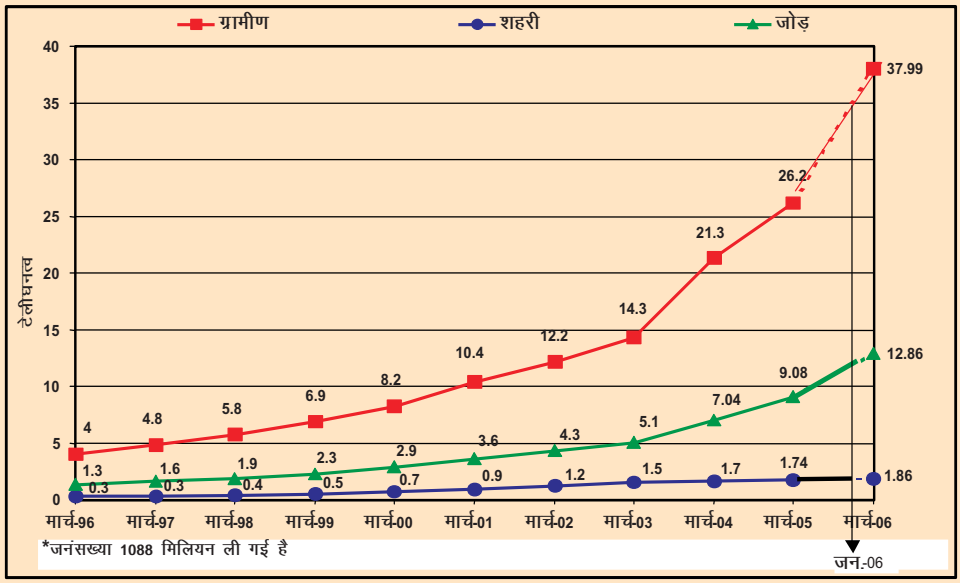

16. अपने 27 अक्तूबर, 2004 के परामर्श पत्र "ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन रूरल इंडियाः दि वे फारवर्ड" में ट्राई ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पैठ बढ़ाने के कारणों का विश्लेषण किया। प्राधिकरण की राय है कि भारत जैसे देश में जहां लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है, वहां यदि हम देश में टेलीघनत्व बढ़ाना चाहते हैं और हम देश के रूप में उन विकसित देशों के क्लब में शामिल होना चाहते हैं, जहां पहले ही टेलीकॉम की पैठ बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए दूरसंचार सेवाओं के लिए जरूरी है कि दूरसंचार की पैठ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाए। विभिन्न देशों के अन्तरराष्ट्रीय अनुभव के अध्ययन के आधार पर प्राधिकरण ने नोट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की पैठ से स्थानीय लोगों की उत्पादकता तथा धन सृजित करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश का सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। देश के भीतर तथा देश के बाहर विभिन्न स्थानों के अनुभव के आधार पर प्राधिकरण की राय है कि अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों में भी दूरसंचार सेवा के लिए एक अच्छी स्वतः समर्थ व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार सेवाओं की पैठ के साथ कई ऐसे अनुप्रयोग भी विकसित किए जा सकते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए लाभप्रद हों और ग्रामीण लघु–उद्यमों की स्थापना से इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ऊपर उल्लिखित परामर्श पत्र में निहित विभिन्न मुद्दों यथा सार्वभौम सेवा निधि से 'ताक ऑपरेटर' को सहायता देने, बैंडविथ जैसे साधनों तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के ऑपरेटरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, लम्बे समय तक यूएसओ सब्सिडी का मॉडल जारी रखने आदि के बारे में स्टेकहोल्डरों के साथ ओपन हाउस में विचार विमर्श किया। परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त जानकारी तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने ग्रामीण टेलीफोनी पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।

17. ट्राई की राय है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में इसकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाती हैं, तब तक ग्रामीण तथा शहरी टेलीघनत्व का अन्तर और बढ़ेगा और भारी सब्सिडी के बावजूद यूएसओ निधि का प्रभाव न्यूनतम ही होगा। ग्रामीण टेलीफोनी पर ट्राई की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

18. सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली के संबंध में सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिशों (13 जनवरी, 2005) में ट्राई ने ऑपरेटरों पर लगाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क में कमी करने का भी प्रस्ताव किया है ताकि दूरसंचार की सुविधा की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों में ताक ऑपरेटर आ सके और दूरसंचार का विकास संभव हो। सरकार ने अब सेल्युलर सेवा प्रदाताओं तथा एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाताओं के अलावा अधिकांश सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस शुल्क कम कर दिए हैं। ट्राई ने वहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण टैरिफ कम रखने की अपनी नीति भी जारी रखी।

19. "ट्राई" ने, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूनिवर्सल सर्विसेज आब्लिगेशन/यूएसओ) नीति के कार्यान्वयन के संबंध में भी सरकार को अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने यूएसओ (यूएसओ) के बारे में 27.03.2002 को मार्गनिर्देश जारी किए। मार्गनिर्देशों के अनुसार सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा सृजित निधियां ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, पब्लिक एक्सेस टेलीफोन अथवा सामुदायिक टेलीफोनों पर खर्च की जाएंगी। ट्राई सार्वभौम सेवा निधि प्रशासक के साथ संपर्क बनाए रखता है और यूएसओ के कार्यान्वयन पर नजर रखता है। यह यूएसओ के संबंध में अन्तर मंत्रालयीय सलाहकार समिति में भी भाग लेता है और उसमें अपना योगदान देता है।

20. सार्वभौमिक सेवा दायित्व के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा कार्यक्रम को निम्नलिखित दो धाराओं में विभाजित किया गया है :

*"(क) धारा – **I:***

सार्वजनिक टेलीकॉम और सूचना सेवाओं की व्यवस्थाः

(क) शेष दूरसंचारविहीन गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफानों की संस्थापना–1991 की जनगणना के अनुसार इंगित 6,07,491 गांवों में, जिनमें 31–3–2002 तक टेलीफोन लग जाने चाहिए थे, 'वीपीटी' लगाने पर, पूंजीगत वसूली के लिए कोई प्रतिपूर्ति न तो स्वीकार्य होगी और न ही दी जाएगी। लेकिन, इन 'वीपीटी' को चलाने पर हुए खर्चों की निवल लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जहां तक शेष बचे गांवों अर्थात् 2001 की जनगणना के अनुसार अभिज्ञात अतिरिक्त राजस्व गांवों की बात है, उनके लिए – वार्षिक पूंजीगत वसूली और वार्षिक प्रचालन व्यय–दोनों की निवल लागत को, सार्वभौमिक सेवा निधि से अवलंब की तरह मंजूर किया जाएगा।

(ख) *प्रत्येक गांव में एक 'वीपीटी' का लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद, संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक फोन की व्यवस्था–जिन गांवों की आबादी 2000 से अधिक होगी उनमें दूसरा सार्वजनिक फोन भी लगाया जाएगा। इन्हें स्कूल, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों में लगाया जा सकता है। सार्वभौमिक सेवा निधि अर्थात् यूएसएफ से अवलंब के प्रयोजन के निमित्त, वार्षिक पूंजीगत वसूली और वार्षिक प्रचालन व्यय–दोनों की निवल लागत को मंजूर किया जाएगा।*

(ग) *1–4–2002 से पहले लगाए गए 'वीपीटी' को बदलने का काम। मार (MARR) प्रणाली पर काम कर रहे, बड़ी संख्या में लगे 'वीपीटी' को उनके भरोसेमंद प्रचालन सुनिश्चित करने के वास्ते, पहले बदलने की जरूरत होगी। बेसिक सेवा प्रचालकों को, ऐसे, 'वीपीटी' को बदलने के लिए, एक वार्षिक योजना बनानी होगी तथा वार्षिक पूंजीगत वसूली और वार्षिक प्रचालन व्यय – दोनों को 'यूएसएफ' से सहायता मंजूर की जाएगी।*

(घ) *'वीपीटी' का सार्वजनिक टेलीकाम एवं सूचना केन्द्रों में उन्नयन। प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में, और कम से कम उन गांवों में जहां नियमित डाकघर हों– सन् 2004 तक, डाटा ट्रांसमिशन की सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। यूएसएफ से प्रतिपूर्ति, उस निवल लागत के लिए होगी, जो विद्यमान 'वीपीटी' के उन्नयन के बाद उसे पीटीआईसी में बदलने पर खर्च होगी और उसमें न्यूनतम विन्यास (कॉनफिगरेशन)– (i) एक पर्सनल कंप्यूटर (PC), (ii) एक मॉडम और (iii) एक यूपीएस (UPS) होगा। यूएसएफ से सहायता का परिमाण जानने के लिए, पूंजीगत एवं प्रचालन लागत– दोनों को हिसाब में लिया जाएगा। सन् 2004 के अंत तक, करीब 35,000 वीपीटी को 'पीटीआईसी' की तरह काम करने के लिए उनके अपग्रेडेशन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाएगा।*

(ङ) *वाइड बैंड अनुप्रयोग जैसे टेली–एजुकेशन, और टेली–मेडिसन, जो 128 kbps अर्थात् दो बेसिक चैनलों पर आधारित होंगे, की व्यवस्था हेतु, विद्यमान वीपीटी के उन्नयन से उच्च गति के पीटीआईसी (एचपीटीआईसी) की संस्थापना का काम – पहले चरण में सन् 2004 तक, प्रत्येक एसडीसीए (SDCA) में 2 एचपीटीआईसी (HPTIC) स्थापित किए जाएंगे। यूएसएफ से सहायता का परिमाण जानने के लिए – पूंजीगत और परिचालन लागत–दोनों को हिसाब में लिया जाएगा।*

(ख) धारा – II

निवल अधिक लागत क्षेत्रों (ग्रामीण/दूरस्थ) में घरेलू टेलीफोनों की व्यवस्था। धारा –II के लिए, एसडीसीए में सेवा की लागत में, विनिर्दिष्ट तारीख के बाद संस्थापित डीईएल हेतु विकसित, एक्सेस नेटवर्क से संबद्ध पूंजीगत वसूली और परिचालन व्यय, शामिल होंगे। प्रतिलाइन निवल लागत को एसडीसीए औसत के आधार पर निकाला जाएगा। प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरू में, सेवा प्रदाता, प्रत्याशित लागत और राजस्व सहित एसडीसीए –वार रोल–आउट योजना को बताएंगे। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सूची में बताए गए ग्रामीण एसडीसीए को इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण एसडीसीए माना जाएगा। जैसे ही किसी एसडीसीए की निवल लागत शून्य हो जाएगी अर्थात् वह राजस्व अधिशेष (सरप्लस) वाला क्षेत्र हो जाएगा तो सब्सिडी स्वतः ही वापस ले ली जाएगी।"

2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

21. वायरलेस सेवाओं के विकास के लिए, स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथा एक विरल साधन है और इसके पर्याप्त मात्रा में न होने से न केवल विकास प्रभावित होता है बल्कि इससे सेवा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ट्राई ने 13 मई, 2005 को जारी स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश जारी करते हुए मोबाइल सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के विकास, वहनशीलता और पैठ के उद्देश्यों को ध्यान ने रखते हुए ट्राई ने सिफारिश की कि स्पेक्ट्रम के प्रभार कम रखे जाए ताकि नेटवर्क के ऑपरेटरों को अपने नेटवर्क में निवेश बढ़ाने का प्रोत्साहन मिले जिससे अर्द्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां 'मार्जिन' काफी कम होगा, मोबाइल सेवाओं की कवरेज बढ़े। इसके अलावा, यह देखते हुए भी कि राजस्व की भागीदारी वाली योजना ऑपरेटरों के लिए लाभप्रद होगी, खासतौर पर नेटवर्क रोल आउट के प्रारंभिक चरण में, प्राधिकरण ने सिफारिश की कि समायोजित सकल राजस्व के 6% के वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार को कम कर समायोजित सकल राजस्व का 4% किया जाना चाहिए।

22. यह भी नोट किया गया था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और दूरसंचार सेक्टर की सफलता के बावजूद शहरी टेलीघनत्व (38%) तथा ग्रामीण टेलीघनत्व (2%) के बीच बहुत ज्यादा अन्तर है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्राई ने इस प्रकार के व्यापक अन्तर के कारणों का पता लगाने तथा इस अन्तर को भरने के लिए नए लागत प्रभावी उपायों का पता लगाने के लिए पिछले वर्ष के दौरान स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श किया। इन विचार–विमर्शों तथा अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की। इन सिफारिशों में मुख्य जोर अलग–अलग टेलीफोन या पब्लिक टेलीफोन पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय नेटवर्क के इन्फ्रास्क्ट्रचर के विस्तार पर दिया जाना है।

23. वर्ष 2005–06 के दौरान, देश में पिछले वर्ष की तुलना में 72.62% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए, 37.92 मिलियन मोबाइल सेवा के उपभोक्ता बढ़े। 31 मार्च, 2005 के दौरान मोबाइल सब्सक्राइबरों के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 52.22 मिलियन थी और 31 मार्च, 2006 के अंत में यह संख्या 90.14 मिलियन हो गई। ऐसा मुख्यतः मोबाइल सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के दबाव, विनियामक पहल तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण हुआ है। प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण सेवा प्रदाताओं ने नए–नए टैरिफ प्रस्ताव पेश किए हैं। वर्ष के अंत में शुरू किए गए "2 वर्ष की वैधता वाले प्रीपेड कूपन" और "लाइफ टाइम वैधता" योजनाओं से दूरसंचार सेवाएं ज्यादा वहनीय बनी हैं और बड़ी संख्या में सब्सक्राइबरों ने ये सेवाएं ली हैं। टैरिफों में किस तेजी से कमी हुई है यह नीचे दिए गए चित्र 2.2 में देखा जा सकता है। यह चित्र सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के टैरिफों में कमी एवं उपभोक्ता–आधार में वृद्धि के बीच के पारस्परिक दृढ़ संबंध भी दर्शाता है।

चित्र 2.2 : मार्च, 1998 से मार्च, 2006 तक सेल्युलर टैरिफ में कमी तथा सेल्युलर सब्सक्राइबर आधार में वृद्धि

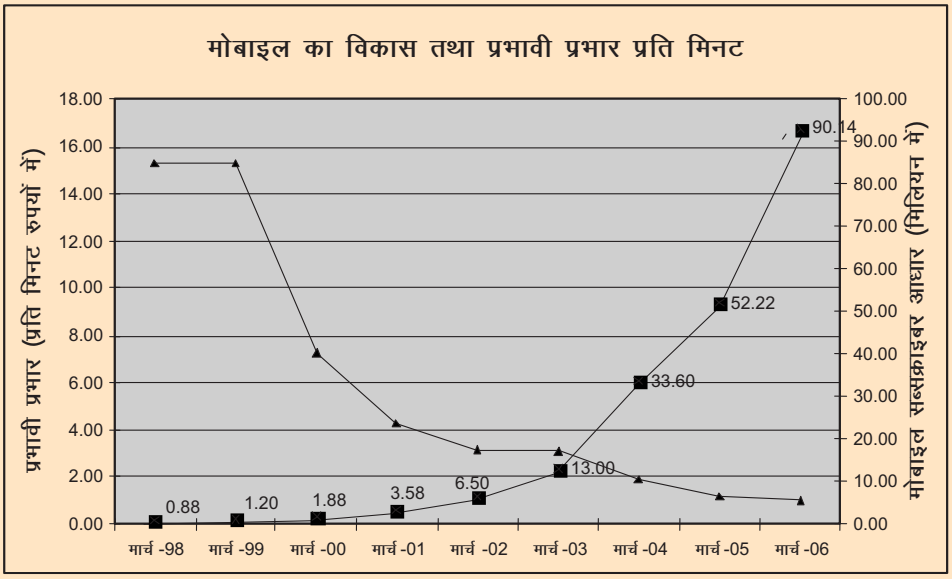

2.3 बेसिक तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी सेक्टर का प्रवेश

24. "ट्राई" ने अनेक दूरसंचार क्षेत्रों जैसे कि बेसिक सेवाओं, सेल्युलर मोबाइल सेवाओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा, वी–सैट (VSAT), पीएमआरटीएस (PMRTS) और जीएमपीसीएस (GMPCS), में नए प्रवेशकों के संबंध में सिफारिशें दी हैं। विशेष ध्यान इस बात पर रखा गया है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं का प्रवेश और परिचालन सुविधाजनक हो और, साथ ही उनकी सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी होता रहे। 31 मार्च 2006 के अन्त तक बेसिक सेवा सेक्टर में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के अलावा विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में लाइसेंसशुदा निजी आपरेटरों की संख्या पांच थी। इन सभी निजी ऑपरेटरों ने 2003–04 के दौरान यूनिफाइड एक्सेस सेवा प्रणाली अपनी ली है। पिछले वर्ष के दौरान मैसर्स रिलायंस और मैसर्स भारती ने मोबाइल सेवाओं की पेशकश के लिए सभी 23 सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्राप्त किए हैं। इस समय दोनों सेवा प्रदाता ही संपूर्ण देश में अर्थात् सभी 23 सेवा क्षेत्रों में सेल्युलर सेवा प्रदान कर रहे हैं।

25. विभिन्न सिफारिशों के पूरक के रूप में, जिनसे दूरसंचार सेक्टर में प्रवेश और प्रतिस्पर्धा सुकर बनती है, प्राधिकरण ने एक ऐसी टैरिफ संरचना

बनाई है जिससे कीमतों की प्रतिस्पर्धा, बाजार में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होती है। अपने सभी कार्यकलापों में, "ट्राई" का प्रयास यह रहा है कि सक्षम और दक्ष सेवा प्रदाताओं को आकर्षित किया जाए, जिससे ग्राहकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित होने के लिए एक अच्छा आधार तैयार हो सके।

2.4 सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुसंगतता तथा प्रभावी अंतरसंयोजन

26. इन्टरकनेक्शन "ट्राई" के लिए एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है तथा उपलब्ध सभी संभव विनियामक साधनों का उपयोग करके, इनमें से अनेक मुद्दों का, सक्रियतापूर्वक समाधान किया गया है। "ट्राई" ने अंतरसंयोजन को सुसाध्य बनाने के लिए अनेक निदेश, निर्णय और विनियम जारी किए हैं।

27. 'ट्राई' ने 24 जनवरी 2003 को, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम जारी किया। इस विनियम ने, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (IUC) व्यवस्था के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया है। इस विनियम के अनुसार, 'आईयूसी' का निर्धारण विभिन्न विसमूहित नेटवर्क घटकों के उपयोग–मिनटों और इन घटकों की लागत के आधार पर किया जाना है। कॉल के प्रारंभ (ओरिजिनेशन), संप्रेषण (ट्रांजिट/कैरिएज) और समापन (टर्मिनेशन) के निमित्त, 'आईयूसी' घटक आधारित प्रभारों के सिद्धांतों पर निश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक आपरेटर दूसरे आपरेटर से, उसकी कॉलों के वहन या कैरिएज के लिए प्रयुक्त संसाधनों के उपयोग–मिनटों के हिसाब से प्रभार लेता है। आईयूसी प्रणाली से एक "अभिगम घाटा प्रभार (ADC) तंत्र बना है जिससे उन नुकसानों की भरपाई होती है, जो फिक्स्ड लाइन के किराये लागत से कम होने, मुफ्त कॉलों की व्यवस्था करने, तथा फिक्स्ड लाइन देने वाले बीएसओ द्वारा कुछ लोकल कॉल लागत से कम पर देने से होती हैं।

28. इसके अलावा, ट्राई ने 24 जनवरी, 2003 के पहले के विनियम का अतिक्रमण करते हुए 29 अक्तूबर, 2003 को दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 जारी किया। यह आईयूसी प्रणाली 1 फरवरी, 2004 से लागू की गई। इस विनियम में पूरे भारत में दूरसंचार सेवाओं, जिसमें डब्ल्यूएलएल(एम) सेवाएं सहित बेसिक सेवाएं, सेल्युलर मोबाइल सेवा तथा लम्बी दूरी की सेवा (एसटीडी/आईएसडी) शामिल हैं, के लिए अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभारों के भुगतान के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच

व्यवस्था की गई है। इस आईयूसी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं एक्सेस डेफिसिट प्रभार की कुल राशि कम होना, टर्मिनेशन नेटवर्क चाहे जो भी हो 0.30 रु0 प्रतिमिनट का एक समान टर्मिनेशन प्रभार की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) के कॉलों पर एडीसी कम होना है। इन सब के परिणामस्वरूप वॉयस टेलीफोनी में कम टैरिफ का वातावरण बना है। अक्तबर, 2003 के विनियम में यह उल्लेख किया गया था कि बाद के वर्षों में प्राधिकरण एडीसी के भुगतान के आकार तथा एडीसी प्रणाली से लाभान्वित होने वालों के संबंध में समीक्षा करेगा।

29. आईयूसी/एडीसी प्रणाली की समीक्षा के इसके कार्य के क्रम में ट्राई ने 6 जनवरी, 2005 को अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम जारी किया। यह विनियम 1 फरवरी, 2005 से लागू किया गया। इस विनियम के अंतर्गत इन्टर सर्किल कॉलों तथा अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के कॉलों के लिए एडीसी की दरों में काफी कमी की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप एनएलडी तथा आईएलडी कॉलों के टैरिफ में भारी कमी हुई है।

30. प्राधिकरण ने 6 जनवरी, 2005 के अपने आईयूसी विनियम में उल्लेख किया कि वह परामर्श पत्रों के माध्यम से कई मुद्दों का समाधान करेगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2005 को एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें व्यापक मुद्दों पर विचार किया गया जिनमें शामिल हैं: (क) गैर–बीएसएनएल फिक्सड लाइन के ऑपरेटरों के लिए एडीसी की अनुमेयता, और फिक्सड वायरलेस पर एडीसी का औचित्य, (ख) राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी और मिक्सड मॉडल, एनएलडी तथा आईएलडी पर उच्चतर एडीसी सहित इसके विभिन्न रूप आदि, (ग) अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (वहन तथा समापन से संबंधित मुद्दे), जिसमें इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के प्रभार भी शामिल हैं, और यह कि क्या कैरिएज तथा टर्मिनेशन के लिए अलग–अलग दर हों, (घ) देय एडीसी की मात्रा पर यूएसओ निधि के ज्यादा संवितरण का प्रभाव। ओपन हाउस सत्रों तथा स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने 23, फरवरी, 2006 को एक आईयूसी विनियम जारी किया, जो 1 मार्च, 2006 से लागू किया गया। इस विनियम की मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार है:

(i) अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के टैरिफ पर एडीसी प्रतिमिनट आधार पर जारी रहेगा परन्तु इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए यह 1.60 रु./मिनट (50% से ज्यादा की कमी) की घटी दर से लिया जाएगा। इससे आरबिटरेज भी कम होगा और इस प्रकार ग्रे मार्केट भी घटेगी। आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी कम करके 0.80 रु./मिनट किया गया है (65% से ज्यादा की कमी)।

(ii) एकीकृत अभिगम सेवा, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा और अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के सभी लाइसेंसधारी अपने एजीआर का 1.5% एडीसी के रूप में बीएसएनएल को भुगतान करेंगे। बीएसएनएल अपने एजीआर के प्रतिशत के रूप में प्रभार्य एडीसी को अपने पास रखेगा। एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंसधारी/बीएसओ, वायरलाइन सब्सक्राइबरों के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी अपने पास रखेंगे तथा शेष राशि का भुगतान बीएसएनएल को किया जाएगा।

(iii) अभिगम प्रदाताओं के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी का अनुमान लगाने के लिए ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को घटाया जाएगा।

(iv) बीएसएनएल को छोड़कर अन्य यूएएसएलएस/बीएसओएस, एडीसी को एजीआर के प्रतिशत के रूप में और अपने वायरलाइन सब्सक्राइबरों के आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों से प्राप्त एडीसी को रखेंगे।

(v) घरेलू कॉलों पर प्रतिमिनट आधार पर एडीसी नहीं लगाया जाएगा।

(vi) एडसीसी की कुल राशि कम कर 3335 करोड़ रु. की गई और बीएसएनएल के लिए एडीसी की अनुमोदित राशि 3200 करोड़ रु. होगी। इसके परिणामस्वरूप एडीसी की राशि में काफी कमी (लगभग 33%) हुई।

(vii) मोबाइल तथा फिक्सड टर्मिनेशन प्रभार में 0.30 रु. प्रतिमिनट के वर्तमान स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(viii) चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो 0.65 रु./मिनट के अधिकतम कैरिएज प्रभार को अपना कर दूरी का महत्व समाप्त किया गया।

31. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ट्राई ने घरेलू कीमतों को घटाने तथा सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत में लम्बी दूरी की कॉलों के लिए चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो, प्रति मिनट कैरिएज प्रभारों की अधिकतम सीमा 0.65 रु. प्रतिमिनट निर्धारित की। इस विनियम से पूर्व कैरिएज प्रभार दूरी पर आधारित थे (अर्थात् 50 कि.मी. की दूरी तक के लिए 0.20 रु., 200 कि.मी. तक के लिए 0.45 रु., 500 कि.मी. तक के लिए 0.50 रु. तथा 500 कि.मी. से ज्यादा के लिए 1.20 रु. था)।

32. ट्राई 8 जून, 2005 को बीएसएनएल के सेलवन के लिए ट्रांजिट प्रभारों के संबंध में टर्मिनेशन ट्रैफिक विनियम, 2005 जारी किया जो याचिका सं. 20/2004 (सीओएआई और अन्य बनाम बीएसएनएल तथा अन्य) में माननीय टीडीसैट के 3 मई, 2005 के आदेश के अनुपालन में 3 मई, 2005 से लागू हुआ। इस विनियम के अंतर्गत बीएसएनएल द्वारा सेल्युलर ऑपरेटरों से बीएसएनएल के सेलवन सब्सक्राइबरों से एक्सेस करने के लिए उस स्थिति में जब बीएसएनएल के सेलवन तथा प्राइवेट सीएमएसपीएस दोनों के मोबाइल स्विचिंग सेंटर (एमएसएस) बीएसएनएल के समान स्विच पर कनेक्ट हों, कोई ट्रांजिट प्रभार नहीं लगाया जाएगा। यह विनियम इसलिए जारी किया गया क्योंकि बीएसएनएल सेल्युलर तथा अन्य प्राइवेट सीएमएसपीएस के बीच कोई सीधा संयोजन नहीं है और बीएसएनएल के सेलवन नेटवर्क पर टर्मिनेट होने वाला ट्रैफिक, बीएसएनएल के पीएसटीएन स्विच से रूट किया जा रहा था और इसके लिए प्रतिमिनट 19 पैसे की दर पर प्रभार लिया जा रहा था।

33. वर्ष 2005–06 के दौरान, ट्राई द्वारा अन्तरसंयोजन से संबंधित मुद्दों पर भी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि कुछ सेवा प्रदाता या तो अन्तरसंयोजन मुहैया नहीं कर रहे हैं या अन्तरसंयोजन के अनुरोध पर अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के बीच अन्तरसंयोजन उपलब्ध न होने की वजह से कॉल पूरी नहीं होती थी जिससे सेवा में बाधा पड़ती थी और अन्तरसंयोजित दोनों नेटवर्कों के सब्सक्राइबरों को असुविधा होती थी और सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा था। लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन और सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अन्तरसंयोजन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, ट्राई ने अलग–अलग लाइसेंस करारों के विभिन्न खण्डों के आलोक में इस मुद्दे की जांच करने के बाद और ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून, 2005

को सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि अन्तरसंयोजन चाहने वालों द्वारा अनुरोध किए जाने तथा भुगतान करने के 90 दिन के भीतर अन्तरसंयोजन मुहैया किया जाए। सभी सेवा प्रदाताओं को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करें। बहरहाल, ट्राई के इस निर्देश को बीएसएनएल ने माननीय टीडीसैट में चुनौती दी है और यह मामला न्यायलय में है।

2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

34. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, प्रौद्योगिकी निरपेक्षता या तटस्थता के मार्ग का अनुसरण करता है। तथापि, इसका उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना है जिसके तहत सेवा प्रदाता आधुनिक और दक्ष प्रौद्योगिकियां अपनाने में सक्षम हों और विरासत में मिले नेटवर्क और कार्य व्यवहार से उत्पन्न समस्याएं दूर की जा सकें।

2.6 नई दूरसंचार नीति (एनटीपी '99) का कार्यान्वयन

35. नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी–99) सरकार द्वारा परिकल्पित, आवश्यक नीतिगत फ्रेमवर्क ट्राई को उपलब्ध कराती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि विभिन्न दूरसंचार सेक्टरों को खोलने तथा सार्वभौमिक सेवा दायित्व पर एक नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार, ट्राई की सिफारिशें मांगेगी। तदनुसार, सरकार के अनुरोध पर 'ट्राई' ने अनेक मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दी हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- सेल्युलर मोबाइल सेवा से संबंधित मुद्दे;
- बेसिक सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देना;
- राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा के लिए लाइसेंस देना;
- सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस के रिक्त स्लॉटों को भरना;
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)
- रेडियो पेजिंग सेवा (आरपीएस) के लिए लाइसेंस शुल्क;
- रेडियो पेजिंग सेवा के लिए नए लाइसेंस जारी करना;

- इनसैट एमएसएस रिपोर्टिंग सेवा;
- वी–सैट सेवा प्रदाताओं के लिए नए लाइसेंस जारी करना;
- पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाओं से संबंधित लाइसेंस के मुद्दे;
- सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपीएस) – चौथे ऑपरेटर का प्रवेश;
- मोबाइल कम्यूनिटी फोन सेवाओं की व्यवस्था;
- वॉयस मेल/आडियोटेक्स सेवाएं;
- इन्टरनेट टेलीफोनी की शुरुआत;
- यूनिफाइड संदेश सेवा
- यूनिफाइड लाइसेंस एक्सेस प्रणाली
- इन्ट्रा सर्किल मर्जर तथा अधिग्रहण
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा प्रदाताओं–II (आईपी.II) के लिए लाइसेंस शुल्क तथा बैंक गारंटी माफ करना
- इन्टरनेट और ब्राडबैंड की तेजी से पैठ बढ़ाना
- दूरसंचार सेक्टर में ओम्बडसमैन कार्यालय की स्थापना
- सभी टेलीकॉम सेवाओं के लिए पूर्ण एकीकृत लाइसेंस प्रणाली
- स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दे
- ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास
- टेलीफोन निर्देशिका तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाएं
- मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी
- अगली पीढ़ी के नेटवर्क
- वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क
- भारत में आईपी4 से आईपी 6 में अन्तरण

2.7 सेवा की गुणवत्ता

36. ट्राई को यह अधिदेश प्राप्त है कि वह विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करे और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। तदनुसार जुलाई, 2000 में ट्राई ने बेसिक तथा सेल्युलर सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में एक विनियम जारी किया। इस विनियम में, ट्राई ने सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर निर्धारित किए, जिन्हें–12 महीने से कम की अल्पावधि, 24 महीने से कम की मध्यावधि और 48 महीने से कम की दीर्धावधि में पूरे किए जाने हैं।

37. चूंकि 5 जुलाई, 2000 के ट्राई के विनियम में सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क को प्राप्त करने की दीर्घ कालिक अवधि (सेल्युलर मोबाइल सेवा के मामले में 36 महीने तथा बेसिक सेवाओं के लिए 48 महीने) पहले ही पूरी हो चुकी है और प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न विकासात्मक कार्यों की वजह से सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटरों में बदलाव करना आवश्यक हो गया था, इसलिए प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 22 फरवरी, 2005 को एक परामर्श पत्र जारी किया और 6 मई, 2005 को ओपन हाउस सत्र आयोजित किया। प्राप्त सुझावों तथा अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्कों की समीक्षा की और बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में संशोधित विनियम 1 जुलाई, 2005 को जारी किया गया। इस विनियम के माध्यम से ट्राई ने सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क की शर्तों तथा सभी ऑपरेटरों के ग्राहक हेल्प लाइनों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए कुछ नए पैरामीटर भी निर्धारित किए हैं। इस विनियम में नेटवर्क से संबंधित पैरामीटर तथा सेवा के संबंध में ग्राहकों की अवधारणा जिसे, ग्राहकों की संतुष्टि के संदर्भ में किए जाने वाले सर्वेक्षण से आकलित किया जाता है, से संबंधित पैरामीटर शामिल हैं। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि वॉयरलेस का इस्तेमाल करने वाली बेसिक सेवा के लिए पैरामीटर, सेल्युलर मोबाइल सेवा के समान ही होने चाहिए।

38. ट्राई सेवा की गुणवत्ता से संबंधित संशोधित विनियम में निर्धारित सेवा की गुणवत्ता से संबंधित बेसिक तथा मोबाइल सेवा प्रदाताओं की तिमाही कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्टों को प्राप्त करके कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखता है। जहां कहीं ऑपरेटरों का कार्यनिष्पादन निर्धारित बेंचमार्क से कम पाया जाता है, वहां यह मुद्दा संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ उठाया जाता है ताकि वे इनका समाधान कर सकें। तिमाही रिपोर्टों के अलावा, ट्राई ने बेसिक तथा सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की गई सेवा की गुणवत्ता के आकलन तथा बेसिक तथा सेल्युलर

सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की गई सेवा की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की धारणा का विषयगत सर्वेक्षण कराने के लिए जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी अर्थात् मैसर्स टीयूवी साउथ एशिया प्रा. लि. की सेवाएं भी लीं। ट्राई ने जनता की सूचना के लिए इस सर्वेक्षण के परिणाम तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है। ट्राई ने दिसम्बर 2001 में डायल अप तथा लीज लाइन इन्टरनेट एक्सेस सेवा के संबंध में सेवा की गुणवत्ता विनियम भी जारी किया जिसमें इन्टरनेट डायल अप एक्सेस के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। आईएसपीएस को इस विनियम के अनुसार बेंचमार्कों का पालन करना आवश्यक है।

39. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को बिल संबंधी मामलों पर नियमित रूप से शिकायतें प्राप्त होती हैं, खासतौर पर मोबाइल सब्सक्राइबरों से। मैसर्स आईएमआरबी द्वारा की गई सेवा की गुणवत्ता से संबंधित सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख था कि बिल संबंधी पैरामीटर सेवा की गुणवत्ता के मानदण्ड से काफी नीचे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल ऑपरेटरों की बिल प्रणाली का नमूना लेखा परीक्षण किया। मोबाइल ऑपरेटरों की बिल प्रणलियों के ऑडिट करने से पता चला कि यद्यपि विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा उपयोग में लायी जा रही बिल प्रणाली प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय प्लयेरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों के समान है परन्तु मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं/पद्धतियों से ग्राहक असंतुष्टि होती है। अतः प्राधिकरण ने विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के मानकीकरण तथा उनमें पारदर्शिता लाने के लिए 21, मार्च 2006 को मीटर तथा बिल प्रणाली की यर्थाथता के बारे में पद्धति संहिता से संबंधित एक विनियम जारी किया। इस विनियम की मुख्य बातें हैं:

- किसी ग्राहक को किसी दूरसंचार सेवा के सबसक्राइबर के रूप में इनरॉल करने से पूर्व, उसे उस सेवा के इस्तेमाल के लिए टैरिफ के संबंध में विस्तृत सूचना अग्रिम में दी जाएगी। इसके अलावा, सेवा प्रदाता, सेवा एक्टिवेट होने के एक सप्ताह के भीतर ग्राहक को अपनी टैरिफ योजना के बारे में लिखित में सूचित करेगा।

- जहां मूल्य वर्धित सेवाएं (उदाहरण के लिए कन्टेंट जैसे फिल्म की क्लिप या रिंग टोन डाउन लोड करना) अथवा इन्टरएक्टिव सेवा

(जैसे कि गेम) में प्रवेश का चयन सेवा के इस्तेमाल करने वाले की पसंद पर निर्भर करता है, वहां सेवा के लिए प्रभार, ग्राहक द्वारा सेवा का इस्तेमाल करने से पूर्व उसे मुहैया कराया जाना चाहिए।

- ग्राहक को मुहैया की गई सेवाएं तथा बाद में उनमें किए जाने वाले सभी परिवर्तनों के बारे में ऐसी सेवा प्रदान करने या इसके प्रावधानों में परिवर्तन करने से पहले उसकी लिखित में सहमति ली जानी चाहिए।

- सेवा को प्रतिबंधित या उसे समाप्त किए जाने से बचने के लिए ग्राहक को समुचित समय दिया जाना चाहिए।

- प्राधिकरण बिल प्रणाली के ऑडिट करने तथा सेवा प्रदाताओं को मीटर तथा बिल प्रणाली को प्रमाणित करने में समर्थ एजेंसियों के एक पैनल को अधिसूचित करेगा। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ऑडिटरों में से किसी एक से सेवा प्रदाता, इस विनियम के अनुपालन में अपनी मीटर तथा बिल प्रणाली की वार्षिक आधार पर ऑडिट कराने का प्रबंध करेंगे तथा ऑडिट प्रमाण पत्र, प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.8 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपाय

40. इस विनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार देश भर में उपभोक्ताओं के सामने आ रही समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्राई, पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के साथ छमाही बैठक करता है। उपभोक्ता संगठनों को टेलीकॉम सेक्टर में विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ट्राई उन्हें दूरसंचार से संबंधित मुद्दों पर आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों में भी आमंत्रित करता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से उपभोक्ताओं की हिमायत के संबंध में उनकी क्षमता तथा कौशल बढ़ता है।

41. ट्राई द्वारा एनजीओ/उपभोक्ता हिमायती दलों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए विभिन्न परामर्शों का एक महत्वपूर्ण परिणाम सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाये जाने वाले कॉमन चार्टर को अंतिम रूप दिया जाना है। कॉमन चार्टर, सेवा के विभिन्न आयामों के बारे में सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वेच्छा से की गई लिखित घोषणा है। यह उपभोक्ताओं को खुला आमंत्रण है कि वे सेवा की गुणवत्ता की मांग करें। इस चार्टर की समीक्षा की जाएगी

और समय–समय पर इसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि यह उपभोक्ताओं की बदलती आशाओं से मेल खा सके। ट्राई का मत है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा इस चार्टर का पालन करने से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी, जैसी कि ट्राई अधिनियम में परिकल्पना की गई है। कॉमन चार्टर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- अपने सेवा प्रदाताओं को चुनने की स्वतंत्रता के संबंध में नागरिकों के अधिकारों को सेवा प्रदाताओं द्वारा मानना।
- उपभोक्ताओं को शिक्षित करने, अभ्यावेदन देने तथा उनके समाधान के संबंध में सेवा प्रदाताओं की सहमति।
- सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी सेवाओं के सब्सक्राइबरों को अलग–अलग योजनाओं, इन योजनाओं की प्रत्येक योजना में लागू टैरिफ दरों, उनकी वैधता, भुगतान की शर्तों आदि के बारे में सूचित करने के बारे में सेवा प्रदाताओं की सहमति।
- सेवा प्रदाताओं के संगठनात्मक ढांचे के बारे में सब्सक्राइबरों को सूचित करने और शिकायतों तथा बिल संबंधी विवादों के लिए उपभोक्ता समाधान प्रणाली के बारे में सूचना तथा स्पष्टीकरण देने की सहमति।
- तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक होने तथा आवेदक द्वारा सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करने पर बेसिक टेलीफोन कनेक्शन रजिस्ट्रेशन के 7 दिन के भीतर तथा मोबाइल कनेक्शन तत्काल उपलब्ध कराना।
- जहां तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक हो खराबी 24 घंटे के भीतर ठीक करना।
- यदि तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक हो तो टेलीफोन कनेक्शन लंबित करने के बाद भी आपात सेवाओं, जैसे कि पुलिस, अग्नि तथा एम्बूलेंस के लिए इसे 15 दिन तक बहाल रखने की अनुमति देना।

- ❖ निर्देशिका सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदान करना।
- ❖ संगत अन्तरसंयोजन करार के अंतर्गत उनके कानूनी दायित्वों की सीमा में संतोषजनक संयोजन तथा अन्तरसंयोजन का प्रावधान।
- ❖ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सभी देय राशियों को अदा करने के संबंध में उपभोक्ताओं की ओर से करार।

42. वर्ष 2005–06 के दौरान, ट्राई ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए। टैरिफ के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने तथा ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्राधिकरण ने 2 मई, 2005 को सभी अभिगम प्रदाताओं को निर्देश जारी कर उनके लिए टैरिफ का विज्ञापन निर्धारित फार्मेट में देना अनिवार्य किया गया। टेलीकॉम के पोस्ट पेड सब्सक्राइबरों के लिए क्रेडिट सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए भी 27.06.2005 को निर्देश जारी किए। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ सब्सक्राइबरों को क्रेडिट सीमा की अग्रिम में सूचना देने, कनेक्शन काटने से पहले नोटिस देने और आंशिक भुगतान करने की सुविधा देना शमिल है। इसके अलावा, ट्राई ने सेवा को काटने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने के लिए एक समय सीमा (60 दिन) निर्धारित की है। प्राधिकरण ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में 10% की दर पर ब्याज भी निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, 12, सितम्बर, 2005 के एक अलग निर्देश के माध्यम से ट्राई ने यह भी अधिदेश दिया है कि कोई भी टैरिफ इस प्रकार पेश, प्रस्तुत, विपणित अथवा विज्ञापित नहीं किया जाएगा, जिससे सब्सक्राइबरों के भ्रम में पड़ने की संभावना है और सभी मासिक निर्धारित आवर्ती प्रभार, जो किसी योजना के तहत सब्सक्राइबर के लिए अनिवार्य हैं, उन्हें एक शीर्ष के अंतर्गत दिया जाना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर आसानी से समझ सकें और तुलना कर सकें।

2.9 उच्चतम न्यायलय के निर्णय

43. निर्देश जारी करने की ट्राई की शक्तियों के संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायलय ने बीपीएल मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। 28.02.2006 के आदेश के अनुसार शीर्षस्थ न्यायलय ने माना है कि ट्राई के विनियमों और आदेशों का उल्लंघन, ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 29 के अंतर्गत भी आएगा और इस प्रकार संबंधित सेवा प्रदाता को जुर्माना/दंड देय होगा।

माननीय उच्चतम न्यायलय ने माना कि **"धारा 29 में 'निर्देश' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है जिसमें आदेश/विनियम कवर होते हैं जो कार्रवाई करने का निर्देश देता है।"** शीर्षस्थ नयायलय ने टिप्पणी की कि यदि हम धारा 29 को केवल निर्देश तक सीमित कर दें तो आदेशों/विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में कोई दंड का प्रावधान नहीं किया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की पूरी योजना काम नहीं कर पाएगी। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से ट्राई को अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी।

2.10 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

44. नई दूरसंचार नीति, 1999 में सार्वभौमिक सेवाओं के प्रावधानों पर काफी अधिक जोर दिया गया है। इसमें सार्वभौमिक सेवा के उद्देश्यों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:–

- दूरस्थ, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में विशेष जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवा की व्यवस्था करना।
- वर्ष 2002 तक देश में शेष दूरसंचार सुविधा रहित गांवों को वॉयस तथा लो स्पीड डाटा सेवा प्रदान करना;
- वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इन्टरनेट एक्सेस प्रदान करना;
- वर्ष 2002 तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान करना।
- वर्ष 2010 तक 4% ग्रामीण टेलीडेनिसिटी प्राप्त करना।

45. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एनटीपी 1999 में सार्वभौमिक सेवा शुल्क, जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का एक निर्धारित प्रतिशत होगा, लगा करके संसाधनों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है । सार्वभौमिक सेवा शुल्क का ब्यौरा तैयार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर ट्राई की सिफारिशें मांगी थीं –

(क) सार्वभौमिक सेवा शुल्क के वित्त पोषण हेतु आपरेटरों की श्रेणी;

(ख) निम्नलिखित का निर्धारण करने के लिए विभिन्न संभाव्य लागत मॉडल/दृष्टिकोणः–

– ऑपरेटरों के राजस्व से प्रतिशत योगदान और इसकी गणना करने की क्रियाविधि;

– पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए, वीपीटी (VPT) तथा ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों (DEL) के लिए प्रति यूनिट सब्सिडी;

– क्या देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों/जनजातीय तथा गैर–जनजातीय क्षेत्रों में प्रति यूनिट सब्सिडी समान रहेगी अथवा अलग–अलग होगी; और

– कम कॉल वाली शहरी सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए प्रति यूनिट सब्सिडी।

46. ट्राई ने 3.10.2001 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। भारत सरकार ने 27.3.2002 को यूएसओ के बारे में दिशा–निर्देश जारी किए। यूएसओ के इन दिशा–निर्देशों के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा कार्यक्रम को दो धाराओं में बांटा गया है, जिसका उल्लेख इस अध्याय के पैरा 20 में किया गया है। 'यूएसओ' को पूरा करने के निमित्त जो निधियां अर्जित या उपचित होंगी उनके संग्रह और संवितरण के लिए, सरकार ने सार्वभौमिक सेवा निधि (USF) प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। 26 मार्च, 2004 को यथा संशोधित भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 में (क) यूएसओ निधि का संचालन (ख) यूएसओ निधि से सहायता की सीमा (ग) सार्वभौमिक सेवा प्रदाता के चयन का मानदण्ड (घ) सार्वभौम सेवा प्रदाता के लिए यूएसओ निधि रिलीज करने के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। ट्राई, यूएसओ के अमल के लिए, इस यूएसएफ प्रशासक के साथ, विचार–विमर्श करता है। 'यूएसओ' पर अंतर–मंत्रालयीन सलाहकार समिति की बैठकों में भी ट्राई भाग लेता है।

2.11 केबल टेलीविजन सेवाओं तथा ब्राडकास्टिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पहल कदम

क. ब्राडकास्टिंग तथा केबल टेलीविजन सेवाओं के संबंध में सिफारिशें :

47. 2005–06 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर निम्नलिखित सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की। ये सिफारिशें हैं:

(क) सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।

(ख) प्राइवेट टेरेस्ट्रियल टीवी ब्राडकास्ट सेवा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।

(ग) केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबंध में सिफारिशें।

(घ) ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के क्षेत्र में कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें।

इन सिफारिशों का ब्यौरा इस रिपोर्ट के भाग–III में दिया गया है।

ख. केबल सेवाओं के कीमत संबंधी विनियम

48. 1 अक्तूबर, 2004 के दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग एवं केबल) सेवा टैरिफ (दूसरा) आदेश, 2004 में प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए पे चैनलों को 26.12.2003 को मुहैया चैनल समूह का भाग बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार का नियम उन चैनलों पर भी लागू किया गया जो 26.12.2003 को फ्री टू एयर चैनल थे और बाद में पे चैनल बन गए। इस आदेश में 26.12.2003 के अधिकतम मूल्य को जारी रखा गया है। 15.1.2004 के पहले के टैरिफ आदेश तथा इसके सभी संशोधनों/स्पष्टीकरणों के स्थान पर यह टैरिफ आदेश स्वतः स्पष्ट आदेश के रूप में जारी किया गया। 1 अक्तूबर, 2004 के उपरोक्त आदेश में एक संशोधन 26.10.2004 को जारी किया गया जिसमें यह व्यवस्था है की यदि कोई ब्राडकास्टर समूह के चैनलों की संख्या कम करता है तो समूह का अधिकतम प्रभार भी कम हो जाएगा। 1 अक्तूबर, 2004 को टैरिफ आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया था कि केबल प्रभारों की अधिकतम सीमा की समय–समय पर मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए समीक्षा की जाएगी।

49. 7 नवम्बर, 2005 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक परामर्श पत्र रिलीज किया जिसमें ब्राडकास्ट और केबल टेलीविजन सेवाओं से संबंधित 1.10.2004 के टैरिफ आदेश में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। परामर्श पत्र में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर जानकारी मांगी गई थीः

- क्या सभी नए चैनलों को अलग चैनल के रूप में मुहैया कराया जाना चाहिए?

- क्या 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए चैनल/चैनल समूह के लिए ब्राडकास्टर द्वारा एमएसओ को प्रभारित की जाने वाली कीमत को मुद्रास्फीति में वार्षिक वृद्धि के साथ उसी स्तर पर फ्रीज कर दिया जाना चाहिए जिस पर उन्हें शुरू किया गया था?

- क्या समान चैनलों की दरों में समानता का निर्धारण करने के लिए टैरिफ आदेश में बेंचमार्कों का प्रावधान करने की जरूरत है और इन बेंचमार्कों के निर्धारण की क्या विधि हो सकती है और चैनलों की समानता के निर्धारण का क्या मानदण्ड होना चाहिए?

- यदि कोई वर्तमान पे चैनल एक वितरक को बदल कर दूसरा वितरक अपनाता है तो ऐसे मामलों में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में टैरिफ आदेश में किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं?

- ब्राडकास्टर द्वारा एमएसओ पर प्रभारित की जाने वाली कीमत में जब कभी परिवर्तन हो तो क्या उसे लोगों की सूचना के लिए ट्राई द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए?

- क्या ट्राई को अलग–अलग चैनलों की कीमत निर्धारण की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि उपभोक्ता केबल ऑपरेटरों के माध्यम से गैर–कैस परिवेश में व्यापक चुनाव कर सकें।

उपर्युक्त परामर्श पत्र पर जनवरी, 2006 में ओपन हाउस विचार–विमर्श किया गया। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणी तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर ट्राई टैरिफ आदेश की समीक्षा कर रहा है।

ग अन्तरसंयोजन करार विनियम

50. परामर्श प्रक्रिया अपनाने के बाद ट्राई ने 10 दिसम्बर, 2004 को दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम जारी किया। इस विनियम में टीवी चैनलों के वितरण के अनन्य करारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसमें ब्राडकास्टर तथा एमएसओ द्वारा सभी वितरकों को

गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर चैनल मुहैया कराने का प्रावधान है। साथ ही इसमें ब्राडकास्टर तथा एमएसओएस द्वारा सिगनल काटने के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि की भी व्यवस्था की गई है। अन्तरसंयोजन विनियम से केबल उद्योग के भीतर तथा केबल तथा दूसरे प्लेटफार्मों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध होंगे और अन्ततः इससे कीमतों या गैर–विनियमन होगा। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और विचार के लिए कतिपय नए मुद्दे आने से, ट्राई ने इस पर विचार करने के लिए कि क्या पहले के अन्तरसंयोजन करार में संशोधन करने या उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, 21 मार्च, 2006 को एक परामर्श पत्र जारी किया।

घ अन्तरसंयोजन करारों के पंजीकरण से संबंधित विनियम

51. ब्राडकास्टरों द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए ट्राई ने 31 दिसम्बर, 2004 को अन्तरसंयोजन करार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004 अधिसूचित किया था। अन्तरसंयोजन करारों को तिमाही आधार पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने का प्रावधान करने के लिए, इस विनियम में 02.12.2005 को संशोधन किया गया था। 31 दिसम्बर, 2004 को अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर के विनियम में 10.03.2006 को पुनः संशोधन किया गया जिसके द्वारा डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे ब्राडकास्टर तथा डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) ऑपरेटरों के बीच हुए करारों को ट्राई के पास पंजीकृत करें। यह ब्राडकास्टरों के डीटीएच ऑपरेटरों के साथ हुए करारों को द्वारा दायर करने के उनके वर्तमान दायित्व के अतिरिक्त है।

भाग – III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकलाप

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकलाप

1. प्राधिकरण ने नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसरण में टैरिफों पर अनेक निर्णय अधिसूचित किए हैं। प्राधिकरण ने सरकार द्वारा भेजे गए विभिन्न मामलों में अपनी सिफारिशें प्रदान की हैं, अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार के संबंध में अपने विनियम अधिसूचित किए हैं, लाइसेंस की शर्तों को लागू करने का काम किया है। अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) की समीक्षा सहित कई मुद्दों पर कार्य शुरू किया है। इन सबके परिणामस्वरूप, सेल्युलर टैरिफ के साथ–साथ राष्ट्रीय लम्बी दूरी और अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के टैरिफ काफी कम हुए हैं तथा सेल्युलर मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

3.1 भारत के अन्दर और भारत से बाहर दूरसंचार दरें जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2), प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जिनपर, भारत के अन्दर और भारत से बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जिनमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था भी शामिल है कि प्राधिकरण एकसमान दूरसंचार सेवाओं के लिए, विभिन्न व्यक्तियों अथवा श्रेणी के व्यक्तियों हेतु, भिन्न–भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए टैरिफ व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अलावा, ट्राई को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में प्रचलित टैरिफ, विनिर्दिष्ट टैरिफ व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण उन दरों की मानीटरिंग करता है जिन दरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

3. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 9 जनवरी, 2004 के आदेश के द्वारा ट्राई को पे चैनलों के मानक मानदण्ड तथा उनकी दरों में संशोधन करने की

अवधि विनिर्दिष्ट करने का कार्य सौंपा है, जिसमें अंतरिम उपाय करना भी शामिल है। इस प्रकार पे चैनलों की दरों के निर्धारण के मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करना तथा केबल सेवाओं के टैरिफ के निर्धारण का कार्य भी ट्राई को सौंपा गया है।

3.1.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश (TTOs)

4. 1.4.1999 से लागू , प्राधिकरण के दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ/TTO) 1999 का उपयोग, विनियामक उद्देश्यों की प्राप्ति, दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पैदा करने, उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए संकेत के रूप में, एक साधन के तौर पर किया गया है। उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं को समान सुविधाएं और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने वर्ष 2005–2006 के दौरान, टीटीओ 1999 में कुल 8 संशोधन किए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के टैरिफ आदेश में भी संशोधन किए गए हैं। टीटीओ '99 तथा ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के टैरिफ आदेश में किए गए संशोधन, नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.1: दूरसंचार टैरिफ आदेश (संशोधन)

	टैरिफ आदेश	दिनांक	विषय
1.	दूरसंचार टैरिफ (छत्तीसवां संशोधन) आदेश, 2005	21.04.2005	घरेलू लीज सर्किटों के लिए अधिकतम टैरिफ संशोधित किए गए।
2.	दूरसंचार टैरिफ (सैंतीसवां संशोधन) आदेश, 2005	02.05.2005	64 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस मनेज्ड लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) घरेलू लीज सर्किट के अधिकतम टैरिफ अधिसूचित करने के लिए अनुसूची IV संशोधित किया गया। (एक अंतरिम उपाय के रूप में जिसकी एक माह के भीतर समीक्षा की जानी थी)।
3.	दूरसंचार टैरिफ (अड़तीसवां संशोधन) आदेश, 2005	02.06.2005	ऐसी सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान करने की लागत के ब्यौरे के आधार पर 64 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस मनेज्ड लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) घरेलू लीज सर्किट के आधार पर अधिकतम टैरिफ निर्धारित करते हुए अनुसूची IV संशोधित किया गया।
4.	दूरसंचार टैरिफ (उन्तालीसवां संशोधन) आदेश, 2005	08.09.2005	अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (हॉफ सर्किट) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई।
5.	दूरसंचार टैरिफ (चालीसवां संशोधन) आदेश, 2005	16.09.2005	वीएसएनएल द्वारा दायर अपील सं. 10/2005 में टीडीसैट के आदेश के अनुपालन में

	टैरिफ आदेश	दिनांक	विषय
			टीटीओ में किया 39वां संशोधन आस्थगित रखा गया।
6.	दूरसंचार टैरिफ (इकतालीसवां संशोधन) आदेश, 2005	29.11.2005	टीटीओ, 1999 में किए गए 39वें संशोधन में ट्राई द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आईपीएलसी के टैरिफ प्रभावी करने के लिए आदेश जारी किए गए थे। ये टैरिफ, अपील सं. 10/2005 पर टीडीसैट के 28.11.2005 के आदेश को देखते हुए 29.11.2005 से प्रभावी बनाए गए थे।
7.	दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2005	29.11.2005	मुद्रास्फीति को कवर करने के लिए 1.1.2006 से केबल प्रभारों मे 4% वृद्धि की अनुमति दी गई थी। अब यह आदेश, माननीय टीडीसैट द्वारा स्थगित कर दिया गया है।
8.	दूरसंचार टैरिफ (बयालीसवां संशोधन) आदेश, 2006	07.03.2006	दूरसंचार अभिगम प्रदाताओं द्वारा थोक ग्राहकों को पेश किए जाने वाली टैरिफ योजनाओं के मामले में रिपोर्टिंग की आवश्यकता में संशोधन किया गया। ऐसी योजनाओं को 25 टैरिफ योजनाओं, जिन्हें एक समय पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, की अधिकतम सीमा से छूट दी गई है।
9.	दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2006	07.03.2006	अंतरिम उपाय के रूप में होटल/रेस्त्रां आदि के टैरिफ निर्धारित किए गए थे।
10.	दूरसंचार टैरिफ (तैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2006	21.03.2006	(i) ऑपरेटरों को लाइफ टाइम योजनाओं के मामले में तब तक सेवा जारी रखने का आदेश दिया गया जब तक उन्हें वर्तमान लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के अंतर्गत ऐसी दूरसंचार सेवा मुहैया करने की अनुमति हो। (ii) वैधता की निर्धारित अवधि के दौरान टैरिफ की किसी मद में वृद्धि न करना।
11.	दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पांचवां संशोधन) आदेश, 2006	24.03.2006	यह स्पष्ट किया गया कि 07.03.2006 के ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं टैरिफ आदेश (चौथा संशोधन) केवल ऐसे होटल/रेस्त्रां पर लागू होगा जो ब्राडकास्टर, प्राधिकृत एमएसओएस/केबल ऑपरेटर से फीड हों।

5. प्राधिकरण ने 21.04.2005 को घरेलू बैडविथ के लिए अधिकतम टैरिफ संशोधित करते हुए, टीटीओ, 1999 में 36 वां संशोधन अधिसूचित किया। प्राधिकरण ने सामान्यतौर पर प्रयुक्त होने वाली क्षमताओं/गति अर्थात् 64 केबीपीएस, 128 केबीपीएस, 256 केबीपीएस, ई–1 (प्रति सेकण्ड 2 मेगा बिट्स की गति), डीएस–3 (प्रति सेकण्ड 45 मेगा बिट्स की गति) और एसटीएम–1 (प्रति सेकण्ड 155 मेगा बिट्स की गति) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। डीएलसी के मामले में टैरिफ की संशोधित अधिकतम सीमा को संक्षेप में नीचे तालिका में दी गई है:

क्षमता / गति	500 कि.मी. से ज्यादा की दूरी के लिए टैरिफ की संशोधित अधिकतम सीमा (लाख रुपयों में)
64 केबीपीएस	0.44
128 केबीपीएस	0.79
256 केबीपीएस	1.36
ई–1 (2 एमबीपीएस)	8.50
डीएस–3 (45 एमबीपीएस)	62
एसटीएम–1 (155 एमबीपीएस)	165

6. ट्राई ने मनेज्ड लीज लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) प्रौद्योगिकी के माध्यम से मुहैया किए जाने वाले घरेलू लीज सर्किट के लिए एक माह की अवधि के लिए अन्तरिम व्यवस्था करने के लिए 64 केबीपीएस और एन गुणा 64 केबीपीएस के टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में 37वां संशोधन अधिसूचित किया।

7. प्राधिकरण ने 2 जून, 2005 को टीटीओ 1999 में 38वां संशोधन अधिसूचित किया। टीटीओ में किए गए 37वें संशोधन में प्राधिकरण ने इंगित किया था कि अन्तरिम व्यवस्था की एक माह के भीतर समीक्षा की जाएगी। इस बीच, एमएलएलएन प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने वाले 64 केबीपीएस के लिए टैरिफ की नई अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट करने की दृष्टि से सेवा प्रदाताओं से संगत लागत सूचना मांगी गई। तदनुसार, प्राधिकरण ने ऐसे सेवा प्रदाताओं, जो ऐसी सेवा की पेशकश करते हैं, द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान की लागत के ब्यौरे के आधार पर एमएलएलएन सेवा के टैरिफ आधारित लागत का अनुमान लगाने की प्रक्रिया शुरू की। यह अधिसूचना, इसी प्रक्रिया का परिणाम था।

8. प्राधिकरण ने 8 सितम्बर, 2005 को टीटीओ में किए गए 39वें संशोधन के माध्यम से तीन आम प्रयुक्त होने वाली क्षमताओं अर्थात् ई–1 (प्रति सेकण्ड 2 मेगा बिट्स की गति), डीएस–3 (प्रति सेकण्ड 45 मेगा बिट्स की गति) और एसटीएम–1 (प्रति सेकण्ड 155 मेगा बिट्स की गति) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इस संशोधन के माध्यम से निर्धारित टैरिफ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ई–1, डीएस–3 और एसटीएम–1 क्षमताओं के मामले में आईपीएलसी (हाफ सर्किट) के टैरिफ की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष क्रमशः 13 लाख रुपए, 104 लाख रूपए तथा 299 लाख रूपए है।

- इन अधिकतम टैरिफों के परिणामस्वरूप ई–1, डीएस–3 तथा एसटीएम–1 क्षमताओं के टैरिफ में क्रमशः 29%, 64% और 59% की कमी हुई (भारत–संयुक्त राज्य अमेरिका (एटलांटिक रूट) के बाजार में मौजूद सूचीबद्ध कीमतों की तुलना में)।

- यह निर्धारित अधिकतम टैरिफ सभी गंतव्यों, क्षमताओं तथा वॉयस अथवा डाटा को वहन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले केबल प्रणालियों की किस्मों के लिए लागू होगा।

9. प्राधिकरण ने 8 सितम्बर, 2005 को दूरसंचार टैरिफ (39वां संशोधन) आदेश अधिसूचित किया था। मैसर्स विदेश संचार निगम लि0 (मैसर्स वीएसएनएल) ने इस आदेश को अपील सं. 10/2005 के माध्यम से 12 सितम्बर, 2005 को माननीय टीडीसैट में चुनौती दी। टीडसैट ने इस मामले की सुनवाई 14.09.2005 को की और आदेश दिया कि टीटीओ, 1999 में किए गए 39वें संशोधन को आस्थगित रखा जाए। अतः टीटीओ में 40वां संशोधन जारी किया गया।

10. मैसर्स वीएसएनएल द्वारा दायर अपील सं. 10/2005, टीडीसैट के सामने सुनवाई के लिए 14 सितम्बर, 2005 को आया। दोनों पार्टियों के तर्कों को सुनने के बाद माननीय टीडीसैट ने 28.11.2005 के अपने आदेश के द्वारा वीएसएनएल द्वारा दायर अपील खारिज कर दी और निर्देश दिया कि यह अधिसूचना (टीटीओ, 1999 में किया गया 39 वां संशोधन) ट्राई द्वारा तत्काल लागू किया जाए। अतः 8.9.2005 को टीटीओ में किए गए 39वें संशोधन के माध्यम से ट्राई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आईपीएलसी के टैरिफ आदेश को लागू करने के लिए टीटीओ में 41वां संशोधन किया गया। ये टैरिफ आदेश 29.11.2005 से लागू किए गए।

11. ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं की कीमतों के विनियमन के लिए 01.10.2004 का टैरिफ आदेश प्रचलन में है। मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए पहली आवधिक समीक्षा 1 दिसम्बर, 2004 के टैरिफ आदेश के माध्यम से की गई, जिसके द्वारा केबल सेवाओं के अधिकतम प्रभारों में 7% की वृद्धि का प्रावधान किया गया। 29 नवम्बर, 2005 को टैरिफ आदेश की दूसरी बार समीक्षा की गई जिसमें मुद्रास्फीति को कवर करने के लिए केबल प्रभारों में 4% वृद्धि का प्रावधान किया गया। यह आदेश 01.01.2006 से प्रभावी होना था, परन्तु माननीय टीडीसैट ने इस आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है।

12. टीटीओ के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, सभी टैरिफों को उनकी शुरूआती की तारीख से 7 दिन के भीतर सूचना तथा रिकार्ड के लिए प्राधिकरण के पास दायर किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी एक समय पर 25 योजनाओं से ज्यादा की पेशकश नहीं की जाएगी। इसमें पोस्ट पेड तथा प्री पेड दोनों टैरिफ योजनाएं शामिल हैं। सेवा प्रदाताओं के अनुरोध पर विचार करते हुए, ट्राई ने 07.03.2006 को टीटीओ, 1999 में 42वां संशोधन अधिसूचित किया। इस संशोधन के द्वारा प्राधिकरण ने थोक ग्राहकों को पेश किए जाने वाली टैरिफ योजनाओं में 'रिपोर्ट करने' तथा टैरिफ योजनाओं की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता के संबंध में छूट दी। यह महसूस किया गया कि सामान्य 'रिपोर्टिंग की आवश्यकता' से ऐसी योजनाओं को अलग रखने से प्राधिकरण, अलग–अलग ग्राहकों, जो एक ऐसी श्रेणी के है जिन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, के टैरिफों पर नजर रखने पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर सकेगा। संशोधित मानदंडों के अनुसार, ऐसे थोक ग्राहकों के लिए पेश किए जाने वाले टैरिफ योजनाओं का ब्यौरा, ट्राई को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

13. क्या होटलों/रेस्त्राओं से, घरेलू केबल सब्सक्राइबरों पर प्रभारित की जाने वाली दर से भिन्न दर प्रभारित की जानी चाहिए या नहीं इस बारे में होटलों रेस्त्राओं तथा ब्राडकास्टरों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया था। टीडीसैट ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स सेट डिस्कवरी प्राइवेट लि0 तथा मैसर्स स्टार इंडिया प्रा0 लि0 के मामले में, 17 जनवरी, 2006 को आदेश दिया कि होटलों/रेस्त्राओं में अलग दर पर प्रभार लिया जा सकता है। टीडीसैट ने यह भी सुझाव दिया कि ट्राई, होटल आदि के लिए टैरिफ निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। होटलों/रेस्त्राओं के प्रतिनिधियों ने ट्राई से उनके लिए टैरिफ निर्धारित करने का भी अनुरोध किया। सभी पहलुओं को देखते हुए, ट्राई ने एक अन्तरिम उपाय के रूप में होटलों आदि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 7 मार्च, 2006 को एक टैरिफ आदेश जारी किया।

14. ट्राई ने 21/03/2006 को टीटीओ, 1999 में 43वां संशोधन अधिसूचित किया जिसमें लाइफ टाइम योजनाओं और लम्बी वैधता वाली ऐसी अन्य टैरिफ योजनाओं के लिए विनियामक नीति निर्धारित की गई जिनमें एक बारगी अपफ्रंट भुगतान अन्तरित होता है। 07.07.2004 को अधिसूचित टीटीओ, 1999 में किए गए 31वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, एक्सेस प्रदाता द्वारा एक बार पेश की गई टैरिफ योजना,

उस टैरिफ योजना में सब्सक्राइबर को इनरॉल होने की तारीख से कम से कम 6 माह तक सब्सक्राइबर को उपलब्ध रहेगी। बहरहाल, टीटीओ में किए गए 43वें संशोधन में यह विनिर्दिष्ट किया गया कि कोई ऐसी टैरिफ योजना जिसे 6 माह से ज्यादा की किसी निर्धारित अवधि के लिए वैध के रूप में प्रस्तुत किया गया है/विपणन किया गया है, या पेश किया गया है, या जो अपफ्रंट भुगतान के बदले लाइफ टाइम या अनलिमिटेड वैधता वाली योजना है, वह योजना चालू लाइसेंस अथवा नवीकृत लाइसेंस के अंतर्गत सेवा प्रदाता को टेलीकॉम सेवा मुहैया कराने की निर्धारित अवधि तक सब्सक्राइबर को उपलब्ध रहेगी और लाइफ टाइम तथा अनलिमिटेड वैधता वाली योजनाओं के मामले में, सेवा प्रदाता अपने चालू लाइसेंस की अवधि की समाप्ति के माह तथा वर्ष के बारे में भी सब्सक्राइबर को सूचित करेगा। यद्यपि, सेवा प्रदाता किसी भी समय टैरिफ घटा सकते हैं लेकिन ऐसी टैरिफ योजनाओं में कोई टैरिफ मद, वैधता की वचनबद्धता अवधि में बढ़ाई नहीं जाएगी।

15. 07.03.2006 को ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश में चौथा संशोधन जारी करने के बाद, ट्राई ने 24.03.2006 को पांचवां संशोधन आदेश जारी किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि होटलों/रेस्त्राओं के लिए निर्धारित टैरिफ केवल उन्हीं होटलों/रेस्त्राओं पर लागू होंगे जो ब्राडकास्टर, प्राधिकृत एमएसओएस/केबल ऑपरेटर से फीड हो रहे हों।

3.1.2 विनियम

16. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (सी) के अंतर्गत, प्राधिकरण को विनियमों के अनुसार यथानिर्धारित ऐसी सेवाओं के संबंध में, यथानिर्णीत दरों पर शुल्क तथा अन्य प्रभार लगाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अधिनियम की धारा 11(1) (बी) प्राधिकरण को तकनीकी अनुकूलता या सुसंगता सुनिश्चित करने, और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अन्तरसंयोजन कायम करने, तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त उनके राजस्व को सेवा प्रदाताओं के बीच बांटने की व्यवस्था को भी नियमित करने की शक्ति प्रदान करती है। ट्राई अधिनियम की धारा 11(1) (बी) प्राधिकरण को यह शक्ति भी प्रदान करती है कि वह सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करे, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करे और समय–समय पर ऐसी सेवाओं का सर्वेक्षण करे ताकि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें। वर्ष 2005–2006 के दौरान प्राधिकरण ने 'ट्राई' अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए :

तालिका 3.2: 2005–06 के दौरान ट्राई द्वारा जारी विनियम

क्रम सं.	विनियम	अधिसूचना की तारीख
1.	दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (पांचवां संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 7)	11.04.2005
2.	कार्यव्यवहार के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बैठकें (पहला संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 9)	18.05.2005
3.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भारत संचार निगम लि0 के सेलवन टर्मिनेटिंग ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005 (2005 का 10)	08.06.2005
4.	बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2005 (2005 का 11)	01.07.2005
5.	अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 12)	02.12.2005
6.	दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 1)	23.02.2006
7.	दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (सातवां संशोधन) विनियम 2006 (2006 का 2)	10.03.2006
8.	अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम (2006 का 3)	10.03.2006
9.	मीटर तथा बिल की सटीकता के संबंध में कार्यपद्धति संहिता विनियम, 2006	21.03.2006
10.	लेखा पृथक्करण से संबंधित प्रणाली (चौथा संशोधन) विनियम, 2006	27.03.2006

दिनांक 11.04.2005 का दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (पांचवां संशोधन), विनियम, 2005

17. उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से, ट्राई ने दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 में संशोधन किया और राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय रोमिंग सब्सक्राइबर से ओरिजिनेट होने वाली कॉलों पर एडीसी निम्नलिखित तरीके से लागू करना निर्धारित किया:

" एडीसी के प्रयोजन के लिए नेशनल रोमिंग सब्सक्राइबरों से प्राप्त सभी कॉलों को लम्बी दूरी की कॉलों के रूप में माना जाएगा और इन्टरनेशनल

रोमिंग सब्सक्राइबरों से प्राप्त कॉलों को इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉल के रूप में माना जाएगा। अतः राष्ट्रीय रोमिंग सब्सक्राइबर, जब अलग सेवा क्षेत्र में हों तब उनसे प्राप्त सभी कॉलों के लिए राष्ट्रीय लम्बी दूरी के कॉलों पर की तरह ही 0.30 रु. प्रतिमिनट की दर पर एडीसी लागू होगा। अन्तरराष्ट्रीय रोमिंग सब्सक्राइबर, जब भारत में प्रवास के दौरान कोई कॉल करें तो उनसे 3.25 रु. प्रतिमिनट की दर पर एडीसी लागू होगा। रोमिंग सब्सक्राइबरों से प्राप्त कॉलों के लिए अभिगम घाटे की राशि उस नेटवर्क द्वारा वसूल की जाएगी जहां विजिट किया गया होता है और उसे बीएसएनएल को भुगतान किया जाएगा।"

माननीय टीडीसैट ने उपर्युक्त विनियम को अब रद्द कर दिया है।

18.05.2005 का कार्य व्यवहार के लिए ट्राई की बैठकें (पहला संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 9)

18. प्राधिकरण के सदस्यों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए उपर्युक्त विनियम को जारी किया गया था क्योंकि ऐसा करने के सदस्यों की भागीदारी बढ़ेगी, खासतौर पर ऐसे सदस्यों की जो दूरस्थ तथा अलग–अलग स्थानों पर रहते हों। इस विनियम में यह भी व्यवस्था है कि पूर्ण कालिक सदस्यों द्वारा फाइलों के संचलन के माध्यम से लिए गए सभी निर्णय, इन निर्णयों को लिए जाने के तत्काल बाद होने वाली प्राधिकरण की बैठक की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा और प्राधिकरण की औपचारिक बैठक में ऐसे सभी निर्णयों की पुष्टि की जाएगी।

08.06.2005 का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भारत संचार निगम लि. के सेलवन टर्मिनेटिंग ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005

19. उपर्युक्त विनियम याचिका सं. 20/2004 (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम भारत संचार निगम लि. और अन्य) पर माननीय टीडीसैट के 3 मई, 2005 के आदेश के अनुपालन में 3 मई, 2005 से लागू किया गया। इस विनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं बीएसएनएल के सेलवन तथा प्राइवेट सीएमएसपीएस दोनों के मोबाइल स्विचिंग सेंटर (एमएससी), बीएसएनएल के समान स्विच पर कनेक्ट हों, ऐसी स्थिति में बीएसएनएल द्वारा उनके सेलवन सब्सक्राइबरों को एक्सेस करने के लिए सेल्युलर ऑपरेटरों पर कोई

ट्रांजिट प्रभार नहीं लगाया जाएगा। यह विनियम इसलिए जारी किया गया क्योंकि बीएसएनएल सेल्युलर और दूसरे प्राइवेट सीएमएसपीएस के बीच कोई सीधा संयोजन नहीं है। बीएसएनएल के सेलवन नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाले ट्रैफिक को बीएसएनएल के पीएसटीएन स्विच के माध्यम से रूट किया जा रहा था और इसके लिए 19 पैसा प्रतिमिनट की दर पर प्रभार लिया जा रहा था।

01.07.2005 का बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित विनियम

20. ट्राई ने बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर के संबंध में एक संशोधन विनियम जारी किया। यह पाया गया कि यद्यपि सभी संगत पैरामीटरों को कवर करने और सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2000 में उनके लिए बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए परन्तु कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर चूकवश छूट गए तथा कुछ दूसरे ऐसे पैरामीटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण महत्वहीन हो गए थे। तदनुसार, सेवा की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 22 फरवरी, 2005 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया तथा उसके बाद 6 मई, 2005 को ओपन हाउस सत्र आयोजित किया गया। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, सभी स्टेकहोल्टरों ने सुझाव दिया कि वायरलेस का प्रयोग करने वाली बेसिक सेवा के लिए पैरामीटर, सेल्युलर मोबाइल सेवा के पैरामीटरों के समान ही होने चाहिए क्योंकि खराबी होने, खराबी ठीक करने आदि के मामलों से संबंधित पैरामीटर फिक्सड वायरलेस फोनों पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही मोबाइल सेवा के नेटवर्क से संबंधित सभी पैरामीटर, फिक्सड वायरलेस टर्मिनल पर लागू होते हैं। अतः प्राधिकरण ने यह सुझाव स्वीकार किया कि वायरलेस का इस्तेमाल करने वाली बेसिक सेवा के पैरामीटर, सेल्युलर मोबाइल सेवा के समान होने चाहिए। गहन सोच विचार के बाद, प्राधिकरण ने वर्तमान पैरामीटरों की समीक्षा की तथा बेसिक तथा सेल्युलर सेवाओं के लिए संशोधित सेवा की गुणवत्ता विनिमय में कुछ नए पैरामीटर जोड़ें।

02.12.2005 का अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005

21. ब्राडकास्टरों द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों को पंजीकृत करने के प्रयोजन से, ट्राई ने 31.12.2004 को

अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर विनियम अधिसूचित किया था। तिमाही आधार पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में अन्तसंयोजन करारों को दायर करने की व्यवस्था करने के लिए 02.12.2005 को इस विनियम में एक संशोधन जारी किया गया।

23.02.2006 का दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (छटा संशोधन) विनियम, 2006

22. प्राधिकरण ने आईयूसी/एडीसी की एक और समीक्षा की और इस प्रयोजन के लिए 17 मार्च, 2005 को एक परामर्श पत्र रिलीज किया जिसमें व्यापक मुद्दों को लिया गया था। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों और जानकारी के आधार पर प्राधिकरण ने 23.02.2006 को आईयूसी विनियम जारी किया जिसे, 1 मार्च, 2006 से लागू किया गया। इस विनियम की मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(i) अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के टैरिफ पर एडीसी प्रतिमिनट आधार पर जारी रहेगा परन्तु इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए यह 1.60 रु./मिनट (50% से ज्यादा की कमी) के घटे दर से लिया जाएगा। इससे आरबिटरेज भी कम होगा और इस प्रकार ग्रे मार्केट भी घटेगा। आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों पर भी एडीसी कम करके 0.80 रु./मिनट किया गया है (65% से ज्यादा की कमी)।

(ii) एकीकृत अभिगम सेवा, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा और अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के सेवा के सभी लाइसेंसधारी अपने एजीआर का 1.5%, एडीसी के रूप में बीएसएनएल को भुगतान करेंगे। बीएसएनएल अपने एजीआर के प्रतिशत के रूप में प्रभार्य एडीसी को अपने पास रखेगा। एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंसधारी/बीएसओ, वायरलाइन सब्सक्राइबरों के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी अपने पास रखेंगे तथा शेष राशि का भुगतान बीएसएनएल को करेंगे।

(iii) अभिगम प्रदाताओं के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी का अनुमान लगाने के लिए ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) बीएसएनएल को छोड़कर अन्य यूएएसएलएस/बीएसओएस, एडीसी को एजीआर के प्रतिशत के रूप में और अपने वायरलाइन सब्सक्राइबरों के आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय कॉलों से प्राप्त एडीसी को अपने पास रखेंगे।

(v) घरेलू कॉलों पर प्रतिमिनट आधार पर एडीसी नहीं लगाया जाएगा।

(vi) एडसीसी की कुल राशि कम कर 3335 करोड़ रु. की गई और बीएसएनएल के लिए एडीसी की अनुमोदित राशि 3200 करोड़ रु. होगी। इसके परिणामस्वरूप एडीसी की राशि में लगभग 33% की कमी होगी।

(vii) मोबाइल तथा फिक्सड टर्मिनेशन प्रभार के मामले में 0.30 रु. प्रतिमिनट के वर्तमान स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(viii) चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो 0.65 रु./मिनट के अधिकतम कैरिएज प्रभार को अपनाकर दूरी का महत्व समाप्त किया गया।

10.03.2006 का दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (सातवां संशोधन) विनियम, 2006

23. ऑपरेटरों द्वारा इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर कि क्या 23 फरवरी, 2006 का आईयूसी विनियम मोबाइल सब्सक्राइबरों पर भी लागू होगा, प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह केवल फिक्सड वायरलाइन तक ही सीमित है। जैसा कि 23 फरवरी, 2006 के आईयूसी विनियम में उल्लेख किया गया है, यूएसओ और एडीसी के बीच आपसी आच्छादन की स्थिति है। जहां तक ग्रामीण सेल्युलर सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को घटाने का संबंध है, पते के आधार पर ग्रामीण सेल्युलर सब्सक्राइबरों की परिभाषा से बाजार में भ्रम तथा अनिश्चितता बनती है। इसे देखते हुए तथा यह देखते हुए कि अन्ततः एडीसी को यूएसओएफ में मर्ज होना है, प्राधिकरण ने निर्णय किया कि एजीआर के प्रतिशत के हिसाब से एडीसी के आकलन के लिए केवल ग्रामीण फिक्सड वायरलाइन के सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को शामिल न किया जाए। एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी के आकलन के लिए एजीआर से फिक्सड वायरलेस ग्रामीण सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाना है।

10.03.2006 का अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम

24. ब्राडकास्टरों द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों के पंजीकरण के प्रयोजन से ट्राई ने 31.12.2004 को अन्तरसंयोजन करारों का रजिस्टर विनियम अधिसूचित किया था। 10.03.2006 को इस विनियम का एक संशोधन जारी किया गया जिसमें डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए यह व्यवस्था की गई कि

वे ब्राडकास्टर तथा डायरेक्ट टु होम ऑपरेटरों के बीच हुए करारों को दायर करें। यह व्यवस्था डीटीएच ऑपरेटरों के साथ हुए करारों को दायर करने के ब्राडकास्टरों के वर्तमान दायित्व के अतिरिक्त है।

21.3.2006 का मीटर तथा बिल की सटीकता के संबंध में कार्यपद्धति संहिता संबंधी विनियम, 2006

25. ट्राई को बिल से संबंधित मामलों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ट्राई ने मोबाइल ऑपरेटरों की बिलिंग प्रणाली का एक नमूना ऑडिट कराया। इस ऑडिट से पता चला कि हालांकि विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल की जा रही बिलिंग प्रणाली बड़े अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही प्रणालियों के समान है, तथापि मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं/कार्यविधियों से ग्राहकों को शिकायतें रही है और ग्राहकों में असंतुष्टि देखी गई है। विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा अपनायी जा रही कार्यविधियाँ में मानकीकरण तथा पारदृशिता लाने के उपाए के रूप में, प्राधिकरण ने 21.3.06 को मीटर तथा बिल प्रणाली की सटीकता के लिए पद्वति संहिता संबंधी एक विनियम जारी किया। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

- किसी ग्राहक को किसी दूरसंचार सेवा के सबसक्राइबर के रूप में इनरॉल करने से पूर्व उसे उस सेवा के इस्तेमाल के लिए टैरिफ के संबंध में विस्तृत सूचना अग्रिम में दी जाएगी। इसके अलावा, सेवा प्रदाता, सेवा एक्टिवेट होने के एक सप्ताह के भीतर ग्राहक को अपनी टैरिफ योजना के बारे में लिखित में सूचित करेगा।

- जहां मूल्य वर्धित सेवाएं (उदाहरण के लिए कन्टेंट जैसे फिल्म की क्लिप या रिंग टोन को डाउन लोड) अथवा किसी इन्टरएक्टिव सेवा (जैसे कि खेलकूद) में प्रवेश का चयन सेवा के इस्तेमाल करने वाले की पसंद (जैसे कि किसी विशिष्ट नम्बर को डायल करके) पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में सेवा के लिए प्रभार ग्राहक द्वारा सेवा का इस्तेमाल करने से पूर्व उसे बताया जाना चाहिए।

- ग्राहक को मुहैया की गई सेवाएं तथा बाद में उनके किए जाने वाले परिवर्तन के बारे में ऐसी सेवा प्रदान करने या इसके प्रावधानों में परिवर्तन करने के बारे में उसके साथ पहले लिखित में सहमति होनी चाहिए।

- सेवा को प्रतिबंधित करने या उसे समाप्त किए जाने से बचने के लिए ग्राहक को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

- प्राधिकरण बिल प्रणाली के ऑडिट करने तथा सेवा प्रदताओं को मीटर तथा बिल प्रणाली को प्रभारित करने में समर्थ एजेंसियों के एक पैनल अधिसूचित करेगा। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ऑडिटरों में से किसी एक से सेवा प्रदाता, इस विनियम के अनुपालन में अपनी मीटर तथा बिल प्रणाली की वार्षिक आधार पर ऑडिट कराने के प्रबंध करेंगे तथा ऑडिट प्रमाण पत्र, प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

27 मार्च, 2006 का लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली (चौथा संशोधन) विनियम, 2006

26. प्राधिकरण ने लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम 2004 के कार्यान्वयन की समीक्षा की और पाया कि बहुत से छोटे ऑपरेटर, विनियम का पालन करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। अतः प्राधिकरण ने इस विनियम को संशोधित करने का निर्णय लिया ताकि इसे केवल उन्हीं सेवा प्रदाताओं पर लागू किया जा सके जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ रू. हो।

27. इस निर्णय के पीछे औचित्य यह था कि छोटे तथा एकल ऑपरेटर जो सिंगल प्रोडक्ट/नेटवर्क सेवा मुहैया करा रहे हों वे लेखा पृथक्करण रिपोर्ट तैयार करने की लागत वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। प्राधिकरण ने नोट किया कि चूंकि कम टर्नओवर वाले अधिकांश सेवा प्रदाता पीएमआरटीएस, इन्टरनेट, रेडियो पेजिंग आदि जैसी सेवाएं मुहैया करा रहे थे, जिनके लिए टैरिफ में प्रविरिति रखी गई है और उनकी रिपोर्ट की ज्यादा प्रासंगिकता भी नहीं है, अतः प्राधिकरण ने 27 मार्च, 2006 के उक्त संशोधन के माध्यम से निर्णय लिया कि लेखा पृथक्करण विनियम केवल उन्हीं सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि अभिगम प्रदाता, एनएलडीओ और आईएलडीओ के सिवाय अन्य सेवा प्रदाताओं को पुनर्स्थापन लागत लेखा आधारित लेखा पृथक्करण रिपोर्ट को तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी जाए क्योंकि प्राधिकरण इस समय केवल आईयूसी तथा आईपीएलसी एवं डीएलसी जैसी कुछ टैरिफों को

ही विनियमित कर रहा है, जिनके लिए अभिगम प्रदाताओं, एनएलडीओ तथा आईएलडीओ से भिन्न सेवा की पुनर्स्थापन लागत पर आधारित रिपोर्ट की निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 टैरिफ पर नजर रखना

28. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे प्राधिकरण को सभी नई टैरिफ योजनाओं तथा मौजूदा टैरिफ योजनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को इनके कार्यान्वयन के 7 दिन के भीतर सूचित करें। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त टैरिफ रिपोर्टों की यह देखने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जाती है कि वे टीटीओ, 1999 के प्रावधानों और अन्य विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। सेवा प्रदाताओं को राजस्व तथा मौजूदा टैरिफ योजनाओं के संबंध में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। इन रिपोर्टों का उपलब्ध होना विनियामक नीतियां फ्रेम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

29. प्राधिकरण को संसूचित टैरिफ योजनाओं की छानबीन करने से पता चला कि ऑपरेटर अपने नेटवर्क पर टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए अन्तरीय टैरिफ की पेशकश कर रहे हैं। टीटीओ, 1999 में किए गए 33वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे अन्तरीय टैरिफों की अनुमति है। बहरहाल, स्टेकहोल्डरों से प्राप्त अनुरोधों के बाद, प्राधिकरण ने ऑन नेटवर्क कॉलों, के अन्तरीय टैरिफ के मार्गनिर्देशों की समीक्षा की दृष्टि से जनवरी, 2006 में परामर्श प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद ओपन हाउस विचार–विमर्श किए गए। प्राधिकरण ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद वर्तमान व्यवस्था जारी रखने तथा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर 6 माह के बाद इसकी पुनः जांच करने कर निर्णय लिया।

3.1.4 टैरिफ से संबंधित अन्य मामले

30. प्राधिकरण ने 02 मई, 2005 को निर्देश जारी कर संशोधित फार्मेट में टैरिफ का प्रकाशन अनिवार्य किया ताकि उपभोक्ताओं को योजना की सही जानकारी प्राप्त हो तथा छद्म विज्ञापन हतोत्साहित हों।

31. प्राधिकरण का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया कि सेवा को इस आधार पर कि उनका उपयोग क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो गया है, अचानक तथा बिना

बताए काट दिया जाता है। इस मुद्दे के समाधान के लिए 27.06.2005 को एक निर्देश जारी किया गया जिसमें पोस्ट पेड सब्सक्राइबरों की क्रेडिट सीमा के बारे में मार्गनिर्देश जारी किए गए। सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे क्रेडिट लिमिट का 80% उपयोग होने पर सब्सक्राइबरों को इस बारे में सूचित करें और वह उपाय भी बताए जिससे अलग–अलग सब्सक्राइबरों के लिए निर्धारित क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा सकती है। प्राधिकरण के इस निर्देश से सब्सक्राइबर निर्बाध सेवा प्राप्त कर सकेंगे।

32. प्राधिकरण ने 18 जुलाई, 2005 को एक और निर्देश जारी किया जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि सेवा काटने की तारीख से 60 दिन के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट को देय राशि का समायोजन करने के बाद वापस करें और यदि सेवा प्रदाता ऐसा करने में विफल रहे तो उन्हें निर्धारित तारीख से आगे की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देना होगा।

33. प्राधिकरण ने 16 सितम्बर, 2005 को भ्रामक शीर्षकों वाली टैरिफ योजनाओं के बारे में भी एक निर्देश जारी किया। इस निर्देश के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया कि वे किसी टैरिफ योजना को इस प्रकार पेश, प्रस्तुत, विपणित या विज्ञापित न करें जिससे सब्सक्राइबर भ्रम की स्थिति में पड़े। सेवा प्रदाताओं को ऐसे मासिक फिक्सड किराया प्रभार भी एक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाने के लिए कहा गया जो किसी योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर के लिए अनिवार्य हैं।

34. प्राधिकरण ने पाया कि मोबाइल ऑपरेटरों ने कुछ मदों के टैरिफ जैसे कि सीएलआईपी प्रभार को, किसी खास टैरिफ योजना में सब्सक्राइबर के इनरॉल होने के 6 माह के भीतर भी बढ़ाया है, जो दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के प्रावधानों के विरूद्ध है। प्राधिकरण ने मार्गनिर्देश जारी किए कि सब्सक्राइबरों से लिया गया अधिक प्रभार लौटाया जाए।

35. प्राधिकरण ने यह भी पाया कि मोबाइल ऑपरेटर ऐसे प्री–पेड सब्सक्राइबरों, जो हाल ही में शुरू की गई लाइफ टाइम वैधता वाली योजनाएं अपना रहे हैं, के बकाया टॉक टाइम को जब्त करते हैं। सब्सक्राइबरों के लाइफ टाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाओं को अपनाने पर उपयोग न किए गए ऐसे बकाया 'टॉक टाइम' को सीडीएमए ऑपरेटरों द्वारा जब्त करना दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के प्रावधानों

के विरूद्ध है। प्राधिकरण ने निर्देश जारी किया तथा प्रभावित सब्सक्राइबर के बकाया टॉक टाइम के लिए रिफंड करने या उसे आगे जारी रखने का निर्देश दिया।

3.2 नए सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता और उनके प्रवेश के समय तथा नए सेवा प्रदाता के लाइसेंस की शर्तों के बारे में सिफारिशें

36. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) के अंतर्गत प्राधिकरण स्वयं अपनी ओर से अथवा लाइसेंसदाता अर्थात् दूर–संचार विभाग अथवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर सिफारिशें करता है। 2005–06 के दौरान प्राधिकरण द्वारा सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

तालिका 3.3 2005–06 के दौरान सरकार को की गई सिफारिशों की सूची

क्र.सं.	शीर्षक	जारी करने की तिथि	31.3.2006 को स्थिति
1.	टेलीफोन निर्देशिका तथा पूछताछ निर्देशिका सेवाओं के संबंध में सिफारिशें	05.05.2005	लंबित
2.	स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें	13.05.2005	लंबित
3.	सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें	27.06.2005	लंबित
4.	वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें	16.08.2005	लंबित
5.	प्राइवेट टेरेस्ट्रीयल टीवी ब्राडकास्ट सेवा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें	29.08.2005	लंबित
6.	केबल टेलीफोन के डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें	14.09.2005	लंबित
7.	ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में सिफारिशें	03.10.2005	लंबित
8.	लोकल लूप अनबंडलिंग और ब्राडबैंड के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित ट्राई की सिफारिशों को दोहराते हुए ब्राडबैंड नीति की समीक्षा करने के संबंध में सिफारिशें	03.11.2005	लंबित
9.	अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (आईपीएलसी) सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सिफारिशें	16.12.2005	लंबित

10.	भारत में आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण के संबंध में सिफारिशें	09.01.2006	लंबित
11.	वायरलेस नेटवर्क में हाई स्पीड के डाटा सेवाओं की अभिगम्यता के लिए #, $, £ आदि वाले स्ट्रिंगों के उपयोग की अनुमति देने के संबंध में सिफारिशें	08.03.2006	*लंबित
12.	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के संबंध में सिफारिशें	08.03.2006	लंबित
13.	अगली पीढ़ी के नेटवर्क के संबंध में सिफारिशें	20.03.2006	लंबित
14.	ब्राडकास्टिंग तथा दूरसंचार के कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें	20.03.2006	लंबित

*अब सरकार ने मई 2006 में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

क. टेलीफोन निर्देशिका तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के प्रकाशन के संबंध में सिफारिशें

37. निर्देशिका सेवाएं आम जन उपयोग की सेवाएं हैं। बहरहाल, इस समय टेलीफोन निर्देशिका, केवल बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के फिक्सड लाइन ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। इसके अलावा, केवल ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही निर्देशिका पूछताछ सेवाएं प्रदान करती हैं। मोबाइल के ग्राहकों के पास इस समय टेलीफोन निर्देशिका तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं की सुविधा नहीं है। बेसिक सेवा, सेल्युलर मोबाइल सेवा तथा एकीकृत अभिगम सेवा के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंस करारों में टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं से संबंधित प्रावधान हैं। अतः प्राधिकरण ने टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के बारे में परामर्श प्रक्रिया शुरू की। इस सबंध में 20 अगस्त, 2004 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया तथा दिसम्बर, 2004 को बैंगलोर तथा दिल्ली में ओपन हाउस सत्र आयोजित किए गए। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों से पता चला कि वे एकीकृत टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन तथा स्वतंत्र ऑपरेटर के माध्यम से एकीकृत निर्देशिका पूछताछ सेवाओं का प्रावधान करने के पक्ष में हैं। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों को देखते हुए, ट्राई ने 5 मई, 2005 को अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की।

प्रमुख सिफारिशें हैं:

- अभिगम सेवा के सभी लाइसेंस करारों में या तो लाइसेंसधारी द्वारा अथवा दूसरे लाइसेंसधारी ऑपरेटर और/या निर्देशिका पूछताछ सेवा प्रदाता के माध्यम से टेलीफोन निर्देशिका के प्रकाशन तथा निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के लिए एक समान प्रावधान होने चाहिए।

- एलडीसीए स्तर पर फिक्सड लाइन के ग्राहकों के लिए एक एकीकृत टेलीफोन निर्देशिका होनी चाहिए जिसमें सभी बेसिक सेवा ऑपरेटरों/एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाताओं के फिक्सड लाइन के ग्राहकों को शामिल किया जाना चाहिए। इन्कमबेंट ऑपरेटर अर्थात् बीएसएनएल तथा एमटीएनएल, फिक्सड लाइन के ग्राहकों की एकीकृत दूरसंचार निर्देशिका प्रकाशित करेंगे और दूसरे ऑपरेटर, इन्कमबेंट को फिक्सड लाइन नम्बरों के लिए उनकी प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर एकीकृत निर्देशिका के प्रकाशन की लागत की क्षतिपूर्ति करेंगे।

- यदि कोई फिक्सड लाइन का सब्सक्राइबर निर्देशिका में सूचीबद्ध नहीं होना चाहता है तो सब्सक्राइबर से लिखित में सहमति प्राप्त कर उसका नाम निर्देशिका में शामिल नहीं किया जाएगा।

- मोबाइल सेवा के लिए, यद्यपि सर्कल स्तर पर सभी मोबाइल ग्राहकों की एकीकृत निर्देशिका एक आदर्श स्थिति है परन्तु मोबाइल के ग्राहकों की एकीकृत निर्देशिका प्रकाशित करना इस समय तत्काल संभव नहीं है। अतः इस बीच प्रत्येक ऑपरेटर सर्किल स्तर पर अपने ग्राहकों की टेलीफोन निर्देशिका अलग–अलग प्रकाशित करेंगे।

- सेल्युलर मोबाइल निर्देशिका में केवल उन्हीं ग्राहकों की प्रविष्टि होनी चाहिए जिन्होंने इस बारे में अपनी सहमति स्पष्ट दी हो। मुद्रित निर्देशिका में प्री–पेड ग्राहकों को शामिल नहीं किया जाएगा।

- प्राइवेसी और अनचाहे टेलीमार्केटिंग की कॉलों से संबंधित मुद्दों का समाधान ऐसे ग्राहकों, जो अपना टेलीफोन नम्बर निर्देशिका सेवा में सूचीबद्ध नहीं करना चाहते हैं, उनके नम्बर शामिल न करके और समुचित विधायी या अन्य उपाय करके किया जा सकता है।

- मुद्रित टेलीफोन निर्देशिका के अतिरिक्त, सभी सेवा प्रदाताओं को वेब के माध्यम से निर्देशिका सेवाएं मुहैया करनी होंगी। सेल्युलर सेवा के मामले में, वेब के माध्यम से निर्देशिका सेवा में ऐसे प्री–पेड ग्राहकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी सहमति लिखित में या ई–मेल या एसएमएस के माध्यम से दी है। सेल्युलर ऑपरेटरों के पास वेब पर निर्देशिका देने के बदले हैंडसेट के माध्यम से निर्देशिका सेवाएं प्रदान करने का विकल्प है।

- मुद्रित निर्देशिका का प्रकाशन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। मुख्य निर्देशिका पहले वर्ष जारी की जानी चाहिए उसके बाद दो पूरक निर्देशिकाएं जारी की जा सकती हैं। बड़े एलडीसीए में निर्देशिका को व्यावसायिक तथा आवासीय के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

- "दूरसंचार निर्देशिका" के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 452 से 459 के प्रावधानों की समीक्षा की जाए तथा इन नियमों में संशोधन और आशोधन किया जा सकता है ताकि ये वर्तमान लाइसेंस प्रणाली तथा विनियामक व्यवस्था के अनुरूप हो सकें।

ख स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश

38. 2007 तक 200 मिलियन मोबाइल फोनों के लक्ष्य के सरकार के उद्देश्य को देखते हुए, ऑपरेटरों को पर्याप्त स्पेकट्रम उपलब्ध कराना ताकि लम्बी अवधि की स्पेक्ट्रम की दृष्टि से कुशल योजना बनाई जा सके, दूरसंचार सेवाओं की लागत कम हो ताकि कवरेज छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़े तथा 3–जी सेवाओं का रोल आउट सुनिश्चित हो, इन प्रयोजनों के लिए ट्राई ने 13 मई, 2005 को स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- 6% एजीआर के वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार की अधिकतम सीमा को कम करके एजीआर का 4% किया जाना चाहिए।

- आईएमटी–2000 स्पेक्ट्रम में सेवाएं शुरू करके स्पेक्ट्रम की कमी आंशिक तौर पर कम करना।

- बिना एक बारगी प्रवेश शुल्क के परन्तु जब तक सेवा प्रदाता आईएमटी–2000 सेवाएं रोल आउट न करें तब तक प्रति एमएचजेड अतिरिक्त वार्षिक प्रभार के साथ वर्तमान ऑपरेटरों को 2 जी स्पेक्ट्रम

आवंटन के विस्तार के रूप में मौजूदा ऑपरेटरों को आईएमटी–2000 2 जीएचजेड स्पेक्ट्रम आबंटन करना। यदि आईएमटी–2000 (3जी) सेवाओं का रोल आउट, स्पेक्ट्रम आवंटन करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को रद्द करना।

- नए सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आबंटित करने पर विचार किया जाए इससे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वर्तमान सेवा प्रदाताओं के पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम हो। इन बातों के आधार पर यह सिफारिश की गई कि सरकार को ऐसे सेवा क्षेत्रों में जहां पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है अर्थात् जहां एचएचआई 0.35 या इससे कम है, उपलब्ध स्पेक्ट्रम आबंटित करना चाहिए और ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आबंटन के संशोधित मानदण्डों के आधार पर, स्पेक्ट्रम आबंटित करना चाहिए।

- टेरेस्ट्रियल वायरलेस लिंक के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। इससे इन्टरनेट तथा ब्राडबैंड की पैठ बढ़ेगी। कम दूरी के लिए और कम स्पेक्ट्रम बैंडविथ के लिए रियायत 50% से 98% तक दी जानी चाहिए।

- मोबाइल ऑपरेटरों को आबंटित स्पेक्ट्रम का वर्तमान स्तर अन्तरराष्ट्रीय औसत से काफी कम है। और अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए तत्काल समयबद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

- वर्ष 2007 तक 200 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबरों (जीएसएम एवं सीडीएमए दोनों के लिए) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम की आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने सिफारिश की कि:

  - o सब्सक्राइबर आधार का दृष्टिकोण रखते हुए, ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार करने की तारीख से एक माह के भीतर वास्तविक स्पेक्ट्रम आबंटन के मानदण्ड तत्काल संशोधित किए जाने चाहिए।

  - o संशोधित मानदण्ड के आधार पर 800 एमएचजेड बैंड में सीडीएमए ऑपरेटरों को अतिरिक्त कैरियर आबंटित किए जाए।

  - o वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा खाली किए जाने के बाद सर्किलों में 900 एमएचजेड बैड में 2x4.8 एमएचजेड स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा ऐसे जीएसएम ऑपरेटरों को आबंटित करना, जिनके पास केवल 1800 एमएचजेड बैड हो ताकि छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कवरेज में सुधार हो।

- 1800 एमएचजेड बैंड में कम से कम 2×25 एमएचजेड की उपलब्धता का दिसम्बर, 2006 तक रक्षा विभाग द्वारा समन्वयन किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक ऐसे वर्तमान सेवा प्रदाता को, जो मांग करे, आईएमटी–2000 2 जीएचजेड बैंड में 2×5 एमएचजेड बहुत ही कम समय सीमा में उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वे आईएमटी–2000 सेवाओं की पेशकश कर सकें।

- 450 एमएचजेड बैंड में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता का समन्वयन किया जाना चाहिए।

- कोरडेक्ट स्पेक्ट्रम को मोबाइल स्पेक्ट्रम से डिलिंक किया जाना चाहिए तथा इसे युक्तिसंगत तरीके से वितरित किया जाना चाहिए।

- कोरडेक्ट प्लेटफार्म के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा महत्वपूर्ण एलगोरिथम को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करना। विशिष्ट ऑपरेटरों के लिए स्पेक्ट्रम को आबंटन में वर्तमान फार्मेट में परिवर्तन किया जाना चाहिए और कुल 11 वाहकों में 7 वाहकों को उनके सेवा क्षेत्रों में कोरडेक्ट उपकरण परिचालित करने की सहमति देते हुए सभी ऑपरेटरों द्वारा शेयर करने के लिए खुला रखा जाना चाहिए।

- टेरेस्ट्रियल वायरलेस लिंक के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नया फार्मूला लागू किया जाना चाहिए,।

ग. सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

39. 27 जून, 2005 को ट्राई ने सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार को अपनी सिफारिश प्रदान की। अमित मित्रा समिति ने प्राइवेट सेक्टर एफएम ब्राडकास्टिंग के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि सरकार को सैटेलाइट रेडियो नीति निर्धारित करनी चाहिए। परामर्श करने के अपनी नीति के अनुरूप ट्राई ने 29 दिसम्बर, 2004 को सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया। ट्राई ने 11 फरवरी, 2005 को दिल्ली में ओपन हाउस विचार–विमर्श भी किया। परामर्श पत्र तथा ओपन हाउस विचार–विमर्श के दौरान विभिन्न स्टेकहोल्डरों

से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ट्राई ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं:

विनियमन तथा निगरानी

- कैरिएज के लिए केवल एक ही लाइसेस होना चाहिए और सामग्री संबंधी विनियम के लिए लाइसेंसधारी, लाइसेंसदाता के प्रति उत्तरदायी होगा।

- एआईआर प्रोग्राम कोड तथा विज्ञापन कोड, सैटेलाइट रेडियो पर भी लागू किया जाना चाहिए।

- सुरक्षा सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, टेलीविजन और रेडियो दोनों के लिए समान अपलिंकिंग तथा डाउनलिंकिंग नीति बनानी चाहिए। इस समान नीति से सैटेलाइट रेडियो की अपलिंकिंग की नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

लाइसेंस प्रणाली

- अभी लाइसेंस प्रणाली का फ्रेमवर्क तैयार करना वांछनीय होगा ताकि भविष्य में कोई अनिश्चितता न हो।

- 100% विदेशी भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि एकमात्र ऑपरेटर को पहले ही अनुमति प्रदान की गई है।

- जब तक उपलब्ध स्पेक्ट्रम स्थान के लिए अधिक मांग न हो तब तक कोई प्रवेश शुल्क नहीं होनी चाहिए। अधिक मांग होने की स्थिति में एफएम रेडियो के लिए की गई सिफारिश की तर्ज पर निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं।

- जब तक टेरेस्ट्रियल रिपीटर्स की अनुमति प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई वार्षिक लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। एक बार इन रिपीटर्स की अनुमति दिए जाने पर, भारत में जुटाए जाने वाले सकल राजस्व का 4% राजस्व शेयर लागू करना चाहिए जैसे कि एफएम रेडियो के लिए पहले सिफारिशें की गई हैं।

तकनीकी दृष्टिकोण

- सैटेलाइट रेडियो ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रत्येक सब्सक्राइबर को एड्रेसेबिलिटी मुहैया कराएं, जो अनचाहे चैनलों या चैनल समूहों को ब्लॉक करने में समर्थ हो।

- प्रारंभ में संभावित सैटेलाइट रेडियो ऑपरेटरों के लिए विभिन्न ट्रांसमिशन मानकों के साथ उपयोग किए जा सकने वाले मल्टी मानक रिसीवर, अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

- संभावित सेवा प्रदाताओं को सैटेलाइट रेडियो सेवा और पूरक टेरेस्ट्रियल सेवा प्रदान करने के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया जाए। विनियम लागू करने तथा लाइसेंस शुल्क के संग्रहण में कोई कानूनी जटिलता न हो इसके लिए यह लाइसेंस केवल भारतीय सब्सिडियरी को ही जारी की जानी चाहिए।

- टेरेस्ट्रियल रिपीटर्स को सैटेलाइट से केवल उनके सिगनल के पुनः ब्राडकास्ट की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार कार्यक्रमों को ब्राडकास्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

घ वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश

40. 16 अगस्त, 2005 को ट्राई ने वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) वाले आईएसपी लाइसेंस के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क से संबंधित मुद्दों पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। माननीय टीडीसैट के आदेश के अनुसरण में, दूरसंचार विभाग ने देश में आईएसपी लाइसेंसधारियों द्वारा वीपीएन सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क के मुद्दे पर ट्राई से सिफारिशें मांगी थी।

41. माननीय टीडीसैट के निर्णय, विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं, देश में मौजूद वर्तमान परिदृश्य और सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर विचार करते हुए, ट्राई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लेयर–2 तथा लेयर–3 की वीपीएन सेवाएं भिन्न हैं और लेयर–3 वीपीएन को इन्टरनेट एक्सेस सेवा से भिन्न तरीके से विनियमित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राहकों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी विकास कार्यों को बढ़ावा देने, अंतिम उपयोगकर्त्ता के लिए लागत कम रखने तथा दोहरे कराधान से बचने के लिए वीपीएन सेवाओं की इन दो किस्मों को हल्के तौर पर ही विनियमित किया जाना होगा। नाममात्र के प्रवेश शुल्क के प्रयोजन के लिए इन उद्देश्यों के साथ यह सिफारिश की गई है कि लेयर–3 वीपीएन को वर्तमान इन्टरनेट एक्सेस की भांति ही विनियमित किया जाना चाहिए और लेयर–2

वीपीएन को वीसैट सेवा, जो सीयूजी वातावरण में डाटा कनेक्टिविटी प्रदान करती है, के समान माना जाना चाहिए।

सिफारिशें इस प्रकार हैं:

एक बारगी प्रवेश शुल्क

लेयर–2 वीपीएन सेवा के लिए	–	30 लाख रुपए
लेयर–3 वीपीएन सेवा के लिए	–	कुछ नहीं

वार्षिक लाइसेंस शुल्क

लेयर–2 तथा लेयर–3 वीपीएन सेवाओं के लिए	–	कुछ नहीं

ङ प्राइवेट टेरेस्ट्रियल टीवी प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

42. 29 अगस्त, 205 को ट्राई ने प्राइवेट टेरेस्ट्रियल टेलीविजन के प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। ट्राई ने इस विषय पर फरवरी, 2005 में एक परामर्श पत्र परिपत्रित किया और बाद में मई, 2005 में ओपन हाउस विचार–विमर्श भी किया। स्टेकहोल्डरों के विचारों को ध्यान में रखकर ट्राई ने टेरेस्ट्रियल टीवी प्रसारण में निजी क्षेत्र के प्रवेश के संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप दिया।

इन सिफारिशों को करने के प्रमुख कारण इस प्रकार थे:

- एयरवेव के संबंध में उच्चतम न्यायालय का 1995 का निर्णय है कि किसी भी माध्यम को एकाधिकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए चाहे वह एकाधिकार राज्य का हो या किसी व्यक्ति, ग्रुप या संगठन का हो।
- निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का पूरक होगा और वह इस विकल्प के विकास के लिए और संसाधन मुहैया कराएगा।
- इससे फ्री टु एयर मोड में चैनलों को देखने के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त विकल्प प्राप्त होगा।

- वाणिज्यिक सेवा के अलावा इस प्रकार के नीतिगत निर्णय से सामुदायिक टेलीविजन के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामुदायिक टेलीविजन की अनुमति दी जा सकती है और सरकार द्वारा टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने का सिद्धान्ततः निर्णय लेने तथा सामुदायिक टेलीविजन के संबंध में सरकारी नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस पर विस्तृत सिफारिशें भेजी जाएंगी।

- वाणिज्यिक टेलीविजन प्रसारण के मामलों में यह सिफारिश की गई थी कि इस समय इसकी एनालॉग तथा डिजिटल दोनों मोड में ही अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इस समय के कुछ थोड़े से प्लेयरों के लिए एनालॉग मोड में भी पर्याप्त स्पेक्ट्रम है।

- बडे निर्णय ले लिए जाने के बाद एनालॉग तथा डिजिटल सेवा के लिए फ्रीक्वेंसी के आवंटन को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

- स्पेक्ट्रम के आबंटन में वायरलेस आधारित दूरसंचार सेवाओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा।

- प्राइवेट टेरेस्ट्रियल टीवी प्रसारण सेवा की पात्रता की शर्तें प्राइवेट एफएम रेडियो के समान होनी चाहिए।

- इसी प्रकार लाइसेंस प्रणाली की संरचना भी एफएम रेडियो के समानान्तर होनी चाहिए।

- यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में प्राइवेट चैनलों की राष्ट्रीय कवरेज है, इसलिए नेटवर्किंग की सिफारिश की गई है।

- विदेशी निवेश के मामले में यह सिफारिश की गई है कि मीडिया सेक्टर के विभिन्न सेगमेंट के नियमों में ज्यादा निरन्तरता लाने के लिए इसकी व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।

(च) केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबध में सिफारिशें

43. 14 सितम्बर, 2005 को ट्राई ने केबल टीवी के डिजिटलीकरण के संबंध में अपनी सिफारिशें रिलीज की। ये सिफारिशें, स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद जारी की गई। सिफारिशों में डिजिटलीकरण की राष्ट्रीय योजना की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होगा तथा जिसका अन्त दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रकुल देशों के खेलों के साथ 2010 में समाप्त होगा।

44. सिफारिशों में ऑपरेटरों तथा उपभोक्ताओं दोनों की ओर से डिजिटलीकरण के प्रति स्वैच्छिक दृष्टिकोण का प्रावधान है। तदनुसार, 2006–2010 के पहले चरण के दौरान यह आशा है कि डिजिटल सेवाएं, सभी देशों/शहरी क्षेत्रों में जहां की आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है, उपलब्ध करा दी जाएगी। इन सभी शहरों में वर्तमान एनालॉग सेवा भी साथ–साथ जारी रहेगी। डिजिटल सेवाएं, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, पुणे तथा बंगलौर के पांच शहरों में पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। राष्ट्रीय योजना के ड्राफ्ट में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने तथा मार्गाधिकार की जल्दी व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया है। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों को सुझाव देना चाहिए कि इन चार वर्षों (2006–2010) के दौरान मनोरंजन कर से प्राप्त राशि को उपभोक्ताओं को शिक्षित करने पर उपयोग किया जाना चाहिए। इससे राज्य सरकारों को अपने कर आधार को बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी।

45. सिफारिशों में लाइसेंस प्रणाली का फ्रेमवर्क तैयार करने की सिफारिशें भी दी गई हैं। इसमें वर्तमान ऑपरेटरों के लिए स्वतः लाइसेंस की व्यवस्था और कुछ न्यूनतम शर्तों का पालन करने पर नए ऑपरेटरों के लिए गैर–अनन्य स्वतः लाइसेंस की व्यवस्था करना शामिल है। लाइसेंस प्रणाली के फ्रेमवर्क से भावी विनियमों के साथ–साथ सिफारिशों में प्रस्तावित प्रोत्साहनों के संबंध में कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी। सिफारिशों में डिजिटल डिकोडर के विकास की परिकल्पना भी की गई है परन्तु इसे लागू करना स्वैच्छिक होगा और इस पर निर्णय लेना ऑपरेटरों तथा उपभोक्ताओं के ऊपर छोड़ा गया है। यह भी सिफारिश की गई है कि एचआईटीएस के लिए स्पष्ट

नीतिगत फ्रेमवर्क होना चाहिए और यह सरकार द्वारा एक ऑपरेटर को पहले दी गई अनुमति के तर्ज पर होना चाहिए।

छ ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास के संबंध में सिफारिशें

46. चूंकि टेलीघनत्व विकास के स्तर में जुड़ा है इसलिए ग्रामीण (1.94%) तथा शहरी टेलीघनत्व (31.1%) के बीच बहुत बड़ा अन्तर उचित नहीं है। प्राधिकरण ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किए बिना, दूरसंचार के क्षेत्र में पर्याप्त विकास संभव नहीं होगा। अतः प्राधिकरण ने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की संचार की आवश्यकताओं के बारे में परम्परागत नीतियों की समीक्षा करने की स्पष्ट आवश्यकता है। प्राधिकरण ने नोट किया कि अब समय आ गया है कि गांवों तक दूरसंचार पहुंचाने के लिए हमारी नीतियों को "सार्वभौम सेवा दायित्व" के बजाय "सार्वभौम सेवा अवसर" के रूप में देखा जाना चाहिए और वर्तमान समय इस प्रकार के परिवर्तन के लिए उपयुक्त है।

47. अलग–अलग डीईएलएस, वीपीटीएस, एमएआरआर बदलाव पीटीआईसीएस/एचपीटीआईसीएस को सब्सिडी देने की वर्तमान यूएसओ नीति से लगभग 30,000 करोड़ रुपए की भारी सब्सिडी देने के बाद भी 2010 तक 4% के ग्रामीण टेलीघनत्व का लक्ष्य ही मुश्किल से पूरा हो पाएगा। न तो 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में इतना कम टेलीघनत्व स्वीकार्य है और न ही इतनी ऊंची सब्सिडी से इतना कम प्राप्त करना स्वीकार किया जा सकता है। अतः प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस दृष्टिकोण में सेवा प्रदाताओं को भागीदारी वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा लाइसेंस शुल्क की आंशिक लागत कवर करने और ग्रामीण आधार स्टेशन के स्थान की संख्या के आधार पर स्पेक्ट्रम प्रभार में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि प्रस्तावित योजना को जल्दी कार्यान्वित किया जाता है तो शहरी क्षेत्रों में मोबाइल के विकास से संबंधित ट्राई के अनुभव से यह पता चलता है कि भारत दिसम्बर, 2007 तक लगभग 15% ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त कर लेगा और लगभग 43% के संभावित शहरी टेलीघनत्व के साथ इससे समग्र टेलीघनत्व 22.98% हो जाएगा और इससे माननीय संचार तथा प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा निर्धारित 250 मिलियन सब्सक्राइबर का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। यदि वर्तमान यूएसओ नीति जारी रहती है तो संभावना यह है कि भारत में 2007 के अंत तक केवल लगभग 3% ग्रामीण टेलीघनत्व प्राप्त होगा और 250 मिलियन सब्सक्राइबर का लक्ष्य प्राप्त

करने के लिए 2007 तक शहरी टेलीघनत्व 70% प्राप्त करना अपेक्षित होगा जो शहरी क्षेत्रों के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी होगा। यदि इसे प्राप्त भी कर लिया जाता है तो भी इससे ग्रामीण/शहरी अन्तर बहुत बढ़ेगा, जो स्वीकार्य नीति नहीं हो सकती है।

48. प्राधिकरण ने नोट किया कि वर्तमान, यूएसओ नीति में पहले ही संविदागत वचनबद्धताएं हैं। तदनुसार, लाइसेंस करारों की वैधता के दौरान दोनों योजनाएं समानान्तर चल सकती हैं और सौभाग्य से दोनों के वित्त पोषण के लिए यूएसओ में बकाया है परन्तु अन्ततः यूएसओएफ से सहायता कार्य के लिए ही प्रदान की जानी चाहिए।

ट्राई की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यूएसओ से सहायता प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर करना।
- यूएसओ निधि से आधार इन्फ्रास्ट्रक्चर को सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण कवरेज से सम्बद्ध वार्षिक लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार में रियायत देना।
- उपयुक्त अनुप्रयोगों का विकास करना।
- ग्रामीण वीसैट लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों में कमी करना तथा वहनीय दरों पर ट्रांसपोन्डरों की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्कों के लिए कोई मार्गाधिकार प्रभार न लेना।
- ताक ऑपरेटरों को यूएसओएफ से सहायता प्रदान करना तथा उनके लिए स्पेक्ट्रम प्रभारों में छूट देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कोरडेक्ट और उसी के समान प्रौद्योगिकियों के लिए 450 एमएचजेड के उपयोग के लिए कोई स्पेक्ट्रम प्रभार नहीं लेना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 40 मीटर तक के टावरों के लिए एसएसीएफए की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता न होना।
- सार्वभौम अभिगम शुल्क के रूप वसूल निधि को यूएसओएफ को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ज. लोकल लूप अनबंडलिंग तथा ब्राडबैंड के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित ट्राई की सिफारिशों को दोहराते हुए ब्राडबैंड नीति की समीक्षा करने के संबंध में सिफारिशें।

49. देश में ब्राडबैंड की धीमी पैठ से चिंतित होकर ट्राई ने 3 नवम्बर, 2005 को सरकार को सिफारिश की कि ब्राडबैंड नीति के कुछ प्रावधानों की समीक्षा की जाए तथा लोकल लूप अनबंडलिंग तथा ब्राडबैंड के लिए वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित सिफारिशों पर पुनर्विचार किया जाए। अक्तूबर, 2004 में जारी ब्राडबैंड नीति के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा कुल मिलाकर 2005 के अंत तक ब्राडबैंड के लिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर का लक्ष्य प्राप्त करना था, जिसका आधा पीएसयू ऑपरेटरों द्वारा पूरा किया जाना था।

50. विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि सितम्बर, 2005 के अंत तक ब्राडबैंड के केवल 0.61 मिलियन का सब्सक्राइबर थे जिसमें से 0.26 मिलियन पीएसयू से संबंधित और 0.35 मिलियन निजी सेवा प्रदाताओं से संबंधित थे। इस प्रकार वास्तविक उपलब्धि, दिसम्बर, 2005 तक 3.0 मिलियन के नीतिगत लक्ष्य से काफी कम है, और इसे पूरा कर पाने की संभावना नहीं है। ट्राई ने इन्टरनेट तथा ब्राडबैंड के त्वरित विकास के लिए बहुत सी सिफारिशें की हैं। कुछ सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) लोकल लूप अनबंडलिंग (एलएलयू) से संबंधित सिफारिशें।

(ii) अन्य वित्तीय उपाय जैसे कि ब्राडबैंड के उपकरण तथा सेवाओं पर कर रियायत प्रदान करना।

बहुत से प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं ने उल्लेख किया कि ब्राडबैंड का नीतिगत लक्ष्य प्राप्त करना तब तक कठिन होगा जब तक सरकार द्वारा इन्कमबेंट के लिए यह अनिवार्य न किया जाए कि वह लोकल लूप का अनबंडलिंग करे। इसके अतिरिक्त, सिफारिशों में ब्राडबैंड उपकरणों तथा सेवाओं के लिए कर प्रोत्साहन की तत्काल आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है।

(झ) अन्तरराष्ट्रीय प्राइवेट लीज सर्किट (आईपीएलसी) सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के संबंध में सिफारिशें

51. ट्राई ने प्राइवेट लीज सर्किट (आईपीएलसी) सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर 16 दिसम्बर, 2005 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। मार्च, 2002 में आईएलडी सेक्टर को खोले जाने के बाद, विभिन्न कठिनाइयों के कारण आईपीएलसी बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई और यथावांछित रूप से आईपीएलसी की कीमतों में पर्याप्त कमी नहीं हुई। ट्राई ने आईपीएलसी टैरिफ बाजार दर से बहुत कम अधिकतम सीमा निर्धारित की है, जो 29.11.2005 से प्रभावी है।

सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क–सरकार द्वारा हाल ही में इन्हें कम करने के लिए संशोधन किया गया है, इसे देखते हुए, कोई परिवर्तन नहीं ।

- फरवरी, 2007 अर्थात् आईएलडी सेक्टर को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए खोलने के 5 वर्ष के बाद आईपीएलसी की पुनर्बिक्री की अनुमति देना तथा आईएलडी लाइसेंस की वर्तमान लाइसेंस की शर्तों में उपयुक्त संशोधन करना। एक परामर्श प्रक्रिया के बाद विनियामक द्वारा फुटकर–घटा थोक कीमत और पुनर्बिक्रीकर्त्ता के लिए शर्तें निर्धारित करना।

- कम उपलब्ध सुविधाओं की केबल लैडिंग स्टेशन पर समान आसानी से उपलब्धता और बिना किसी प्रकार की समय–सीमा के नये केबल बिछाने की अनुमति अनिवार्य करना। लाइसेंस की शर्तों में तदनुसार संशोधित करना ताकि विनियामक अपेक्षित विनियम जारी कर सके।

- अन्तरराष्ट्रीय केबल कैरियरों को केबल क्षमताएं, वर्तमान केबल लैंडिंग स्टेशनों पर टर्मिनेट करने की अनुमति देना और आईएलडी ऑपरेटरों को आईपीएलसी मुहैया करना। ऐसे कैरियरों को सरकार बिना किसी प्रकार के प्रवेश शुल्क और वार्षिक राजस्व शेयर के अन्तरराष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के रूप में लाइसेंस प्रदान करे।

- इस सेगमेंट में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुसाध्य बनाने के लिए उपर्युक्त कदमों से आशा है कि आईपीएलसी सेगमेंट में मौजूद विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा।

ञ. आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण के संबंध में सिफारिशें

52. देश में इन्टरनेट की पैठ बढ़ने से, ऐसे नए उपकरण, अनुप्रयोग और सेवाओं के आने की संभावना है, जिनसे इंटरनेट उपयोगकर्त्ता द्वारा आईपी पतों की ज्यादा मांग सृजित होगी। इसके अतिरिक्त, इन्टरनेट उपयोगकर्त्ता, इन्टरनेट का उपयोग करते समय, सेवा की बेहतर गुणवत्ता, मोबिलिटी तथा सुरक्षा की भी आकांशा रखता है। अतः नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अगली पीढ़ी के इन्टरनेट प्रोटोकॉल को अपनाना आवश्यक है। ट्राई ने आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अन्तरण से संबंधित मुद्दों पर सरकार को 9 जनवरी, 2006 को सिफारिश की।

सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं

(i) आईएसपी लाइसेंस में उल्लिखित आईपी पते की परिभाषा में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान के 32 बिट्स के स्थान पर आईपीवी 6 आधारित पतों के लिए आवश्यक 128 बिट्स का उपयोग किया जा सके।

(ii) ई–गवर्नेंस से संबंधित प्लेटफार्मों/अनुप्रयोगों में आईपीवी 6 का उपयोग अनिवार्य करना ताकि आईपीवी 6 अपनाने के लिए एक बड़ी पहल की जा सके। सरकार को अपनी आईटी प्रणाली तथा नेटवर्क से संबंधित खरीद में आईपीवी 6 की सुसंगतता भी अनिवार्य करनी चाहिए।

(iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा प्रदाताओं तथा अंतिम उपयोगकर्त्ता तक इसके लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आईपीवी 6 के बारे में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करने चाहिए।

(iv) एपीएनआईसी के फ्रेमवर्क के भीतर देश में राष्ट्रीय इन्टरनेट रजिस्ट्री, क्षेत्रीय इन्टरनेट रजिस्ट्री की स्थापना की जानी चाहिए और इसके लिए भारत में नेशनल इन्टरनेट एक्सचेंज (NIXI) के वर्तमान ढांचे का इस्तेमाल किया जाना।

(v) एर्नेट (EARNET) की वर्तमान आईपीवी 6 टेस्ट बेड को बढ़ा करना ताकि इसका विस्तार पूरे देश में हो तथा सभी इच्छुक पार्टियों को इसकी अभिगम्यता हो।

(vi) भारत में राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेंज का आईपीवी 6 के लिए राष्ट्रीय टेस्ट–बेड के रूप में अपग्रेडेशन एवं सभी आईएसपीएस को अभिगम्यता प्रदान करने के लिए इसके विभिन्न नोडों में अन्तरसंयोजन किया जाना चाहिए।

(vii) सरकारी वित्त पोषण से टीईसी, सीडॉट तथा सी–डेक को आईपीवी 6 टेस्ट बेड स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ट. वायरलेस नेटवर्क में हाईस्पीड डाटा सेवाओं की अभिगम्यता के लिए #,$, £ आदि वाले स्ट्रिंगों के उपयोग की अनुमति की सिफारिश करना।

53. 8 मार्च, 2006 को ट्राई ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। अधिकांश बीएसओएस/यूएएसपीएस, जो वायरलैस आधारित नेटवर्क के जरिए सेवाएं प्रदान करते हैं, ने तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक न होने के कारण डायल–अप इन्टरनेट एक्सेस से संबंधित नेशनल नम्बरिंग प्लान (एनएनपी)–2003 के प्रावधानों के अनुसार 172XXX डायल कर इन्टरनेट एक्सेस मुहैया कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। हाई स्पीड इन्टरनेट एक्सेस के सेवा विकल्प के लिए उनके ग्राहकों को इन्टरनेट सेवा की एक्सेस सीडीएमए हैंडसेट की मानक विशेषता के रूप में #777 और जीएसएम हैंडसेट की मानक विशेषता के रूप में £99£ और *99 आदि की कीइंग–इन द्वारा होती है।

54. स्टेकहोल्डरों की टिप्पणी के आधार पर और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए ट्राई ने सिफारिश की कि एनएनपी–2003 के संगत प्रावधान अर्थात् प्रस्तावना भाग के खंड 1.6 और अनुबंध–IV में वर्णित विशेष सेवाओं के लिए नम्बर को विस्तार से स्पष्ट किया जाए ताकि वायरलेस नेटवर्कों के माध्यम से हाई स्पीड इन्टरनेट एक्सेस के संसूचक विकल्प के लिए #,$, £ आदि के स्टिंग के उपयोग की स्पष्ट अनुमति हो।

ठ. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के बारे में सिफारिशें

55. मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी (एमएनपी) मोबाइल सब्सक्राइबरों को अपना सब्सक्राइबर नम्बर रखते हुए अपने सेवा प्रदाता को बदलने की अनुमति प्रदान करती है। पोर्टेबिलिटी से सब्सक्राइबरों को लाभ होता है सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ने से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है और उन ऑपरेटरों को लाभ प्राप्त होता है जिनकी ग्राहक सेवा, नेटवर्क कवरेज और सेवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। भारत में

टेलीकॉम सेवाओं की वर्तमान स्थिति में ट्राई समझता है कि यह मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया शुरू करने का उपयुक्त समय है जिससे ग्राहकों की सहूलियत होगी और सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा मोबाइल सेक्टर में सेवा प्रदाताओं के बीच और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

56. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी से संबंधित सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार करने तथा इस सुविधा को शुरू करने के बीच 12 महीने की समय सीमा की सिफारिश की गई है। अनन्तिम रूप से यह सिफारिश की गई है कि मोबाइल सब्सक्राइबरों को यह सुविधा 1 अप्रैल, 2007 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए।

- सरकार को सभी यूएएसएल/सीएमएसपी के लिए यह अनिवार्य करना चाहिए कि वे मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी को कार्यान्वित करे। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई है कि प्रारंभ में एमएनपी को केवल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही लागू किया जाए।

- यह उपयुक्त होगा कि एमएनपी को चरणबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाए। पहले मेट्रो तथा 'ए' श्रेणी के सेवा क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित किया जाए, इसके बाद 'बी' श्रेणी में तथा उसके बाद 'सी' श्रेणी के सेवा क्षेत्र में इसे 6 महीनों के अन्तराल के भीतर कार्यान्वित किया जाए।

- भारत में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिए एक सीधा समाधान अर्थात् सभी कॉल पूछताछ कार्यविधि कार्यान्वित की जाए।

- मोबाइल ऑपरेटर, तटस्थ तीसरी पार्टी के माध्यम से उस क्षेत्र में स्थित अधिक से अधिक 5 डाटाबेसों के साथ लॉजिकली केन्द्रीकृत डाटाबेस स्थापित करेगा। इस डाटाबेस की लागत, सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा वहन की जाएगी। यह डाटाबेस पोर्टेड नम्बर के लिए डिपॉजटरी होगा।

- डाटा के सृजन, अन्तर संपर्क, कार्यनिष्पादन के पैरामीटर और सेवा के स्तर से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान स्टेकहोल्डरों के बीच विचार–विमर्श तथा समन्वय द्वारा किया जाएगा। इनके कार्यान्वयन के मुद्दों के ब्यौरे तैयार करने के लिए ट्राई के तत्वाधान में एक संचालन समिति गठित की जाएगी

जिसमें ऑपरेटर, उद्योग एसोसिएशन तथा टीईसी शामिल होंगे।

- ग्राहक, पोर्टिंग के लिए प्रापक ऑपरेटर से संपर्क करेगा।
- पोर्टिंग प्रभारों के मामले में केवल प्रापक ऑपरेटर को ही सफल पोर्टिंग के लिए शुल्क प्रभारित करने की अनुमति होगी।
- लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंस में ऐसा प्रावधान किया जाए जिसमें यह इंगित हो कि, इस बारे में ट्राई विनियम जारी करेगा।
- नम्बर पोर्टेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर (एनपीएसी) क्लीयरिंग हाउस के सामान्य स्थापना लागत 1 जनवरी, 07 को ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर मार्केट के हिस्से के आधार पर ऑपरेटरों द्वारा वहन की जाएगी।

57. कार्यान्वयन की लागत और इस प्रकार ग्राहकों के लिए लागत का ट्राई द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है। पूरी लागत पोर्टिंग ग्राहक पर डाल देने के बावजूद भी अनुमान है कि यह लगभग 200 रु. का एकबारगी भुगतान होगा उससे ऑपरेटर 3 से 5 वर्ष में अपना निवेश वसूल कर सकेगा।

58. ट्राई द्वारा फिक्सड नम्बर पोर्टेबिलिटी की भी जांच की गई थी और यह पाया गया कि किसी परम्परागत नेटवर्क आदि की मौजूदगी के अलावा सभी एसडीसीएएस (मोटेतौर पर तहसील) में प्राइवेट ऑपरेटर नेटवर्क उपलब्ध न होने और नम्बरिंग की योजना एसडीसीए आधारित होने के कारण यह फिक्सड नम्बर पोर्टबिलिटी शुरू करने के लिए समुचित समय नहीं है।

ड. अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) के संबंध में सिफारिशें

59. प्रौद्योगिकी संबंधी विकास कार्यों के कारण, नेटवर्क तथा सेवाओं के एकीकरण का रूझान रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अगली पीढी के नेटवर्क (एनजीएन) का उद्भव हुआ है, जो प्रमुखतः आईपी आधारित है। एनजीएन से सेवा प्रदाता एक ही प्लेटफार्म से व्यापक सेवाएं (वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया) प्रदान कर सकते हैं इसके अतिरिक्त, एनजीएन से फिक्सड/ मोबाइल के कन्वर्जेंस/प्रतिस्थापन (सब्सस्टीट्यूशन) हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल सेवाओं

के स्पेक्ट्रम की मांग कम हो सकती है। बहुत से उन्नत देशों में विनियामक, एनजीएन माइग्रेशन के सिद्धांत को, ट्रांजिशन वास्तव में शुरू होने से काफी पहले, निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसे देखते हुए, ट्राई ने 20 मार्च, 2006 को अगली पीढ़ी के नेटवर्कों के बारे में अपनी सिफारिशें दीं। ट्राई की सिफारिशों में मुख्य जोर कन्वर्जड/यूनिफाइड लाइसेंस प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर दिया गया है ताकि एनजीएन नेटवर्कों का उनकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल किया जा सके और देश में ब्राडबैंड को बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त, एनजीएन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता की भी इसमें उल्लेख किया गया है।

ट्राई की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) सरकार को स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने के लिए एनजीएन के विभिन्न पहलुओं के बारे में टीईसी, सी–डॉट, एएलटीटीसी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आपसी सम्पर्क के लिए कुछ कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ट्राई ने यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

(ii) एकीकृत लाइसेंस प्रणाली पर ट्राई के 13 जनवरी, 2005 की सिफारिशों (20.03.2006 को ट्राई द्वारा प्रसारण तथा दूरसंचार के कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा के मुद्दों से संबंधित सिफारिशों में किए गए संशोधन के अनुसार) पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न ऑपरेटर, एक ही लाइसेंस के माध्यम से सभी प्रकार की दूरसंचार, डाटा, वीडियो तथा प्रसारण सेवाएं मुहैया कराने के लिए एनजीएन प्लेटफार्म का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें।

(iii) यह उल्लेखनीय है कि ब्राडबैंड नीति, 2004 में ब्राडबैंड सेवाओं के मामले में विभिन्न ऑपरेटरों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रावधान है। एनजीएन सेवाओं के व्यापक प्रसार के लिए ब्राडबैंड की पैठ बढ़ाई जानी नितान्त आवश्यक है। चूंकि ब्राडबैंड के संबंध में नीतिगत लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है इसलिए ब्राडबैंड के मुद्दों से संबंधित ऊपर उल्लिखित विभिन्न सिफारिशों की समीक्षा करने का यह समय है। यह पुनः उल्लेखनीय है कि जब तक विभिन्न ऑपरेटर, मल्टीपल सेवाओं को मुहैया कराने के लिए पर्याप्त एनजीएन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इसकी पूरी लागत ग्राहकों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

(iv) समीक्षा की जाने वाली मदों में लोकल लूप अनबंडलिंग पर पुनर्विचार करना, जिससे प्रतिस्पर्धा लाकर वर्तमान कॉपर लूप के जरिए ब्राडबैंड का अपटेक तेजी से हो सकता है, 5.1 से 5.3 तक के जीएचजेड बैंड में स्पेक्ट्रम के बाह्य उपयोग के लिए डि–लाइसेंसिंग करना तथा ब्राडबैंड की अभिगम्यता के लिए कुछ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की पहचान करना शामिल है।

(v) टीईसी को एक समयबद्ध आधार पर एनजीएन से संबंधित विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों को अध्ययन तथा विश्लेषण का कार्य सौंपा जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय संदर्भ में समाहित किया जा सके तथा उनकी जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्य किए जा सकें।

(vi) एनजीएन मानकों के विश्लेषण तथा राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप उनका रूपान्तरण के लिए सभी उद्योगों का संयुक्त परामर्श ग्रुप गठित किया जाए जिसमें टीईसी, सेवा प्रदाता, तकनीकी संस्थान, वेंडर आदि भी शामिल हों।

60. इसके अतिरिक्त, ट्राई ने अन्तरसंयोजन और एनजीएन के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत परामर्श करने का निर्णय किया और साथ ही माइग्रेशन तथा अन्तरसंयोजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए दूरसंचार विभाग, टीईसी सी–डॉट, सेवा प्रदाता, वेंडर तथा शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ की "एनजीएन इको" (NGN Eco) नामक एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ऊपर उल्लिखित उपायों से अगली पीढ़ी के नेटवर्कों को उनकी पूर्व क्षमता तक उपयोग संभव होगा।

ढ. ब्राडकास्टिंग तथा दूरसंचार में कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें

61. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कन्वर्जेंस से दूरसंचार तथा प्रसारण के क्षेत्र की तेजी से सीमाएं समाप्त हो रही हैं। अतः कानूनी तथा विनियामक फ्रेमवर्क के लिए यह आवश्यक है कि इसे कन्वर्जेंस के अनुकूल बनाया जाए तथा ऐसे कन्वर्जेंस को सक्रियता से बढ़ावा दिया जाए। तदनुसार, ट्राई ने 20.03.2006 को प्रसारण तथा दूरसंचार में कन्वर्जेंस तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें जारी की। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कन्वर्जड विनियामक व्यवस्था होनी चाहिए। संचार कन्वर्जेंस विधेयक, 2001 इसे शुरू करने का आधार होना चाहिए।

- तथापि, इस विधेयक में कई परिवर्तन करने अपेक्षित हैं। कन्टेंट विनियमन को कन्वर्जड विनियामक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए। सरकार, टीडीसैट तथा ट्राई के बीच शक्तियों का विभाजन मोटेतौर पर वर्तमान स्थिति जैसी ही हो।

- सरकार को पहले भेजी गई एकीकृत लाइसेंस प्रणाली से संबंधित सिफारिशों पर शीघ्र विचार किया जाए। बहरहाल, एनएलडी/आईएलडी लाइसेंस के प्रवेश शुल्क में किए गए परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रवेश शुल्क में कमी की जाए। इस प्रकार, पहले संस्तुत 107 करोड़ रुपए के प्रवेश शुल्क को कम करके 5 करोड़ किया जाए और जैसा कि पहले ही सिफारिश की गई है 5 वर्ष के बाद इसे और कम करने 30 लाख रुपया किया जाए।

- वर्तमान सेवाओं के लिए समय के साथ उद्भुत नई सेवाओं तथा नई प्रौद्योगिकियों का पूरा लाभ उठाने के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन में ज्यादा लचीलापन होना चाहिए।

- केबल टीवी नेटवर्क पर ब्राडबैंड आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिए अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ ट्राई के तत्वाधान में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने कई सिफारिशें की। इन सिफारिशों में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है:–

  - अन्तरीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना।
  - प्रोटोकॉल के उपयोग पर प्रतिबंध।
  - संस्थागत वित्त पोषण।
  - एफडीआई की सीमा।
  - मार्गाधिकार।

3.3 लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

62. ट्राई द्वारा यह कार्य एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाकर किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण करना है। दूसरा दृष्टिकोण उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों, संसद सदस्यों आदि से प्राप्त फीडबैक/अनुरोध है। कुछ मामलों में, ट्राई ने लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः भी पहल की है।

63. ट्राई, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के सेवा प्रदाताओं से उनके कार्यनिष्पादन, नेटवर्क रोल–आउट, सेवा की गुणवत्ता आदि के बारे में तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करता है। इन रिपोर्टों से ट्राई को लाइसेंस में निर्धारित कई पैरामीटरों के संबंध में सेवा प्रदाताओं की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। जहां कहीं भी अपेक्षित होता है, सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के बारे में उनके साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, डीईएल को चालू करने तथा वीपीटी के रोल आउट दायित्व के संदर्भ में उनके रोल आउट से संबंधित बेसिक सेवा ऑपरेटरों का नेटवर्क रोल आउट है। वर्ष के दौरान, सभी यूएएएसएलएस तथा सीएमएसपीएस से पब्लिक एमरजेंसी सेवाओं आदि के प्रावधानों से संबंधित खण्डों का पालन करने की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया।

3.4 दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

64. जनवरी 2001 में, ट्राई ने एक विनियम जारी किया जिसमें उपभोक्ता संगठनों और दूरसंचार से संबंधित गैर–सरकारी संगठनों के साथ विचार–विमर्श की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया। इस विनियम में, ट्राई के साथ एनजीओ और उपभोक्ता संगठनों के निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है जिससे कि एक निरन्तर आधार पर दो–तरफा विचार–विमर्श जारी रह सके। पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों/एनजीओ को परामर्श पत्र उपलब्ध कराकर, परामर्श प्रक्रिया में उन्हें शामिल करके तथा प्राधिकरण के साथ उनकी बैठकें आयोजित करके, उन्हें घटनाओं के बारे में अवगत रखा जाता है। उपभोक्ता समूह और एनजीओ, भी विचाराधीन

मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करके तथा महत्वपूर्ण उपभोक्ता समस्याओं को ट्राई के नोटिस में लाकर इस प्रक्रिया में सहयोग देते हैं।

65. यद्यपि ट्राई को अलग–अलग उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने का अधिदेश प्राप्त नहीं है, तथापि यह ऐसी शिकायतों पर विचार करता है जो पद्धति संबंधी समस्याओं/कमियों के बारे में हों। यह, उपभोक्ता संगठनों द्वारा की गई शिकायतों पर भी नजर रखता है। ऐसी शिकायतों के आधार पर, प्राधिकरण ने सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से संबंधित टैरिफों, भेदभाव रहित ढंग से फिक्स्ड लाइन फोनों की व्यवस्था, असामान्य रूप से कम काल–पूर्णता दरों, और किसी स्थान पर नेटवर्क की असफलता आदि से संबंधित अनेक मुद्दों और मसलों को सुलझाया है।

66. ट्राई ने सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने के लिए टेलीकॉम सेवाओं का एक कॉमन चार्टर बनाया है। विभिन्न कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुपों, एनजीओएस तथा सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श करके इस चार्टर की अवधारणा तय की गई थी तथा इसका मसौदा तैयार किया गया था तथा सेवा प्रदाताओं, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुपों तथा एनजीओएस द्वारा एकमत से स्वीकार करने के बाद इसे 24 फरवरी, 2005 को जारी किया गया था। कॉमन चार्टर सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी सेवा के विभिन्न आयामों के बारे में स्वेच्छा से की गई घोषणा है। यह उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता की मांग करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करता है, सेवा प्रदाताओं से उनकी आशाओं को निर्धारित करता है तथा इनके बारे में ऑपरेटरों की सहमति स्थापित करता है। उपभोक्ताओं की बदलती आशाओं के अनुसार नियमित अन्तराल पर इस चार्टर की समीक्षा की जाएगी तथा इसमें सुधार किया जाएगा।

67. वर्ष 2005–06 के दौरान ट्राई ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कई उपाय किए। उपभोक्ता, बाजार में उपलब्ध टैरिफ योजनाओं/स्कीमों के बारे में सोच समझकर निर्णय ले सकें तथा भ्रामक विज्ञापन हतोत्साहित हों इसके लिए ट्राई ने 2 मई, 2005 को निर्देश जारी किया जिसमें सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ के प्रकाशन/विज्ञापन में निर्धारित संशोधित फार्मेट का पालन करना अनिवार्य किया गया। इन फार्मेटों में दूरसंचार टैरिफ के बारे में न्यूनतम आवश्यक सूचना देने का प्रावधान है ताकि उपभोक्ता सोच समझकर निर्णय ले सके। इसके अलावा ट्राई ने 8 जुलाई, 2005 को एक निर्देश जारी किया जिसमें सेवा काटने के 60 दिन के भीतर

सिक्योरिटी डिपॉजिट को देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन करके लौटाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा करने में विफल रहने पर सेवा प्रदाता को निर्धारित अवधि के बाद की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देना होगा।

68. ट्राई ने यह भी नोट किया कि सेवा को इस आधार पर कि उनके उपयोग, क्रेडिट सीमा से ज्यादा हो गया है अचानक तथा बिना बताए काट दिए जाने के कारण ग्राहकों को असुविधा होती है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण ने 27 जून, 2005 को निर्देश जारी किया जिसमें पोस्ट पेड सब्सक्राइबरों की क्रेडिट सीमा के बारे में मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए। सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे क्रेडिट सीमा 80% पहुंचने पर सब्सक्राइबर को अग्रिम में सूचित करेंगे। यह भी निर्देश दिया गया कि किस तरीके से एक सब्सक्राइबर के लिए निर्धारित क्रेडिट सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ट्राई के इस विनियम से सब्सक्राइबर को निर्बाध सेवा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। ट्राई ने 29.06.2005 को एक निर्देश जारी करके सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य किया कि वे सेवा एक्टिवेट होने के एक सप्ताह के भीतर सब्सक्राइबर को टैरिफ योजना का पूरा ब्यौरा लिखित में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, जब कभी किसी चयनित पैकेज में टैरिफ के किसी पहलू/मद में कोई परिवर्तन हो, तो ऑपरेटर ऐसे परिवर्तनों के बारे में उन सब्सक्राइबरों को लिखित में सूचित करेगा, जिनके टैरिफ पैकेज में परिवर्तन हुआ है।

69. प्राधिकरण के ध्यान में ऐसे दृष्टान्त भी आए जहां ग्राहकों से बिना उनकी सहमति लिए कुछ मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए प्रभार लिए गए थे। अतः ट्राई ने 03.05.2005 को मूल्य वर्धित सेवाओं के संबंध में मार्ग निर्देश जारी करते हुए कहा कि ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना उसे कोई ऐसी मूल्य वर्धित सेवा मुहैया नहीं कराई जाएगी जिस पर प्रभार देय हो और ऐसी सेवा, जिसे पहले निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा था, पर तब तक प्रभार नहीं लगाया जाएगा, जब तक ग्राहक की इस बारे में स्पष्ट सहमति न हो। इसी प्रकार के निर्देश 12.09.2005 को सभी इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को भी जारी किए गए थे। प्राधिकरण ने प्रीमियम दर की सेवाओं के बारे में भी 03.05.2005 को निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रीमियम दर सेवाओं अर्थात् क्विज, रिंग टोन, टेली–वोटिंग आदि जैसी प्रीमियम दर सेवाओं से संबंधित सभी कम्यूनिकेशनों/विज्ञापनों में, ग्राहक को सेवाओं के लिए पल्स रेट/टैरिफ के बारे में अग्रिम में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 16.09.2005 को ट्राई ने भ्रामक शीर्षकों वाले टैरिफ योजनाओं

के बारे में एक मार्गनिर्देश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि सेवा प्रदाता किसी ऐसी टैरिफ योजना को पेश नहीं करेंगे, विपणन नहीं करेंगे या विज्ञापित नहीं करेंगे जिससे सब्सक्राइबरों के भ्रम में पड़ने की संभावना हो। किसी योजना के अंतर्गत सभी मासिक निश्चित आवर्ती प्रभारों, जिसे सब्सक्राइबरों के लिए अनिवार्यतः देना अपेक्षित हो, को भी एक शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए।

70. प्राधिकरण ने यह भी पाया कि मोबाइल ऑपरेटर ऐसे प्री–पेड सब्सक्राइबर, जो हाल ही में शुरू की गई लाइफ टाइम वैधता वाली योजनाएं अपना रहे हैं, के बकाया टॉक टाइम को जब्त कर रहे हैं। सब्सक्राइबरों के लाइफ टाइम वैधता वाली टैरिफ योजनाओं को अपनाने पर सीडीएमए ऑपरेटरों द्वारा उपयोग न किए गए ऐसे बकाया 'टॉक टाइम' को जब्त करना दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के प्रावधानों के विरूद्ध था। प्राधिकरण ने निर्देश जारी किया तथा प्रभावित सब्सक्राइबर के बकाया टॉम टाइम के लिए रिफंड करने या उसे आगे जारी रखने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने पाया कि मोबाइल ऑपरेटरों ने कुछ मदों के टैरिफ जैसे कि सीएलआई प्रभार को, किसी खास टैरिफ योजना में सब्सक्राइबर के इनरॉल होने के 6 माह के भीतर बढ़ाया है, जो दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के प्रावधानों के विरूद्ध है। प्राधिकरण ने मार्गनिर्देश जारी किए और सब्सक्राइबरों को उनसे लिया गया अधिक प्रभार लौटाने का निर्देश दिया।

3.5 विनियम द्वारा यथानिर्धारित ऐसी सेवाओं के संबंध ऐसी दरों पर शुल्क तथा अन्य प्रभार लगाना

71. ट्राई ने 21 अगस्त, 1999 को अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर के बारे में एक विनियम जारी किया जिसके अंतर्गत, निर्धारित शुल्क का भुगतान करने तथा इस मामले में लागू अन्य शर्तों को पूरा करने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर का निरीक्षण किया जा सकता है। रजिस्टर के निरीक्षण के लिए शुल्क 50/– रु. प्रति घंटा है। रजिस्टर से उद्धरण की प्रतियों के लिए 20 रु. प्रति पृष्ठ का शुल्क प्रभारित किया जाता है।

3.6 सार्वभौम सेवा दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

72. सार्वभौम सेवा दायित्व के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्राई द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा पैरा 2.10 में दिया गया है।

3.7 अन्य मामले

(I) ट्राई की संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना

73. 'योजना' बजट द्वारा वित्तपोषित ट्राई की संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 2005–06 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन/परामर्श पूरे किए गए:

(i) भारत में आईपीएलसी में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपायों का अध्ययन (परामर्शदाता–मैसर्स एनालिसिस, कन्सल्टिंग, यू.के.)

(ii) अगली पीढ़ी के नेटवर्क का अध्ययन (परामर्शदाता–मैसर्स स्पेक्ट्रम स्ट्राटेजी, यू.के.)

(iii) सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन एण्ड डिवलेपमेंट ऑफ सिस्टम साफ्टवेयर का अध्ययन (परामर्शदाता: सेंटर फार डिवलेपमेंट ऑफ एडवांसड् कंप्यूटिंग (सीडैक)

(iv) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी पर शार्ट परामर्श (परामर्शदाता: मैसर्स ओवीयूएम, यू.के.)

(v) भारत में घरेलू लीज सर्किट मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों का अध्ययन (इन हाउस)।

74. ट्राई की संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 2005–06 के दौरान विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ट्राई के 18 अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व बैंक का पहले का ऋण बंद हो जाने के बाद, ट्राई ने ट्राई अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से नया ऋण प्राप्त करने की भी प्रक्रिया शुरू की है।

(II) मल्टी–ऑपरेटर मल्टी–सेवाओं के परिवेश में इंटेलिजेंट नेटवर्क (आई.एन.) सेवाओं की शुरूआत के लिए आवश्यक तकनीकी तथा विनियामक इनपुटों को अंतिम रूप देने के लिए समिति की रिपोर्ट

75. प्राधिकरण ने देश में आईएन सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक इनपुटों को अंतिम रूप देने के लिए 28.02.2004 को एक समिति का गठन किया। इस समिति में ट्राई, दूरसंचार विभाग, टीईसी, सी–डॉट, बीएसएनएल, रिलायंस, डाटा एक्सेस, एमटीएनएल, एबीटीओ, सीओएआई, बीटीएसओएल के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संक्षेप में इस प्रकार है:

(क) तकनीकी मुद्दे

इन्टेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवाएं, नम्बर ट्रांसलेशन, वैकल्पिक बिलिंग तथा प्राइवेट नम्बरिंग प्लान की विशेषताओं के माध्यम से वॉयस तथा डाटा वाहक सेवाओं के मूल्य का संवर्द्धन करती हैं। इन विशेषताओं को ऐसे नेटवर्क डाटाबेस (जिसे सर्विस कंट्रोल प्वाइंट–एससीपीएस के नाम से भी जाना जाता है) की सहायता से मुहैया कराया जाता है जो क्वैरी–रिस्पांस प्रोटोकॉल से युक्त हों, जिसका इस्तेमाल करके अन्तर्निहित वाहक नेटवर्क जैसे कि पीएसटीएन/आईएसडीएन स्विच, मोबाइल स्विचिंग सेंटर तथा मीडिया गेटवेज जैसे नेटवर्क इससे संपर्क करते हैं। वाहक नेटवर्क जो एससीपीएस के संपर्क करने के लिए निर्धारित होते हैं, उन्हें सर्विस स्विचिंग प्वाइंट्स (एसएसपीएस) के नाम से जाना जाता है। भौतिक बनावट के संबंध में एससीपीएस तथा एसएसपीएस एक ही नोड में साथ–साथ या एसएस–7 सिगनलिंग नेटवर्क में दूर–दूर हो सकते हैं। वाहक के नेटवर्क के शेष एनटिटीज, आईएन नोडों से स्वतंत्र होंगे। इस स्वतंत्रता से नेटवर्क प्रदाता एक ही आईएन इन्फ्रास्ट्रक्चर को विभिन्न नेटवर्कों यथा फिक्सड, डब्ल्यूएलएल–एफ, डब्ल्यूएलएल–एम, सेल्युलर मोबाइल, वीओआईपी तथा आईपी के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार, इन्टेलिजेंट नेटवर्क नए राजस्व के सृजन तथा निवेश की सुरक्षा को दोहरा लाभ प्रदान करता है।

(ख) विनियामक मुद्दे

विनियामक की दृष्टि से आईएन सेवाएं, बहुत से मामलों में बी नम्बर अर्थात् ओरिजिनेटिंग नेटवर्क पर कॉल की गई पार्टी का नम्बर, वैकल्पिक बिलों के विकल्प अर्थात कॉल करने वाली पार्टी पूरा या आंशिक भुगतान करेगी या तीसरी पार्टी भुगतान करेगी और कार्यात्मक एन्टिटी के वितरण स्थान की जानकारी न होने के कारण, चुनौती पेश करती हैं। ये विशेषताएं वर्तमान अन्तरसंयोजन को पारदर्शी ढंग से लागू करने तथा अन्तरसंयोजित ऑपरेटरों को समान तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर अन्तरसंयोजन प्रणाली के कार्यान्वयन में कठिनाई पैदा करता है। देश में बहु–प्रचालक परिदृश्य में एक उत्तरोत्तर विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, और उसे ऑपरेटरों तथा विनियामकों को प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में इसमें संशोधन किया जा सकता है।

(ग) संरचना संबंधी विकल्प तथा अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार

(i) एससीपी और एसएसपी के नेटवर्क के स्थान/स्वामित्व के आधार पर बीएसओ/सीएमएसओ–एनएलडीओ/आईएलडीओ–आईएलडीओ इन्टर नेटवर्किंग के लिए तीन श्रेणी के नेटवर्क ढांचे का सुझाव दिया गया है। यदि एसएसपी, अभिगम प्रदाताओं के नेटवर्क में स्थित हो तो एससीपी को सेवा प्रदाताओं के बीच शेयर किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में 'बी' नम्बर सदैव पीओआई में उपलब्ध होगा और वर्तमान अन्तरसंयोजन सीधे लागू किया जा सकता है। ओरिजिनेशन प्रभार, एसएसपी तथा एससीपी के बीच एसएस–7 सिगनल लिंक के लिए 'पोर्ट प्रभार' तथा एससीपी पर डाटाबेस होस्टिंग प्रभार के निर्धारण से संबंधित मुद्दों का ही समाधान किया जाना होगा। इन मुद्दों पर ओरिजिनेशन प्रभार के लिए प्रविरिति जारी रखी जा सकती है तथा सहयोगी परिचालकों के बीच डाटाबेस होस्टिंग प्रभार पर आपसी सहमति हो सकती है। यदि इस मामले में कोई आपसी सहमति न हो तो ट्राई प्रभारों का निर्धारण कर सकता है। तथापि, अभिगम प्रदाताओं तथा आईएन सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के बीच अन्तर–कार्य चिन्ता का विषय हो सकता है।

(ii) अन्य विकल्पों में शामिल हैं केवल एक्सेस प्रदाता के एससपी तथा एससीपी, एनएलडीओ/आईएलडीओ के और एसएसपी/एससीपी, तीसरी पार्टी के शेयर वाली हो या अन्तरसंयोजन एक्सचेंज एवं अन्तर वाहक बिलिंग क्लीयरिंग हाउस में भागीदारी वाले संसाधन हों।

(iii) चूंकि ये अलग–अलग संभावनाएं हैं इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि ट्राई को आईएन सेवाओं के लिए अपने विनियामक पहल कदमों में सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय आईएन मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

(घ) अन्तरसंयोजन तथा सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों

समिति ने सिफारिश की कि सभी सेवा प्रदाता ऑपरेटर (बीएसओ, सीएमएसओ, एनएलडीओ तथा आईएलडीओ) आईएन इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इस पत्र के तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवस्था के लिए प्रस्तुत किए गए फ्रेमवर्क के आधार पर और इस रिपोर्ट में सुझाए गए आशोधनों के साथ राष्ट्रीय नम्बरिंग प्लान 2003 का पालन करते हुए मूल्य वर्धित सेवाएं मुहैया करा सकते हैं। टॉल फ्री आईएन सेवाएं तथा लम्बी दूरी

के कार्ड, सेवाओं का ऐसा पहला सेट है जिनकी बहु प्रचालक बहु सेवा परिदृश्य में पेशकश की जा सकती है।

76. समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राधिकरण के अनुमोदन से इंटेलिजेंट नेटवर्क सेवाओं के संबंध में विनियम के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया था और विभिन्न ऑपरेटरों से टिप्पणियां/जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे 2 दिसम्बर, 2005 को ट्राई की वैबसाइट में डाल दिया गया था। अब कुछ स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं। सीओएआई ने इस मुद्दे पर ट्राई में अभ्यावेदन भी किया है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखकर ट्राई आईएन सेवाओं के बारे में विनियम को अंतिम रूप देगा तथा उसे जारी करेगा।

(iii) "बहुप्रचालक बहु सेवा परिदृश्य में अन्तरसंयोजन एक्सचेंज एवं अन्तर वाहक बिलिंग क्लीयरिंग हाउस" के संबंध में समिति का गठन

77. प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में "बहुप्रचालक बहु सेवा प्ररिदृश्य में अन्तरसंयोजन एक्सचेंज एवं अन्तर वाहक बिलिंग क्लीयरिंग में हाउस" के संबंध में संभावित कार्यविधि का सुझाव देने के लिए 12 जनवरी, 2005 को एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया। इस विशेषज्ञ ग्रुप में दूरसंचार विभाग, टीईसी, सी–डॉट, एयूएसपीआई, सीओएआई, बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारती, रिलायंस, टाटा टेलीसर्विसेज, वीएसएनएल, आइडिया सेल्युलर, बीपीएल मोबाइल तथा हच के प्रतिनिधि शामिल थे। सचिव, ट्राई और सलाहकार (फिक्सड नेटवर्क) ट्राई, इस विशेषज्ञ ग्रुप के क्रमशः अध्यक्ष तथा संयोजक नियुक्त किए गए थे।

विशेषज्ञ ग्रुप की 2005–06 के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गई। विशेषज्ञ ग्रुप की विभिन्न बैठकों में अलग–अलग विचार सामने आए। विशेषज्ञ ग्रुप न केवल वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर बल्कि नेटवर्क के विस्तार की भावी योजनाओं तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने विचारों को ठोस रूप देने में लगी हुई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण देश में अन्तरसंयोजन एक्सचेंज एवं वाहक बिलिंग क्लीयरिंग हाउस को शुरूआत करने के लिए अपनी सिफारिशों/विनियम को अंतिम रूप देगा।

(iv) सेवा प्रदाताओं द्वारा अन्तरराष्ट्रीय कॉल मिनटों को कम बताने तथा इनकमिंग आईएलडी कॉलों की सीएलआई में परिवर्तन करने पर नजर रखने और उनका समाधान करने के लिए एक पूरक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन करना।

78. प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि प्रभावी मॉनीटरिंग करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा अन्तरराष्ट्रीय कॉल मिनटों को कम बताने तथा आईएलडी कॉलों की सीएलआई बदलने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप गठित किया जाए। विशेषज्ञ ग्रुप में दूरसंचार विभाग, ट्राई, टीईसी तथा आईएलडीओएस के प्रतिनिधि थे। ट्राई के सचिव इसके अध्यक्ष तथा सलाहकार (फिक्सड नेटवर्क) इसके संयोजक थे। समिति को आवश्यकतानुसार समय–समय पर विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्राधिकृत किया गया था। समिति को आवश्यकता होने पर उनकी सहायता के लिए संचालन ग्रुप गठित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया था।

79. ट्राई कार्यालय में विशेषज्ञ ग्रुप की 2005 के दौरान 7 बैठकें हुईं। इस मामले में हुए विचार–विमर्श के आधार पर विशेषज्ञ ग्रुप ने डाटा संग्रहण के लिए एक सेट फार्मेट पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक आईएलडीओ विदेशी वाहक से प्राप्त तथा विभिन्न अभिगम प्रदाताओं और एनएलडीओ के पास टर्मिनेट हुए ट्रैफिक का डाटा मासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक एनएलडीओ और अभिगम प्रदाता को आईएलडीओ और/या एनएलडीओ से प्राप्त ट्रैफिक का मैट्रिक्स प्रदान करना चाहिए। यह भी निर्णय किया गया कि न केवल इनकमिंग अन्तरराष्ट्रीय मिनटों के मामलों में बल्कि आउटगोइंग अन्तरराष्ट्रीय मिनटों के मामले में भी सुसंगतता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बारे में बैठकों में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद समिति द्वारा कुल 7 फार्मेटों को अंतिम रूप दिया गया।

80. विशेषज्ञ ग्रुप की अंतिम रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है और इसे 31 जनवरी, 2006 को दूरसंचार विभाग को भेजा जा चुका है। विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर, ट्राई ने सभी अभिगम प्रदाताओं, एनएलडीओ और आईएलडीओ को 19 जनवरी, 2006 को निर्देश जारी किया कि जनवरी, 2006 से आगे सभी आइएलडीओ, एनएलडीओ और अभिगम प्रदाताओं द्वारा

निर्धारित फार्मेट में अगले माह की 15 तारीख तक ट्रैफिक मिनट मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएं। ट्राई का यह निर्देश दूरसंचार विभाग को भी भेजा गया है।

(v) वीओआईपी के विनियामक मुद्दों पर ट्राई का अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार।

81. इन्टरनेट पर वॉयस के संवहन, जिसे आमतौर पर इन्टरनेट टेलीफोनी कहा जाता है, के मामले में हम "बाधित प्रौद्योगिकी" का सामना कर रहे हैं, जिससे सेवा प्रदाताओं का वर्तमान राजस्व महत्व खो सकता है, इसी कारण इन्कमबेंट ऑपरेटर द्वारा हमेशा इसका विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त नम्बरिंग रिसोर्सेज, उदयमान सेवाओं की अभिगम्यता तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे भी है। साथ ही ऐसी प्रौद्योगिकी संबंधी विकासात्मक गतिविधियों को रोका या प्रतिबंधित भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को प्राप्त आर्थिक लाभ के अलावा इसकी आर्कषक क्षमताएं भी हैं। विनियमन की दृष्टि से नीतियों तथा विनियामक कार्यों जिसमें सुरक्षा के मुद्दे (आपात नम्बरों की अभिगम्यता और वायरटेप) और नम्बरिंग प्रणाली की जटिलता तथा विभिन्न ऑपरेटरों के बीच समान अवसर की स्थिति बनाए रखने के मुद्दों को देखते हुए इन प्रौद्योगिकी संबंधी विकासात्मक कार्यों को ध्यान में रखा जाता हो, को फार्मूलेट करना एक बड़ी चुनौती रही है। इस बारे में दुनियाभर में, जिसमें हमारे पड़ोसी देश भी शामिल हैं, गहन अध्ययन किया जा रहा है। यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय रूझान की जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है क्योंकि यह कुशल विनियामक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने 9 नवम्बर, 2005 को एक वीओआईपी से संबंधित विनियामक मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। भारत तथा विदेशों के दूरसंचार के विशेषज्ञ, सेवा प्रदाता और अन्य स्टेकहोल्डरों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

भाग – IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन

4.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

1. इस भाग में 'ट्राई' के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त पोषण, मानव संसाधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, सेमिनार आदि मामले शामिल हैं, और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित सूचना दी गई है।

(क) संगठन

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत हुई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 के द्वारा, प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। इसमें अब एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य हैं।

3. प्राधिकरण का सचिवालय, सचिव की देखरेख में काम करता है। यह 9 कार्यात्मक प्रभाग–फिक्सड नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, कनवर्ज्ड नेटवर्क, आर्थिक, वित्त विश्लेषण, प्रशासन एवं कार्मिक, सेवा गुणवत्ता, विधि तथा ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं के माध्यम से काम करता है। सचिवालय, जो प्राधिकरण के अपने कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा इसको सौंपे गए कार्यों को करता है, में 156 (31.3.2006 की स्थिति के अनुसार) कार्मिक तैनात हैं। जहां भी आवश्यक होता है निम्नलिखित आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी की जाती है :

– रिटेनरशिप आधार पर वैयक्तिक परामर्शदाता

– विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता

– रिटेनरशिप आधार पर परामर्शी फर्म

– विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परामर्शी फर्म

परामर्शदाताओं को प्रतिनियुक्ति पर, या नियत कार्य के आधार पर, काम दिया जाता है।

4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्मिकों की संख्या (31.03.2006 की स्थिति के अनुसार)

31.3.2006 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित थीः

सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारी

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री राजेंद्र सिंह	सचिव
2.	डॉ. हर्ष वर्धन सिंह	प्रधान सलाहकार (इस समय छुट्टी पर)
3.	श्रीमति इंदु लिबरहान	प्रधान सलाहकार (वित्तीय विश्लेषण एवं आईएफए)
4.	श्री अ. सिन्हा	प्रधान सलाहकार (विधि)
5.	श्री एस. एन. गुप्ता	प्रधान सलाहकार (कनवर्ज्ड नेटवर्क)
6.	श्री राकेश कक्कड़	सलाहकार (ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं)
7.	श्री आर. के. भटनागर	सलाहकार (फिक्स्ड नेटवर्क)
8.	श्री राजन सिंगला	सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)
9.	श्री सुधीर गुप्ता	सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता एवं मोबाइल नेटवर्क)
10.	श्री एम कन्नन	सलाहकार (आर्थिक)

सलाहकार स्तर से नीचे

क्रम सं.	पद	मंजूर	वास्तव में
1.	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	17	17
2.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	02	02
3.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	24	17
4.	प्रधान निजी सचिव	7	4
5.	तकनीकी अधिकारी	13	7
6.	अनुभाग अधिकारी	15	14
7.	निजी सचिव	13	11
8.	पुस्तकाध्यक्ष	1	1
9.	निजी सहायक	17	13
10.	सहायक	36	30
11.	स्टेनो 'डी'	2	–
12.	अवर श्रेणी लिपिक	5	5
13.	ड्राइवर	14	14
14.	पीसीएम ऑपरेटर	2	2
15.	डिस्पेच राइडर	1	1
16.	समूह 'घ'	25	8
	कुल	**194**	**146**

5. 'ट्राई' के कार्मिक प्रारंभ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए थे। दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन आदि क्षेत्रों से संबंधित अनुभव वाले इन व्यक्तियों को शुरू में दो सालों के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है, और बाद में विभिन्न सरकारी विभागों को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के लिए लिखा जाता है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की इस अवधि को बढ़ाने के प्रयास में, काफी समय तो लगता ही है, यह सदैव प्रभावी भी नहीं हो पाता। यद्यपि प्राधिकरण के कार्यों का क्षेत्र, मात्रा तथा

उनकी जटिलता तेज गति से बढ़ती जा रही है परन्तु वर्तमान कार्मिकों के प्रायः उनके मूल विभागों में वापस चले जाने से प्राधिकरण में अपने सक्षम एवं कुशल अधिकारियों का कमी होने की समस्या भी निरंतर बनी रहती है। इसलिए, प्राधिकरण ने, दूरसंचार विनियम के नए क्षेत्र के लिए, अपेक्षित विशेषज्ञता वाले एवं विशेष अनुभव वाले लोगों को, ट्राई में समावेशन की पेशकश करके स्वयं का एक संवर्ग विकसित किया है। तथापि, प्रतिनियुक्ति पर आए कई मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सेवा शर्तें आर्कषक न होने की वजह से ट्राई में स्थायी समावेशन के लिए अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है।

(ख) वित्त पोषण

6. ट्राई एक स्वायत्त निकाय है और इसका पूर्णतः वित्तपोषण, भारत की समेकित निधि से प्राप्त, अनुदान द्वारा होता है। वर्ष 2005–06 के दौरान, ट्राई के कामकाज पर कुल लगभग 14.70 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें से, 1.44 करोड़ रुपए की राशि, 2005–06 के दौरान, कुछ प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रमों से संबंधित सहायताप्राप्त परियोजना के अंतर्गत खर्च की गई।

7. 'ट्राई' का यह मत है कि, वह एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सके इसके लिए उसका वित्तपोषण उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा लाइसेंस शुल्क के कुछ भाग से हो। इसे अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर गैर–सरकारी स्रोतों से भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनलों को भर्ती कर सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसे 'इर्डा' (IRDA) और 'सेबी' (SEBI) का वित्तपोषण, उसी क्षेत्र से वसूल शुल्क से होता है जिसे वे विनियमित करते हैं और इसलिए ये प्राधिकरण, अपने कामकाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, काफी लचीले रूप से, इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

(ग) मानव संसाधन

i) भर्ती

8. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के समावेशन से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग

गठित किया है। तथापि, वरिष्ठ तथा मिडल स्तर पर प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारियों में से अधिकतर ने, ट्राई संवर्ग में स्थायी रूप से बने रहने का विकल्प नहीं चुना है। अतः इसके सचिवालय के लिए कार्मिकों की भर्ती अभी भी, अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, प्रतिनियुक्ति पर की जाती है। इसके दो कारण हैं। एक–प्राधिकरण के कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव वाले सक्षम लोगों को, वर्तमान पारिश्रमिक, परिलब्धियां आदि आकर्षित नहीं कर पातीं। दो–सरकारी कर्मचारियों में, जिनके पास ऐसी विशेषज्ञता संभव है वे स्वयं अधिकतर मंत्रालयों में हैं या सरकारी स्वामित्व वाले टेलीकाम प्रचालकों के पास हैं। ऐसे लोगों के लिए भी प्राधिकरण से मिलने वाली परिलब्धियां आकर्षक नहीं होतीं और इसका नतीजा यह होता है कि प्राधिकरण, सुयोग्य और सुपात्र व्यक्तियों को अपने यहां, आकर्षित नहीं कर पाता। इस प्रकार अपने सचिवालय के लिए उपयुक्त कार्मिकों को लाने में प्राधिकरण को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

9. जहां तक 'ट्राई' में सेवाशर्तों की बात है, सरकारी विभागों में अधिकतर यह राय बनी हुई है कि ये सेवाशर्तें, सरकारी सेवा नियमों के समान या लगभग वैसी ही होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण में इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि 'ट्राई' एक विशेष निकाय है और उसे दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता है और इसलिए न केवल सरकार से बल्कि बाहर से भी दक्ष, एवं सक्षम विशेषज्ञों को आकर्षित करने की जरूरत होती है। उपयुक्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने यहां लाने के लिए, 'ट्राई' की सेवा–शर्तें, आम विद्यमान सेवा–शर्तों के मुकाबले में बेहतर होनी चाहिए। कम से कम यह तो जरूरी ही है कि, 'ट्राई' की सेवाशर्तें, सामान्यरूपेण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तरह की हों।

ii) प्रशिक्षण

10. ट्राई का स्टाफ टैरिफ तथा सेवा की गुणवत्ता के मानकों के संबंध में विभिन्न कार्यों तथा प्रस्तावों के लिए अत्यधिक मात्रा में डाटा को सम्हालने, सेवा की गुणवत्ता से संबंधित सर्वेक्षण करने, उनका समन्वयन करने तथा उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य विषयों की विशेषज्ञता हासिल करे और उनके पास ऐसी योग्यता हो इस दृष्टि से ट्राई ने अपने मानव संसाधन कार्यक्रम को समुचित महत्व दिया है। यह पहल, प्राधिकरण के लिए परामर्श प्रक्रिया आयोजित करने तथा प्रभावी ढंग से इसमें भाग लेने, परामर्श पत्रों को तैयार करने तथा लिखित में और ओपन हाउस बैठकों से

प्राप्त फीडबैक तथा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने, तथा दूरसंचार सेक्टर के विनियमन से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीति निर्धारित करने के कार्य में उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला का चयन करने अथवा उसे अभिकल्पित करने में ट्राई का प्रयास रहता है कि इनसे उच्च स्तर पर नीति निर्धारण और नीतियों के कार्यान्वयन तथा उन्हें संचालित करने के लिए उपयोगी बड़ी मात्रा में तकनीकी–आर्थिक प्रचालन ब्यौरों को सम्हालने के वास्ते विविध कौशल प्राप्त हो। ट्राई की नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अत्यन्त लॉजिस्टिकल और विश्लेषणात्मक तैयारी करनी होती है। इसका आशय यह कि कि ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो अत्यन्त प्रशिक्षित तथा ज्ञानवान हों और साथ ही उनमें ऐसी क्षमता हो कि वे तेजी से बदलती हुई स्थिति में बदलते मुद्दों को भांप सकें और उनका समाधान निकाल सकें। चूंकि ट्राई के स्टाफ की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान करने अथवा उन्हें अभिकल्पित करने और उन्हें चलाने की जरूरत होती है ताकि यह उनके कार्यों के विविध विशेषज्ञता की जरूरतों के अनुरूप हों इसलिए प्राधिकरण एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर (एएलटीटीसी), नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी), इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटिएट एण्ड ट्रेनिंग मैनेजमेंट (आईएसटीएम), आईसीडब्ल्यूएआई, राइट्स आदि जैसे कई संस्थानों तथा संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त संगठन के भीतर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ट्राई ने अपने कार्मियों को "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित किया।

11. ट्राई के 18 कार्मिकों को, इस वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों यथा इन्टरकनेक्ट कम्यूनिकेशंस, यू.के., आस्ट्रेलियन कम्यूनिकेशन एण्ड मीडिया आथॉरिटी, आस्ट्रेलिया, साउथ एशियन फोरम फार इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (SAFIR), यूनाइटेडड स्टेटस टेलीकम्यूनिकेशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (USTTI), एशियन इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमेंट, मनीला और इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (आईपी 3), वाशिंगटन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इन प्रशिक्षणों के जरिए कार्मिकों को बहुमूल्य जानकारियां मिली और उन्हें विनियामक कार्य के अपने क्षेत्र में दक्षता और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला। ट्राई के चालीस कार्मिकों को, देश की ही विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी भेजा गया। संगत ब्यौरा नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1 वर्ष 2005–06 के दौरान, जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों को भेजा गया, उनका विवरण

(क) अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण

क्रम सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	स्थान	प्रशिक्षण का संक्षिप्त ब्यौरा	प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधिकारियों की संख्या
1.	यूनाइटिड स्टेट टेलीकम्यूनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (यूएसटीटीआई)	सैन जोस कैलीफोर्निया, यूएसए	इन्टरनेट प्रोटोकाल आधारित नेटवर्क के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी	1
2.	यूनाइटिड स्टेट टेलीकम्यूनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (यूएसटीटीआई)	वाशिंगटन, यूएसए	टेलीकम्यूनिकेशंस में विनियामक एवं निजीकरण के मुद्दे	1
3.	साउथ एशियन फोरम फार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसएएफआईआर)	आगरा, भारत	इन्फ्रास्ट्रक्चर विनियम एवं कार्यनिष्पादन पर कोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2
4.	इन्टर कनेक्ट कम्यूनिकेशंस, यू.के.	बाथ, यू.के.	टेलीकम्यूनिकेशंस में टेलीकॉम रेगुलेटरी मास्टर क्लास	6
5.	आस्ट्रेलियन कम्यूनिकेशंस एण्ड मीडिया आथोरिटी	मेलबार्न, आस्ट्रेलिया	स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एण्ड फ्रीक्वेंसी एसाइनिंग पर प्रशिक्षण	2
6.	एशियन इन्सटीट्यूट ऑफ मनेजमेंट	मनीला, फिलीपींस	मनेजिंग पब्लिक स्टेकहोल्डर्स प्रोगाम	1
7.	पब्लिक प्राइवेट पार्टेनशिप संस्थान (आईपी 3)	वाशिंगटन, यूएसए	टेलीकॉम तथा आईटी सेवाओं के विनियम में सर्वोत्तम कार्यव्यवहार	3
8.	आस्ट्रेलियन कम्यूनिकेशंस आथोरिटी (ACA)	केनबरा, आस्ट्रेलिया	दूरसंचार का विनियम प्रशिक्षण	2
		कुल		**18**

(ख) घरेलू प्रशिक्षण

क्रम सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	स्थान	प्रशिक्षण का संक्षिप्त ब्यौरा	भेजे गए अधिकारियों की संख्या
1.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	गैंगटोक	ई–गवर्नेंस	2
2.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	मसूरी एवं पोर्टब्लेयर	नॉन आईटी एक्जीक्यूटिव के लिए आईटी	3 (2+1)
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंट्स ऑफ इंडिया	ऊटी	ई–टीडीएस रिटर्न के लिए टीडीएस फाइल करना	1
4.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	लेह	टीम बिल्डंग एवं टीम वर्क	1
5.	इंस्टीट्यट ऑफ सेक्रेटीयल ट्रेनिंग एण्ड मनेजमेंट	दिल्ली	कैश एवम लेखा	1
6.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	कोवलम	सूचना संसाधनों का प्रबंधन	1
7.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल	गोवा	एक्जीक्यूटिव के लिए आईटी टूल्स	3
8.	एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर (एएलटीटीसी)	गाज़ियाबाद	(i) ग्रामीण संचार पर प्रशिक्षण (ii) 3 जी एवम इमरजिंग वायरलैस टेक्नोलॉजी (iii) जीएसएम / जीपीआरएस एसेनशियल (iv) सीडीएमए 1एक्स जेडटीई	2 1 1 1
9.	राइट्स लि.	नौएडा	इंटरनल क्वॉलिटी ऑडिटर प्रशिक्षण	10
10.	इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्ट्रीएट ट्रेनिंग एण्ड मनेजमेंट (आईएसटीएम)	दिल्ली	माइक्रोसॉट पावरप्वाइंट एवं एक्सेल का इन्ट्रोडक्शन	4
11.	एनआईटीएस	नौएडा	आईएसओ:9001 के लिए ऑडिटर कोर्स	1
12.	इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटिएट ट्रेनिंग एण्ड मनेजमेंट	दिल्ली	प्रभावी टिप्पण / प्रारूप	8
		कुल		**40**

12. ट्राई के पास अपने कार्मिकों के कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य के दौरान, परिसर में ही प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की प्रणाली भी विद्यमान है जिसमें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात विशेषज्ञों द्वारा, दूरसंचार क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के बारे में इसके अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए यह ट्राई का एक और कदम है।

iii) सेमिनार/कार्यशालाएं

13. विश्वभर में हो रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नीति निरूपण के लिए प्राधिकरण ने अपने कई अधिकारियों को निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों, बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेने और इनसे बहुमूल्य जानकारियां/फीडबैक प्राप्त करने के लिए भेजा। अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर विचार विमर्श में, 'ट्राई' की सहभागिता से, इस संबंध में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से भारत में विनियामक संबंधी वर्तमान विचार बिन्दुओं पर मदद मिलती है, और ऐसा करने से ट्राई के कार्मिक भी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से अवगत होते हैं।

तालिका 4.2 : 2005–2006 के दौरान प्राधिकरण एवं 'ट्राई' के अधिकारियों ने जिन सेमिनारों/कार्यशालाओं/बैठकों आदि में भाग लिया उनका विवरण

क्रम सं.	विषय और आयोजक	स्थान	प्राधिकारी एवं अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
1.	ग्लोबल आईपीवी 6 समिट	बीजिंग (चाईना)	उपसलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
2.	वीओआईपी वर्ल्ड एशिया पेसेफिक 2005	सिडनी (आस्ट्रेलिया)	प्रधान सलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
3.	आईटीयू/बीडीटी– मानव संसाधन की राइटसाइजिंग	बैंकाक (थाईलैंड)	सलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
4.	रेडियो एशिया–2005 एशियन मीडिया इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन सेंटर, एशिया पेसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन एण्ड सिंगापुर एक्जीबिशन सर्विसेज	सिंगापुर	संयुक्त सलाहकार –1
5.	एपीसी ऑपरेटर्स फोरम में प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रण	सियोल	उपसलाहकार –1
6.	वर्ल्ड डायलॉग ऑफ रेगुलेशन फोरम सहित दूरसंचार सुधार पाठ्यक्रम	सिंगापुर	उपसलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1

क्रम सं.	विषय और आयोजक	स्थान	प्राधिकारी एवं अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
7.	सबमरीन नेटवर्क्स वर्ल्ड 2005 पर 8वां वार्षिक सम्मेलन	सिंगापुर	संयुक्त सलाहकार –1
8	8 वां वार्षिक एशिया पेसेफिक बिलिंग एण्ड कस्टमर केयर 2005–सम्मेलन	सिंगापुर	उपसलाहकार –1
9.	वार्षिक वीओआईपी एशिया 2005	सिंगापुर	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
10.	सीएबीएए का वार्षिक कनवेंशन	हांगकांग	सलाहकार –1
11.	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी पर सेमिनार/बैठक	जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	सलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
12.	वर्ल्ड टेलीकॉम डेवलपमेंट कान्फ्रेंस 2006 (डब्ल्यूटीडीसी–06)	दोहा, कतर	सचिव–1 सलाहकार –1
13.	25 वां एपीटी (स्टीयरिंग) अध्ययन दल की बैठक	बैंकाक	सलाहकार –2 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
14.	टेलीकॉम पॉलिसी एण्ड रेगुलेशन 2005 पर एपीटी एशिया पेसेफिक फोरम और आईटीयू प्लेनीपोटेंशियरी	सिंगापुर	प्रधान सलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
15.	रिजनल वर्किंग ग्रुप की बैठक–आईटीयू फोरम	बैंकाक	प्रधान सलाहकार –1
16.	रेगुलेटर के लिए छटा वार्षिक ग्लोबल सिम्पोज़ियम	टयूनिश, टयूनिशिया	सलाहकार –1
17.	आईटीयू एनजीएन इवेंट	लंदन	प्रधान सलाहकार –1
18.	एपीटी की जनरल एसेंबिली का 10वां सत्र	पाकिस्तान	प्रधान सलाहकार –1
19.	7वीं एसएटीआरसी बैठक	बंदोस द्वीप, मालद्वीव	सलाहकार–1 संयुक्त सलाहकार –1
20.	आईटीयू का इन्फोडेव टूलकिट विशेषज्ञ समीक्षा समिति	जेनेवा	सलाहकार –1
21.	एनजीएन–जीएसआई वर्क पर आईटीयू प्रोजेक्ट बैठक	जेनेवा	उप सलाहकार –1
22.	डब्ल्यूटीडीसी–06 पर एपीटी तैयारी बैठक	बैंकाक	सचिव–1
23.	फिक्स्ड मोबाइल कन्वर्जेंस पर आईटीय/बीडीटी रिजनल सेमिनार	नैरोबी, केनिया	सचिव –1
24.	एशिया पेसेफिक टेक. रेगुलेशन फोरम/एबीयू डब्ल्यूआरसी–07 प्रिपेटरी सेमिनार	क्वालालम्पूर	सलाहकार –1

क्रम सं.	विषय और आयोजक	स्थान	प्राधिकारी एवं अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
25.	मोबाइल टेलीकॉम एवम फिक्सड/ मोबाइल कन्वर्जेंस पर आईटीयू(टी) सेमिनार	यूक्रेन	सलाहकार –1
26.	कम्यूनिकेशन एशिया 2005 एवं इन्टरप्राइज आईटी 2005 (प्रदर्शनी)	सिंगापुर	उप सलाहकार –1
27.	यूबीक्यूशियस नेटवर्क सोसाइटी के संबंध में आईटीयू वर्कशॉप	जेनेवा	उप सलाहकार –1
28.	जीआईसीटी वर्कशॉप	यूएसए, वाशिंगटन	सचिव–1
29.	वर्तमान मोबाइल नेटवर्क का आईएमटी 2000 में निर्बाध अंतरण के संबंध में मार्गदर्शन के लिए आईटीयू रिजनल वर्कशॉप	सीरिया	सचिव–1
30.	एनजीएन के लिए आईटीयू वर्कशॉप	बैंकाक	उप सलाहकार –1
31.	एपीटी और कम्यूनिकेशंस एण्ड इन्फारमेटिक्स मंत्रालय इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में आयोजित नेटवर्क सिक्योरिटी और एसपीएएम पर आयोजित सिम्पोज़ियम	इंडोनेशिया	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
32.	ऑफकॉम द्वारा आयोजित आईआईसी इंटरनेशनल फोरम	लंदन	संयुक्त सलाहकार –1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी –1
33.	टेलीकॉम सेक्टर में विवाद निपटान के संबंध में वर्कशॉप	बैंकाक	उप सलाहकार –1
34.	'व्हाट रूल्स फार आई पी एनेबल्ड एनजीएन' पर आईटीयू की नई पहल पर वर्कशॉप	जेनेवा	प्रधान सलाहकार –1
	कुल		**45**

सूचना का अधिकार अधिनियम

14. 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी, सूचना के अधिकार का अधिनियम ट्राई पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्राधिकरण ने एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया है, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रधान सलाहकार को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा वह सूचना जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, ट्राई की वैबसाइट पर दी गई है।

15. वर्ष के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई और 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर दे दिया गया है।

आईएसओ 9001:2000 ट्राई को प्रमाण पत्र प्राप्त होना

16. ट्राई को इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001:2000 के अंतर्गत प्रमाण–पत्र देने वाली संस्था अर्थात् ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्डस (बीआईएस) से लाइसेंस प्राप्त हुआ था। जारी किया गया लाइसेंस 3 वर्ष के लिए है। तीन वर्ष की इस अवधि के दौरान बीआईएस ट्राई में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरन्तर सुधार सुनिश्चित करने के लिए तीन सर्वेलेंस ऑडिट करेगी। इसके अनुसरण में बीआईएस ने 18.10.2005 को पहला सर्वेलेंस ऑडिट किया तथा पाया कि ट्राई की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रभावी है।

17. सचिव, ट्राई द्वारा मासिक आधार पर इस बारे में बैठकें करने के अलावा आन्तरिक तौर पर प्रशिक्षित 23 ऑडिटरों द्वारा भी तिमाही आधार पर 4 तिमाही ऑडिट करके कार्यविधि में निरन्तर सुधार सुनिश्चित किया जाता है। जून, 2005 तथा मार्च, 2006 में आयोजित बैठकों के दौरान वर्ष के दौरान दो बार शीर्षस्थ प्रबंधन ने भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की।

4.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2005–06 के परीक्षाकृत लेखा

लेखा–परीक्षा प्रमाण पत्र

मैने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का 31 मार्च, 2006 के संलग्न तुलन–पत्र की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे/प्राप्ति और भुगतान के लेखों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करवाने की जिम्मेवारी दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की है। मेरा दायित्व मेरी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने का है।

मैंने लागू नियमों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत सामान्य लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि मैं लेखा–परीक्षा की इस प्रकार की योजना बनाऊं तथा कार्यनिष्पादन करूं जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण में कोई गलत कथन न हो। लेखा–परीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच और रकम तथा वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सूचना के समर्थन में साक्ष्य शामिल होते हैं। मुझे विश्वास है कि लेखा–परीक्षा में मेरे विचारों का समुचित आधार विद्यमान है।

लेखा–परीक्षा के आधार पर, मैं सूचित करता हूं किः

1. मैंने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

2. नीचे दी गई प्रमुख टिप्पणियों तथा इनके साथ संलग्न पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में विस्तृत टिप्पणियों के अध्यधीन, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और आय तथा व्यय के लेखे/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखे समुचित ढंग से रिपोर्ट किए गए और ये लेखा बहियों के अनुसार हैं।

   - किराया और रखरखाव प्रभार, संपत्तिकर तथा इन ब्याज और पानी, बिजली, फनिर्शिंग, सामान्य सेवाएं, सुरक्षा, सफाई प्रभार आदि की देयताओं का प्रावधान न किए जाने के कारण, 'आय से व्यय का आधिक्य' में 5.97 करोड़ रु. कम दर्शाए गए हैं **(पैराग्राफ 2.1)**।

- परित्यक्त फिक्सचरों की संभावित हानि के लिए प्रावधान न किए जाने के कारण 'आय से व्यय के आधिक्य' में 1.12 करोड़ रु. कम दर्शाए गए हैं **(पैरा 2.2.1)**।

- अचल परिसंपत्तियों का ब्यौरा नहीं रखा जा रहा है। अचल परिसंपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया तथा अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर से सत्यापित नहीं किया जा रहा है। **(पैराग्राफ 2.3.1)**।

3. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी में तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) लेखे, लेखों के लिए निर्धारित फार्मेट में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं:

(ii) उक्त तुलन–पत्र, आय तथा व्यय के लेखे/प्राप्ति और भुगतान लेखे, जिन्हें उनसे सम्बद्ध लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इसके साथ संलग्न पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के तुलन–पत्र की स्थिति है, यह 31 मार्च, 2006 से संबंधित है, और

(ख) जहां तक 'आय के व्यय से आधिक्य' के आय और व्यय के लेखों का संबंध है, ये भी उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं।

ह0/–

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2006

(विक्रम चन्द्र)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा (पी एंड टी)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई/TRAI) का गठन दूरसंचार सेवाओं और उनसे संबंधित अथवा उनके प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 नामक, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 20 फरवरी, 1997 को किया गया था। टीआरएआई अधिनियम को 24 जनवरी, 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश के जरिए संशोधित किया गया तथा विवाद निपटान एवम् अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापित करके न्याय निर्णय तथा विवाद कार्यों को ट्राई से अलग कर दिया गया।

1.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 23(2) में यह व्यवस्था है कि प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा–परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत ट्राई की वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की गई।

ट्राई को वर्ष 2005–2006 के दौरान केन्द्रीय सरकार से इस वर्ष के लिए स्वीकृत 13.00 करोड़ रु. (गैर योजनागत) की तुलना में 13.00 करोड़ रु. तथा सरकार के पास रखे ट्राई के खाते से 20 लाख रुपए (गैर योजनागत) की राशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों (गैर योजनागत) का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूरा इस्तेमाल किया गया। ट्राई को 3.00 करोड़ रु. के स्वीकृत अनुदान में से 2.00 करोड़ रु. भी प्राप्त हुए। ट्राई ने 1.44 करोड़ रु. (योजनागत निधि) का इस्तेमाल किया तथा 0.56 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

2 लेखाओं पर टिप्पणियां

तुलन पत्र

2.1 देयताएं

वर्तमान देयताएं और प्रावधान — 3.22 करोड़ रु.
(अनुसूची–एल (L))

स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (STC) के जवाहर व्यापार भवन (JVB) की 16वीं और 20 वीं मंजिल को किराये पर लेने के लिए, ट्राई द्वारा किए गए लीज करार की शर्तों के अनुसार उत्पन्न, जून 1997 से लेकर जून 2001 तक की विभिन्न अवधियों से संबंधित (नवंबर 2002 तक के ब्याज सहित) किराया और रखरखाव प्रभार (2.25 करोड़ रु.) और संपत्ति कर तथा उसके ब्याज (2.98 करोड़ रु.) और पानी, बिजली, फर्निशिंग, सामान्य सेवाएं, सुरक्षा, सफाई प्रभार आदि (0.74 करोड़ रु., जैसा कि अनुबंध–I में दिया गया है) अर्थात् कुल 5.97 करोड़ रु. की देयताओं के प्रावधान को उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया है। इन ज्ञात देयताओं का प्रावधान न करना न केवल अनुसूची–टी (T) में उल्लिखित ट्राई की अपनी विशिष्ट लेखा नीति सं. 1 (III) के प्रतिकूल रहा, बल्कि इसका परिणाम यह हुआ कि:

(i) "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" तथा "व्यय" प्रत्येक में 5.97 करोड़ रु. कम दिखाए गए।

(ii) 'आय से व्यय का आधिक्य' 5.97 करोड़ रु. कम दर्शाया गया तथा 'पूंजी निधि' में 5.97 करोड रु. बढ़ा कर दिखाए गए।

इसके अलावा, उपर्युक्त सीमा तक इसके लेखाओं के नोट (अनुसूची–टी (T)) की टिप्पणी 13 गलत है।

2002–03 से 2004–05 तक के लेखा में की गई इसी प्रकार की टिप्पणी के बावजूद प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.2 परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची–एच (H))

सकल ब्लॉकः	**6.48 करोड़ रु.**
संचयी मूल्यह्रास :	**3.52 करोड़ रु.**
शुद्ध ब्लॉकः	**2.96 करोड़ रु.**

2.2.1 एसटीसी के जवाहर व्यापर भवन के 16वें तथा 20वें मंजिल में परित्यक्त (जून 2001) फिक्सचरों के मूल्यह्रास को गलत प्रभारित करने, इन फिक्सचरों की लागत के भुगतान को विलम्ब से रिलीज करने के कारण ब्याज को 'पूंजीगत' के बजाय 'विविध व्यय' में गलत लेखांकन करने, अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची से इन परित्यक्त परिसंपत्तियों का न हटाने और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स आफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक–10 की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन में वित्तीय विवरण में अलग से इन्हें परित्यक्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाने तथा उनके मूल्य में संभावित हानि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप (अनुलग्नक–2 के ब्यौरे के अनुसार) यह हुआ किः

(i) 'वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों' में 1.22 करोड़ रु. कम दिखाए गए।

(ii) 'परित्यक्त परिसंपत्तियों' में 26.23 लाख रु. कम दिखाए गए।

(iii) मूल्यह्रास (9.16 लाख रु.) और ब्याज (17.07 लाख रु.) के गलत प्रभारण (चार्जिंग) के कारण, पिछले वर्ष के अधिक व्यय की पुनः समुचित स्थान पर गणना न करने की वजह से, "पूंजीगत निधि से वर्ष के दौरान निवल घटाव" (अनुसूची–I) में 26.23 लाख रु. बढ़ाकर दिखाए गए।

(iv) 'व्यय (परित्यक्त परिसंपत्तियों की संभावित हानि के लिए प्रावधान)' में 1.12 करोड़ रु. कम दिखाए गए।

(v) 'आय से व्यय के आधिक्य' में 1.12 करोड़ रु. कम दिखाए गए।

(vi) 'पूंजीगत निधि' में 86.36 लाख रु. बढ़ाकर दिखाए गए।

वर्ष 2002–03 से 2004–05 के लेखाओं में इसी प्रकार की टिप्पणी के बावजूद प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.2.2 अचल परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक में एक ऐसे लैपटॉप के मूल्य के 1.17 लाख रु0 की घटी कीमत शामिल थी, जो एक परामर्शदाता के घर से खो (सितम्बर, 2001) गया था। परन्तु न तो लैपटॉप का मूल्य अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची से हटाया गया और न ही इस कारण हुई हानि को मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार परामर्शदाता से वसूल किया गया। परिणामतः यह हुआ कि :

(i) "अचल परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक" में 1.17 लाख रु0 ज्यादा दिखाए गए।

(ii) 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां–प्राप्त किए जाने योग्य दावे' (अनुसूची–आर (R)) में 1.17 लाख रु0 कम दर्शाए गए।

वर्ष 2002–03 से 2004–05 के लेखाओं में इसी प्रकार की टिप्पणी के बावजूद प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.3 सामान्य

2.3.1 लेखाओं में उल्लिखित अचल परिसंपत्तियों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि अचल परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरा जैसे कि उनका स्थान, उनकी विशिष्टियां, पूर्ण लागत का ब्यौरा तथा परिसंपत्ति का विवरण, उस अधिकारी का ब्यौरा जिनके आवास पर इस्तेमाल के लिए परिसंपत्ति जारी की गई, का ब्यौरा एक स्थान पर अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर में उपलब्ध नहीं था और वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन भी नहीं किया गया।

2.3.2 वर्ष 2005–06 के लिए, प्राधिकरण ने योजना निधि के लेन–देन के संबंध में लेखाओं (प्राप्ति तथा भुगतान लेखे, आय और व्यय के लेखे तथा तुलन–पत्र) का पृथक सेट तैयार किया है। इन लेन–देन को ट्राई के मुख्य लेखों में समाहित नहीं किया गया है और प्राधिकरण ने समेकित लेखे तैयार नहीं किए जिससे इन सभी कार्यकलापों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है।

2.4 लेखाओं पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दी गई टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव यह है कि 31 मार्च, 2006 को परिसंपत्तियों में 26 लाख़ रु., देयताओं में 7.09 करोड़ रु. कम दर्शाए गए, वर्ष में "आय से व्यय के आधिक्य" के अंतर्गत 7.09 करोड़ रु. कम दर्शाए गए हैं। "पूंजी निधि से वर्ष के दौरान निवल घटाव" में 26 लाख़ रु. अधिक दर्शाए गए और 'पूंजीगत निधि' में 6.83 करोड़ रुपए ज्यादा दर्शाए गए।

2.5 मामूली किस्म की कमियां

ट्राई के वार्षिक लेखों में मामूली किस्म की कमियों को प्रबंधन के 25 सितम्बर, 2006 के पत्र सं. रिपोर्ट–II/ट्राई/ए/सीएस/2005–06/750 के माध्यम से ट्राई के अध्यक्ष के ध्यान में अलग से लाया गया है।

ह0/–
(विक्रम चन्द्र)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
तारीख : 25 सितम्बर, 2006

अनुलग्नक–1

(पैराग्राफ सं0 2.1 के संदर्भ में)

दिसंबर 1997 से मार्च 2001 तक की अवधि से संबंधित पानी और बिजली, फर्नीचर आदि के प्रभार तथा किराए, सामान्य सेवाएं और सुरक्षा एवं सफाई प्रभारों की शेष राशियों का विवरण जिनका 'ट्राई' के ऊपर 'एसटीसी' द्वारा बकाया राशि का दावा किया गया है।

क्रम सं0	दावे का स्वरूप	मंजिल	अवधि	राशि (लाख रु. में)
1.	पानी के प्रभार	–	मार्च 1998; 6 जुलाई '99 से 7 सितम्बर '99 तथा 3 दिसंबर '99 से 4 दिसंबर '2000 तक	0.15
2.	बिजली के प्रभार		5 दिसंबर '97 से 9 जनवरी '98 तक तथा 2 नवंबर '99 से 5 जनवरी '2000 तक	1.59
3.	फर्नीचर (साज–सज्जा)	16वीं 20वीं	अगस्त '1999 से मार्च '2001 तक अगस्त'1999 से मार्च '2001 तक	46.71 17.46 **64.17**
4.	किराये, सामान्य सेवाएं, सुरक्षा तथा सफाई प्रभारों की बकाया राशियां	16वीं 20वीं	फरवरी 2000 फरवरी 2000	20.55 07.68 28.23 (–) *20.12 **08.11**
			भुगतान के लिए बकाया कुल देय राशि (क्रम सं0 1 से 4)	**74.02**

*(*20.12 लाख रु. 'ट्राई' द्वारा पहले ही दिया जा चुका है)*

अनुलग्नक–2

(पैरा 2.2.1 में के संदर्भ में)

जवाहर व्यापार भवन के 16वें तथा 20वें तल में परित्यक्त फिक्सचरों के गलत लेखांकन के कारण विभिन्न लेखा शीर्षों पर प्रभाव का ब्यौरा।

1. **फर्नीचर तथा फिक्चरों के सकल ब्लॉकः**

   122.22 लाख रूपये के इस आंकड़े के लिए वर्तमान वर्ष के लेखाओं (अनुसूची–टी (T)) की टिप्पणी सं0 10 (बी) देखें।

2. **फर्नीचर तथा फिक्चरों के शुद्ध ब्लॉक :**

   86.36 लाख रूपये के इस आंकड़े के लिए लेखाओं (अनुसूची–टी (T)) की टिप्पणी सं0 10 (बी) देखें।

3. **'वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों' तथा 'परित्यक्त परिसम्पत्तियों' को कम दिखानाः**

   इसे निम्नानुसार तैयार किया गया हैः

   (i) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार जवाहर व्यापार भवन में पड़े फिक्सचरों का निवल ब्लॉक = 86.36 लाख रु.

   (ii) वर्ष 2001–02 के लिए इन फिक्सचरों पर वास्तविक प्रभारित मूल्यह्रास (122.22 लाख X10%) = 12.22 लाख रु.

   (iii) उपरोक्त फिक्सचरों पर 3 माह (अर्थात 1.4.01 से 30.6.01 तक) का मूल्यह्रास जो इन पर लगाया जाना चाहिए था = 3.06 लाख रु.

   (iv) 2001–02 के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की अधिकता [(ii)-(iii)] = 9.16 लाख रु.

   (v) 30.6.01 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त फिक्चरों का निवल ब्लॉक [(i)+(iv)] =95.52 लाख रु.

   (vi) विलम्बित भुगतानों के लिए दिया गया ब्याज (ट्राई के 2001–02 के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी 12(II) देखें) तथा वर्ष 2001–02 में विविध व्ययों के रूप में प्रभारित) =17.07 लाख रु.

(vii) 31.3.02 की स्थिति के अनुसार परित्यक्त परिसम्पत्तियों (ऊपर दिए गए फिक्सचरों) का मूल्य [(v)+(vi)] इनसे हुई हानियों का प्रावधान किया जाना चाहिए था। =112.59 लाख रु.

4. पिछली अवधि के प्रभारित व्यय के आधिक्य को (अधिक मूल्यह्रास और ब्याज को विविध व्ययों के रूप में), पिछली अवधि की आय की तरह, न दिखाने के कारण, 'पूंजी निधि' (अनुसूची–I) से वर्ष के दौरान (पिछली अवधि से संबंधित) निवल घटाव की राशि 26.23 लाख रु. बढ़ाकर दिखाई गईः

अधिक मूल्यह्रास के लिए उपरोक्त मद सं. 3(iv) देखें और विविध व्ययों के रूप में ब्याज के लिए उपरोक्त मद सं. 3(vi) देखें।

5. परिसंपत्तियों की हानियों के प्रावधानों को कम दिखाना और "व्यय से आय के आधिक्य" को कम दिखना तथा "पूंजी निधि" को अधिक दिखानाः

(क) 112.59 लाख रूपये की हानियों के लिए प्रावधान को कम दिखाने हेतु उपरोक्त मद सं. 3(vii) देखें, जिसके परिणामस्वरूप 'आय से व्यय का आधिक्य' में इतना ही परिणामी प्रभाव पड़ा।

(ख) पूंजी निधि को बढ़ाकर दिखानाः

2003–04 में हानि के लिए प्रावधान की अपेक्षित कुल राशि	=112.59 लाख रु.
घटाएंः 2001–02 में अधिक लगाया गया मूल्यह्रास जिसे पुनः उपयुक्त स्थान पर दिखाना है	= 9.16 लाख रु.
	= 103.43 लाख रु.
घटाएंः 2001–02 में विविध व्ययों के रूप में गलत प्रभारित, विलम्बित भुगतानों पर ब्याज, जिसे पुनः उपयुक्त स्थान पर दिखाना है	= 17.07 लाख रु.
उपर्युक्त का शुद्ध प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप "पूंजी निधि" को बढ़ाकर दिखाया गया।	**= 86.36 लाख** रु.

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अंतिम लेखा विवरण

2005–2006

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

(रुपये में)

लेखा कोड	प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष 31.3.06 को	पिछले वर्ष 31.3.05 को	लेखा कोड	भुगतान	वर्तमान वर्ष 31.3.06 को	पिछले वर्ष 31.03.05 को
1	अग्रेषित शेष में			13	अध्यक्ष एवं सदस्यगण		
1.1	बैंक में	19455509	1373218	13.1	वेतन एवं भत्ते	1967181	1952068
1.2	हस्ते नकद राशि	29604	15511	13.2	अन्य लाभ	250273	181571
2	शुल्क प्रभार व जुर्माना			13.3	यात्रा व्यय		
2.1	शुल्क	2000	27400	13.3.1	विदेश	239473	1826251
2.2	प्रभार			13.3.2	घरेलू	1403756	991105
				13.4.1	सेवा निवृत्ति लाभ	143511	
2.3	जुर्माना		8704689	14	अधिकारीगण		
2.4	अन्य (विनिर्दिष्ट)			14.1	वेतन एवं भत्ते	24862841	20446752
3	अनुदान	132000000	124000000	14.2	सेवानिवृति लाभ	764430	470544
3.1	सरकार के पास खाता			14.3	अन्य लाभ	3683242	1874151
3.2	अन्य (विनिर्दिष्ट)			14.4	यात्रा व्यय		
4	उपहार			14.4.1	विदेश	5597686	5025989
5	सेमिनार व सम्मेलन			14.4.2	घरेलू	2361235	1981980
6	प्रकाशनों की बिक्री	4500	2030	15	कर्मचारीगण		
7	निवेशों व निक्षेपों की आय			15.1	वेतन एवं भत्ते	9505888	8496137
7.1	निवेशों की आय			15.2	सेवानिवृति लाभ	404357	251898
7.2	निक्षेपों की आय			15.3	अन्य लाभ	848152	668377
8	कर्ज			15.4	यात्रा व्यय		
8.1	सरकार को			15.4.1	विदेश		
8.2	अन्य (विनिर्दिष्ट)			15.4.2	घरेलू	121187	172498
9	परिसंपत्तियों की बिक्री			16	वाहन किराया	954639	753836
10	निवेशों की बिक्री			17	मजदूरी	2800	1085103
11	वेतन बिलों से वसूली			18	समयोपरि	359869	346777
11.1	कर्ज और पेशगियां			19	मानदेय	0	26000
	मूल राशि			20	अन्य कार्यालय व्यय	41985339	36932157
11.2	कर्ज और पेशगियों पर ब्याज	6334	17823	21	अनुसंधान पर व्यय		
11.3	विविध	488954	518172	22	परामर्श व्यय	576554	1302000
12	विविध आय	16915	49057	23	सेमिनार एवं सम्मेलन	2421693	2158411
20	टेलीफोन और पेट्रोल की वसूली			24	ट्राई के प्रकाशन		
33.1.1	कर्ज और पेशगी		50770	25	किराया व कर	23020263	22303407
33.1.3.4	एलटीसी अग्रिम की वसूली			26	कर्जों पर ब्याज		
33.3	पेशगियां अन्य		1385814				
40.1	पूंजी कोष	648462	744793	27	प्रोन्नति व्यय		
42.2.1	ठेकेदारों से जमा	340000	50000	28	सदस्यता शुल्क	210907	173118
42.5	प्रावधान को			29	अभिदान	164810	155500
42.6	अन्य देयताओं को	1040	9526	30	स्थायी परिसंपत्ति खरीद	3814847	4182871
46.1	दावा स्वीकार्य	265135	1229870	31.1	निवेश		
46.2	प्रतिभूति निक्षेप		20400				
46.5	अन्य को	155701		31.2	निक्षेप		
33.1.2	ऋण और अग्रिम	25869		32	प्रतिभूति निक्षेप		
				33	कर्ज और पेशगियां		
				33.1	कर्मचारीगण		
				33.1.1	प्राधिकरण		
				33.1.2	अधिकारीगण	3524880	467621
				33.1.3	कर्मचारीगण		689770
				33.2	पूर्तिकर्त्ता व ठेकेदार	1527039	656541
				33.3.	अन्य	63623	
				34	कर्जों की वापसी		
				35	अन्य (डब्ल्यूबीपी–4555आईएन)		
					छुट्टी वेतन व पेंशन		
				35.1	अंशदान	2988681	1712369
				35.2	लेखा परीक्षा शुल्क	152280	149040
				35.3	विविध		948000
				42.2.1	ठेकेदारों का जमा		
				44.1	चालू पूंजीगत कार्य		
				46.5	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		332118
				46.2	प्रतिभूति जमा	3600	
				36	अग्रेषित शेष राशि		
				36.1	बैंक	19481665	19455509
				36.2	नगदी	33322	29604
	जोड	153440023	138199073			153440023	138199073

ह0/–	ह0/–	पदरिक्त	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ ए एंड आईएफए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि का आय–व्यय लेखा

(रूपयों में)

लेखा कोड	व्यय	अनुसूची	चर्तमान वर्ष 31.3.06 को	पिछले वर्ष 31.3.05 को	लेखा कोड	आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31.3.06 को	पिछले वर्ष 31.3.05 को
13	अध्यक्ष व सदस्यगण				2	शुल्क प्रभार व जुर्माना	।	2000	27400
13.1	वेतन और भत्ते		1502163	1390143	2.1	शुल्क			
13.2	अन्य लाभ	ड	271044	137978	2.2	प्रभार			
13.3	यात्रा व्यय				2.3	जुर्माना			
13.3.1	विदेश			813217	2.4	अन्य (विनिर्दिष्ट)			
13.3.2	घरेलू		1388568	1044647	3	अनुदान	ठ		
13.4	सेवानिवृति लाभ	क	143511	98400					
14	अधिकारीगण				3.1	सरकार के पास खाता		130000000	130000000
14.1	वेतन और भत्ते		25238465	20867579	3.2	अन्य (विनिर्दिष्ट)			
14.2	सेवानिवृति लाभ	क	764430	470544	4	उपहार			
14.3	अन्य लाभ	ड	4026288	1918331	5	सेमिनार एवं सम्मेलन			
14.4	यात्रा व्यय				6	प्रकाशनों की बिक्री		4500	2030
14.4.1	विदेश		5680818	4403335	7	निवेश व निक्षेप की आय			
14.4.2	घरेलू		2312576	1868868	7.1	निवेश की आय			
15	कर्मचारीगण				7.2	निक्षेप की आय			
15.1	वेतन और भत्ते		9443633	8698098	11.2	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज		6335	17823
15.2	सेवानिवृति लाभ	क	404357	251898	12	विविध आय		16915	49057
15.3	अन्य लाभ	ड	1107003	665370	12.1	परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ			
15.4	यात्रा व्यय					आय से व्यय का आधिक्य आय		2480846	
15.4.1	विदेश					(पूंजीगत निधि को अंतरित)			
15.4.2	घरेलू		121187	143833					
16	वाहन किराया		916522	752717					
17	मजदूरी			152900					
18	समयोपरि		380688	360736					
19	मानदेय			26000					
20	अन्य कार्यालय व्यय	ग	43348873	39749305					
21	अनुसंधान पर व्यय								
22	परामर्श व्यय		1035935	1302000					
23	सेमिनार व सम्मेलन		2838672	2207582					
24	ट्राई के प्रकाशन								
25	किराया व कर		22680000	22505250					
26	कर्जों पर ब्याज								
27	प्रोन्नति व्यय								
28	सदस्यता शुल्क	ज	183696	0					
29	अभिदान	ळ	189298	115945					
35	अन्य								
	छुट्टी वेतन एवं पेंशन								
35.1	अंशदान		3007836	2759525					
35.2	लेखा परीक्षा शुल्क		112770	132525					
35.3	विविध			948000					
37	मूल्यह्रास	घ	5274909	5776625					
48	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		137354	116830					
49	अप्राप्य ऋण बटटे खाते में								
50	अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था								
	व्यय से आय का आधिक्य								
	(पूंजीगत निधि लेखा को अंतरित)			10418129					
	जोड़		**132510596**	**130096310**		**जोड़**		**132510596**	**130096310**

ह0/–	ह0/–	पदरिक्त	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ ए एंड आईएफए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(रूपयों में)

लेखा कोड	देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को	लेखा कोड	परिसंपत्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
40	निधियां				43	स्थायी परिसंपत्तियां	H		
40.1	पूंजीगत निधि	I	76603024	67119013	43.1	लागत पर सकल ब्लाक		52597317	58295417
						घटाएं: संचित ह्रास		31580059	29975436
					43.2				
	जोड़ें : आय का व्यय से आधिक्य (पिछले वर्ष – व्यय का आय से आधिक्य)		.2480846	10418129	43.3	निवल ब्लाक		21017258	28319981
						जेवी भवन में छोड़ी गई परिसंपत्ति			
						लागत पर सकल ब्लाक		12222170	
	शेष		74122178	77368584		घटाएं: संचयी मूल्यह्रास		.3586538	
						जेवी भवन में छोड़ी गई परिसंपत्तिका शुद्ध ब्लॉक		8635632	
						कुल निवल ब्लाक:		29652890	
40.2	अन्य निधियां (विनिर्दिष्ट)				44	पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	M		0
41	आरक्षित निधियां	J			31	निवेश और निक्षेप	N		
8	कर्ज	K			31.1	निवेश			
8.1	सरकारी				31.2	निक्षेप			
8.2	अन्य				33	कर्जे व पेशगियां	O	8271901	3182228
42	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	L	32154749	24937707	3.1	सरकार के पास खाता	S	37100000	39100000
					45	विविध देनदार	P		
					36	नगदी और बैंक शेष	Q	19514987	19485112
					46	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	R	11737149	12218970
	जोड़		**106276927**	**102306291**		**जोड़**		**106276927**	**102306291**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ ए एंड आईएफए)

ह0/–
सचिव

पदरिक्त
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

अनुसूची – A
शुल्क, प्रभार तथा जुर्माना

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
2.1	शुल्क		
2.1.1	पंजीकरण शुल्क		
2.1.2	न्याय निर्णयन शुल्क		
2.1.3	दस्तावेज प्राप्ति शुल्क		
2.1.4	अन्य	2000	27400
	जोड़	**2000**	**27400**
2.2	प्रभार		
2.2.1	सरकारी		
2.2.2	एमटीएनएल		
2.2.3	वीएसएनएल		
2.2.4	अन्य पी एस यू		
2.2.5	निजी प्रचालक		
	जोड़		**0**
2.3	जुर्माना		
2.3.1	सरकारी		
2.3.2	एमटीएनएल		
2.3.3	वीएसएनएल		
2.3.4	अन्य पी एस यू		
2.3.5	निजी प्रचालक		
	जोड़		**0**
2.4	अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	कुल जोड़	**2000**	**27400**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – B
अनुदान

(रुपयों में)

लेखा कोड	विवरण	स्रोत	1.4.2005 को आदि शेष	वर्ष के दौरान मंजूर अनुदान	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	31.3.06 को अंत शेष
3.1	सरकारी (सरकार के पास खाता)	बजट वित्त मंत्रालय	39100000	130000000	132000000	37100000
	जोड़					
3.2	अन्य अनुदान					
	जोड़					
	कुल जोड़		**39100000**	**130000000**	**132000000**	**37100000**
	पिछले वर्ष		**33100000**	**130000000**	**124000000**	**39100000**
	नोटः अनुसूची S तथा अनुसूची T का नोट 8 भी देखें					

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – C
अन्य लाभ

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
13.2	अध्यक्ष व सदस्यगण		
13.2.1	छुट्टी यात्रा रियायत	70220	
13.2.2	चिकित्सा लाभ	36878	55105
13.2.3	अन्य (विनिदिष्ट)	163946	82873
	जोड़	**271044**	**137978**
14.3	अधिकारीगण		
14.3.1	बोनस अनुग्रह राशि		
14.3.2	छुट्टी यात्रा रियायत	1931933	591082
14.3.3	चिकित्सा लाभ	1992385	1220630
14.3.4	कल्याण व्यय	101970	106619
	जोड़	**4026288**	**1918331**
15.3	कर्मचारीगण		
15.3.1	बोनस अनुग्रह राशि	127415	
15.3.2	छुट्टी यात्रा रियायत	312651	131396
15.3.3	चिकित्सा लाभ	666937	523894
15.3.4	कल्याण व्यय		10080
	जोड़	**1107003**	**665370**
	कुल जोड़	**5404335**	**2721679**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची –D
सेवानिवृति लाभ

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
13.4	प्राधिकरण		
13.4.1	भविष्यनिधि अंशदान आदि	143511	98400
13.4.2	पेंशन		
13.4.3	उपदान		
13.4.4	अन्य		
	जोड़	**143511**	**98400**
14.2	अधिकारीगण		
14.2.1	भविष्यनिधि अंशदान आदि	764430	470544
14.2.2	पेंशन		
14.2.3	उपदान		
14.2.4	अन्य		
	जोड़	**764430**	**470544**
15.2	कर्मचारीगण		
15.2.1	भविष्यनिधि अंशदान आदि	399775	251898
15.2.2	पेंशन		
15.2.3	उपदान		
15.2.4	अन्य	4582	
	जोड़	**404357**	**251898**
	कुल जोड़	**1312298**	**820842**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची –E
अन्य कार्यालय व्यय

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
20.1	मरम्मत और रखरखाव		
20.1.1	भवन	304850	
20.1.2	कार्यालय उपस्कर	1502701	2794336
20.1.3	वाहन	680962	694234
20.1.4	अन्य	69902	256046
20.2	बिजली और पानी	2273166	2210797
20.3	बीमा और बैंक प्रभार	115094	96620
20.4	मुद्रण	3078871	3061332
20.5	लेखन सामग्री	1688114	1481458
20.6	डाक खर्च आदि	258963	375530
20.7	टेलीफोन	8022471	3824525
20.8	कानूनी शुल्क और खर्च	13614050	10406843
20.9	गाड़ियों का पेट्रोल/डीजल	1458265	1421035
20.10	विविध	10281464	13126549
	जोड़	**43348873**	**39749305**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची –F
सदस्यता शुल्क

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	प्रयोजन	अवधि	राशि	
				वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
28.1	टेरी	'साफिर' के लिए	5 महीने	18335	
	एन सी ए ई आर	पुस्तकालय के लिए	12 महीने	5000	5000
	इंडिया हैबिटेट सेंटर	सदस्यता के लिए	12 महीने		10000
	आईटीयू–डी जेनेवा	आईटीयू –डी के कार्यकलापों में सेक्टर मेंबर की तरह भाग लेना	12 महीने	145083	147243
	पीटीसी इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली	श्री एस.एन. गुप्ता, सलाहकार की सदस्यता के लिए	12 महीने		675
	बिजली इंजीनियरिंग संस्थान (आईईई)–यू.के.	श्री राजेन्द्र सिंह, सलाहकार की सदस्यता के लिए	12 महीने	5937	4844
	(आईईईई)–यूएसए	श्री डी.पी.एस. सेठ, सदस्य की सदस्यता के लिए	12 महीने	3341	796
	रेडियों विज्ञान का अंन्तरराष्ट्रीय संगठन	सदस्यता के लिए	12 महीने	6000	
		जोड़		**183696**	**168558**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – G
अभिदान

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	प्रयोजन	अवधि	राशि	
				वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
	दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट	पत्रिका के लिए अभिदान	12 महीने		150
	स्वामी पब्लिशर्स (प्रा0) लि0	स्वामी न्यूज के लिए अभिदान	3 महीने	700	500
	कंपनी लॉ जर्नल	कंपनी लॉ जर्नल, 2005 के लिए अभिदान	12 महीने	3825	1025
	ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ	उच्च न्यायालय के मामले, 2005 के लिए अभिदान	12 महीने	5935	1147
	आईटीयू–टी तथा आईटीयू –आर	दूरंसचार पर नवीनतम सूचना हेतु 'आनलाइन ' अभिदान	12 महीने	171179	112890
	वॉयस	तकनीकी पत्रिका के लिए अभिदान	12 महीने	84	83
	सेंट्रल न्यूज एजेंसी	स्वामी न्यूज	5 महीने	602	
	सेंट्रल न्यूज एजेंसी	नेटवर्क मैगजीन	3 महीने		150
	पर्यावरण कम्यूनिकंशन की सोसाइटी	पत्रिका के लिए अभिदान	12 महीने	288	
	नए वैज्ञानिक	पत्रिका के लिए अभिदान	12 महीने	6685	
	जोड़			**189298**	**115795**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – H

31.03.2006 को स्थायी परिसंपत्तियां

लेखा कोड	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक			
		लागत 1 अप्रैल 05 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	लागत 31 मार्च 06 को	1 अप्रैल 05 को	वर्ष के दौरान	समायोजन	31 मार्च 06 को	1 अप्रैल 05 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	लागत 31 मार्च 06 को
43.3.1	भूमि												
43.3.2	भवन												
43.3.3	कार्यालय उपस्कर	7664520	615134	221102	8058552	2726443	857523	83748	3500218	4938077		379743	4558334
43.3.4	वाहन	4410781			4410781	2917517	418972		3336489	1493264		418972	1074292
43.3.5	फर्नीचर तथा जुडनार	6998506	811307		7809813	3621331	659528		4280859	3377175	151779		3528954
43.3.6	बिजली के उपकरण	825222	650935		1476157	506060	57884		563944	319162	593051		912213
43.3.7	एयर–कंडीशनर	400761	221446		622207	268257	70113		338370	132504	151333		283837
43.3.8	कम्प्यूटर	23249184	4327387		27576571	14618759	2889090		17507849	8630425	1438297		10068722
43.3.9	पुस्तकें व प्रकाशन	2524273	118963		2643236	1730531	321799		2052330	793742		202836	590906
43.3.10	अन्य, यदि कोई हो												
	कुल	**46073247**	**6745172**	**221102**	**52597317**	**26388898**	**5274909**	**83748**	**31580059**	**19684349**	**2334460**	**1001551**	**21017258**
	जे. वी. भवन में छोड़ी गई परिसंपत्तियां												
	फर्नीचर तथा जुडनार	11677132			11677132	3425864			3425864	8251268			8251268
	बिजली के उपकरण	545038			545038	160674			160674	384364			384364
	सब जोड	**12222170**			**12222170**	**3586538**			**3586538**	**8635632**			**8635632**
	जोड	**58295417**	**6745172**	**221102**	**64819487**	**29975436**	**5274909**	**83748**	**35166597**	**28319981**	**2334460**	**1001551**	**29652890**
	पिछले वर्ष	**54709425**	**3747904**	**161912**	**58295417**	**24239646**	**5776625**	**40835**	**29975436**	**30469779**	**498336**	**2648134**	**28319981**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – I
निधियां

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	आदि शेष 1.4.2005 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	अंत शेष 31.3.2006 को
40.1	पूंजीगत निधि	77368584	648462	3894868	74122178
40.2	अन्य निधियां				
	जोड़	**77368584**	**648462**	**3894868**	**74122178**
	पिछले वर्ष	**67549717**	**10990117**	**1171250**	**77368584**

(') वर्ष के दौरान परिवर्धन में व्यय की तुलना में आय के आधिक्य का 24,80,846/– रु0

अनुसूची – J
आरक्षित निधियां

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	आदि शेष 1.4.2005 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	अंत शेष 31.3.2006 को
41.1		0	0	0	0
41.2		0	0	0	0
	जोड़	**0**	**0**	**0**	**0**

अनुसूची – K
ऋण

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	आदि शेष 1.4.2005 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	अंत शेष 31.3.2006 को
8.1	सरकारी	0	0	0	0
8.2	अन्य (विनिर्दिष्ट)	0	0	0	0
	कुल जोड़	**0**	**0**	**0**	**0**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – L
वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
42.1	फुटकर लेनदार		
42.2	निम्नलिखित से जमा निक्षेप		
42.2.1	ठेकेदार	650000	310000
42.2.2	प्रचालक तथा अन्य	8704689	8704689
42.3	अग्रिम के रूप में प्राप्त आय		
42.4	बकाया व्यय	5039950	3713555
42.5	प्रावधान	15006274	10496157
42.6	अन्य देयताएं	2753836	1713306
	जोड़	**32154749**	**24937707**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – M
पूंजीगत निर्माणकार्य–प्रगति पर

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	आदि शेष 1.4.2005 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	अंत शेष 31.3.2006 को
44.1	सी.डब्ल्यू आई.पी.	0	0	0	0
44.2					
	जोड़	**0**	**0**	**0**	**0**
	पिछले वर्ष	**0**	**0**	**0**	**0**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – N
निवेश और निक्षेप

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	आदि शेष 1.4.2005 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान घटत	अंत शेष 31 मार्च 06 को	
					लागत	बाजार मूल्य
31.1	निवेश	0			0	0
31.2	निक्षेप				0	0
	जोड़	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	पिछले वर्ष					

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – O
ऋण तथा अग्रिम

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
33.1	कर्मचारियों को अग्रिम		
33.1.1	अध्यक्ष व सदस्यगण		
33.1.1.1	भवन निर्माण के लिए		
33.1.1.2	वाहन की खरीद		
33.1.1.3	यात्रा भत्ता अग्रिम		
33.1.1.4	छुट्टी यात्रा रियायत तथा अन्य अग्रिम		
33.1.2	अधिकारीगण		
33.1.2.1	भवन निर्माण के लिए	2881175	934714
33.1.2.2	वाहन की खरीद	821379	364945
33.1.2.3	यात्रा भत्ता अग्रिम	181763	87609
33.1.2.4	छुट्टी यात्रा रियायत तथा अन्य अग्रिम	1067228	39397
33.1.3	कर्मचारीगण		
33.1.3.1	भवन निर्माण के लिए	403649	444881
33.1.3.2	वाहन की खरीद	169943	167640
33.1.3.3	यात्रा भत्ता अग्रिम	0	12000
33.1.3.4	छुट्टी यात्रा रियायत तथा अन्य अग्रिम	140920	115860
33.2	पूर्तिकर्ता/ठेकेदार को अग्रिम	2471114	944075
33.3	अन्य (विवरण अनुसार)	134730	71107
	जोड़	**8271901**	**3182228**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – P
विविध देनदार

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2006 को	पिछले वर्ष 31 मार्च 2005 को
45.2	अप्रतिभूति देनदार	0	0
45.2.1	छः महीने तक पुराने	0	0
45.2.2	छः महीने से अधिक पुराने	0	0
45.2.2.1	सुरक्षित माने गए	0	0
45.2.2.2	संदिग्ध माने गए	0	0
	जोड–X	**0**	**0**
	घटाएं :		
	दुर्लभ और संदिग्ध, के लिए प्रावधान	0	0
	ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
	जोड़े /घटाएं, अपेक्षित प्रावधान	0	0
	वर्ष के दौरान	0	0
	जोड़ – (Y)	**0**	**0**
	जोड़– (X-Y)	**0**	**0**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – Q
नकदी और बैंक शेष

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31.3.06 को	पिछले वर्ष 31.03.05 को
36.1	अनुसूचित बैंकों में शेष		
36.1.1	चालू खाता	19481665	19455508
36.2	हाथ रोकड	33322	29604
	जोड़	**19514987**	**19485112**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – R
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(रूपयों में)

लेखा कोड	विवरण	वर्तमान वर्ष 31.3.06 को	पिछले वर्ष 31.3.05 को
46.1	प्राप्तियोग्य दावे	682935	948070
46.2	प्रतिभूति जमा	10386640	10383040
46.3	पूर्व प्रदत्त व्यय	436532	501117
46.4	ट्राई प्रकाशन		
46.5	अन्य (विनिर्दिष्ट) (नोट सं0 12 देखें)	231042	386743
	जोड़	**11737149**	**12218970**

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अनुसूची – S
सरकार के पास खाता

(कृपया अनुसूची –B देखें)

(रूपयों में)

	आदि शेष	देय राशि	प्राप्त राशि	अंत शेष
	39100000	**130000000**	**132000000**	**37100000**
जोड़	**39100000**	**130000000**	**132000000**	**37100000**
अनुसूची–T की नोट संख्या 8 देखें				

ह0/–
(एस. एस. पंवार)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (लेखा)

अतिरिक्त सूचना

वर्ष के दौरान, सरकार से प्राप्त और उपयोग में लाई गई निधियां

(रूपयों में)

वर्ष	प्राप्त राशि	वर्ष के दौरान उपयोग						
		वेतन		यात्रा भत्ता		अन्य व्यय	स्थायी परिसंपत्तियां	वर्तमान परिसंपत्तियां
		सदस्यगण	अन्य	सदस्यगण	अन्य			
2005–06	132000000	1967181	34368729	1643229	8080108	78931800	3814847	24634129
2004–05	124000000	1952068	28942889	2817356	7180467	70544259	4182871	21631163

नोटः–

– इस अनुसूची में वेतन और यात्रा भत्तों को छोड़कर, शेष सारे व्ययों को, – 'अन्य व्ययों '– में रख दिया गया है ।

– प्राप्त राशि में, सरकार से अनुदान के अलावा, अन्य प्राप्तियां शामिल नहीं है ।

– वर्तमान परिसंपत्तियों में सरकार के पास खाता शामिल नहीं है ।

– वर्तमान परिसंपत्तियों में हाथ रोकड़/बैंक शेष/एफडीआर/कर्मचारियों को अग्रिम शामिल है ।

– वर्ष के दौरान उपयोग के ऋणात्मक शेष को, डिपोजिट के अथशेष के नकदीकरण से पूरा किया गया है।

अनुसूची "T"

लेखांकन नीतियां तथा लेखों के संबंध में टिप्पणियां

क. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण

(i) वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, भारत सरकार, संचार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा दिनांक 31 मार्च, 1999 की राजपत्र अधिसूचना सं. जी. एस.आर. 236 (ई) के अनुसार जारी फार्मेट में तैयार किए गए हैं।

(ii) लेखे, वर्तमान वर्ष, अर्थात 2005–06 के उपचित आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन कार्यप्रणाली में पिछले वर्ष की पद्धति ही अपनाई गई है। इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है।

(iii) लेखा पुस्तकों में समस्त अविवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(iv) आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

(v) आकस्मिक अथवा प्रासंगिक देयताओं को, मामले के कानूनी पहलू और तथ्यों के सावधानीपूर्वक आकलन के बाद ही, प्रस्तुत किया गया है।

(vi) ट्राई अधिनियम, 1997 के खण्ड 32 के अनुसार ट्राई को धन तथा आयकर से छूट प्राप्त है।

2. विदेशी मुद्राओं में लेन–देन

विदेशी मुद्राओं में किया गया लेन–देन, लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए गए हैं।

3. मूल्यह्रास

(क) अचल अथवा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर ''स्ट्रेट लाइन पद्धति'' के अनुसार की गई है, सिवाय निम्नलिखित श्रेणियों के, जिनके संबंध में पिछले वर्षों के लेखों की भांति ही मूल्यह्रास की ऊँची दरें लागू की गई हैः

श्रेणी	कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार न्यूनतम निर्धारित मूल्यह्रास दरें	लागू की गई मूल्यह्रास दरें
कार्यालय उपस्कर	4.75%	10.00%
फर्नीचर और जुड़नार	6.33%	10.00%
विद्युत उपकरण	4.75%	10.00%
एयरकन्डीशनर्स	4.75%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	4.75%	20.00%

(ख) जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है, सक्षम प्राधिकारी की 10.11.2005 के कार्यालय आदेश सं0 21–7/2000–जीए के अंतर्गत अनुमोदन लेकर निम्नलिखित मदों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है तथा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 83,748/–रु0 की राशि के मल्यह्रास का पश्चलेखन किया गया है :

क्षतिग्रस्त पण्यों की सूची

क्र.सं	खरीद वर्ष	परिसम्पति का विवरण	बुक मूल्य	2004–05 तक संचयी मूल्यह्रास	31.3.2005 को डब्ल्यूडीवी
1.	1997–98	एरिक्सन मोबाइल हेंडसेट	15255	11443	3812
2.	1997–98	नोकिया मोबाइल हेंडसेट	15867	11908	3959
3.	2000–01	मोटरोला हेंडसेट (2 नं.)	33000	16500	16500
4.	2000–01	सैमसंग हेंडसेट (2 नं.)	27990	12595	15395
5.	2001–02	सिमन्स हेंडसेट (2 नं.)	22000	8708	13292
6.	2003–04	मोटरोला हेंडसेट	7000	1108	5892
7.	2001–02	सैमसंग हेंडसेट (2 नं.)	17600	6453	11147
8.	2001–02	नोकिया हेंडसेट	9200	2837	6363
		जोड़	**147912**	**71552**	**76360**

गुम पण्यों की सूची

क्र.सं.	खरीद वर्ष	परिसम्पति का विवरण	बुक मूल्य	2004–05 तक संचयी मूल्यह्रास	31.3.2005 को डब्ल्यू डीवी
1.	2000–01	सैमसंग मोबाइल हेंडसेट (2 नं.)	27990	2100	25890
2.	2001–02	सैमसंग मोबाइल हेंडसेट	8800	1100	7700
3.	2002–03	नोकिया मोबाइल हेंडसेट	10600	2562	8038
4.	2003–04	नोकिया मोबाइल हेंडसेट	7400	1048	6352
5.	2003–04	नोकिया मोबाइल हेंडसेट	7400	986	6414
6.	2000–01	सैमसंग मोबाइल हेंडसेट	11000	4400	6600
	जोड	.	**73190**	**12196**	**60994**

(ग) 30–06–2001 को जवाहर व्यापार भवन में जो वस्तुएं या तो खो गई थीं, या क्षतिग्रस्त/अप्रयोज्य हो गई थीं, अथवा छोड़ दी गई थीं उन पर उस तारीख तक आनुपातिक मूल्यह्रास लगाया गया है जब तक वे उपयोग के लिए उपलब्ध थीं और कोडल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें लेखा बहियों में बट्टे खाते डाल दिया जाएगा।

(घ) **<u>एनआईडीसी को किए गए अधिक भुगतान को बट्टे खाते में डालना</u>**

ट्राई का कार्यालय पहले जवाहर व्यापार भवन की 16वीं तथा 20वीं मंजिल में स्थित था। वहां जाने से पूर्व, ट्राई ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, (एनआईटीसी) के माध्यम से वहां नवीकरण कार्य कराया। ट्राई ने एनआईडीसी को उनके द्वारा कराए गए नवीकरण के कार्य के लिए 4,72,915/–रु. का अतिरिक्त भुगतान कर दिया। बाद में, ट्राई को यह पता चला कि भुगतान ज्यादा हो गया है और तदनुसार एनआईडीसी से इस राशि को वापस लेने के लिए विधि सचिव के पास अपील दायर की गई। चूंकि एनआईडीसी को लिक्विडेट किया जा रहा है और उसके पास ट्राई को देने के लिए निधि नहीं है इसलिए प्राधिकरण ने 21 मार्च, 2006 को हुई बैठक में 4,72,915/–रु. के दावे जमा 22 अप्रैल, 2002 से 20 मार्च, 2006 तक के ब्याज एनआईडीसी को हुए ज्यादा भुगतान के कारण ट्राई को हुई हानि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया और इस आर्बिट्रेशन एवार्ड को 24 मार्च, 2006 के पत्र सं. 6–2/97–ट्राई–जीए के माध्यम से जारी किया गया।

चूंकि उक्त राशि को उस समय लेखा बहियों में वसूली योग्य राशि के रूप में नहीं दिखाया गया था इसलिए वर्तमान वर्ष के लेखे में कोई लेखा नहीं किया गया है।

4. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) भारत सरकार द्वारा मूलभूत नियमों में निर्धारित दरों के अनुसार 31.03.2006 तक के छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान की व्यवस्था लेखा बहियों में की गई है।

5. बीमा संबंधी दावे तभी हिसाब में लिए जाते हैं जब बीमा कंपनी, दावा प्राप्त करने के ट्राई के अधिकार को मान लेती है।

(ख) लेखों के संबंध में नोट

6. पिछले वर्ष के आंकड़े

i लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अंतिम शेषों को, जैसे कि वे 31.3.2005 को लेजर में दिखाए गए हैं, 01.04.2005 को लेजरों में सही–सही आदि शेषों के रूप में दिया गया है।

ii अंतिम लेखों में अर्थात् प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा, तुलन–पत्र और साथ ही उनकी विभिन्न अनुसूचियों में, जैसा की निर्धारित है, तुलना की दृष्टि से, पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित (आडिट) किए गए आंकड़े दिए गए हैं, तथापि पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित या पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

iii पिछले वर्षों के संबंध में सभी खर्च जिनके लिए 2005–06 के लेखों में प्रावधान उपलब्ध थे, विनिर्धारित कर दिए गए हैं और उन्हें संबंधित प्रावधान–शीर्ष में डेबिट कर दिया गया है।

iv (क) पिछले वर्षों के लेखों के प्रावधानों को, जिस सीमा तक उनका प्रावधान कम/अधिक हो गया था, सीधे ही पूंजीगत निधि (40.1) में डेबिट/क्रेडिट कर दिया गया है।

(ख) पिछले वर्षों से संबंधित ऐसे व्ययों अथवा समायोजनों, जिनका लेखा परीक्षकों ने पिछले वर्षों के लेखों पर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था, के संबंध में सीधे ही पूंजी निधि (लेखा कोड 40.1) में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गई है।

(ग) लेखा कोड 40.1 (पूंजी निधि) में बढ़त/घटत के सभी लेनदेनों का प्रभाव, तुलनपत्र की अनुसूची–I में दर्शाया गया है।

7. वर्ष 2005–06 की देयताओं के संबंध में किए गए प्रावधान

(क) उपलब्ध बिलों/मांगों के तथा 31.05.2006 तक किए गए भुगतानों के आधार पर वर्ष 2005–06 में 2,28,00,060 रुपए की बकाया देयताओं का अनुमान लगाया गया है। इनका विवरण इस प्रकार है:

लेखा कोड	नाम	2005–06 की देयताओं के संबंध में किए गए प्रावधान
42.4	बकाया व्यय	रु. 50,39,950
42.5	प्रावधान	रु. 1,50,06,274
42.6	अन्य देयताएँ	रु. 27,53,836
कुल जोड़		**रु. 2,28,00,060**

(ख) ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 34 के साथ पठित धारा 29 तथा 30 के अनुसार सेल्युलर उपभोक्ताओं को रकम लौटाने के संबंध में ट्राई के निर्देशों का पालन न करने के कारण एक सेवा प्रदाता मैसर्स हैक्साकॉम इंडिया लि0, जयपुर पर ट्राई द्वारा 87,04,689 रु0 का जुर्माना लगाया गया था। मैसर्स हेक्साकॉम ने 87,04,689 रु0 की यह राशि जमा करा दी है और इसे कार्पोरेशन बैंक में उस समय तक के लिए गैर–विनियोग राशि के रूप में अलग से जमा कराया गया है जब तक ट्राई द्वारा स्वतंत्र जांच कराकर उसकी सही आंकड़े की पुष्टि नहीं हो जाती है जिसके आधार पर राशि लौटाई जानी चाहिए। यदि जांच से पता चलता है कि हेक्साकॉम द्वारा लौटाई गई राशि सही है तो उनके द्वारा जमा कराई गई यह राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। अतः इस राशि को वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया गया है।

8. अनुदान

लेखा–वर्ष अर्थात् 2005–06 के दौरान स्वीकृत अनुदान 13 करोड़ रुपए था। तथापि, 13.20 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। 20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि को, 'डीओटी' द्वारा रखे जा रहे लेखे में में क्रेडिट किया गया है।

9. वेतन और भत्ते तथा अग्रिम राशि

(क) वेतन और भत्ते

(i) समाचार–पत्र बिलों, ट्यूशन फीस, आदि की प्रतिपूर्तियों को प्राधिकरण के सदस्यों के लिए 'अन्य लाभ' (कोड 13.2.3 में), तथा अधिकारियों (14.3.4) तथा स्टाफ (15.3.4) के लिए 'कल्याण व्यय' में लेखांकित किया गया है।

(ii) कार्मिकों के रिहायशी टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति/अदायगी को ''टेलीफोन व्यय'' (कोड 20.7) शीर्ष के अन्तर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) अग्रिम राशि

(iii) अनुसूची O के अन्तर्गत, यात्रा–भत्ता (टीए) अग्रिम (कोड 33.1.2.3) और छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) अग्रिम (कोड 33.1.2.4) और (कोड 33.1.3.4) की समीक्षा की जाती है और नियमित आधार पर बिलों की प्रस्तुति और उनके समायोजन आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

10. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) से 1997–98 के दौरान 14,71,692 रुपए में खरीदी गई चार गाड़ियों में से दो कारें, अक्तूबर 2000 में, टीडीसेट (TDSAT) को अंतरित कर दी गई थीं। इन दो कारों की कीमत 7,35,846 रु. थी और अंतरण के दिन तक संचयित मूल्यह्रास 2,48,211 रु0 था। अंतरण के दिन तक इन कारों के ह्रासित मूल्य की राशि, 4,87,635 रु. को, टीडीसेट/डीओटी से वसूली योग्य दावों में डेबिट दर्शाया गया है।

(ख) जवाहर व्यापार भवन–ट्राई के पिछले कार्यालय को खाली करते समय उसकी–16 वीं और 20 वीं मंजिल पर लगे 1,22,22,170 रु0 के फिक्चर, जिनका 31 मार्च, 2002 को ह्रासित मूल्य 86,35,632 रु0 था, वहीं छोड़ दिए गए थे। चूंकि ये फिक्चर खास तौर पर उस भवन के लिए थे और इनको निकाल कर नए परिसर में इस्तेमाल नहीं

किया जा सकता था, अतः उन्हें जेवीबी में ही छोड़ दिया गया था। प्राधिकरण की राय थी कि इन परिसंपत्तियों का किसी मान्यताप्राप्त मूल्यांकक से, स्वतंत्र रूप से आकलन करा कर, 'एस टी सी' से तदनुसार दावा किया जाना चाहिए। इन परिसंपत्तियों पर, इस वर्ष कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक ने 20वीं मंजिल में छोड़े गए फिटिंगों तथा जुड़नारों के लिए इन परिसंपत्तियों का "उपयोग मूल्य" 2,35,622/–रु0 तथा 16वीं मंजिल के संबंध में "स्क्रैप मूल्य" के रूप में 34,139 रु0, इस प्रकार कुल 2,69,761 रु0 की राशि आकलित की गई थी। यह मामला अभी भी एसटीसी के साथ लंबित है। तथापि, लेखा परीक्षा के सुझाव के अनुसार जुड़नार की राशि के 1,22,22,170 रु0 तथा डब्ल्यूडीवी के 86,35,632/–रु0 की राशि को कुल सकल ब्लॉक से अलग कर दिया गया है।

11. वसूलीयोग्य दावे (कोड 46.1)

1. डीओटी को अंतरित दो गाड़ियों के कारण, 4,87,635 रु. की राशि, टीडीसेट/डीओटी से वसूली योग्य राशि है।

12. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (कोड 46.5)

इसमें निम्नलिखित शामिल है :–

9,239 रु.	–	'सीबीडीटी' से वसूली योग्य
2,21,803 रु.	–	अन्य विभागों से वसूल की जाने वाली राशि।
2,31,042 रु.	–	कुल

13. प्राधिकरण के विरुद्ध दावे

जून 2001 में, ट्राई ने एसटीसी के जवाहर व्यापार भवन से अपना कार्यालय हटा लिया था। किराएदारी के दौरान, एस टी सी के साथ ट्राई का निम्नलिखित मुद्दों पर कुछ विवाद रहा :

(i) 16 वीं मंजिल के लिए 1 जून, 1999 से, और 20 वीं मंजिल के लिए 1.1.2000 से, किराए में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि

(ii) 16 वीं और 20 वीं मंजिलों के लिए क्रमशः 31.05.1999 और 31.12.1999 को समाप्त अवधियों के पश्चात् रखरखाव प्रभारों में 10% वृद्धि।

(iii) संपत्तिकर का भुगतान

(क) ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित अवधि के लिए, किराये में 10% की वृद्धि और रखरखाव में 10% की वृद्धि, एसटीसी की मांग के अनुसार (ब्याज रहित) 2,24,81,997 रु. बैठती है। इसमें फर्नीचर के प्रभारों में बढ़ोतरी भी शामिल है। चूंकि जुलाई 1999 में फर्नीचर 'एसटीसी' को लौटा दिया गया था इसलिए हमारे अनुसार फर्नीचर के मामले में कोई प्रभार देय नहीं बनता है। दिनांक 23–5–2001 के पत्र के द्वारा एसटीसी को इस बारे में अवगत करा दिया गया है।

(ख) इसी प्रकार, एस टी सी ने 1.6.1997 से 30.6.2001 तक की अवधि के लिए, संपत्ति कर के 1,92,17,892 रु. की भी मांग की है।

ट्राई ने उपर्युक्त दावे स्वीकार नहीं किए हैं और इसके कानूनी पहलुओं की जाँच की जा रही है। ऊपर (i), (ii) और (iii) में वर्णित प्रत्येक मामले के संबंध में, 'ट्राई' ने अपने पत्र सं. 6–1/1997–टी आर ए आई (जी ए) दिनांक 23.5.2001 द्वारा एस टी सी को अपनी राय भेज दी है और विवाद को मध्यस्थता के निमित्त भेजने को कहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ट्राई ने एसटीसी भवन में छोड़े गए फर्नीचर तथा जुड़नार के मूल्यांकन के लिए मैसर्स आर.के. कंसलटेंट को नियुक्त किया। अपनी रिपोर्ट में उसने 16वीं मंजिल में छोड़े गए फिटिंग तथा जुड़नारों की 34,139रु0 की स्क्रैप मूल्य तथा 20वीं मंजिल में छोड़ी गई वस्तुओं की 2,35,622रु0 के 'उपयोग मूल्य' का मूल्यांकन किया है। ट्राई ने इसे 11.4.2005 के अर्धसरकारी पत्र सं. 6–1/97 ट्राई (जीए) के अंतर्गत एसटीसी के अनुरोध किया है कि वह पहले इस मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करे तथा इसे देय राशि में समायोजित करे।

उपर्युक्त मामला आकस्मिक देयता का मामला है।

14. A से T तक की अनुसूचियां तुलन–पत्र का अंग हैं।

ह0/–	ह0/–	पदरिक्त	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए एवं आईएफए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
योजना निधि
31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

लेखा कोड	प्राप्तियां	31.03.06 को वर्तमान वर्ष में	लेखा कोड	भुगतान	31.03.06 को वर्तमान वर्ष मे
	अग्रेषित निधि		2	परामर्श	9957127.00
	बैंक को	0.00	20.3	बैंक प्रभार	178.00
4555IN	अनुदान	20000000.00	3	प्रशिक्षण	4507147.61
				बैंक द्वारा	5535547.39
		20000000.00			**20000000.00**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ ए एंड आईएफए)

ह0/–
सचिव

पदरिक्त
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
योजना निधि
31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

लेखा कोड	प्राप्तियां	31.03.06 वर्तमान वर्ष में	लेखा कोड	भुगतान	31.03.06 वर्तमान वर्ष मे
2	परामर्श	9957127.00	4555IN	अनुदान	30000000.00
3	प्रशिक्षण	4447511.61			
20.3	बैंक प्रभार	178.00			
	व्यय से ज्यादा आय	15595183.39			
	कुल	**30000000.00**			**30000000.00**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ ए एंड आईएफए)

ह0/–
सचिव

पदरिक्त
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
योजना निधि
31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

लेखा कोड	प्राप्तियां	31.03.06 वर्तमान वर्ष में	लेखा कोड	भुगतान	31.03.06 वर्तमान वर्ष मे
	अग्रेषित शेष				
	व्यय से अधिक आय	15595183.39	3.1.1	सरकार के साथ लेख	10000000.00
			35.1	ट्राई फंड से रिकवरी	59636.00
				कॉरपोरेशन बैंक में शेष	5535547.39
	कुल	**15595183.39**			**15595183.39**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ ए एंड आईएफए)

ह0/–
सचिव

पदरिक्त
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

4.3 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के वर्ष 2005–06 के परीक्षित लेखे

लेखा–परीक्षा प्रमाण पत्र

मैने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा का 31 मार्च, 2006 के संलग्न तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और राजस्व लेखे/प्राप्ति और भुगतान के लेखों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करवाने की जिम्मेवारी दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा प्रबंधन की है। मेरा दायित्व मेरी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने का है।

मैने लागू नियमों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत सामान्य लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि मैं लेखा–परीक्षा की इस प्रकार की योजना बनाऊं तथा कार्यनिष्पादन करूं जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण में कोई गलत कथन न हो। लेखा–परीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच और रकम तथा वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सूचना के समर्थन में साक्ष्य शामिल होते हैं। मुझे विश्वास है कि लेखा–परीक्षा में मेरे विचारों का समुचित आधार विद्यमान है।

लेखा–परीक्षा के आधार पर, मैं सूचित करता हूं कि:

1. मैंने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

2. नीचे दी गई प्रमुख टिप्पणियों तथा इनके साथ संलग्न पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में विस्तृत टिप्पणियों के अध्यधीन, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, राजस्व लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखे समुचित ढंग से रिपोर्ट किए गए और ये लेखा बहियों के अनुसार हैं,

3. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी में तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) लेखे, लेखों के लिए निर्धारित फार्मेट में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं:

(ii) उक्त तुलन–पत्र, राजस्व लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखे, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इसके साथ संलग्न पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

क जहां तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा तुलन–पत्र की स्थिति है, यह 31 मार्च, 2006 से संबंधित है, और

ख जहां तक 'आय के व्यय से आधिक्य' के राजस्व लेखे का संबंध है, ये भी उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं।

ह0/–

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2006

(विक्रम चन्द्र)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(पी एंड टी)

भारतीय दूरसंचार विनियामक अंशदायी भविष्य निधि लेखे के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

1.1 भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं0 जीएसआर 333(ई) के अंतर्गत 10 अप्रैल, 2003 को जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 3(1) के अनुसरण में 5 मई, 2003 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि (टीआरएआई–सीपीएफ) सब्सक्राइबरों के लाभ के लिए एक अप्रतिसंहार्य न्यास की स्थापना की गई है और इसमें मुख्यतः ट्राई और सब्सक्राइबरों का अंशदान/अभिदान, उस पर प्राप्त ब्याज, खरीदी गई प्रतिभूतियां आदि सम्मिलित है। टीआरएआई–सीपीएफ में भुगतान की गई सभी राशि एक लेखा अर्थात् ''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी–भविष्य निधि लेख'' में जमा की जाती है, जिसे टीआरएआई (सीपीएफ) नियम, 2003 के नियम 3(3) के अनुसार स्थापित किया गया है। टीआरएआई सीपीएफ की अभिरक्षा, नियंत्रण तथा प्रबंधन, तत्रैव नियम 6(1) के अनुसार विधिवत गठित एक बोर्ड को सौंपा गया है और लेखा रखने, बोर्ड की बैठक बुलाने, बैठकों का रिकार्ड रखने आदि का कार्य इस निधि के सचिव, जिसे ट्राई के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, द्वारा किया जा रहा है।

1.2 तत्रैव नियम 5(5) के अनुसार टीआरएआई–सीपीएफ के लेखों की लेखा परीक्षा, उसी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी जो ट्राई के लेखाओं के लेखा परीक्षा करेगी अर्थात् यह लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत टीआरएआई–सीपीएफ के 2004–2005 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की गई।

2. लेखाओं पर टिप्पणी

————————कुछ नहीं————————

ह0/–
(विक्रम चन्द्र)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
तारीख : 25 सितम्बर, 2005

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31 मार्च, 2005 को समाप्त अवधि की प्राप्ति तथा भुगतान का लेखा

क्र.सं.	प्राप्तियां	रकम (वर्तमान वर्ष)	रकम (पिछले वर्ष)	अनुसूची	क्र.सं.	प्राप्तियां	रकम (वर्तमान वर्ष)	रकम (पिछले वर्ष)	अनुसूची
1	अग्रेषित शेष				11	निवेश द्वारा	5509119.69	5566442.00	I (a)
1.1	बैंक में कैश	222994.22	702533.61						
1.2	सावधि जमा								
2	सदस्यों में अंशदान	2801962.00	1801236.00	A	12	अंतिम भुगतान द्वारा	440977.00		J
3	शेष का अंतरण	2133090.00	1464268.00	B	13	ग्रिम तथा निकासी द्वारा	1578000.00	638018.00	K
4	ट्राई से अंशदान	1054446.00	648989.00	C	14	विविध भुगतान द्वारा	1607.50	28529.00	L
5	सावधि जमा राशि को भुनाना	687494.14	112879.00	D					
6	आय पर ब्याज	153174.77	110324.00	E					
	उपचित ब्याज (2004–05)	56034.00	15059.61						
7	अग्रिमों की अदायगी	228290.00	35000.00	F					
8	सावधि जमा राशि परिपक्वता	1055308.00	1564694.00	G					
10	बैंक प्रभार (ट्राई सामान्य निधि से वसूल)	42072.00	1000.00	H	20	बैंक में अंतिम शेष द्वारा	905160.94	222994.2	
		8434865.13	**6455983.22**				**8434865.13**	**6455983.22**	

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री मैथ्यूपालामट्टम	श्री ए के तिवारी	श्री डी के गुप्ता	श्रीमती मीतू गुलाटी	श्री राजन सिंगला
उपसलाहकार (लेखा)	संयुक्त सलाहकार (ए एंड पी)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	सहायक (सीएन)	सलाहकार (ए एंड पी)
पदेन ट्रस्टी	पदेन ट्रस्टी	ट्रस्टी	ट्रस्टी	पदेन अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि का राजस्व लेखा

पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	व्यय	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रुपए)	अनुसूची	पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	आय	रकम (वर्तमान वर्ष)	अनुसूची
418,136.00	ब्याज	707,982.00	M	194,325.61	उपचित ब्याज द्वारा 2005 - 06 के लिए 3,91,851 रूपये	391,851.00	N
				110,324.00	आय पर ब्याज (अर्जित)	143,787.87	E
				113,486.39	आय पर व्यय का आधिक्य (ट्राई सामान्य निधि से वसूली योग्य)	172,343.13	
418,136.00		**707,982.00**		**418,136.00**		**707,982.00**	

ह0/–
श्री मैथ्यूपालामट्टम
उपसलाहकार (लेखा)

पदेन ट्रस्टी

ह0/–
श्री ए के तिवारी
संयुक्त सलाहकार (ए एंड पी)

पदेन ट्रस्टी

ह0/–
श्री डी के गुप्ता
संयुक्त सलाहकार (विधि)

ट्रस्टी

ह0/–
श्रीमती मीतू गुलाटी
सहायक (सीएन)

ट्रस्टी

ह0/–
श्री राजन सिंगला
सलाहकार (ए एंड पी)

पदेन अध्यक्ष

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि का तुलन पत्र

पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	देयताएं	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रुपए)	पिछले वर्ष के आंकड़े (रुपए)	परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष के आंकड़े (रुपए)
7484584.00	**ट्राई–सीपीएफ–सदस्यों का खाता**	12392559.00	7016442.00	निवेश	10770253.69
				वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एव अग्रिम	
			222994.22	बैंक शेष	905160.94
			202066.61	उपचित ब्याज	518755.00
			2191.00	टीडीएस	9378.96
			40890.17	**ट्राई सामान्य निधि से वसूली**	189010.41
7484584.00		**12392559.00**	**7484584.00**		**12392559.00**

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री मैथ्यूपालामट्टम	श्री ए के तिवारी	श्री डी के गुप्ता	श्रीमती मीतू गुलाटी	श्री राजन सिंगला
उपसलाहकार (लेखा)	संयुक्त सलाहकार (ए एंड पी)	संयुक्त सलाहकार (विधि)	सहायक (सीएन)	सलाहकार (ए एंड पी)
पदेन ट्रस्टी	पदेन ट्रस्टी	ट्रस्टी	ट्रस्टी	पदेन अध्यक्ष